

ॐ

गीतानुशीलन

अर्थात्

श्रीमद्भगवद्गीताकी विस्तृत भाषानन्दी व्याख्या ।

खण्ड २

यतःप्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

[श्रीगीता अ० १८ मं० २६]



प्रकाशक

रागेशचन्द्र प्रामाणिक

जयलपुर ।



१ संस्करण	}	क्षेत्र	}	द्वि १३॥
१००० प्रतिष्ठा		स० १९७७		

ॐ इस पुस्तक का लाभार्थ जयलपुर अनाथालय की सेवा में
व्यय होगा ।

गीतानुशीलन के नियम ।

१. किरी गण्ड का वय ॥) से अधिक न रहेगा ।

२. चार हजार ग्राहक हो जाने पर गीतानुशीलन प्रति मास निःसन्देह निकलेगा ।

३. जो महाशय गीतानुशीलन के लिये १० ग्राहक संग्रह कर के एक साथ १० प्रतिभों भेगाया करेगे उनको एक प्रति उपहार में दी जायगी, और जो महाशय पाँच प्रतिभों इसी प्रकार भेगावेगे उनको आधे देय पर एक प्रति दी जायगी ।

ये महाशय भी गीतानुशीलन के सहायक माने जायेंगे ।

४. गीतानुशीलन के प्रचार के लिये सर्वत्र एजेण्टों की आवश्यकता है । इनके नियम अलग हैं ।

५. पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता और ग्राहक न० (जो आबण पत्र पर दिया रहता है) स्पष्ट लिखना चाहिये ।

६. तीन महीने में अधिक काल के लिये पता बदलता हो तो सूचना देना चाहिये ।

७. गीतानुशीलन का लाभांश जबलपुर अनाथालय में व्यय होगा ।

८. गीतानुशीलन के संरक्षक, सहायक और एजेण्ट "अनाथालय सभा" के सदस्य हो सकेंगे ।

९. जिन महाशयों की गीतानुशीलन के संरक्षक, सहायक या एजेण्ट होना हो अथवा इसमें विज्ञापन देना हो, वे प्रकाशक के साथ पत्र व्यवहार करें । ग्राहक होने की सूचना तथा मनीभाँड़ेर जादि भी प्रकाशक के नाम से भजना चाहिये ।

१०. डाक व्यय और वी. पी. ग्राहकों को देना पडता है । जो महाशय नम से कम १) अधिम जमा करते जायेंगे उनको यह खर्चा न देना पडेगा ।

गढ़ा फाटक } गणेशचन्द्र प्रामाणिक
जबलपुर } प्रकाशक, 'गीतानुशीलन' ।

मासिक पत्र ।

॥ छात्र सहोदर ॥

मासिक पत्र ।

क्या आप ?


किसी मासिक पत्र के ग्राहक होना चाहते हैं ? यदि हा तो छात्र सहोदर के होइये ।
३) में ६०० पृष्ठ तथा ६० चित्र मिलेंगे ।

पत्र राष्ट्रीय हैं जनता में जीवन की ज्योति जगाना ही इसका ध्येय है ।

"मान पै मरजाय यही धर्म एक है"

पता—मैनेजर, "छात्रसहोदर" जबलपुर ।

॥ निवेदन ॥



श्रीमत् रवामी भागानन्दजी गीतार्थीके साथ, सं० १९१२ में मेरा परिचय हुआ था और तबसे उनके साथ श्रीमद्भगवद्गीताकी आलोचना हो रही है। स्वामी जीकी गीता विषयक व्याख्यासे प्राचीन और आधुनिक भावोंका अपूर्व सांमन्वय देख कर मेरी इच्छा हुई कि आपकी व्याख्या जनसाधारणमें भी प्रकाशित हो। श्रीयुक्त प० मनीरामजी त्रिवेदी (जबलपुर बाटर वाक्स इन्सपेक्टर) ने भी आग्रह किया कि गीताकी भागानन्दी व्याख्या हिन्दी भाषा में प्रकाशित की जावे। मुझे हिन्दी भाषाका यथेष्ट ज्ञान न होनेके कारण मौखिक बातोंको पुस्तककी भाषामें लिखना यद्यपि कठिन प्रतीत हुआ, तथापि जबलपुर निवासी कतिपय महानुभावों, यथा, तुलसीकृत रामायणके विनायकी टीकाकार साहित्यभूषण पण्डित विनायक रावजी कविनायक, पण्डित अधुनङ्गजी मिश्र, हिन्दी व्याकरण तथा कवि पण्डित कामलाप्रसादजी रस, हिन्दीके प्रसिद्ध सनालोचक और ग्रन्थकार पण्डित गङ्गाप्रसादजी अग्निहोत्री, सध्यप्राचीन हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सहायक सत्री पण्डित वार सुन्दरी त्रिपाठी, पण्डित काशीप्रसादजी चौधे आदि सज्जनोंके परिश्रम और उनकी कृपासे अब मेरा कार्य बहुत सरल होगया है। आपलोगोंकी मुख्यदान सरमति और सहायताके लिये मैं आपलोगोंका धिरे कृतज्ञ रहूंगा। पण्डित गङ्गाप्रसादजी अग्निहोत्रीने गीताकी इस भागानन्दी व्याख्याका नाम "गीतानुशीलन" रख दिया और पण्डित विनायकरावजीने इसके मुद्रणकार्यके सूत्रपातमें विशेष सहायता दी है। मैं आप लोगोंको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ।

गीतानुशीलनके प्रकाशन कार्यमें मेरी धनाभावकी कठिनाई मेरा रास्ता रोक कर खड़ी होगई। इस कठिनाईको सुलझ कर जबलपुर निवासी कुछ धार्मिक सज्जन मुझपर कृपा कर आगे बढ़े, और किसीने दान रूपसे किसीने अग्रिम धनदा रूपसे ऐसी सहायता पहुँचाई जिससे मैं इस कठिनाईसे पार होकर गीतानुशीलन के प्रथम खण्डको मुद्रित कर जनताकी सेवामें उपस्थित कर सका। अतः हादिक धन्यवाद सहित दानी सहायकोंके नाम नीचे लिखता हूँ।

॥ गीतानुशीलनके संरक्षकोंकी नामावलि ॥

श्रीमान दीवान बहादुर बिहारालाल खजानचीजी जबलपुर	१०)
श्रीमान राय साहब प० गोविन्दलाहाजी पुराहित जबलपुर	१०)
श्रीमान सेठ हीरजी भाविन्दजी जबलपुर	१०)

श्रीयुक्त पण्डित ज्योतेरालालजी महद चैतन्यनर (ई. ए. सी) जमलपुर	१०)
” पं० अनोराजजी त्रिवेदी बाठर वरुण चैतन्यनर जमलपुर	५०)
” पं० मुकुन्ददीलालजी अचरणी जी एन आर लोकोआफिस ”	१०)
” बामू धीतारास भार्गव (भार्गव युक्त करपनी)	५)
” एक गुण दागी	५)
	—————
	११०)

(अग्रिम सन्दा देवतासे रुजमनीके नाम स्थानान्तरमे लिखे है।)

इस प्रकार, देवतासे-अनी सहाय्यो की सहायता से गीतानुशीलन का जन्म तो सार्द्धतय जन्म ही हुआ पर इसका सारलन पालन होकर परिचरित होकर पाठकीके स्नेह पर निर्भर है, आरुध्य मे गीतानुशीलनके पाठकीके सविनय प्रार्थना करता हू कि ये—

(१) गीतानुशीलनके इस प्रथम खण्डकी कृपया ध्यान देना आरुपान्त पढें,
 (२) यदि वे गीतानुशीलनमें कुछ भी उपयोगिता पावें तो कृपाकर इसके लिये आपने दृष्ट मित्रोंकेसे कर्मके एक नया आह्वान बना दें (क्योकि १००० आह्वान संख्या हुए बिना दूसरे खण्डका प्रकाशन हीना कठिन होगा)।

(३) यदि सब पढें तो २।४ खण्डके लिये अग्रिम सन्दा जमा कर दें।

(४) जो सहाय्य गीतानुशीलनकी उपयोगिता समझते हुए भी अर्थाभावकी कारण इसके आह्वान नहीं हो सकते वे आह्वान-संग्रह कार्य-द्वारा प्रकाशक को सहाय्यता पहुँचानेसे गीतानुशीलन पाने आदिके अतिकारी समझे जायेंगे।

एवदेश बत्सल दामशील उदार हृदय धनवानो एव राजा महाराजाओसे मेरा यह सविनय निवेदन है कि वे अपनी अपनी अहानुता कुछ न कुछ अर्थकी सहाय्यता देकर “गीतानुशीलन” के जीवन-रक्षक बननकी कृपा करे।

गीतानुशीलनके प्रकाशनसे भेरे दी अभिप्राय है। एक तो मुझे इस कार्यसे पारिश्रमिक लेकर अपना और परिवार पर्वका भरण पोषण करना है, और दूसरे इसके लाभके अंशसे एक अनाथालय खुलवाना है।

अन्तमें मैं सब ग्रन्थकारोके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनके ग्रन्थोंसे गीतानुशीलनमें आवश्यक उद्धरण लिये गये हैं। पूजनीय पण्डित साधवराजजी सप्रेमी भी मे अनेक धन्यवाद इस लिये देता हूँ कि उन्होंने “कर्मवीरमें” गीतानुशीलनका विज्ञापन बिना व्यय लिये काप दिया।

अनुग्रहाकाशी,

जमलपुर
 प्रथम आवरण क्र० १३ स० १९७७

श्रीगणेशचन्द्र प्रसादिक,
 प्रकाशक।

गीतानुशीलन पर कतिपय महानुभावोंकी राय ।

(१)

साहित्य भूषण पण्डित विनायकरावजी कविनायक, तुलसीकृत रामायण-
के प्रसिद्ध विनायकी टीकाकार, जबलपुर, लिखते हैं —

गीताके नामसे आज तक अनुमान २१ पुस्तके बन चुकी है उनमेंसे श्रीमद्-
भगवद्गीताका प्रचार और प्रसार इतना अधिक है कि आजकल गीता इस नामसे
श्रीमद्भगवद्गीताका ही ज्ञान होता है । यह ऐसा अद्भुत ग्रन्थ है कि हिन्दुस्थान
के अनेक सत्ताशतश्री ब्रह्मचा अपने ही विचारके अनुसार कल्पों टीका कर चुके
हैं । इसमें उपदेश इतने उत्तम हैं कि विदेशी लोगोंने अपनी अपनी भाषाओं
इसका अर्थ और निर्यात है । अनुष्यको कर्तव्यशील बनाना इस ग्रन्थका मुख्य
उद्देश्य दिखता है । लोकमान्य पण्डित आलगाङ्गाधर तिलकने शिष्ट कर दिया
है कि गीता कर्मकर्मकी उत्तम मार्ग दर्शिका है ।

सम्प्रति जबलपुर निवासी श्रीयुक्त गणेशचन्द्रप्रामाणिक तन्नामक एक बङ्गाली महाशय
गीतानुशीलन नामकी एक पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं । उसका बहुतांश भाग जी
मैंने देखा है वह सम्पूर्ण ग्रन्थका छोटासा भाग है तथापि स्थानी पुस्तक* न्यायसे
मै कह सकता हूँ कि यह ठपठपा गीताके यथार्थ भावको दर्शाती हुई सज्जोषित
और उपयोगी होनेके कारण उपादेय अस्तु है ।

व्यक्ति द्वारा समाजकी, समाजके द्वारा देशकी और
देश द्वारा राज्यकी उन्नति तथा व्यक्तिगत सुक्ति साधनका उपाय इस उपस्था
से प्रबन्धनीत्तरकी रीति पर समझाया गया है । महात्मा तुलसीदासजीने भी इसी
प्रकारका उपदेश श्रीरामचन्द्रजी द्वारा यो दिलाया है :—

सो अमन्य अस जाहिके मति न टरे हनुमन्त ।

मैं सेवक सचराचर रूपराशि भगवन्त ॥ (किष्किन्धा काण्ड)

दाम घोड़े काश बहुत और लाभ विशेषपर लक्ष रखनेसे इस टीकाका जितना
प्रसार और प्रचार होगा उतना ही देश और देशवासियोंका कल्याण हीगा ।

(२)

हिन्दीके ख्यातनामा लेखक स्वनामधन्यपण्डित गङ्गाप्रसादजी अग्नि-
होत्री, जबलपुर, लिखते हैं —

* इन्दीमें पका हुआ चावलका एक दाना देखकर जैसे समझलिया जाता है कि कुल दाने पक गये हैं ।

प्रिय बाबू साहब,

आपने अपने "गीतानुशीलन" की हस्त लिखित प्रतिका जितना अंग हमारे पास अवलोकनार्थ भेजा था, उसे देख भाल कर हम लौटाते हैं। आपकी इस कृतिने हमें बहुत आनन्द दिया।

भारतके धार्मिक ग्रन्थोंमें श्रीसद्भगवद्गीता सर्वे प्रधान है। इस ग्रन्थका रहस्य समझानेके लिये समय समय पर विद्वान लोग इस पर टीका टिप्पणियां लिख आये हैं। अपनी अपनी समझ और अपने अपने समयके अनुकूल ही प्रायः टीकाकार टीकायें लिखा करते हैं। गीताके टीकाकारोंने भी इसी नियमानुसार अपनी अपनी टीकायें लिखी हैं। ग्रन्थकार किसी एक विशेष उद्देश्यको लेकर अपना ग्रन्थ लिखता है। अपने उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये वह बहुतसे ग्रन्थोंसे प्रमाणा भी देता है। टीकाकारका काम है कि वह अपनी टीका द्वारा ग्रन्थकर्ता के उसी विशेष उद्देश्यको स्पष्ट करदे कि जिसको लेकर उसने अपना ग्रन्थ लिखा है। टीकाकारका यह काम नहीं है कि मूल ग्रन्थमें दिये हुए सहायक प्रामाणियों को लेकर उनकी ही टीका और सहती लिखनेमें अपनी टीका शेष करदे।

अर्जुन अपना कर्त्तव्यकर्म करनेके लिये हिचकता था। उसे अपने कर्त्तव्य कर्मका महत्व समझानेके लिये ही परमात्मा श्रीकृष्ण ने गीता कही है। कर्त्तव्य कर्मकी महिमाका गुणगान करते हुए अठारह अध्यायको ४६ वें अंशमें भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं चिदं तराम् ।

स्वकर्मणा तत्पर्ययं सिद्धिं विवदति मानवः ॥”

अर्थात् जिस ईश्वरने इस ससारको उत्पन्न किया है, जो ईश्वर इस संसारमें व्याप्त ही रहता है, उसकी, निज कर्त्तव्य कर्म पालन स्वरूप सान्नीध्य, पूजा करके अनुव्य अपने अभीष्टार्थको प्राप्त करता है। तत्पर्ययं, गीता शास्त्रमें समुचित तथा प्रबल प्रमाणा द्वारा कर्त्तव्य-कर्मकी शायदप्रयफला और श्रेष्ठताका महत्व समझाने का प्रयास किया गया है।

हमें यह देख कर परम सन्तोष होता है कि आपका “अनुशीलन” गीताके उद्देश्य पर सश्रेष्ठ प्रकाश पहुंचानेका यत्न कर रहा है। इसे शीघ्र प्रकाशित करनका यत्न कीजिये। इसके पाठसे जनताको बहुत लाभ होनेकी संभावना है। इसमें समाज-सेवाके विषयमें जो बातें लिखी गई हैं वे बहुत उत्तम हैं। उनका बोध सर्व साधारणको अवश्य होना चाहिये। इसकी प्राहक श्रेणीमें हमारा नाम भी लिख लीजिये।

२ कृति—स्वामी मायानन्दजीकी है।

निवेदन



आठ महीने के बाद गीतानुशीलन वा दूरगा रूड टैंकर में आप लोगों की सेवा में पुनः उपरिश्रित हो रहा। दूसरे रण्ड की छपाई के लिए अपना दिखम्ब धन सहज करण में हुआ। यदि आप लोग चाहें कि गीतानुशीलन अभी छपकर निकला करे तो पहिले रूड के निवेदन में जो प्रार्थना करने आप लोगों से भी है उस पर ध्यान दीजिये।

(१) निम्न लिखित उदार हृदय रउजन रणो ने गीतानुशीलन के सं. १५ के तैना स्वीकार कर निम्न लिखित रकम इसकी सहायता में दान दी है, जिनके दिने में उनका कृतज्ञ हू।

श्रीयुत ठाकुर ब्रजमोहनसिंह फौजदार मालशुजा मेंनी रुईया पाटन	५)
दीवान बहादुर श्रीमान रैठ जीवनदास जी श्रीमान बाबू गोविन्ददासजी जालपुर	१०)
(आपने प्रत्येक रण्ड पर १०) दाना स्वीकार किया है)	
श्रीमान सेठ गुलाबचन्द लपूरचन्द जी चौधरी जालपुर	२१)
प्रानतीय श्रीयुत ब्योहार रघुवीर सिंहजी जालपुर	१०)
श्रीयुत बाबू एस डी गौर रुपरवाइजम जी आई पी नामिक	५)
(आपने २५) पांच बिइत में दाना स्वीकार किया है)	
कुल	५१)

(२) निम्न लिखित महाशयों को गीतानुशीलन के माहक सहज करने के लिये मैं धन्यताद देता हू—

श्रीयुत रामकृष्ण अग्रवाल	जबलपुर	श्रीयुत सियावर दास	जबलपुर
१) सुकुन्दीलाल अवस्थी	”	१) शिवरतन लाल	”
२) फस्तूरचन्द जी वकील	”	२) फकीरचन्द दिक्षित	”
३) अयोध्या प्रसाद मिश्र	”	३) ठाकुर सरदार सिंह	”
४) गणेश प्रसाद चौबे	”	४) अब्बूलाल जी	”

मुन्सी अब्दुल करीम	जबलपुर	श्रीयुत रघुनाथ वासुदेव भिदे	जबलपुर
श्रीयुत लाल बाला प्रसाद	"	" बाबू गौरी शर्मा	"
" गंगा प्रसाद जी शुकु	"	" सुन्दर लाल शर्मा	"
" वसन्त लाल दिक्षित	इटागसी	" गोकुल प्रसाद	गरसिंहपुर
" ठाकुर लाल सिंह	बादा श्रीयुत	अनन्तगाम ज्योतिषि	डेराइरभायलम्बा
" विश्वेश्वर इयाल	"	भयालाल भार्गव	सिहोरा
" देवी चरण दाम	इलाहाबाद	" लाल लल्ल लाल जी	टिकरिया

(३) ' गीतानुशीलन ' प्रथम खण्ड के आय व्यय का लेखा

दान से प्राप्त	खर्च
श्रीयुत मनीगम जी त्रिपेठी	२) दफ्तर खर्च १९१० १९११ तक ७५)
" सेठ कपूरचन्द श्रीगरी . १९)	गुस्तर खर्च ७॥१)
" गणेशचन्द्र प्रामाणिक . ५७)	
	दफ्तर खर्च १९२० ई० में ४९)३
प्रथम खण्ड में स्वीकृत किया हुआ दान (१०)	प्रथम खण्ड का खर्च: —
" अमिम चन्दा ४७)	कागज ९४,=)३
दफ्तर खर्च खाते जमा ४४=)	छपाई बंधाई ७३=)
श्रीयुत पंचवाल मुकुन्द जी त्रिपाठी	दफ्तर खर्च . ४४=)
का जमा २०)	बिनागन खाते १०)
उधार . १५०=)६	लेखक को पुररकार ८७=)
	दीगम खर्च (७)
	कुल ३१८ =)३
	पेगगी खाते पावना १=)
कुल मिजान . ४५०॥=)६	कुल मिजान . ४५०॥=)६

गीतानुशीलन प्रथम खण्ड की बिक्री का लेखा ।

गीतानुशीलन प्रथम खण्ड, १९९—३१८१—)३	विक्री	४८६ प्र०
पेरिंग और डाक जग्य ११११—)९	प्रसिद्ध के लिए बाटा १११ ,,	
	पाकी जमा	४०२ ,,
		<hr/>
	कुल	९९९ ,,

नगदी वसूल १३९)।
सम्झौ के दान खाते मुजरा	६॥=)॥	
वाहरी चन्दा खाते मुजरा	३॥=)॥	
जबलपुर अग्रिम खाते मुजरा.	००.१८॥=)	
		<hr/>
	कुल	२९१)

कुल मीजान १६८१)।

लाभ ३८॥—)९	पायना—
(शेष प्रतियां बिकने पर और उधारी	जबलपुर उधारी खाते २१॥=)
वसूल होने पर यह लाभ ही रहम	वाहरी उधारी खाते १४॥=)॥
जबलपुर अनायालय और जबलपुर गांठीय	
विद्यालय को वाट दी जायगी)	३६॥=)॥
	वाकी २०२ प्रतियों का मूल्य १६४=)
	<hr/>
कुल २६८॥)॥	३६८॥)॥

नोट:— संश्लकों को (=) प्रति और अग्रिम चन्दा देने वालों को (=)। प्रति दर से मुजरा दिया ।

(४) पाठकों से पुन प्रार्थना करता हू कि व इस दूसरे खण्ड को ध्यान देकर पढ़ें और यदि गीतानुशीलन की उपयोगिता उन्हें कुछ भी जान पड़े तो कृपया उसकी ग्राहक संख्या बढ़ाने की चेष्टा करें । उपक्रमणिका अध्याय के समाप्त होने पर श्री गीता के मंत्रों की व्याख्या का अवसर आवेगा । किन्तु कम से कम १००० ग्राहक मर्यादा हुए बिना उसके पूर्ण होने की सम्भावना नहीं दिखती । मैं बृद्ध हू

यदि आप लोगों से समन रहने उचित सहायता न मिली तो सम्भव है कि श्री गीता पर मायानन्द जी के विचार जो कि श्री गीता के यथार्थ मर्म (सत्य सिद्धान्त) के प्रकाश करने वाले हैं, मेर सभ ही दिल्ली न हो जायेंगे।

(५) जो गीता प्रेमी अर्थात्भाग के कारण गीतानुशीलन के माहक नहीं बन सकते किन्तु गीतानुशीलन में प्रकाशित गीता मर्म के प्रचार करने का उत्तराह रखते हैं उनको गीतानुशीलन बिना मूल्य दिया जा सकता है यदि वे इस बात का विश्वास दिला सकें कि वे अपन अपन पड़ोसिया को गीतानुशीलन पहचान सुनाया और समझाया करेंगे। ऐसे प्रार्थियों की संख्या अभी २० से अधिक न होना चाहिये।

। जबलपुर अनाथालय ।

परमात्मा की प्रेरणा से और श्रीमान बाबू गौविन्ददास जी के उद्योग से एवं श्रीयुक्त सेंट मोहनलाल हरगोविन्द दिङ्डीवाले के उत्साह से और जबलपुर के दानशील धनीमानी सेंट गृह्य में श्री गुरु जन्ता की सहायता से जबलपुर में अनाथालय गत माह दिसम्बर में शुरु हुआ है। गीतानुशीलन के पठकों को चाहिये कि वे भी इस दुर्गम धर्म्य में हाथ बटाव।

इस अनाथालय के लिये गीतानुशीलन के आह्वानों से गीतानुशीलन उपनगर में इस प्रकार दान मिला है। यत्रमे गीतानुशीलन के जावरण पत्र की सूचना पर मिले थे जब अनाथालय के खुलने का कोई निश्चय न था।

श्रीयुक्त फतेहचन्द जी डि० इ० आफ रकूलस जबलपुर—	१)
श्रीयुक्त शुभमार चेटर्जी महाताल जबलपुर	५)
	—
	कुल ६)

जबलपुर }
मा० १८।४।१९२१ ई० }

आप लोगों का विनीत भेवक
गणेशचन्द प्रामाणिक,
प्रकाशक ।

निवेदन ।

तीन वर्ष और चार महिनेके बाद आज गीतानुशीलनका तीसरा खण्ड लेकर मैं आप लोगोकी सेवामें पुनः उपस्थित होता हूँ। इस सुदीर्घ विलम्बका मुख्य कारण अर्थाभाव था। प्रथम खण्डकी बिक्री की आयसे दूसरा खण्ड छपा था। यद्यपि प्रथम खण्डको पढ़कर पाठकोने उसकी प्रशंसा करके मुझे उत्साहित किया था, परन्तु जब उनके पास दूसरे खण्डकी वी० पी० भेजी गई तब उन्होंने उसे वापिस कर दी। इसी कारण हतोत्साह होकर शेष ग्राहकोंको—जिनका अग्रिम चन्दा जमा नहीं था—वी० पी० नहीं भेजी गई। अधिकांश वी० पी० लौटानेका मुख्य कारण यह होगा कि पाठकोने समझा हो कि जब अर्थाभाव ही है तब गीतानुशीलन बराबर कैसे प्रकाशित होगा। सुमरा उन्होंने अपना हाथ खींचकर ईसामसीहके इस वाक्यको चरितार्थ किया कि “जिसके पास धन है उसको और भी दिया जायगा और जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ है वह भी ले लिया जायगा” !

अर्थाभाबके कारण गीतानुशीलनका प्रकाशन और भी कुछ दिनों तक रुका रहता, यदि राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर जबलपुरके उदार सञ्चालकगण इसकी सहायतामें अग्रसर न होते। उन्होंने कृपाकर राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर की देख रेखमें गीतानुशीलनको प्रकाशित करना स्वीकार किया है। अतः अबसे गीतानुशीलन वर्षमें चार बार अवश्य प्रकाशित होगा। इसमें किसी प्रकार की शङ्का नहीं रही। अस्तु, अब पाठकगण निश्चिन्त होकर इसके ग्राहक हो सकते हैं। सर्व साधारण की सुविधाके लिए वार्षिक चन्दा २५ रखा गया है।

गीतानुशीलनके ग्राहकों का लेखा

	स्थानीय	बाहरी
दान दाता	१६	३
अग्रिम चन्दा दाता	४३	७५
फुटकर ग्राहक	४३	५६
जिन्होंने केवल प्रथम खण्ड लिया है	१५१	६८
	<hr/> २५३	<hr/> २३२
	कुल ४८५	

प्रार्थना ।

यदि प्रत्येक फुटकर (अस्थायी) ग्राहक अग्रिम नन्दा २) देकर स्थायी ग्राहक हो जाय और गीतानुशीलनके प्रत्येक स्थायी ग्राहक अपने मित्रोंमें से एक एक दो दो ग्राहक बना सकें तो अति शीघ्र १००० ग्राहक हो सकते हैं, जिससे वार्षिक २०००) की आय होकर गीतानुशीलन वर्षमें ४ बार अनायास निकल सकता है ।

वर्षमें २) देने को सामर्थ्य रहते हुए भी जो महाशय अपने मित्रोंसे मांगकर गीतानुशीलन पढ़ते हैं उन्हें इसका विचार करना चाहिये कि अर्थाभावसे गीतानुशीलनका प्रकाशन बन्द होना हिन्दी साहित्यके लिये कितनी खेद की बात होगी । उन्हें यह भी समझ लेना चाहिये कि श्रीगीताके सदृश सर्वमान्य ग्रन्थके एक सच्चे भाष्यका, प्रत्येक हिन्दू गृहस्थके घरमें रहना कितना आवश्यक है ।

हिन्दी पुरतन्त्रोंके पढ़नेवाले लाखों पाठकों में यह कोई असम्भव बात नहीं कि १००० पाठक ऐसे न हों जिन्हें धार्मिक विषय की जिज्ञासा होते हुए २) वार्षिक चन्दा देने की सामर्थ्य न हो । एक हजार की कौन कहे कई हजार ऐसे ग्राहक समूह किये जा सकते थे यदि भङ्गीले विज्ञापन दिये जाते और अर्थाभाव की बात प्रकाशित न की जाती ।

जिन महाशयोंको गीतानुशीलन की उपयोगिता समझमें आ गई है उनसे मेरा नम्र निवेदन है—कि मेरी ढलती उमर है, इसलिये यदि आप लोग चाहते हों कि श्रीगीताके विषयमें जो कुछ ज्ञान मैं श्री स्वामी मायानन्दजीसे समझ कर सका हूँ उसको हिन्दीके साहित्य भण्डारमें पुस्तकाकारमें शीघ्र स्थान प्राप्त हो जाय तो ऐसा प्रयत्न करें कि शीघ्र ही इसके ४००० ग्राहक हो जाय । जिससे यह वृहत् ग्रन्थ प्रतिमासमें प्रकाशित होकर, मेरा जीवन शेष रहते रहते समाप्त हो जाय ।

गीतानुशीलनके संरक्षक गण ।

निम्नलिखित उदार हृदय सज्जनोंने निम्नलिखित सहायता दी है—

- (१०) दीवान बहा० श्रीमान सेठ जीवनदासजी श्रीमान बाबू गोविन्ददास जी, जगलपुर
- (११) श्रीयुत पण्डित मनोहर कृष्ण गोलवलकर बी. ए. एल. एल. बी धकील जबलपुर (आपने प्रत्येक खण्ड पर १) देना स्वीकार किया है)
- (१२) श्रीमान पण्डित रघुनाथराव आबा साहिब राजा सागर जबलपुर

(१३) श्रीयुग पं० महावीर प्रसादजी पांडे बया निमाडगंज जबलपुर	५)
(१४) ,, डा० रघुनाथप्रसादजी	१०)
(१५) ,, शिवसिंहजी चन्द्रसिंहजी जाडेजा, बेला रगपुर, मोरवी, काठियावाड़	५)
(१६) श्रीयुग डा० हरनामदास बाबाजी, होली दरवाजा, मथुरा	१८॥)
(१७) ,, पं० बालमुकुन्दजी त्रिपाठी, सहकारी मंत्री जबलपुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन	३५)
	<hr/>
	८६॥)
	<hr/>

गीतानुशीलन के सहायक गण ।

गीतानुशीलन के ग्राहक रांग्रह द्वारा सहायता पहुँचाने के लिये मैं निम्न लिखित महाशयो को धन्यवाद देता हूँ—

श्रीयुग शिवसिंहजी चन्द्रसिंहजी जाडेजा बेला रगपुर मोरवी ।

,, परिडत राजेन्द्र नारायण जी मिश्र, भवानीपुर, डगमारा, भागलपुर ।

,, ,, महेशानन्द थप०याल, लान्सडौन, गढ़वाल ।

उपकार स्वीकार :

(१) इस खण्ड की भाषा के सशोधन और प्रूफ के देखने से प० गंगाविष्णुजी पाण्डेय संस्कृत-अध्यापक हितकारिणी स्कूल, जबलपुर ने यथेष्ट सहायता दी है । उन्हें धन्यवाद ।

(२) इस खण्ड में जहाकही अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं उन ग्रन्थकारों को धन्यवाद देता हूँ ।

गीतानुशीलन के प्रकाशन में आय-व्यय का लेखा ।

(आरम्भ से जुलाई १९२४ ई० तक)

आय		व्यय	
दान से	३३०॥॥)	गीतानुशीलनके दो खण्डों	
अग्रिम चन्दा से	२१६॥६॥)	के प्रकाशन में खर्च	६७२॥८॥)
सूद से	८॥६॥)	गी० नु० तीसरे खण्ड के नामे	१२१॥८॥)
गीतानुशीलन की नगदी		साभान खाते जमा	२६॥८॥)
बिक्री	२३१॥८॥)	जबलपुर अनाथालयके दान	३६॥॥)


गी० बु० उधारी बिक्री देना	३७॥३॥॥ १८७॥३॥॥	उधारी पावना	२११॥३॥॥ ८७३॥३॥॥
		जबलपुर शनाथालय खाते जमा राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर में जमा	५६॥३॥॥ ८४॥३॥॥
		रोकड़ बाकी	१४०॥३॥॥
	१०१४॥३॥॥		१०१४॥३॥॥

गीतानुशीलन खाते देना--पावना ।

देना	पावना
दान दाताओं का २७२॥३॥॥	प्रथम ख० ६६६, दूसर ख० ६६६
अग्रिम चन्दा का १६१॥३॥॥	खर्च बिक्री, भेद, समा-
गणेशचन्द्र ग्रामा- णिक का १८७॥३॥॥	लोचना, दीमक ७७८ ४३६
	बाकी जमा २२१ ५६० मूल्य २६२॥३॥॥
	जमा-पुस्तक और सामान खाते २६॥३॥॥
	तीसरे खण्ड के नामे १२१॥३॥॥
	उधारी खाते पावना २११॥३॥॥
	रोकड़ बाकी १४०॥३॥॥
	५७२॥३॥॥
	हानि ४८॥३॥॥
६२०॥३॥॥	६२०॥३॥॥

जबलपुर
ता: १८ अगस्त १९२४

सेवक
गणेशचन्द्र ग्रामाणिक



जबलपुर अनाथालय ।

श्री जबलपुर अनाथालय का सन् १९२३ ई० का विवरण ।

- (१) एककालीन दान—दान की रचीकृत रकम १५३०६।।। में २८८७।) अभी तक वसूल होनेको बाकी है । शेष १२४१६।।) में, स्थायी कोष में जमा है ६५०७), ५० राधिकाप्रसादजी पाठक से चन्दा वसूली मध्ये पावना है १२२), अनाथालयके सामान आदि में लगा है ४६६।) $\frac{१}{२}$ और प्रथम दो वर्षों में अनाथालय के खर्च खाते खर्च हुआ है २२६४) $\frac{१}{२}$,
- (२) मासिक चन्दा, सूद और फुटकर दानसे इस वर्ष आय हुई २७१७।) $\frac{१}{२}$ और अनाथों के खर्च खाते खर्च हुआ १८७६।।।) $\frac{१}{२}$ + स्थायी सामान की भड़ती पड़ती ४३।) $\frac{१}{२}$ = १६२०-)।। शेष बचत में रहा है ७६७) $\frac{१}{२}$ । इस साल एककालीन दान की रकम से कुछ खर्च नहीं हुआ ।
- (३) अनाथों का लेखा—गत साल के २७, इस साल भर्ती हुए ४२ कुल ६६ जिसमें चले गये ४८ शेष बचे २१ वर्ष के अन्त में जो मौजूद हैं—बालक ६, किशोर १, युवक असमर्थ २, वृद्ध १, बच्ची १, बालिका ६, वृद्धा १, कुल, २१.
- (४) इस साल कहार, काछी, कोटवार, कोरी, खगार, चमार, तेली, घोड़ी, नाऊ, बानियाँ, ब्राह्मण, लाला, अहीर, बढई, छत्री, कोल, कुरमी, बेडिया, बैरागी, गोंड, पटवा, हलवाई, सोनार, भीर लोधी इतने जात के अनाथों का पालन हुआ ।
- (५) ये सब अनाथ जिन जिलों के रहने वाले हैं उनके नाम ये हैं—रीवा, सोहावल, मैहर, अजयगढ, वगैरा, जौनपुर, नरसिंहपुर, भाम्नी, सागर, रायपुर, जबलपुर ।
- (६) अर्थभाव और खानाभाव के कारण आज तक अनाथों के लिये कोई उद्योग धन्धा निश्चित नहीं हो सका है तथापि इन तीन वर्षों में उन्होंने ५१६) की पूँजी एकट्ठी की है, जिसके साथ अनाथालय की पूँजी का कोई सम्बन्ध नहीं है । अनाथों का कमाई खाता स्वतन्त्र है और इसी पूँजी से यथा सम्भव उद्योग धन्धा होता है ।
- (१०) अनाथों की शिक्षा—लड़के लड़की दोनों स्कूल में पढ़ते हैं ।
- (११) अनाथालय की उन्नति के उपाय—राहर के बाहर जब तक अनाथालय के

लिये १०-२० बीघा जमीन न मिलेगी तब तक अनाथालय की उन्नति न हो सकेगी। मासिक २२५) की अनिश्चित आमदनीके भरोसे अनाथों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती। अनाथों की संख्या तभी बढ़ाई जा सकती है जब उनसे कुछ काम लेकर आय भी बढ़ाई जावे। जमीन की सेवा एक ऐसा काम है जिसमें सरलता से सभी काम कर सकते हैं। इसलिये अनाथालय की उन्नति में प्रथम आवश्यकता जमीन की है।

- (१२) अनाथों का र्वारथ्य—२८६ की जन संख्या में ६६ पीमार हुए जिनमें ६२ अच्छे हुए ७ अस्पताल भेजे गये २ की मृत्यु हुई। बीमारी की अधिकता से भी शहरके बाहर अनाथालयके स्थान की आवश्यकता जान पड़ती है।
- (१३) जिन महाशयोंने एककालीन दान की रकम अभी तक नहीं दी है उनसे निवेदन है कि अनाथालय अब र्थायी हो चुका है अब ने कृपाकर अपना देय अदा कर दें।

गोपाटबाग

सेवक

जबलपुर

गणेशचन्द्र प्रसाशिक

२९-४-१९२४ ई०

भरणी



उद्घाटिका ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् ।
तत् पदम् दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

—ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—

(श्री मायानन्द गीतार्थी और गणेशचन्द्र प्रामाणिक-संवाद)

गणेशचन्द्र—(आये हुए सन्यासीजीका परिचय* पाकर) मेरा यह परम सौभाग्य है कि मुझ गरीबके घर आपका पदार्पण हुआ ।

स्वामी मायानन्दजी—आपका यह विलीत वचन भद्र पुत्रोंके योग्य ही है ।
(हसमुखसे) मुझे दीखता है कि मेरे आगमनसे, सौभाग्यके बदले आपके भाग्यमें कुछ व्यय और कायिक कष्टका उदय हुआ ।

गणेश—यह सत्य है कि आपके अवस्थानसे मेरा कुछ अर्थ-व्यय अवश्य हीगर, परन्तु आपके बरसङ्ग से जिस वस्तुकी प्राप्ति होगी उससे व्यय निकास कर भी मुझे बहुत कुछ लाभ होगा ।

मायानन्दजी—सो किम तरह ?

गणेश—मैंने सुना है कि आपकी पदवी गीतार्थी है, अतएव यदि आप कृपा कर मुझे श्रीमद्भगवद्गीताका अर्थ यथावसर समझाते रहेंगे तो मैं मानलूंगा कि थोड़े खर्चसे मुझे परम लाभ ही रहा है और इससे मुझे परम सन्तोष होगा ।

मायानन्दजी—(यह जानकर कि जिज्ञासु पुस्तककी दूकानमें नौकरी करता है) आपको नफा नुकसानका अच्छा ज्ञान होगया है तो भी मेरे विषयमें आप भूलते हैं । मैं गीतार्थी अवश्य हूं, पर "गीतार्थी" का अर्थ "गीताचार्य" नहीं, उसका अर्थ तो गीता समझनेका अभिलाषी है । जैसे "विद्यार्थी" का अर्थ विद्या सीखनेका अभिलाषी है ।

* बराहनगर—कलकत्ता दक्षिणेश्वर-काली-वाड़ीके प्रतिद श्रीमत् परमहंस श्री श्री रामकृष्णजीके एक अज्ञात शिष्य ।

गणेश—मैंने प्रथम तक कभी पचास साठ वर्षका बूढ़ा विद्यार्थी नहीं देखा था, इस लिये गीतार्थी शब्दसे मैंने गीताचार्य ही समझा था। परन्तु आप अपनी समझसे गीतार्थी होतेहुए भी मेरे लिये गीताचार्य ही हैं। जैसे कोई उच्च कक्षाका विद्यार्थी निम्न कक्षाके विद्यार्थियोंके लिये शिक्षकका काम कर सकता है, वैसे ही आप मेरे लिये हैं। आपने गीताके उपदेशोंकी जैसा सीखा और समझा है वैसा ही यदि मुझे भी समझा देवें तो मैं अपनेकी परम लाभवान जानूँगा।

मायानन्दजी—किसीकी गीताका ज्ञान देना मेरी शक्तिके बाहर है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो कोई भी किसी विषयकी समझता है वह उसे अपने ही गुणसे समझता है। उपदेशक तो विषयका सूक्ष्म साधक है। और भगवत्तत्त्व बिना भगवत्कृपाके न कोई समझ सकता है और न किसीकी समझा ही सकता है।

गणेश—जाना कीजियेना, आपके इस विश्वासके प्रथम अंगसे मैं सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि विद्वान् अनादिकालसे साधारण जन समाजकी धर्म-तत्त्वका उपदेश देते चले आ रहे हैं। यदि वे आपका उपदेश लोगोंकी न समझा सकते तो उनकी यह उपदेश-चेष्टा कभीकी बन्द हो गई होती, परन्तु जब विद्वानोंके द्वारा धर्म-व्याख्याएँ उत्तरीतर प्रचारित होती जाती हैं, तब इससे यही जाना जाता है कि विद्वानोंके द्वारा अधिद्वान् लोग भी धर्म-तत्त्वके ज्ञाता होते जाते हैं।

मायानन्दजी—इससे भी तो यही जाना जाता है कि धरुमेरे लोगोंमें यह गुण स्वाभाविक ही रहता है कि वे विद्वानोंके उपदेशोंको समझते हैं। इसीसे उपदेशोंके ग्रहण करनेवालोंकी अधिकताके कारण धर्म-तत्त्वकी व्याख्याएँ भी उत्तरीतर अधिक प्रकाशित होती जाती हैं।

“समझना” और “समझानेका” अर्थ क्रमशः स्वयम् अनुभव करना और अन्यको अनुभव करादेना है। किसी विषयकी सुनते ही अनुभव करलेना अथवा वाक्यों द्वारा किसी विषयका दूसरेकी अनुभव करादेना; ये दो शक्तियाँ, मनुष्योंमें, नैसर्गिक दर्शन, अथवा, कथनादि शक्तियोंके अन्तर्गत हैं, अथवा अनुभव करने या करानेके लिये किसी दूसरे का कुछ साधनकी अपेक्षा है, इस विषयमें मुझे संशय है।

गणेश—अनुभव करानेकी शक्तिके विषयमें आपका जो सशय है उसे रहने

दीजिये। इस सम्बन्धमें मुझे कोई सशय नहीं है। मेरा तो यह विश्वास है कि ज्ञानी तथा विद्वान महात्मा रोग सुभ्र सर्वांशे अज्ञानी और मूर्ख-को कोई भी विषय हृदयङ्गम करावे सकते हैं। अतएव आपसे इस दास-की यही प्रार्थना है कि कुछ काल यहा रहकर आप मुझे गीता की व्याख्या सुनावें।

मायानन्दजी—यद्यपि तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण करना मुझे कठिन दीख पड़ता है; क्योंकि मुझमें महात्माओंकी सी शक्ति नहीं है, तथापि तुम्हारा अत्यन्त आग्रह देखकर और यह जानकर कि जिज्ञासुके साथ श्रीगीताका अनु-शीलन करना अपना धर्म है, जैसा कुछ श्रीगीताका अर्थ मैंने श्री गुरुदेव-की कृपासे जाना है, तुम्हें सुनानेका साहस करूंगा।

मणोश—जैसी इच्छा। मुझे तो श्रीमद्भगवद्गीता सुनना है और समझना है, आप चाहे जिन विचारसे सुनावें और समझावें।

मायानन्दजी—जब तुमको गीता सुननेका ऐसा प्रेस है, तो आओ हम तुम, एक नियम कर लें। श्रीगीताके श्लोकों की—जिनको हम मत्र मानते हैं, क्योंकि इसके एक एक श्लोकमें मन्वकी भयङ्क चमसे तारनेकी शक्ति है—व्याख्याके अधसर पर जहाँ तक तुमको सन्देह और जिज्ञासा ही निःसङ्कोच होकर प्रश्न करते जाना। पर इस सम्मतिसे ऐसा मत सजक लेना कि हम तुम्हारी प्रत्येक शंका, सन्देहादिका समाधान करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम तो तुम्हें यैसाही उत्तर देने जैसी प्रेरणा हमारी बुद्धिमें

यह स्वाभाविक नियम है कि बुद्धि अपने पूर्वके किसी जाने हुए विषयके ज्ञान द्वारा परवर्ती ग्राह्य विषयका ज्ञान लाभ करता है। सादृश्य में कुछ भेद होने पर भी उस विषयकी पान प्राप्तिम बुद्धिको बाधा नहीं होती। यथा, पत्थके चलने उड़ोवाले प्राणीको पची' कहते हैं यह जानकर किसी पक्ष पशिष्ट प्राणीको उड़ते न देखकर भी बुद्धि उसको पची मानलेती है। जैसे—काकादि उड़नेवाले और शुक्कुटादि न उड़नेवाले प्राणी पची मानेजाते हैं। बुद्धिम ऐसा गुण होने के कारण उसे, पहलेसे न जाने हुए किसी भी विषयकी धारम्यार साहोचरासे उस विषय का ज्ञान होजाता है। कहा है—

करत करत अभ्यासने, जहपति होत सुजान ।

रसरी आवत जात ते, मिलपर परत निजान ॥

अतएव आध्यात्मिक तथा द शूनिक सत्त्वोका धारम्यार अवण, पठन और मनन ही उनके ज्ञान लाभका एकमात्र साधन है।

होगी । इस नियमसे हमारा यह अभिप्राय है कि हम तुम मिलकर शास्त्री-
की सहायतासे श्रीगीताके कठिन विषयोंका अनुशीलन करें ।

मार्गश—आपकी वैसी इच्छा हो । मैं तो सब प्रकार सहमत हूँ । मैं भी यही
चाहता हूँ कि पूछ पूछ कर आपसे गीता समझूँ, क्योंकि श्रीमद्भगवद्-
गीताकी जितनी टीकायें भाषामें मैंने देखी हैं, वे सब सलेपमें ज्ञान-
के कारण उनसे जिज्ञासुके मनकी जिज्ञासारूपी प्यास शांत
नहीं होती ।



॥ गीतानुशीलन ॥

—२२३३११६६—

तदेकं स्मरामि तदेकं भजामि तदेकं जगत् साक्षि रूपं नमामि ।
खदेकं निधानं निराख्येव मीश भवाभ्वोवि पातं शरण्यं व्रजामि ॥



॥ उपक्रमणिकाध्याय ॥

मायानन्द—“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।”

“स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ।”

“यत्तत्पवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।”

“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥”

श्री भगवान् वासुदेवने श्रीगीताके १८ वे अध्यायके उपरोक्त
श्री गीताके ४५ । ४६ ने श्लोकोंके रूपमें जो मंत्र कहा है वही मंत्र
माहात्म्यप्रश्ना गीताका सार है । इसी मंत्रके कारण गीताका माहात्म्य
कारण है । इसी मंत्रको संसारमें प्रचार करनेके लिये भगवान्कर
अवतार हुआ था । मानवी संसारको धीरज, धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष देनेकी प्रतिज्ञाके रूपमें भगवान्ने यह मंत्र कहा है ।

श्रीगीतामें यही एक मंत्र है जो गीता धर्मकी ‘प्रतिज्ञा’ है; उसका सिद्धान्त है,
रिक्छुना उल्ला प्रतिपान् विषय भी यही हैं । इसका प्रतिपादन करनेके लिये ही
सारी गीता कही गई है ।

पृथ्वी आदि ग्रह उपग्रह, जैसे सूर्यके सबबन्धनों, मर्यादों लक्ष्यमें रखते हुए
उसकी परिक्रमा करते रहते हैं वैसे ही गीताके शेष सब मंत्र इसी मंत्रके साधनसे
इसीको लक्ष्यमें रखते हुए इसीके परिकर हैं ।

चन्द्र, सूर्य जैसे अपनी अपनी ज्योतिसे पृथ्वीको उद्भासित करते हैं वैसे ही

गीताके शेष सब मंत्र अपनी अपनी अनुपम ज्योतिसे इस मंत्र विहित प्रतिज्ञाकी, जोकि परमात्माने वासुदेव रूपमें मनुष्योसे की थी, सत्यताको उद्भासित करते हैं ।

इन मन्त्रों का तात्पर्य यह है :—

समाजके अनुकूल जीविकाके निर्वाह यौध्य अपने अपने कर्मोंमें लगे हुए भी मनुष्य मात्र, यदि अपने अपने कर्मोंका प्रयोग, परमात्माकीसेवा-बुद्धिसे, समाजमें* करते रहें, तो चतुर्वर्ग नाम संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं ।

गणेश—श्री गीताके १८ वे अध्यायके उक्त ४५। ४६ वें श्लोकोंकी जैसी बड़ाई आपने की, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल होता है । मैंने गीताकी जितनी टीकाये देखी हैं, किसी ने इन श्लोकोंका न ऐसा भावार्थ कहा गया है और न ऐसा अर्थ ही किया गया है, वीसा आप बताते हैं ।

मायानन्द—मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि तुमने अपने सन्देहको इस तरह निःसङ्कोच होकर प्रगट किया । तुम में ऐसी जिज्ञासावृत्ति देखकर मुझे आशा होती है कि तुम्हारे साथ गीताका अनुशीलन करना लाभकारी होगा ।

गणेश—आप सरीखे महात्माओंमें ही यह गुण देखा जाता है कि वे सदीषको भी निर्दोष बनालिते हैं । औरकीई होता तो मेरे इस सन्देह-घाद को प्रति-घाद समझकर असन्तुष्ट होता ।

मायानन्द—मैं भी सचेत होगया । आगे प्रशसा न ली की जायगी और न सुनी ही जायगी । अब तुम किसी एक टीका से गीताके इस मंत्रका अर्थ और टीका पढ़कर सुनाओ ।

गणेश—यह गीताकी एक बङ्गला टीका है । इसमें उक्त श्लोकोंका अन्वय, अर्थ और टीका यों लिखी गयी है,—

“स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः (निष्ठावान्) नरः संसिद्धिं लभते,
स्वकर्मनिरतः यथा सिद्धिं विन्दति तत् शृणु ॥ ४५ ॥

यत् भूतानां प्रवृत्तिः (चेष्टा) येन इदं सर्वं ततं (व्याप्तम्), मानव-
स्वकर्मणा ताम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति ॥ ४६ ॥ ”

* यहा समान शब्दका अर्थ बहुत व्यापक है । उसमें राष्ट्र स्वदेश, मातृभूमि, जाति, जन साधारण, लो क आदि शब्दोंसे इङ्गित होनेवाले सभी अर्थ सन्निविष्ट हैं ।

अर्थ (हिंदी अनुवाद)

“अपने अपने कर्मों से निष्ठा रखनेवाले मनुष्य सिद्धिलाभ करते हैं। स्वकर्म निरत व्यक्ति जिस तरह सिद्धिलाभ करता है सो सुनो। जिम्ह करके मनुष्य से प्रवृत्ति अर्थात् चेष्टा उत्पन्न होती है और जिससे संपूर्ण विश्व व्याप्त है उसकी, मनुष्य अपने अपने कर्मों से अर्चना करके सिद्धि प्राप्त करता है।”

टीका (हिंदी अनुवाद)

“गुण भेदसे जो व्यक्ति जिस कार्यका अधिकारी है, वह सद्गुरुके अधिकारके अनुरूप उपदेशको पाकर उसीका पालन क्रमशः करते रहनेसे सिद्धिको प्राप्त करता है। जिस कर्मसे आत्मज्ञान होता है वही स्वकर्म है। त्रिगुणातीत होनेका उपाय सद्गुरु बता देता है। वही आत्म-कर्म है। अधिकारीके भेदसे साधकोके लिये वे उपाय भिन्न भिन्न हैं। उस आत्म-कर्मके द्वारा (ईश्वरकी) अर्चना करके साधक क्रमशः उन्नति और सिद्धि प्राप्त करता है।”

मायानन्द—इस टीकाकारने मंत्रका जो शब्दार्थ लिखा है वह ठीक है। मैंने उसी-का भावार्थ व्यावहारिक भाषामे कहा है, परन्तु टीकासे प्रकट होता है कि टीकाकार प्राणायाम वा हठ-योगका पक्षपाती है। अब विचारना चाहिये कि ऐसी योग-क्रियाका साधन, जो मनुष्य मात्रके लिये सुसाध्य नहीं है, बतलाने के लिये, परमात्माका अवतार लेना युक्ति-युक्त है वा नहीं? भगवान् वासुदेवके आविर्भावके बहुत काल पूर्वसे ही योग मार्ग प्रचलित था। अतएव प्रचलित बातों के बतलानेमें ही गीताका साहाय्य तथा गौरव न समझना चाहिये। अच्छा, अब गीताकी कोई हिन्दी टीका निकालो।

गणेश—यह गीताकी एक सर्वोत्तम हिन्दी टीका है। गीता के जितने भिन्न भिन्न संस्करण देखने से आते हैं प्रायः उन सभी का मूल यही टीका है*। इस में उपरोक्त श्लोकों का अर्थ, भावार्थ सहित यों लिखा है :—

* भगवान् श्री शङ्कराचार्य से पहिले की कोई टीका इस समय उपलब्ध नहीं है। अतएव गीता

“जैसा कुछ ब्राह्मणादिकोका अपना कर्म कहा है तिस रूपने अपने कर्ममें तत्पर पुरुष ससिद्धिको प्राप्त होता है, अर्थात् अपने कर्मके करनेसे अन्तःकरणाकी आशुतिके दूर होनेके अनन्तर ज्ञान सिद्धाकी योग्यताको प्राप्त होता है।”

“क्या अधिकारी पुरुष अपने कर्मानुष्ठान मात्रसेही साक्षात् मोक्षकी प्राप्त होता है ? नहीं। किन्तु अपने कर्ममें निरत पुरुष जिस प्रकारसे साक्षरूप सिद्धिको प्राप्त होता है तिस प्रकारको सुनो”—

“जिस अन्तर्गामी ईश्वर से सब भूतोंकी (प्राणियोंकी) प्रवृत्ति, उत्पत्ति अथवा वृद्धियोंकी चष्टा होती है और जिस ईश्वरसे यह सब जागत व्याप्त हो रहा है तिस ईश्वरकी अपने अपने (वर्णाश्रम धर्मानुसार) कर्म करके पूजन अर्थात् आराधन करके, केवल ज्ञान-निष्ठाकी योग्यता ही है साक्षात्-स्वल्प विपत्तिका ऐसी निश्चिन्ता अनुभूय प्राप्त होता है, अर्थात् अपने कर्म द्वारा आराधन किया गया जो परमेश्वर तिसके प्रसाद से ज्ञान-प्राप्तिकी योग्यताको वह अनुभूय प्राप्त होता है।”

भाषानन्द—इस टीका में “ससिद्धि” शब्दका अर्थ “मोक्ष” मानकर भी, “ज्ञानप्राप्ति-की योग्यता” कहा गया है, और येने इन शब्दका अर्थ “धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष” कहा है, इतना ही भेद है। इसी पर तुमको इतना आश्चर्य हुआ था ?

गणेश—इतना ही भेद क्यों ? आपके अर्थसे और इस टीकाके अर्थसे बड़ा अन्तर है। “ईश्वरकी अपने अपने वर्णाश्रम धर्मानुसार कर्म करके पूजन करना” इसको अपने “जीविका-निर्वाह योग्य कर्मोंका प्रयोग, परमात्माकी सेवा बुद्धिसे, समाजमें करना” कहा है। वर्णाश्रम

पर जो टीकार्य शङ्कराचार्य महाराज और उनके पीछे आनन्दगिरिजी और श्रीधर स्वामीने संस्कृत भाषामें लिखी है उन्हींके आधार पर बहुधा गीताकी टीकार्य और अनुवाद हिन्दी भाषामें प्रकाशित हुए हैं। कदाचित् भाषामें इनके अतिरिक्त एक नये हगका टाका लिखा गयी है जो आन्वयिक और योग्यते सम्बन्ध रखती है जिसका गमना पहले उल्लेख जा चुका है। यहा उपलब्ध नामक टीकाका उल्लेख किया गया है जोकि उक्त तीना आचार्योंके मतोंका समुच्चय करने लिखी गयी है।

* इस प्रश्नकी उत्तर-योजनासे ऐसा जान पड़ता है कि ससिद्धि शब्दका अर्थ मोक्ष है। ‘अधिकारी’ इस शब्दसे कौन पुरुषोंको समझना, सो स्पष्ट नही होता।

धर्मसे ईश्वरका पूजन हो सकता है, किन्तु जीविकाके कर्मों से कैसे परमात्माकी सेवा हो सकती है ? उससे तो अपनी और अपने कृतदुस्वामी ही सेवा होती है ।

मायानन्द—वर्णाश्रम धर्म क्या है ?

गणेश—स्मृतियोंमें कहे हुए वर्णोंके कर्म और आश्रमोंके लिये विधि-निषेध, वर्णाश्रम धर्म कहाता है ।

मायानन्द—स्मृतियोंमें वर्णोंके कौन कौनसे कर्म बताये गये हैं ?

गणेश—ब्राह्मण वर्णके लिये वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञ कराना; दान देना, दान लेना । (मनु० अ० १ । ८८)

क्षत्रिय वर्णके लिये प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, विषय वासनाओंसे श्रित्तका न लगाना । (मनु० अ० १ । ८९)

वैश्य वर्णके लिये पशुओंकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, व्याज लेना और खेती करना । (मनु० अ० १ । ९०)
शूद्र के लिये द्वेषभाव रहित होकर तीनों वर्णोंकी सेवा करना ।

मायानन्द—ये चारों वर्ण अपने अपने कर्मोंके द्वारा ईश्वरका पूजन कैसे करते हैं ?

गणेश—यह एक हिन्दीकी दूसरी टीका है (श्रीधर स्वामी कृत) । इसमें आपके प्रश्नका उत्तर यों दिया है :—

“तिस परमेश्वरका पूजन जो मनुष्य स्वकर्म्म करिके करता है शाने किये भये स्वकर्म्म सर्व ईश्वरार्पण करता है वह सिद्धिकी प्राप्त करता है । ”

मायानन्द—“स्वकर्म्म ईश्वरार्पण” कैसे होता है ? क्या “श्रीकृष्णार्पणमस्तु” कहने से ही होजायगा, जैसे हम सन्यासी लोग “ॐ तत् सत्” कहकर जिस तिस वस्तु को पवित्र करलेते हैं ?

गणेश—इसका उत्तर मैं आपकी नहीं दे सकता, क्योंकि टीकाकारने ईश्वरार्पण शब्दकी व्याख्या नहींकी है । मेरी समझमें ईश्वरकी आराधना तो यज्ञ, होम, व्रत, देव-पूजा और जप तप आदि के द्वारा होती है । जो सच्चे मन से ऐसी आराधना करता है वह अवश्य ज्ञान प्राप्तिकी योग्यताकी प्राप्त हो सकता है । किन्तु वर्णोंके उन कर्मोंसे जिनका सम्बन्ध आसारिक व्यवहारसे है, जैसे ईश्वरकी आराधना होती है यह मेरी

समझ में नहीं आती। कदाचित् "ईश्वरार्पण" का रहस्य साझस ही जाय तो यह बात समझ में आवे।

(क)

(ख)

मायानन्द—जैसा कि ऊः प्रकारके स्मार्त धर्म, यथा—वर्णधर्म, आश्रमधर्म, वर्णाश्रमधर्म, गुणधर्म, निमित्तधर्म और साधारणधर्म के अन्तर्गत नीचे लिखे विधि-निशेध* वर्ण और आश्रमके अधिकारानुसार धर्म हैं,

- (१) ब्राह्मण भदिरा को त्याग दे।
(वर्णधर्म)
- (२) ब्रह्मचारी अग्निके लिये इन्धन लावे
(आश्रमधर्म),
- (३) और अपने अपने वर्णके अधिकारके अनुसार "भवति" शब्दका भिन्न भिन्न प्रयोग करता हुआ भिन्नान्न करे, एवं ब्राह्मण वर्णका ब्रह्मचारी पलाश के दण्डको, क्षत्रिय ब्रह्मचारी खैरके और वैश्य ब्रह्मचारी गूलरके दण्डको ग्रहण करे। (वर्णाश्रम धर्म)
- (४) जिस राजा में शास्त्रोक्त रीति से अभिषेकादि गुण हों वही प्रजाका पालन करे, (गुण धर्म)।
- (५) विधिके पालन न करने पर और निषिद्धके करने पर धर्मशास्त्रोक्त प्रायश्चित्त करना। (निमित्त धर्म)।
- (६) किसी प्राणीकी हिसा न करनी।
- (७) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णका, उपवीत ग्रहण करने पर वेद पढनेके लिये, ब्रह्मचर्याश्रमको जानना। ब्राह्मण

वैसा ही क्या श्रुति, दर्शन, पुराण और यावत् नीति ग्रन्थों के सामान्य और विशेष धर्मके अन्तर्गत नीचे लिखे आदेश-निशेध अनुष्य मात्रके लिये धर्म नहीं है ?

- (१) सादकताके लिये कोई अनुष्य भदिरा न पीवे (सामान्य धर्म)।

- (२) ज्ञानका उपार्जन करना या धिया सीखनी अनुष्य मात्रका कर्तव्य है।
(सामान्य धर्म)

* स्मृति ग्रन्थ देखिये।

* सबके उपयोगी।

कयासका, क्षत्रिय सनका और वैश्य
जनका जनेऊ पहिने । (वर्ण धर्म) ।

(८) स्मृतियोंमें कहेहुए नियमोंके अनुसार
विवाह करना, सन्तान उत्पन्न करना,
नित्य अग्निहोत्र करना, पञ्च महायज्ञ
करना, भूत-वलि देना, पितर और
सनुष्योंके लिये नित्य अन्न देना, पोष्य-
वर्गको भोजन कराकर श्रेष्ठ अन्न स्वयं
खाना, अतिथि भिक्षुक सन्ध्यास्थियोंको
भिक्षा देना, वेदोक्त वार्षिक और
आयत्तिक यज्ञोक्ता करना, नित्य
नैमित्तिक आहु क्रिया करना; एवं
अपने कुलके अभ्युदयके लिये शर्माधान,
पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नाम-
करण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म,
कर्णवेध, उपनयन, वेदारभ, समायतन,
और विवाह एवं विवाहाग्निपरिग्रह
और त्रेताग्निसग्रह और मृतकी
अन्त्येष्टि क्रिया इन १६ संस्कारोंको
करना* । (गृहस्थाश्रम वर्णधर्म)

(९) आयुके तीसरे भागमें द्विजोका (ब्रा-
ह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) गृहस्थाश्रमको
त्यागकर बनको जाना, और वहाँ
निवास करते हुए वाणाश्रमके
नियमोंका पालन करना, यथा कृषिसे
उत्पन्न अन्नको न खाना, दिनाम्तर
पक्षाम्तर वा मासान्तरमें एकद्वार
भोजन करना, दिनभर खड़ा रहना,
रातभर भूमिपर सोना, इत्यादि
इत्यादि (वाणाश्रम-आश्रम धर्म) ।

(३) प्रातःकृत्य, स्नान, तिलक, पूजा, पाठ,
जप, व्रत, उपवास, देवपूजा, देवदर्शन,
तीर्थदर्शन करना । काम, क्रोध लोभ,
मद, मोह मात्सर्यका त्याग करना ।
इन्द्रियोंका दमन करना, सत्य बो-
लना, झूठ न बोलना, दान देना
चोरी न करना, जमा करना इत्यादि
इत्यादि (सामान्य धर्म) ।

(४) यम, नियम, आसन, प्रणायाम,
प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और
समाधि द्वारा योग-साधन करना*
(विशेष धर्म) ।

* इन संस्कारोंके विषयमें अधिक जाननेकी इच्छा
हो तो तुलसीकृत रामायणकी विनायकी टीका
बासकाण्डकी पुरौनी पृष्ठ ४७ देखो ।

* सुमुचुकके शिष्य ।

- (१०) एक आयुके चौथे भागमें पहुँचने पर याने ७५ वर्षका पूढा होने पर सन्यास लेकर एक स्थानमें वास न करना, सर्वत्र एकाकी विचरना, केवल भिक्षा-के लिये ग्राममें जाना इत्यादि
(सन्यास धर्म) ।
- (११) सतकी की अन्त्येष्टि क्रिया करना याने स्मृतियोंके अनुसार २ वर्षसे कम अवस्थाके शिशुके शवकी गाड़ना, इससे ऊपरकी अवस्था वालेके शवकी जलाना एवं तर्पण करना, पिरुड दान देना इत्यादि (साधारण धर्म) ।
- (१२) स्मृतियोंमें कहेहुए न्यायालयकी कानूनी बातें (Acts) यथा-व्यवहार, असाधारण व्यवहार सात्रिका, असादान, उपनिधि, साक्षि, लेख, दिव्य, दायविभाग, सीसाविवाद स्वामिपाल-विद्याद इत्यादि २ । (निमित्त धर्म) ।
- (१३) देवताके लिये न बनाये हुए मोहन-भोग, खीर, पेंडे, पूरी और मास द्विज जातिके न खाना चाहिये । मछली, पिशाच, सनगम, लहान, गाजर द्विज जाति भक्षण न करे (वर्ण धर्म) ।
- (१४) श्राद्धमें और हीना हुआ और अक्षयकी इच्छासे और देवता एवं पितरोंको पुजना मास भक्षण करने वाला दोषभागी नहीं होता ।
(साधारण धर्म)
- (१५) विप्र (वेदपाठी ब्राह्मण) मासके न्यागसे सब कागनाओंको और अश्वमेध यज्ञके कलको प्राप्त होता है ।
- (५) श्रवण वा स्वाध्याय, मनन और निदिध्यासन के द्वारा नित्थानित्थ वस्तु विवेक तदनन्तर आत्मज्ञानकी प्राप्ति करना (सामान्य धर्म) ।
- (६) किसीको धोखा न देना, सबसे सच्चा व्यवहार करना (सामान्य धर्म)
- (७) माना प्रकारके उपार्योंके द्वारा अपने अपने इष्ट देवता वा परमात्माके साथ प्रेम वा भक्तिका बढाना और वैराग्यका अभ्यास करना ।
(सामान्य धर्म) ।
- (८) किसी भी प्राणीकी हिसा न करना और सात्त्विक भोजन करना ।
(सामान्य धर्म) ।

(१६) स्मृतियोंमें कहेहुए द्रव्य शुद्धिके नियमके अनुसार जो वस्तु जिस प्रकारसे शुद्ध होने लायक हो उसकी उस प्रकारसे शुद्ध करना और जिस वस्तुको शुद्ध करना दुःसाध्य वा असम्भव हो उसकी सदा पवित्र मानना । (साधारण धर्म) ।

(१७) विद्या और तपसे हीन ब्राह्मणको कोई दान न दे, और ऐसा ब्राह्मण स्वयं भी किसीसे दान न ले ।
(साधारण वर्ण धर्म) ।

(१८) भ्रातृका अन्न खाकर, उस रात्रि ब्राह्मणको ब्रह्मचर्यसे रहना चाहिये ।
(वर्ण धर्म)

(१९) द्विज वर्णोंको दक्षिण कर्णपर जनेऊ रखकर दिन और सन्ध्याके समय उत्तराभिमुख होकर एव रात्रिके समय दक्षिणाभिमुख होकर सप्त मुत्रका त्याग करना चाहिये ।
(वर्ण और शाश्वत धर्म)

ऐसे ही अनेक बातें हैं ।

फिर वैदिकधर्म, शैवधर्म, शाक्तधर्म, वैष्णवधर्म, ब्राह्मधर्म, आर्यसमाजधर्म, बौद्धधर्म, जैनधर्म, पारसीधर्म, यहूदीधर्म, ख्रिष्टीयधर्म, मुसलिसधर्म इत्यादि इत्यादि सब क्या धर्म नहीं हैं ? और क्या वस्तुओंके गुण और प्राणियोंकी प्रकृतिको भी "धर्म" सजा नहीं दी जाती ?

गणेश आपके इन प्रश्नोंके उत्तरमें मुझे इतनाही कहना है कि आपने मुझे धर्मके जङ्गलमें डालदिया । धर्मके संबन्धमें जो कुछ बेरी धारणा थी वह प्रसयमें पड़ गई ।

मायानन्द—क्या ये सब विधि-निषेधात्मक धर्म जो कि श्रुति, स्मृति, दर्शन, पुराण आदि धर्म ग्रन्थोंमें मनुष्योंके लिये निर्दिष्ट हो चुके हैं वर्ण और शाश्वतसे सम्बन्ध नहीं रखते ?

गणेश—अवश्य रखते हैं। क्योंकि, भारतीय आर्य्य जातिके मनुष्य, वर्ण और आश्रममें बटेहुए होनेसे ये सब उनके वर्णाश्रम धर्म ही है। अतएव जो आर्य्य-सन्तान अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार आचरण द्वारा परमेश्वरका पूजन* कर सकती है वह संसिद्धिकी प्राप्त होती है—इस अर्थका समझना कठिन न था। किन्तु “धर्म” कोई विशेष बात होगी इस सशयसे अब जैसे अर्थका यथार्थ होना मेरी समझमें नहीं आ रहा है। परन्तु जीविका-निर्वाह योग्य कर्मों याने धर्मसे कैसे परमात्माकी सेवा ही सकती है और फिर उससे मुक्ति भी मिल सकती है यह बात तो मेरी बुद्धिमें आती ही नहीं। इसीसे आपकी व्याख्या सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कुतूहल हो रहा है।

मायानन्द—धीरज धरो। तुम्हारा कुतूहल निवारण करनेके लिये मैं तो बचनबद्ध हो ही चुका हूँ। पहले मेरे और एक प्रश्नका उत्तर देलो।

गणेश—आज्ञा कीजिये।

मायानन्द—श्री गीताके उपदेश केवल वर्णाश्रम धर्मावलम्बी भारतीय आर्य्यजातिके लिये ही है अथवा पृथ्वीकी सभी मनुष्यजातिके लिये हैं ?

गणेश—श्री गीताका प्रचार पृथ्वीकी सभी सभ्य देशोंकी भाषामें हो चुका है। गीता पर सभी विद्वानोंकी यही राय है कि इसका उपदेश मनुष्य मात्रके लिये लागू है। जैसा कि सत्य बोलना, चीरी न करना, आदि नीतिकी बातें सभी मनुष्यों पर लागू होती हैं। इन विद्वानोंकी यह राय सत्य होनेका प्रमाण यही है कि जिस किसी विदेशी पंडितने इसे प्रथम पढ़ा उसीने अपनी जातिके लिये इसका अरथा अपनी देश-भाषामें किया। परन्तु अब मेरा मन इस विश्वाससे विचलित हो रहा है। यदि विश्वाधीन मन्त्रोंका प्रचलित अर्थ ही सत्य है तो मुझे यही कहना पड़ता है कि गीताका उपदेश भगवान्ने केवल भारतीय आर्य्यजातिके लिये ही किया है।

मायानन्द—तो तुम्हारे मनको उस सत्य सिद्धान्तसे अविचलित रखनेके लिये मुझे पुनः यही कहना पड़ता है कि भगवान् वासुदेवके आधिभावके बहुत काल

* पूजन कैसे किया जाता है ? “यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिल शभो तवाराधनम्” अर्थात् जो जो काम मैं करता हूँ वे सब, हे शभो, ताराही आराधन हैं। ऐसेही किसीने कहा है ‘Work is worship’ अर्थात् कार्यक (नाही) पूजा है। क्या इतनेहीके जानलेनेसे ‘पूजन’ होजायगा ?

पूर्वसेही श्रौत और स्मार्त्तादि मार्ग प्रचलित थे। अतएव केवल प्रचलित बातोंके अतलानेमेंही गीताका साहाय्य तथा गौरव न समझना चाहिये। और यहभी विचारना चाहिये कि किसी विशेष जातिकी शिक्षाके लिये अथवा ऐसे वर्णाश्रमकी शिक्षा—जिसका प्रचार हमसे भिन्न जातियोंमें होना असम्भव है और जो स्वयम् परिवर्तनशील है—देनेके लिये भगवान्का पूर्णावतार होना (हम लोग कृष्णावतारकीही पूर्णब्रह्मका अवतार मानते हैं और अवतार तत्त्वके अनुसार ऐसा मानना तब सही हो सकता है जब उनकी शिक्षामें ऐसी कोई अनोखी बात जो सभी मनुष्योंके लिये एकसी लागू हो पाई जावे) युक्ति-युक्त है वा नहीं। और एक बात पर ध्यान देना चाहिये कि विचाराधीन मंत्रोंमें “कर्म” शब्दका उपयोग किया गया है न कि “धर्म” शब्दका।

अस्तु, इस विवादासे मैं इतना समझ गया कि जगतक मैं गीताके प्रयोजन, उत्पत्ति और सङ्गति पर विचार न करलूंगा तबतक पूर्वोक्त मन्त्रोंकी मुख्यता पर और मेरे कहे हुए अर्थके विषयमें तुम्हें सन्देह बनाही रहेगा। इसलिये पहले मैं गीताके प्रयोजन पर विचार बाँधूंगा। यह एक सर्वमान्य बात है कि बिना प्रयोजनके किसी वस्तुकी उत्पत्ति या उसका आविर्भाव नहीं होता। इसको यह देखना होगा कि किस प्रयोजनकी लक्ष्य करके भगवान्का अवतार तथा गीताका उपदेश हुआ। जब प्रयोजन या उत्पत्तिका हेतु समझमें आजायगा तब हम इस बातका विचार करेंगे कि श्री गीताके उपदेशोंकी सङ्गति उक्त मन्त्रोंके साथ मेरे किये हुए अर्थके अनुसार कैसी होती है। सङ्गतिके विचारसे फिर आगे मैं प्रत्येक अध्यायके श्लोकोंकी व्याख्या सुनाऊंगा।

श्री गीताके प्रयोजन तथा उत्पत्ति पर विचार करते समय जहाँ कहीं तुम्हें केवल विशेष शंका अथवा कौतूहल हो वही प्रश्न करना, नहीं तो विषय बहुत बढ जायगा। सामान्य शंका सन्देहादि टीपते जाना और उनके विषयमें उपयुक्त अवसर पाकर पूछलेना। मुझे विश्वास है कि मन्त्रोंकी व्याख्याके समय ऐसे अवसर बहुत मिलेंगे।

गणेश— ओं आञ्जा ॥



॥ गीतानुशीलन ॥




ओम् प्रवृत्ति निवृत्ति रूपाय ब्रह्मणे नमो नमः ॥

श्री गीताके प्रयोजन पर विचार ।

(उपक्रमशिकाध्याय)

१ परिच्छेद ।

धर्मका मूल ।



नाथानन्द - छात्र मैं भूत और वर्तमान ज्ञानीपदेशक विद्वानोंकी चरख-
कम्पना करते हुए श्री गीता(गुशीलनका आरम्भ करता हूँ ।

भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा प्रचारित गीता-धर्मके उपदेशोका पूर्व प्रसङ्ग यह है कि पाण्डवोंका राज्य कौरवोंने हलसे हरलिया था । अपने अपहृद्य राज्यके उद्धारके लिये पाण्डवोंने कौरवों पर चढ़ाई की थी । कौरव भी लड़ाई के लिये सैदानमे छटे हुए थे । ऐसे अवसर पर अर्जुनके, जिसे भरते उनके बड़े भाई महाराजा युधिष्ठिरने यह पढ़ाई की थी, भगवान् श्रीकृष्णने जो इस लड़ाईमे उनके सारथी हुए थे, अपना रथ दोनों सेनाओंके बीच खड़ा करने की कहा ।

जब अर्जुनने दोनों पक्षोंकी सेनाको देखा तब यह सोचकर कि इस लड़ाईमें
कर्त्तव्याकर्त्तव्य दोनों ओरके ये लाखों नीर (जिनमें कुटुम्बी, मित्र और
क्षिप्र्य करनेमें गजा जन हैं) मारे जायेंगे, उनके मनमे बड़ी वेदना उपस्थित
कठिनाई हुई और उन्हें नैराग्य उत्पन्न हुआ ।

इस अवसर पर श्री गीताके रचयिताने अर्जुनके मुखसे सात्त्विक भावना-युक्त
जितनी बातें कहवाई हैं (गी० अ० १ अं० २८-४६) उनका सार यह है:—

अर्जुनकी इस बातका संशय हुआ था कि रथतियोंके शासनके अनुसार

धर्मयुद्ध* करना क्षत्रिय वर्गका स्वधर्म होने पर भी, उसमें जीव-संहार होता है और जब जीव-संहार सभी धर्म-शास्त्रों (स्मृति आदि ग्रन्थों) में पाया जाता तथा है तब ऐसे पाप युद्ध स्वधर्मका † आचरण करना श्रेय है अथवा वर्णाश्रम-धर्मको ही त्याग देना श्रेय है।

“श्रेय” शब्दमें जीवनकालमें मनकी शान्ति और वरलोकपर उत्तमगति समझना चाहिये। किसीका स्वधर्म स्वभावतः अशान्तिजनक होनेसे जीवनकालमें जब उसे मनकी शान्ति न मिलती तब मरणान्तर उत्तम गति होगी इसका विश्रय ही क्या? एसा भ्रम, जीवनमें नित्य जाननेवालेसे मनमें भी हो सकता है। स्मृतियोंका (सांभ्राजिक धर्म शास्त्रोंका) यह आदेश है कि वर्णाश्रम-निर्दिष्ट स्वधर्मोच्चरणसे मनुष्योंको स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। किन्तु मरणोपर अथवा अन्त्येष्टि के विषयमें जिसकी समझ है उसके लिये यह आदेश रोक जायबना हो जाता है। जिनकी स्मृतियोंके उद्देश्यका अर्थ जान नहीं है उन्हें स्मृतियोंमें कां हिए वर्णाश्रमके धर्मोच्चरणसे होनेवाले श्रेयोलाभमें संदेह ही करना रहता है।

अनुभवके इस संशयका मूल विचार यो है-क्षत्रियके लिये युद्ध करना परमार्थ-मनके अनुसार कर्तव्य तो हुआ, परन्तु युद्धरूप क्रिया भी तो पापाकार है। क्या पापाकार भी कभी कर्तव्यमें गिना जा सकता है? पापाकारका मात्र तो अकर्तव्य माना जाता है। युद्ध जाहे पराये राज्य पर अधिकार करने के हेतु अर्थात् मूलक ही अथवा अपहृत राज्य के उद्धारके हेतु धर्म मूलक ही जब उसका परिणाम जीव-संहार ही तो यह पाप ही है। जान बूझकर पाप करने वाले को अन्तमें कभी शान्ति नहीं मिल सकती, और परलोक में तो पाप का दण्ड भोगना ही पड़ता है। यदि युद्ध न किया जाय तो जीव का संहार न होगा अतएव जीव-संहार न होने देने के कारण पुण्य होगा। इस पुण्य के ज्ञान से (पापी न होने के ज्ञान से) मन में शान्ति बनी रहेगी, और परलोक में पुण्य का फल स्वर्ग-लोक तो निश्चित ही है। अतएव वर्णाश्रम के कर्तव्यों की भंगदंड में क्यों पड़ना चाहिये?

पाप पुण्य का ऐसा विचार समाज-तत्व या धर्म-तत्व या ध्यान रहते हुए भी उत्पन्न हो सकता है। समाज अथवा समाज-शीर्ष स्थानीय राजा से

* मृत्यु वा त्याग के लिये जो युद्ध है उसे धर्मयुद्ध कहते हैं।

† समाज विहित वा समाज द्वारा नियोजित कर्म अर्थात् अपने वर्ण का कर्म।

‡ श्रेयस् शब्द का अर्थ है मङ्गल, शुभ। इस शब्द में ‘शान्ति’ में अधिक दृश्य कोई ‘मङ्गल’ मनुष्यों के लिये नहीं हो सकता और परलोक में तो ‘उत्तमगति’ ही मङ्गल है।

निर्णयित होकर जब प्राणी नामक किसी वर्णने युद्धरूप हिंसात्मक कर्म का कारण स्वीकार कर लिया तब अत्यन्त घबरे पर अपने स्वीकृत कर्म का त्याग देना भी परामर्शदा है। क्योंकि इस से समाज की धोखा देना और उसका अहित करना हुआ। पुनश्च, युद्ध के न करने न सेनागत अनुष्ठानों को जान बूझकर इस से पुण्य भी हुआ। इन दोनों भावनाओं में जो कूट विचार है वो यह है कि—

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| १-कर्त्तव्य के करने में | { | पाप—युद्ध करी तो जीव-संहार और उसके आनुभूतिक अर्थात् मृत व्यक्तियोंके कृतस्त्रियोंकी दुःख पहुँचने की कारण पाप का उदय होता है। |
| | | पुण्य—युद्धरूप अपने स्वीकृत कर्म के द्वारा समाजकी रक्षा करनेसे समाज की और से पुण्य होता है। |
| २-कर्त्तव्य के न करने में | { | पाप—युद्धरूप अपने स्वीकृत कर्मके न करनेसे समाजका अहित-साधनरूप पापका उदय होता है। |
| | | पुण्य—युद्धसे अलग रहनेके कारण जीव-संहार न हुआ इससे पुण्य होता है। |

जब दोनों मार्गों में पाप और पुण्य हैं तब किस मार्गसे जाना चाहिये ? ऐसा संशयमुक्त मन होकर अर्जुनने जगत्-तत्त्व वंशा श्रीकृष्ण भगवान् से पूछा—

“यच्छ्रेयस्याभिपिचतं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं प्राप्तिं वा त्वा प्रपन्नम्” (गी०अ०२।७)

“मैं आपकी शरणागता होके शिष्यकी नाई प्रार्थना करता हू कि मेरे जिसे जो मार्ग निश्चित श्रेयस्कर होवे उसका उपदेश कीजिये। हे भगवन ! जब मार्ग दोही हैं और दोनोंमें पाप और पुण्य हैं तब ऐसा कोई उपाय बतलाइये जिससे कि स्वधर्म पर चलेतेहुए भी उस मार्गका पापान्न तो मुझे स्पर्श न करे पर पुण्यही पुण्य मिले। पापकी आशङ्कासे मेरा चित्त व्याकुल होरहा है अतः जिनसे वह आशङ्का जाती रहे और मेरे चित्तमें भ्रान्ति बनी रहे ऐसा उपदेश कीजिये।”

द्वारा रखी कि अर्जुनकी इस विनतीसे और श्रीकृष्णोक्त नीलाके उप-देशोंमें यही जानाजाता है कि कर्त्तव्य और अकर्त्तव्यका विचार अनुष्ठानोंके लिये एक कठिन समस्या है जबतक कि वह धर्म-तत्त्वसे अभिज्ञ न हो। साथ ही, कर्त्तव्यका पालन वा सत्यपर स्थित रहना (सत्याग्रह) उसके लिये सबसे अधिक आवश्यक है जबतक कि भगवत्-तत्त्वकी अभिज्ञतासे वह पूर्णतया स्वार्थरहित न

होगया ही। इसका विस्तृत विचार यथा अवसर श्री गीता के मंत्रों की व्याख्या में किया जायगा।

अर्जुनकी इस मार्चना पर श्रीकृष्ण भगवान् ने उसे युद्ध करने की कक्षा, युद्धसे विरत रहनेकी नहीं। आपकी इस सम्मतिकी पुष्टिसे अर्जुनकी भगवान् ने यह ज्ञातलाया कि धर्मोन्वित युद्ध ही क्षत्रियोंका स्वधर्म है। इसलिये यह उसका कर्तव्य है। धर्म एव आध्यात्मिक या प्रत्यक्षज्ञानके बिना ऐसे कर्तव्यरूप स्वधर्मों को सम्बुद्ध रहजाता है उसके दूर करनेके लिये भगवान् ने उसे ज्ञानका उपदेश किया। जिससे, ज्ञान भूमिगत पर स्थित होकर आपने स्वधर्मरूप कर्तव्य के पालन से अर्जुनकी श्रेयः प्राप्त हुआ।

धर्मके शैलिक रूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शत्रु हमें अनुसन्धान करना है कि धर्मका श्रीकृष्ण महाराज ने किस विचारसे अर्जुनको युद्ध करने की सम्मति दी। मूल। ऐसी सम्मतिसे भगवान् का यही अभिप्राय पाराजाता है कि -

(१) युद्धके परिणाम जीव-मृत्युसे अर्जुनको जो पाप होता है, समाजकी रक्षा के लिये युद्धके न करनेसे उसे जो पाप लगेगा उसके सामने वह पाप किसी गिनतीसे नहीं है।

(२) युद्धसे विरत रहनेसे जीव-हिंसा न होने के कारण उसे जो पुण्य मिलेगा, युद्धके करनेसे समाजकी ओरसे उसे जो पुण्य होगा उसके सामने वह पुण्य स्वरूप है।

श्रीकृष्ण भगवान् की ऐसी सम्मतिसे यही स्पष्ट होता है कि व्यवर्णित कर्तव्यके पालनसे यदि व्यक्तिगत नीति (शास्त्रीय नीति) की दृष्टिसे पाप भी होता ही तो भी सामाजिक नीतिके अनुसार ऐसे कर्तव्यका पालनही धर्म है। आर्थात् किसी समुदाय-समाज (राष्ट्र या देश) के हितार्थित की क्षमताके सामने उसी समाजके अन्तर्गत समुदायकी समष्टिभाषसे हितार्थित चिन्ता शक्य नहीं है।

(१) आदेश-निषेध सूचक व्यक्तिगत नीतिके—याने जीव-हिंसा पाप है, भिक्षु-द्वीह गुरु-द्वीह पातक है, कुलक्षय दोषदायक है, आर्द्रता पुण्य है, निश्च प्रेम गुरु भक्ति सदाचार है इत्यादि वैदिक आदेश और निषेधात्मक उपदेशोंके पूर्ण ज्ञान से;

* "धर्मोऽपि युद्धाः देवोऽप्यत्तत्रिमस न विद्यते" (गी० अ० १।१२)।

धर्म—कर्तव्यके लिये धर्म युद्धसे बचकर कोई श्रेय (पारलौकिक मजल) नहीं है।

- (२) एक सामाजिक नीति सञ्चयी आदेशके—यथा, आवश्यक होने पर युद्ध करना चात्रियोंका धर्म है,—अपूर्णा ज्ञानसे ; ।
- (३) गौर समाज-नरुधकी अज्ञानतासे, अर्जुनको ऐसा मोह उत्पन्न हुआ था अतः भगवान् ने भी समाज तत्वके आधार पर अपनी धर्मोपदेशकी नीति जमा कर अर्जुनका मोह दूर कर दिया ।

व्यक्तिगत स्वार्थ-साधनसे पाप-पुण्य माने दूसरोंके हित और अहितके विचारसे नीति और जो आदेश और नियम हैं, उनको नीति कहते हैं। ऐसी शास्त्रीय धर्म ।

(शाश्वतकारी) नीतिको देने "व्यक्तिगत" नीति कहा है । परन्तु, "व्यक्ति" समाजका ही अङ्ग होनेसे व्यक्तिगत नीतिका विचार समाज से स्वतन्त्र है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । सुनकर व्यापक रूपसे व्यक्तिगत नीति ही सामाजिक नीति ही जाती है, गौर इसी दर्जेकी नीति और धर्म दोगो समानार्थक है ।

पुनश्च, नीति उसे कहते हैं जिससे हित और अहितका विचार धारण माये । जिस आधारसे हित ही नीति सिद्ध और जिस आधारसे अहित ही उसे नीति सिद्ध कहते हैं । अतः यह प्रश्न है कि कर्त्ताके स्वयंके विचारसे एता आधारका किया जाना चाहिये अथवा उनके स्वयंके विचारसे जिसको कि इन आधारोंका फल पहुँचता है ?

धर्म उसे कहते हैं जिससे सज्जनोंका पालन होता है । पालन शब्दका व्यापक अर्थ है शिर्षा और उन्नति । नीतिके सञ्चयने जो हित शब्द आया है उसका भी यही अर्थ है । यह महत् भी यह प्रश्न होता है कि पापन-कारक वा स्थिति और उन्नति-कारक कर्म माने धर्म, कर्त्ताके स्वयंके विचारसे किया जाना चाहिये अथवा उस कर्मके फल भोगियोंके स्वयंके विचारसे ?

यह जान कर कि कैसाही कर्म दसों में ही उभका फल युगपत् दो सुखी (दो प्रकारका) होता है, एक गौरके हित उत्पन्न करता है और दूसरी ओरसे कर्त्तासे भिन्न एक वा अधिक कारणों सञ्चयोंका फल होता है, यद्यपि उपरोक्त प्रश्नोंके उत्तरमें यह कहा जाय कि कर्त्ता भी कर्म का वह नीतिका अनुभायी ही वा धर्मका अनुभायी, कर्त्ताके साथ उपाय जो संबंध है— याने उस कर्मसे कर्त्ताको जो आशिक फल पहुँचता है—यदि वह उसके नियम हितकारी अथवा अहितकारी होता है।

* हापर युगमें समाज समाका ज्ञान प्राप्त होगया था । वहीका हवा तत्पर्युक्त है । गीताका व्यक्तित्व-विचार प्रकरणमें इस विषय पर ऐतिहासिक दृष्टिसे विवेचन किया जायगा ।

तो उसके विचारसे किया जाना चाहिये, तथापि ऐसा उत्तर समाज-विज्ञानकी दृष्टिमें मान्य नहीं हो सकता। ऐसा उत्तर केवल उसी अवस्थामें मान्य हो सकता है जिस अवस्थामें कर्त्तामें भिन्न और कोई दूसरा मायाई इस प्रकारसे न हो।

यद्यपि यह बात सत्य है कि "जिस कार्यके द्वारा आत्मसाक्षात्कार होता है उसी कार्यके द्वारा सम्पूर्णा जगत्का हित हुआ करता है" तथापि अपने ऊपरसे कार्याकार्यका विचार करना सर्वत्र लिये शक्य नहीं है। क्योंकि कर्त्तामें आत्म-तत्त्वका ज्ञान रहना आवश्यक है और हृद्यन्त विवेकमें अपनेको दूसरोंके स्थानमें स्थापित करके कर्म-फलका विचार करना कर्त्ताके लिये कठिन भी है। बिना इन दो साधनोंके रहे कर्त्तव्यके विषयमें कर्त्ताके मनमें स्वार्थ भावके उत्पन्न हो जानेकी ही अधिक सम्भावना रहती है।

और जब यह बात भी सत्य है कि "जिस कार्यके द्वारा जगत्का हित होना सम्भव है उसी कार्यके द्वारा आत्मसाक्षात्कार भी हित हुआ करता है"। तब यही पथ सरल और निर्दिष्ट है कि कर्त्ता जो फल दूसरोंको पहुँचता है उसके निवारणसे कार्याकार्यका निश्चय किया जावे। इससे निष्कासता और परार्णपरता बढ़ती है।

सन्तुष्यता सम्बन्ध सन्तुष्यता एव जगत् प्राणियोंके साथ सम्बन्धमें जना आ रहा है, और जब तक यह सम्बन्ध बना रहेगा तब तक जगत् मान्यता। जब सन्तुष्यके साथ सन्तुष्यका संबंध नगर्हा है तब प्रत्येक सन्तुष्यकार यह कर्त्तव्य है कि वह किसी भी कर्मको करनेके पूर्व यह विचार करे कि उसके इस कर्मका फल दूसरोंके लिये हितकारी होगा वा अहितकारी।

कर्मके फलमें यह भी एक गुण है कि वह कर्त्तव्य स्थानमें पहुँचकर अपने अनुरूप दूसरे कर्मों का जनक हो जाता है। कर्त्ताका फल जिस प्रकार कर्त्ताका जा पहुँचता है उस औरकी उसकी अतिशक्ति समझी कर्त्तासे पहुँचकर शीघ्र हो जाय, परन्तु जिस सुख से वह औरों को जा पहुँचता है उस और की उसकी अतिशक्ति कदापि शीघ्र नहीं होती। वह उन औरोंमें अपने अनुरूप कर्मों का उत्पन्न करके उनके फलको पुनः मूल कर्त्तासे पहुँचा देती है।

अतएव पूर्वोक्त प्रश्नोक्त यही सही चीज उत्तर होता है कि कोई भी कर्म, चाहे वह नीतिशिष्ट हो वा अर्थात्, कर्त्ताके साथ उसका जो सम्बन्ध है उस सम्बन्धका विचार न करके औरोंके साथ उसका जो सम्बन्ध है उस सम्बन्धके विचारसे, किया जाना चाहिए। इस तरहसे किया हुआ कर्म ही स्वार्थ रहित कर्म कहाला है।

ऐसा स्वार्थ रहित कर्म, जब तक निज सत्ताज वा देशके इने गिने अनुष्योकी हित-
 पुण्य कर्म चिन्तासे प्राथवा अपनेरो भिन किसी* आतिके अनुष्य सर्वाष्ट (भसाज)
 और धर्म कर्म की हित-चिन्तासे किया जाता है तब तक वह पुण्य कर्म मान है,
 म भद्र। और जब वह अपनी जाति के अनुष्य-सर्वाष्ट अर्थात् स्वसत्ताज
 वा देशकी हित चिन्तासे किया जाता है तब वह धर्म कर्म हो जाता है।

अर्जुन जिस विचारो पुहु नही करना चाहते थे वत पुण्यका विचार था।
 और श्रीभगवान् ने जिस विचार से उनसे पुहु करके तो महा प्रथम धर्म कर्मका विचार था।
 इससे अगवाचूका यही अभिप्राय थाया जाता है कि पुण्य कर्मसे धर्म कर्म प्रोत्पन्न है।

यदि तुम पुण्य कर्म और धर्म कर्मका भेद रासतमये होये तो यह भी
 जान गये होगे कि धर्म कर्मसे पुण्य कर्मका समावेश है, किन्तु पुण्य कर्मसे धर्म
 कर्मका समावेश नहीं है। जैसे सुदृढ़ा गढापाटण जमनपुजा एत आत्मा भात्र है वसुसे
 जसतपुरका समावेश नहीं है किन्तु जसतपुर जगढापाटणका समावेश है।

गणेश—प्रायके वृक्ष वृष्टान्त से दैने "सत्तावश" का आगे तो समझा परन्तु आपके
 कथनके अभिप्रायको समीचन आच्छी तरह नहीं समझ सका।

आवाच—हमारे कथनके अभिप्रायको समझनेके लिये लुरहे सत्ताज-तत्त्वके ज्ञान
 की आवश्यकता है। अतएव आगे हम सत्ताज-तत्त्वका विचार
 धर्मके ज्ञानके लिये समस्ततन्त्रके ज्ञान-
 का आवश्यकता। करके और उसीके साथ साथ आगे अधियोग द्वारा स्थापित
 व्यवस्थाका भी विचार होगा। सत्ताज तत्त्व वा धर्म-तत्त्वके गहन
 विचारोसे प्रजम करनेके पुर्ण हतमा और यहदेना आवश्यक
 है कि धर्म अनुष्योका सहस्राव्य कर्तव्य है और पुण्य वाष्ट साधन कर्तव्य है, और
 यही पुण्य कर्म जिस अवस्थामे जिसके लिये सृजन माध्य होता है उस अवस्थामे
 उचिते लिये वह धर्म जैसा कर्मोय ही जाता है। इन दोनोकी स्वाभाविक और साम-
 यिक एककपताके कारण हमारे कथनका अभिप्राय तुम्हारी समझने नहीं
 आया है।

इसी बातको अधिन एकरूपसे ये कह सकते हैं कि नीति, धर्म और पुण्यके
 मानसे प्राप्त होनेके अनुष्योका लिये जितने प्रकारके आचरण और कर्म बतलाये हैं;

* भिन देशका निज समय भितकी आवश्यकता दे उसे परिरे न करके यदि अन्य देशका हित किया
 जाय तो वह कर्म पुण्य नहीं है "पुण्यभावात्" हे। (भक्तुं श० ११। ९)
 | सत्ताजभाध्य धर्म = duty, पुण्य = virtue, सत्ताजभाध्य पुण्य = duty

वे सब अपनी दृष्टिसे ऐसे जान पड़ते हैं कि व्यष्टिरूपसे मनुष्योंके परस्पर व्यवहार सुख पूर्वक निर्वाह होनेके लिये और आचाराकारियोंकी वर्गगत लौकिक सुखोन्नति एवं पारलौकिक सद्गतिके लिये—अर्थात् केवल व्यक्तिगत हितके लक्ष्यसे—निर्देश किये गये हैं। अस्तुतः ऐसा नहीं है, इन सब आदिष्ट आचारा और धर्मों का मूल समाज-तत्त्वके आधार पर स्थित है अर्थात् समाजके मनुष्य समष्टिके हितके लक्ष्यसे उन सबका निर्देश किया गया है। परन्तु इस मूलकी स्थिति (समाज-तत्त्व) के ज्ञान बिना नैतिक और पुण्य कर्मों की कार्य-प्रणाली धर्मकी कार्य-प्रणालीसे भिन्न होगई है। अतः, नैतिक और पुण्यकर्म धर्मके अङ्ग होकरके भी वे आचाराकारियोंकी जाति वा समाजके लिये धर्मकी नाई पालक (स्थिति और उन्नति कारण) नहीं होते हैं। क्या भारतवर्षमें नीतिवान और पुण्य-कार्य करनेवाले कम हैं ? हाँ, बहुत हैं। तो फिर इस देशकी सुखोन्नति क्यों नहीं होती ? देशकी सुखोन्नति धर्म तत्त्वके ज्ञान बिना नहीं हो सकती, और धर्म तत्त्व का ज्ञान समाज तत्त्वके ज्ञान पर अवलम्बित है। पुण्यका उपार्जन कोई भी समथ पुरुष का सकता है परन्तु धर्मका उपार्जन समाज-शासन हुए बिना नहीं हो सकता।

भारतकी सभारके लिये चार पुरुषार्थ हैं, यथा— धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनसे पुरुषार्थ चार हैं। भोज्य परस पुरुषार्थ समाज उत्पन्न है। जो लोग मोक्षकी पराध्यायनाएँ करते हैं वे भी धर्मकी आवश्यकताकी स्वीकार करते हैं। परन्तु प्राचीन सभार को ज्ञानकार भगवान् श्रीकृष्णने धर्मको ही उपाय बताया है। धर्म जब ऐसा है तो उपरका ज्ञान होनेके लिये समाज-तत्त्वका ज्ञान लाभ करना आवश्यक सत्य प्रथम कर्तव्य है। धर्मसे अर्थ और अर्थसे कामकी मांग होनेही स्वाभाविक है जैसे कि वृक्षसे फूल और फल।

- * राजकुमार सागरदा उपनाम बलदेवराज कृत माना धर्म सार पुराणके दान प्रणाली शीर्षक अध्यायके पहलने यद्वात स्पष्ट समझ पड़ेगी कि पुण्य कर्मकी कार्यप्रणाली धर्मकी कार्यप्रणालीसे कितनाकार भिन्न होगई है। परन्तु इन यथार्थ धर्मका ज्ञान लोगोंको हो चला है।
- † भारतवर्षकी भाषाके साथ मितामिष देशकी प्रायका मिलान करनेसे यह जाना जायगा कि भारतकी जन सङ्घके अनुपातसे यह देश अत्यन्त दरिद्र है। दरिद्र बनानेवाले भारतीयोंको मानिक आय सा) विश्व किया है।
- ‡ प्रकृति तीन क्रियाएँ पढ़ जाती है, यथा—(क) सृष्टि करना (ग) सृष्ट वस्तुको स्थित रखना (ग) सृष्ट वस्तुका संहार करना। ये क्रियाएँ वृत्त ० चक्राम होती जाती हैं। इन तीनों प्रकारकी क्रियाओंके सृष्ट वस्तुको स्थित रखने प्रकृतिवले जो आशय होता है और संहारके अन्तर जो पुन सृष्टि करनेका आशय करता है इन दोनों कर्मोंको धर्म नाम दिया गया है। समाजके अन्तर पुन सृष्टि से जन मनुष्योंने उन्नति हासिल करती है तब प्रकृतिना सन्तान सृष्टि की धर्मकी आवश्यकता है। प्रकृतिकी इन तीनों क्रियाएँ मनुष्योंका जो वर्तनी है उसका नाम भी धर्म रजानया है।

धर्म, अर्थ और स्वयं स्वयं ही लोका, लोक-समाजके साथ अनन्यथाप्रथ सन्बन्ध है अर्थात् समाजके बिना धर्म, अर्थ और कायकी कीर्ति उपयोगिता नहीं, एवं धर्म, अर्थ और कायके बिना समाजका भी पालन नहीं हो सकता ।

धर्मसे लोक-समाज की स्थिति और उन्नति होती है और एसी लोक-समाजके कारण धर्मधरणाकी आवश्यकता होती है ।

अर्थकी उत्पत्तिका कारण लोक-समाज है और लोक-समाजके लिये अर्थकी उपयोगिता है ।

काम (उपभोग्य पदार्थ) का भोग व्यक्तिकूपसे लोक-समाज कारती है और लोक-समाजसे काम (उपभोग्य पदार्थ) उत्पन्न होता है ।

ये बातें भी समाज तत्त्वके ज्ञानसे शक्यसे आजायेंगी । जब रहा सोच । सो धर्मका विचार होनासे पर लोकाका विचार विगा जायगा । यहाँ स्वयं स्वयं ही था होना कि भगवान् जी कृष्ण ने गयी "परमेति गार्तु सुक्ति" सोचका अर्थ नहीं है । उनसे असाधारण जोरियत द्वाये हो निविध तापा जो* जात्यतिक निवृत्ति ही सुक्ति है । एसा सा व्यकार भी आते है ।

बिना सुक्ति और प्रसायके अग्नि तज भी जितनी रगी बाही है और जिनकी तुमने श्रद्धायुक्त समसे सुगा हीरग म्म सज पातो धां मे श्रीगीताके अर्थ-की व्याख्याके अथवर पर सुक्ति और प्रसाय से सिद्ध करूगा ।

—-—-—

२ परिच्छेद ।

समाज तत्त्व ।

—-—-—

साधानन्द—समाजमें रहनेवाले लोगोंके परस्पर सम्बन्ध और कर्तव्यके ज्ञानको समाजतत्त्व कहते हैं ।

अधिसम्पत्ति शरीरकी स्थितिके लिये उपयोगी होनेके कारण शारीरिक आवश्यकताओं हल शरीरके शक्य करने हैं, उन्हीं प्रकार समाजकी स्थितिके लिये उपयोगी होनेके कारण समाजमें रहनेवाले लोग समाज-सिद्ध कहें जा सकते हैं ।

अतएव, समाज और समाज-धर्मकीने धर्मसे समाजतत्त्वके विचारका

* तीन प्रकारके दु ख यथा, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक—इसका अर्थन मोच-नकरनामें किया जायगा ।

आरम्भ होना चाहिये । एकसे अधिक व्यक्ति जब एकत्र होकर एक दूसरेके आश्रय-

में रहने लगते हैं तब उनकी इस मण्डलीको समाज^{*} कहते हैं ।
 समाज और
 समाज सेवक
 गण ।
 ऐसे समाजके दृष्टिको (स्थिति और उन्नतिको) साधनेके लिये
 उसी समाजके मनुष्यगण जखतक किसी नियत नियमसे परस्पर
 सहायता करते रहते हैं जब तक वे समाज-सेवक कहाने हैं ।

पृथ्वीकी मनुष्यजाति पर दृष्टि डालनेसे हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न मनुष्य जातियां निवास कर रही हैं । इनकी भिन्नताका कारण मुख्यतः भाषा है । एक ही भाषाके बोलनेवाले सब मनुष्य एकत्र होकर बहुधा एक ही देशमें रहते हैं । ऐसी एकत्रित जन-समष्टि ही "समाज" कहानी है । और ऐसा समाज जब राजाके रक्षणावेक्षणसे निवास करता है तब वह राष्ट्र कहाता है । राष्ट्र या समाज का नाम करण बहुधा उसको निवासस्थानके नामसे हुआ करता है ।

राजाके राज्यकी सीमाके अनुसार ही राष्ट्रका आयतन (परिमाण) होता है । यदि विभिन्न देशोंका एक ही राजा हो और यदि वह राजा इन विभिन्न देश-वासी प्रजाओंके पालनका नियम एकसा रखे तो, भाषा, धर्म (आचार एवं उपासना) और देशका भेद रहते हुए भी ये सब प्रजाजन एक ही राष्ट्रके मनुष्य समझे जायेंगे; क्योंकि इन सबका सामाजिक दृष्टान्तिष्ठ (Political interest) एकसा है । इस नियमके अनुसार हम सब भारतवासी भिन्न भिन्न भाषाके बोलनेवाले और भिन्न भिन्न धर्म (आचार और उपासना पद्धति) के अनुयायी होकर भी हमारा समाज भारतीय राष्ट्र कहाता है ।

जिस समाज-दृष्टिको निष्काम सेवाको श्रीकृष्ण भगवान् ने गीतामें धर्म (स्वधर्म) बतलाया है उस समाज-दृष्टिको बीज "परिवार" रूपमें रहता है, और परिवारका मुखिया पिता होता है । "परिवार" रूपसे "कुटुम्ब" रूपमें यह अंकुरित होता है, और कुटुम्बका मुखिया गोष्ठीपति कहाता है । "कुटुम्ब" रूपसे "कुल" रूपसे यह पल्लवित होता है, और कुलका मुखिया कुलपति कहाता है । "कुल" रूपसे "जाति" (Tribe) रूपमें वह शाखावान् होता है, और जातिका मुखिया अधिपति कहाता है । "जाति" रूपसे "ग्रामीण" वा "नागरिक" रूपमें वह बहु शाखान्वित

* कोषानुसार 'समाज' शब्दकी व्युत्पत्ति है—सम = तुल्य वा सहित अज = गमन करना । अर्थात् जिन मनुष्योंको जीवनकी यात्रा एक साथ करना पड़ती है उनका दल समाज कहाता है ।

होता है, और प्राचीन वा नागरिक समाजमें विभिन्न जातियोंका समावेश होनेसे सत्ताजकी इस अवस्थासे राजाकी प्रभुता आरम्भ होजाती है। "नागरिक" रूपसे "प्रादेशिक" और उसे 'देश' अथवा "राज्य" रूपमें वह महावृक्ष हीजाता है। तब इस समाज रूपी महावृक्षका नामकरण देश वा राज्यके नामसे किया जाता है, और उसे राष्ट्र संज्ञा प्राप्त होती है।

वृक्षकी स्थिति और उन्नतिमें जैसे जलका प्रयोजन होता है वैसे ही समाजकी स्थिति और उन्नतिमें धर्मका प्रयोजन होता है। कर्त्ताकी भावनाके अनुसार धर्मके दो रूप होते हैं। एक सकाम और दूसरा निष्काम। बीजसे शाखा-समन्वित होने तक अर्थात् परिवारसे जाति तक, जिस धर्मरूपी जलकी सिंचाई इस समाज-वृक्षको होती रहती है वह सीचनेवालोंके स्वभाव-दोषसे सकाम धर्मका रूप लिये रहती है। और बहुशाखान्वित अवस्थासे महावृक्षकी अवस्था तक अर्थात् नागरिकसे राष्ट्र तक, जिस धर्मरूपी जलका पान करके वह जीवित रहता है वह रूप निष्काम धर्मका है। "पुण्यको जड़* पातालसे" ऐसी भी कहावत है वह इसी रूपके सार्थक होती है। महावृक्ष जैसे भूगर्भस्थ जलसे जीवित रहता है वैसे ही समाज निष्काम धर्मसे, जिसका उत्पत्ति-स्थान उसी समाजके मनुष्योंकी सार्विक बुद्धि है, जीवित रहता है।

गणेश—जिससे मनुष्योंको पारलौकिक अर्थ प्राप्त होता है वह धर्म माना जाता है। इससे साथ समाजकी लौकिक उन्नतिका क्या सम्बन्ध है सो समाजमें नहीं आया। अतएव आगके इस कथनको अधिक स्पष्ट कीजिये। सकाम और निष्काम धर्म क्या है इसे भी समझाइये।

मायानन्द—(१) धर्मसे मनुष्यका अभयलोकमें मङ्गल होता है। मनुष्यके इस लौकिक मङ्गलका सम्बन्ध समाजके साथ रहता है सुतरा समाजकी उन्नतिसे धर्मका विशेष सम्बन्ध है। धर्म शब्दकी उत्पत्ति धृ धातुसे हुई है। धृ धातुका अर्थ है "पोषण करना" और "धारण करना"। इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'धर्म' शब्दका अर्थ होता है "जो सब प्राणियोंका पोषण करता है वा प्राणियोंको धारण करता है"। मनुष्यसे भिन्न प्राणियोंका एव पशुतुल्य असभ्य मनुष्योंका पोषण प्रकृति करती

* इस कहावतका यह अर्थ है कि जैसे उस पेड़के गिरनेका डर नहीं रहता जिसकी जड़ें गहरमें रहती हैं, वैसे ही पुण्य कर्मों की जड़ गहरमें होनेके कारण पुण्यात्माओंको गिरनेका डर नहीं रहता। यहाँ स्वामीजीका अभिप्राय यह है कि निष्काम धर्ममें जिस समाजका जीवन है वह समाज कभी अवगति-को प्राप्त नहीं होता।

है। जगत्की में बिना किसी प्राणीके उद्योग वा परिश्रमसे जो फल, मूल, चाय आदि उत्पन्न होते हैं उनसे इनका पोषण होता है। किन्तु सामाजिक मनुष्योन्मत्त पोषण उसप्रकारसे नहीं होता। सामाजिक मनुष्योंके स्वतः उद्योग और परिश्रमसे उत्पन्न द्रव्योंके नियमित वितरण द्वारा इनका पोषण होता है। अतः मैंने अपने अध्यायके शुरुवातके नियमित वितरण द्वारा इनका पोषण होता है। अतः मैंने अपने अध्यायके शुरुवातके शब्दसे इन कर्मोंको लक्षित किया है जिन्से समाजके लोगोंका पोषण होता है अर्थात् मजदूर-सेवा कर्म (Occupations), जीविकाजर्नी कृशियाँ (धर्म)। समाजकी दृष्टिसे सेवा-कर्म इतलिये धर्म है कि इनके बिना समाजका निर्वाह नहीं हो सकता। समाज-तत्त्वके विवेचनसे यह बात प्राग् और स्पष्ट होती जायगी।

अपनी और अपने परिवारधर्मोंकी जीविकाके लिये ही जो मनुष्य जीविकाजर्नी कृशियोंके द्वारा समाजकी सेवा करता है उसकी वह सेवा सफल-धर्म कहाती है। क्योंकि उसको अपनी ही सेवकी चिन्ता रहती है, समाजकी नहीं। यदि उसी धर्मकी वह जीवन समाजकी सेवाके उद्देश्यसे करे तो उसकी वह जीविकाजर्नी कृशियाँ निष्काम धर्मके रूपमें परिणत होजायगी।

(२) समाजके लोगोंके अस्वास्थ्य सुखके (निर्विघ्न जीवनयात्राके) लिये कुछ ऐसे आचार और व्यवहारोंकी भी आवश्यकता होती है जिन्से व्यक्तिगत स्वच्छाचारका ध्यान होता है। जिन कर्मोंका सम्बन्ध मनुष्य व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यकी स्थिति और उनसे तथा उन सामाजिक शारीरिक स्वास्थ्यकी स्थिति (Public health) से है, उनको आचार कहते हैं। और जिन कार्यात्मक एवं वाञ्छित चिन्ता वा कर्मोंका सम्बन्ध बहुधा व्यक्तियोंके साथ रहने से इन कर्मोंका नियमन नीति वा न्यायकी दृष्टिसे किया जाता है, ऐसे नियमित कर्मोंकी व्यवहार कहते हैं। ऐसे राज आचार और व्यवहार भी, जिसका शाब्दिक शाब्दिक है और जो भारतीयोंमें बंधित होने योग्य है, धर्म कहते हैं। क्योंकि ऐसे नियमित आचार-व्यवहार समाजको शान्तिकी अवस्थासे पारना किये रहते हैं। आचारका शासन पारलौकिक विष्णुकाके प्रचार द्वारा और व्यवहारका शासन राजाका द्वारा किया जाता है। और जहाँ किसी आचारका समाजके साथ साम्राज्य सम्बन्ध दीखता है वहाँ भी ऐसा आचार का शासन राजाका द्वारा हुआ करता है। अत्यन्त आवश्यक पर ये सब बात दृष्टान्तके साथ समझ दी जायगी। आचार-व्यवहार रूप धर्म का आवश्यक भी स्वार्थ वा परार्थ चिन्तासे समाज अथवा निष्काम होता है, किन्तु इसके साम्य आचारणमें उतना दीव नहीं है जितना कि साम्य समाज-सेवासे है।

(३) व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेयोसाधक कर्म भी धर्म कहलाता है। इस धर्मसे उपासनारूप कर्म मुख्य है जिसके साथ समाजका वही तर्क सम्बन्ध है जहाँ तक उससे सम्बन्धित पारिविक गुण बढ़ता है। यद्यपि न्याय वा नीति सङ्गल व्यवहारसे पारिविकगुण कारण होता है। उपासनाके सम्बन्धमें धर्मशास्त्रोंमें श्रौच जितने कर्म उपनाये गये हैं वे जैसे उपासनाके सहायक हैं वैसे ही समाजके साथ भी सम्बन्ध रखतेवाले हैं। इस कारण इनका आचरण कायना रहित होकर यानि अपने लौकिक अभ्युदय की एवं पारलौकिक उत्तमगतिकी चिन्तासे रहित होकर परार्थकी चिन्तासे करना चाहिये। उपासना महा तर्क आपत्ती दृष्ट देवनाके साथ प्रीति बढ़ानेकी दृष्ट्वासे की जाती है तथा तर्क उसकी गन्ती निष्काम धर्ममें होती है।

अथाद् गुणिने धर्मको परिभाषा एक वाक्यसे यह लिखी है—

“यसोऽभ्युदय निश्चयस्य सिद्धि स धर्मः।”

अर्थ—जिससे इस लोकेमें सुखोन्नति और परलोकमें निश्चयवर्षकी प्राप्ति होती है वह धर्म है। समाजकी सुखोन्नति हुए बिना किसीकी धर्मार्थ सुखोन्नति नहीं हो सकती, ऐसी अभिसन्धि समाज तत्त्वकीकी है। और निज सुखोन्नतिकी चेष्टा धर्मात्त कर्म होनेसे यह धर्म काही नहीं जाती। पारलौकिक निश्चयसुख केवल व्यक्तियोंका सम्बन्ध है। अथाद् धर्म शब्दकी धर्मार्थ परिभाषा यह है कि जेव कर्मों से समाजका अभ्युदय और व्यक्तियोंका पारलौकिक सङ्गल दोनों हीते हे वे ही धर्म हैं।

धर्म, कर्म साधना होनेके कारण समाज फल भी ही सुखी हुआ करता है। एक और से यह समाजका धर्मार्थ और धर्मार्थ करता है दूसरी और से यह कर्मोंके समर्थन का अथवा निष्काय साथ तर्क अनुसार अथाद् आपना अथाद् उत्पन्न करता है। ऐसा अथाद् जब समाजो धर्मार्थ होजाता है यानि जब समाजके अधिकार सम्पन्न अथाद्सत्त्व हीजाते हैं सब वह समाज भिरतेज होजाता है और कुछ कालमें उत्थोग-प्रकृतिके अभिकारी वह सुतात्पद्य हीजाता है। ऐसे समाजका जीवित रहना न रहना सम्भव है। पृथ्वीकी अथादाय परिदिकृतिके अही समाज जीवित सम्भव जाता है जिसमें तर्क नये अथादाय धर्मोंके द्वारा धर्मोंकी उत्पत्ति होती रहती है। समाजकी अथादाय उत्पत्तिकी दृष्ट्याय समाज हीना निष्काम धर्म पर धर्मार्थ अथादाय है। समाज धर्मोंके एक दोष यह है कि यह धर्मोंसे धर्मार्थ होजाते पर धर्मार्थमें परिभाषा ही जाता है। एक धर्मोंके प्रकृत हीनपर समाज जीवित नहीं रह सकता; भलेही उस समाजके सम्बन्ध जीवित रहजाय। समाजतत्त्वके धर्मोंमें इस सब धर्मोंका धर्मार्थ विवक्षित यथावत्त आपसे धर्म हीता जायगा।

शशीश—मेरी शक्का अब दूर हीगई ।

सायानन्द— धृष्टकी उपमासे समाजके विषयमें जो विचार किया जा चुका है उससे यह जानागया कि मनुष्य समाज, प्रवाहरूपसे एक नित्य वस्तु होकर भी उसका रूप तथा गुण बदलता जाता है । और जब किसी वस्तुके रूप वा गुणके अनुसार उसका नाम रखा जाता है तब मनुष्यसमाजरूपी ऐसी परिवर्तनशील वस्तुका नाम आर्य्य ऋषि लोग क्या रख सकते थे—सिवाय इसके कि “मनुष्य, मानव्य लोक, वा सर्व” ? गीतामें श्रीकृष्ण भगवान्ने समाजको “यज्ञ” नामसे कहा है, वह गीताके मंत्रोकी व्याख्याके समय समझाया जायगा ।

जैसे छोटी छोटी नदियोंके मिलजानेसे एक बड़ी नदी बन जाती है, उसी प्रकार विभिन्न मनुष्य जातियोंके वर्तमान पारस्परिक सामंजस्यको देखते हुए ऐसा अनुमान करना सर्वथा अयोग्य न होगा कि ये विभिन्न मानव जातियां परस्पर मिलकर भविष्यमें एक दिग्ग “लोक-समाज” या ऐसाही कोई दूसरा नाम प्राप्त कर लेंगी ।

पृथ्वी पर जितनी मनुष्य जातियां हैं वे निज निज अवस्थाके भेदसे कोई सभ्य और कोई असभ्य समाजके नामसे पुकारी जाती है । जिस समाजके मनुष्य अभी पूर्णतया प्रशु रह्य ही हैं, ऐसे असभ्य समाजकी स्थितिके लिये केवल रक्षण ही सेवाकी ही आवश्यकता होती है । परन्तु यह सेवा-कर्म ऐसे समाजके मनुष्योंमें नियमित रूपसे बटा हुआ नहीं रहता । अक्सर पड़ने पर सबके सब एक दूसरेके सहायक होकर इस कार्यकी निपटा लेते हैं । अर्थात् जब कोई दूसरी जाति इन पर चढ़ाई करती है तब ये भी अपनी रक्षाके लिये उससे लड़नेकी तैयार हो जाते हैं । इस युद्ध कर्मकी क्षीण और जितने कर्म उनकी परिस्थितिके अनुकूल आवश्यक हैं उनको वे आप अकेले करलेते हैं । प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकताओंको आप ही पूर्ण करलेता है । ऐसे समाजके लोगोंमें परिश्रमका विनिमय नहीं होता ।

जब तक किसी मनुष्य-समाजमें परिश्रमके-विनिमयकी प्रथा नहीं चल निकलती तब तक वह समाज असभ्य दशामें ही पड़ा रहता है । सुतरा सामाजिक श्रमका विभाग ही मनुष्य जातिकी असभ्य दशासे सभ्य दशामें उन्नत करनेमें कारण होता है ।

सभ्य समाजकी स्थिति और उन्नतिके लिये जितने प्रकारकी सेवाओंका

प्रयोजन है उनका विभाग चार श्रेणियोंमें होता है, यथा—

श्रेणिया	सेवाकर्म
१ शिक्षा	विद्याका संकलन और प्रचार (Research, Education, Training)
२. रक्षा	सेना, शान्ति-रक्षक, न्यायालय (Military, Police, Judiciary,)
३ पोषण	कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार आदि । (Agriculture, Breeding, Industry, Commerce etc.)
४. परिश्रम	बन्दी (सज़ादूरी), नौकरी । (Labour, Service).

छतको जैसे पाये थाँभे रहते हैं उसी तरह ये चार श्रेणियोंके सेवाकर्म समाजकी सभ्यतारूपिणी उन्नत अवस्थाकी धारण किये रहते हैं, इस कारण ये सेवा-कर्म धर्म कहे जाते हैं।

इस समय पृथ्वीके किसी भी सभ्य समाजकी सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान दोगे, तो उस समाजके लोगोंकी उपरोक्त चार श्रेणियोंके सेवा-कर्मों की करते हुए पाओगे। कर्मोंके इन श्रेणियोंसे यदि किसी भी श्रेणीकी समाजसे उठार देवे तो उस समाजका निर्वाह भलीभाँति नहीं होगा। वह समाज, सुख और सभ्यताके शिखरसे पतित होजायगा। परन्तु, यदि प्रत्येक श्रेणीके कर्म यथोचित नियमसे होते चलेजायँगे तो वह समाज दिनोदिन सुख, समृद्धि और सभ्यताके उच्चसे उच्चतर शिखर पर चढ़ता जायगा।

“सुख” शब्दसे मन और इन्द्रियोंकी प्रसन्नता समझो, और “समृद्धि” शब्दसे सुखका साधन समझो, और इन दोनोंके समावेश वा मेलकी अवस्थाको “सभ्यता” समझो। धनसे इन्द्रियोंकी सुख होता है और ज्ञानसे मनकी सुख होता है। अतः “सुखके” ये दो साधन, धन और ज्ञान, जिस राष्ट्रमें यथेष्ट परिमाणसे होंगे वही राष्ट्र “समृद्धि-शाली” कहा जायगा। समृद्धिशाली समाज अथवा राष्ट्र ही “सभ्यसमाज”, “सभ्यजाति” एवं “सभ्य देश” कहा जाता है।

इन्द्रियोंके सुखके साधक “धन”की उत्पत्तिके लिये “ज्ञान” अपेक्षित है। “ज्ञान” का, मानसिक सुखसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और इन्द्रिय-सुखसे परम्परा सम्बन्ध है। ऐसे सुखके साधक ज्ञानके दो अङ्ग हैं—एक “व्यवहारिक ज्ञान” दूसरा “पारमार्थिक ज्ञान”। व्यवहारिक ज्ञान धाँचा जगतके अनुशीलनसे, और पार-

सार्थिक ज्ञान अन्तर्-स्वाह्य दोनोंके अनुशीलनसे प्राप्त होता है। क्रियाके सुखके साधक धनकी प्राप्तिमें व्यवहारिक ज्ञान तथा शारीरिक परिश्रम दोनों आवश्यक हैं।

समाज-सेवाओं की श्रेणियों में जो शिक्षा दियी जाती है उसीके द्वारा समाज में व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकारके धनका प्रकाश होता है। इनमें व्यवहारिक ज्ञानकी प्राप्ति करके, समाजमें जो वाद्य-यंत्र सेवा है वह परिश्रम रूप सेवाकी सहकारितासे धनको उत्पन्न करके समाजका पोषण करती है। और समाजमें जो परिश्रम रूप सेवा है वह अपने शारीरिक परिश्रमसे समाजके आवश्यक परिश्रम साध्य कर्मा कर करती है। इस प्रकार ये तीन श्रेणियोंके सेवा-कार्य ज्ञान और धनका उपार्जन करते हुए समाजका पोषण कर उसे उत्तम बनाये रखते हैं।

किन्तु ज्ञान और धन, इन दोनोंके उपार्जनके मार्गमें दो विघ्न हैं—एक वहिर्जातीय, दूसरा अन्तर्जातीय। जब एक जाति या समाज दूसरी जाति या समाज पर घटाई करता है, तब जिग जाति या समाज पर घटाई जाती है उस जाति या समाज पर अन्तर्जातीय विघ्न उपरिष्ठत होता है। और जब किसी समाजके मनुष्य परस्पर अधिक अन्याय-व्यवहार करने लगते हैं तब उस समाजमें अन्तर्जातीय विघ्न उपरिष्ठत होता है।

इन दोनों विघ्नों में जब तक कोई समाज अच्छी तरह रक्षित न हो, तब तक वह समाज ज्ञान (पारमार्थिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान) और धनका उपार्जन नहीं कर सकेगा। और यदि पूर्वमें ऐसे रक्षित अवस्थामें रहकर कोई समाज इन दो साधनोंका उपार्जन अच्छी तरह कर चुका होगा तो पुनः जब कभी वह शरणागत अवस्थाको प्राप्त होगा तभी इन दो साधनोंका लोप उस समाजसे होजायगा। जब सुखके साधन लोप होगे तो दुःख आपत्ती नष्ट उपरिष्ठत होंगे। अतएव दुःखके जितने हेतु हैं सध धर्मके विपरीत ही ये अधर्म कहे जाते हैं। समाजकी इन विघ्नोंसे बचाये रखनेके लिये समाजमें जो सेवा दियी समाज सेवा है वह, शिक्षा दियी समाज सेवा की सहकारिता से अपनी पूर्ति और शारीरिक बल का यथा योग्य प्रयोगके द्वारा समाजका रक्षण कार्य करती रहती है।

समाज सेवा पर अबतक हमने जो विचार किया है उसमें यह पायाजाना है कि मनुष्य-समाजके पालनके लिये जो चार प्रकारकी सेवा साध्य है उनके साधन पाच हैं और साधक भी पाच हैं, यथा:—

समाजसेवाके पाचसाधन
और पाच साधक।

* नीति और धर्म विरुद्ध व्यवहार चाहे वे समाजसे दूरनाश हो या न हो !

साध्य	साधन	साधक
	(क)	(क)
१. शिक्षा	ज्ञान (व्यवहारिक और पारमार्थिक) ^१	मानसिक परिश्रम ।
	(ख)	(ख)
२. रक्षा	दैहिक बल, व्यवहारिक ज्ञान ।	... शूरता ।
	(ग) (घ) (छ)	(ग)
३. पोषण	कृषि, शिल्प, व्यापार ।	व्यवहारिक ज्ञान-कुशलता* (दक्षता), शारीरिक परिश्रम, (छ) धन ।
४. परिश्रम	पारमार्थिक ज्ञान ।	(घ) शारीरिक परिश्रम ।

इन ५ साधकों में से ४ साधक (क ख ग घ) मनुष्य रूप होते हैं, और पाचवा (ङ) साधक मनुष्य से भिन्न जीव और जड़ पदार्थ होते हैं ।

मनुष्यरूप चार साधकोंको समाज अपनेमेंसे खड़ा करता है और पाचवा साधक उस समाजकी निवासभूमि देती है । दूसरे जीव और जड़ पदार्थ रूपसे भूमि । जो कुछ देती है उसकी धन कहते हैं । जैसे सन्तानकी पालना माता पिताके द्वारा होती है वैसे ही मनुष्यकी पालना निवासभूमि और समाज के द्वारा होती है । जैसे माता पिता की सेवा-भक्ति करना सन्तानका कर्तव्य है, वैसे ही निवास भूमिसे प्रेम + करना और समाजकी सेवा-भक्ति करना मनुष्यका कर्तव्य है । अपने समाज तथा निवास भूमिकी (राक्षी) भक्ति (विशेष सेवा) करनेवाले मनुष्य "देश हितैषी", "समाज हितैषी", "देश सेवक", "देश वत्सल", "जाति वत्सल", "लोक वत्सल", "लोक हितैषी", "लोक सेवक" इत्यादि सम्मान सूचक नामोंसे पुकारे जाते हैं ।

ऊपर कहे हुए पांच साधकोंमेंसे मनुष्यरूप साधक "सकर्मक साधक" है, और भूमि "अकर्मक साधिका" है । इस कारण समाजके सुख दुःख का हेतु "सक-

१. विज्ञानसे काम लेने की बुद्धि ।

२. "भूमि" शब्दसे जल, स्थल, अन्तरिक्ष तीनों का संकेत किया गया है ।

+ स्वदेश प्रेम पर उदा को आशा जाता हो तो "हिन्दुओंकी राज कल्पना" नामक पुस्तकमें "देश भक्ति" शार्पक लेख देखिये ।

कर्म साधक" ही समझा जाता है। इसी से समाजकी मुख्य होनेसे "समर्थक-साध-
कोकी" पुरुष हुआ और दुःख होनेसे पाप हुआ ऐसा माना जाता है। समाज का
प्रत्येक समर्थ ही पुरुष "समर्थक साधकों" की तार ओशियोंमें उठकर अपनी
अपनी श्रींकीके कार्योंके (शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रमक) अनुसार समाजकी
सेवा करता रहता है।

वर्तमान वास्तविक समय जातियों जिस समय और शस्यता रूप अन्ध-
कार में डूबी हुई थी, उस समय भारतीय आगे जातिके प्रधान पुरुषों ने मिलकर

भारतीय राष्ट्रके निर्माण में समाज सेवा रूप कर्मों का विभाग
कर, अपने समाजके पुरुषोंके गुण और कर्मके अनुसार उनको

चतुर्वर्ण अर्थात्

उपरीत चार ओशियोंमें स्थापित करके—

भारतीय समाज-

प्रथम शिक्षा-श्रेणी का नाम ब्राह्मण,


सेवकोंकी श्रेणी।

दूसरी रक्षा-श्रेणी का नाम क्षत्रिय,

तीसरी पोषण-श्रेणी का नाम वैश्य, और

चौथी परिश्रम-श्रेणी का नाम शूद्र रख दिया था।

इन्हीं ओशियों का सूचक ऋषियों की भाषा में वर्ण शब्द है ॥३



† "ब्राह्मणक्षत्रियविद्या शूद्राया च परन्तप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेणैव ॥"

अर्थ—“हे परन्तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णोंके कर्म उनके स्वभाव जात गुणोंके अनुसार
विभक्त हुए हैं। (गीता अ १८ म ४१)।

† "लोकानां तु विवृद्धयर्थं मुप गद्गरुपात्त । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रत्र निरतिथयत् ॥

अर्थ—लोकोंकी (समाजकी) विशेष वृद्धि (सम्यक्-उन्नति) के लिये मुख्य चाह एक और परे से (गुण
कर्मानुसार) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको क्रमसे बनाया है (निवाचित किया है)

(मनु अ १ । ३१)

॥३॥ वर्ण शब्दकी व्युत्पत्ति है—वर्ण = प्रेरणा । अर्थ—जो वेद वाक्योंके द्वारा आचारविम प्रेरित किया
जाता है। इस व्युत्पत्तिसे पता समझ पडता है कि वेदको आजासे वर्ण की मन्त्रि हुई है। वर्ण शब्दका
अर्थ “रङ्ग” और “गुण” भी है। और जीव विज्ञान इसका अर्थ “अक्षर” और “जाति” भी होता है।

३ परिच्छेद ।

वर्ण धर्म अर्थात् समाज-सेवा रूप कर्मों में बड़े छोटे का विचार ।

समाजानन्द—अब हमें समाज-सेवा रूप कर्मों में बड़ाई छुटाईका विचार करना है, और देखना है कि समाज सेवकोंकी ये चार श्रेणियाँ अपनी अपनी श्रेणीके नियत कर्मों की करती हुई, एक श्रेणी अन्य तीन श्रेणियोंकी किस तरह सहायता पहुँचाती है और साथ ही साथ समाजकी तथा अपनी सेवा भी कैसे करती है ।

समाजकी स्थिति और व्यक्ति कारिणी धार्मिक शिक्षाकी देनेवाली शिक्षक-श्रेणी (ब्राह्मण वर्ण) अपने सामाजिक परिश्रमसे जो व्यवहारिक और पारमार्थिक ज्ञानका संग्रह करती है उसे वह, राजा-श्रेणी (२) (क्षत्रिय वर्ण), धर्मशूद्र-श्रेणी (३) (वैश्य वर्ण), और परिश्रमी-श्रेणी (४) (शूद्र-वर्ण) को देती है । चतुर्थ श्रेणी शूद्र-वर्णके लिय विशेष कर पारमार्थिक ज्ञानकी आवश्यकता है ।

१-शिक्षा अर्थात्
ब्राह्मण वर्णका
धर्म ।

ब्राह्मण वर्णके दिये हुए इस ज्ञानके पलटे उभरकी (२) क्षत्रिय वर्णसे राजा, (३) वैश्य वर्णसे जीवन निर्वाहका साधन, और (४) शूद्र वर्णसे परिश्रम साध्य सेवा मिलती है । अतएव ब्राह्मण, ज्ञानके संचालन और वितरणसे जीविका निर्वाह करने वाले होनेके कारण समाजकी ही हृदय है । और वास्तविक दृष्टिकोण द्वारा संगृहीत ज्ञानके महार, भाण्ड है, इस हेतु इसको शास्त्रीजी भी कह सकते हैं ।

(फ) ब्राह्मणोंसे क्षत्रियोंकी अनुर्वेद अर्थात् वहिर्जातीय विद्वानोंको दान करकेके लिये शत्रुओंसे राजकीय ज्ञान (युद्ध विद्या) * और राजनीति एवं व्यव-

महाभारतक समय तक हिन्दुस्थान । युद्ध विद्याका पूर्ण प्रचार था । गत यूरोपियन महा युद्ध जर्मनी (गितन प्रकाशके अथ प्रयोगकी परिचय दिया है वास भी अत्रिक अन्तर्गत प्रयोग-नियत का तीस आयो का विदित था । पर भाग्य इस विद्याका अभाव समयाह । परिश्रमियों एक भी राष्ट्रीय पुस्तक अत्र उपलब्ध नहीं है । अतएव मरिचकता भारतका पूर्ण अभाव ज्ञान (Home rule) के निम्न ज्ञान पर पु. यु. विद्या के विना प्राप्त हो सकती है । अतएव अन्तर्गत इस विद्याका अभाव एक बड़ा कारण है । भारतमें ३८ करोड़ आच्छा होना ।

हार शास्त्र अर्थात् प्रजापालन-विद्या एवं अन्तर्जातीय विद्रोहा दमन करनेके लिये वादियोंके दावोंका विचार कर न्याय करनेका ज्ञान मिलना है। ये सब व्यवहारिक ज्ञानके अन्तर्गत है।

(ख) ब्राह्मणोंसे वैश्योंको अर्थशास्त्र अर्थात् कृषी, शिल्प और वाणिज्य विषयक ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञानको ये अपने बुद्धि-कौशलसे और शारीरिक परिश्रम करने वाले शूद्रोंकी सहायतासे भूमि (जड़ पदार्थ मात्र) पर प्रयोग करके अन्नादि धनका उत्पादन करते हैं और उसे आवश्यकताके अनुसार श्रेष्ठ तीन श्रेणियोंमें वितरण करते हैं।

(ग) ब्राह्मणोंसे शूद्रोंको पारमार्थिक शिक्षा मिलती है। और ये श्रेष्ठ तीनों वर्गोंकी सेवा शारीरिक परिश्रमसे, निष्कपट हों कर करते हैं।

इन धार्मिक (लौकिक) शिक्षाओंके अतिरिक्त व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेयोकारिणी शिक्षा भी समाजके लोगोंको ब्राह्मणोंसे ही मिलती है।

नोट—यद्यपि भारतकी वर्तमान परिस्थितिमें ऊपर कही हुई बातोंका अभाव हीखता है तथापि "ब्राह्मण" शब्दके बदले यदि विद्वान शब्दका उपयोग किया जाय तो जल्द ही होगा कि ये बातें अर्थ भी जारी हैं। हा, ये बातें इस समय भारतमें कम हैं और अन्य स्वाधीन एवं उन्नत राष्ट्रोंमें अधिक हैं।

यदि समाज-शिक्षक श्रेणी याने ब्राह्मण वर्ग, ज्ञानका यथोचित उत्पादन और वितरण न करे, अथवा इसके आकलन और वितरणमें अवहेलना करे अथवा इसका अनुचित सकलन + और वितरण करे तो सुरुपूर्व समाजका, ज्ञानके बिना निरतेज, निर्बल, कार्यमें अक्षम और कपटी होकर दुखके कूपमें गिरजाना सम्भव है। जैसे अधिवारेमें दीपक लेकर वीहल भूमि पर चलने वाले मनुष्यका, दीपकके अकस्मात् बुझ जानेसे, गड्ढेमें गिरजाना सम्भव है।

अतएव, सामाजिक अर्थ अर्थात् समाज-सेवाके विभागके समय समाजकी शिक्षारूपी सेवाके लिये सब शिक्षकोंका निर्वाचन (चुनाव) हुआ या नख वे ही

* वाक्पणोंके द्वारा लौकिक विद्या (उपवेद) के प्रचार द्वारा एव वैश्याके वर्गों तथा शूद्रोंकी सहायतासे और क्षत्रियोंके राजनैतिक प्रयत्नसे भारतकी सुखीवृत्ति रुका तक चढ़ी चढ़ी थी यह जिनको जानना होवे अवश्य Hindu Superiority नामक ग्रंथ देखें।

† अनुसन्धान वा रोज करके सपह करना।

‡ अर्थ, टीका वा व्याख्या करना।

लोग चुने गये थे जिनमें मानसिक श्रम-सामर्थ्य तथा सार्वत्रिक गुणा सबसे अधिक पाये गये। अतः, जिन्होंने समाजकी इष्ट चिन्तासे ऐसे श्रम-विभागकी कल्पना की थी, उनसे अधिक मानसिक श्रम सामर्थ्य (ज्ञान वा बुद्धि) अन्य किससे रही होगी? अतः, जिन्होंने सर्व प्रथम इस श्रम-विभागकी कल्पना की थी वही प्रथम श्रेणीके अधिकारी हुए, अर्थात् ब्राह्मण वर्ण। और जब इनमें समाज-तत्त्व का ज्ञान था तभी तो ये उसके रूपकी भी कल्पना करनेमें समर्थ हुए थे। "ब्राह्मण" शब्दका शब्दगत तथा प्रचलित अर्थ "ब्रह्मको जाननेवाला" होता है, परन्तु इस शब्दका दार्शनिक विचार-सगत अर्थ "ब्रह्मके दृश्य रूप समाजकी जो जानता है" ऐसा होता है। श्री गीतामें भी "ब्रह्म, ब्रह्मा और ब्रह्म" शब्दोंमें श्री कृष्ण भगवान् ने समाजकी ही लक्षित किया है, (गी० अ० ३ स० १०। १५) यह बात उपयुक्त अवसर पर समझाई जावेगी।

ब्राह्मणका एक नाम "अग्रजन्मा" है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि श्रेणी-विभाग कालमें ये ही पहले पहल प्रथम श्रेणीमें स्वीकृत हुए थे। भारतीय आर्य जाति में जो "गोत्र" प्रचलित है, उन गोत्र पतियोंकी जासावलिसे भी यही बात समझी जाती है कि उन ऋषियोंने—जोकि अपने अपने परिवारके नेता वा मुखिया थे—सर्व प्रथम सामाजिक श्रम-विभागकी कल्पना की थी, और वेही पहले पहल समाज-सेवाकी प्रथम श्रेणीमें अर्थात् ब्राह्मण नामसे स्वीकृत हुए, किन्तु उनके परिवारके अन्य पुरुषगण अपने अपने गुण-कर्मानुसार अन्यान्य श्रेणियोंमें स्वीकृत हुए*।

समाजकी रक्षाका कर्म करनेके लिये, समाजसे उन सज्जुर्गोकार चुनाव हुआ था जो स्वभावतः सारने सरनेमें निहट्ट थे, याने शूर थे। इनमें जो बल और शूरतामें सबसे श्रेष्ठ समझा गया वह राजा बनाया गया। और इस रक्षक श्रेणीका नाम "क्षत्रिय" अर्थात् जो क्षत् याने शत्रुके आघातसे समाजकी रक्षाता है, रखा गया। यह क्षत्रिय श्रेणी, ब्राह्मणोंके द्वारा निर्वाचित होकर उन्हींसे समाज पालन, शासन तथा युद्ध विद्या प्राप्त करती थी।

* भिन्न भिन्न वर्णोंमें एक ही गोत्रका पायाजाना इसका प्रमाण है।

। आदिमें समाज-शासक वा नेता "प्रजापति" कहाता था। पीछे "राजा" शब्द उत्पन्न हुआ। श्रम-विभाग द्वारा क्षत्रिय वर्णकी सृष्टिके पूर्व, प्रजापति-गण पारलौकिक शिवाके द्वारा अर्थात् यह कर्म पाप है वह कर्म पुण्य है

राजा की 'पवित्रायकता' से, समाज की, बहिर्जातीय (विदेशी) और अन्तर्जातीय (देशी) शत्रु से बचाव रूपी सेवा के बदले उस शत्रु से भी ब्राह्मण वर्ग से धान, वस्त्र वर्ग से धन, और सूत्र वर्ग से आर्थिक परिश्रम रूपी सेवा सिनती है। अतएव, समाज रक्षक क्षत्रिय वर्ग की जीविका समाजिक शत्रुओं को बल और आर्यो दमन करने के एवं दण्ड देना रूप कर्मों के द्वारा निर्याहित जांचे से पराजयी कह जाते हैं।

ऐसे पारलौकिक दण्ड-पुरस्कार की दुहाई देकर समाजका शासन करते थे। जब इस नीतिसे काम न चल सका तब प्रथम विभागके समय कर्दम प्रजापतिका पुत्र अन्नद्व सर्व प्रथम क्षत्रिय उपाधि प्राप्त कर समाज-शासन हुआ और दण्ड-नीतिसे काम लेने लगा। अन्नद्वका पुत्र अश्विमेत जब प्रायक हुआ तब उसने भी उचित रूपसे प्रजापालन नही सका। उसका पुत्र देवा जब शासन करता तबनाम गथा तब वह देवा दुराचारी निकला कि ब्राह्मणोंने उसे जानसे मार डाला। उसके स्थानमें पृथु चुना गया। पृथु, ऐसब बुद्धिमान और उद्योगशील मध्य मतापी निकला कि उसने राष्ट्रका सुसंगठन किया और क्रमसे, कर्णसे, खांगोसे और सप्तद्वर्गसे जनजात (National wealth) उत्पन्न किया कि सब मन्त्राकी अत्यन्त सुखीर्जात हुई, जिससे सुष्टु हौकर लोगोंने उसको राजाकी पदवी दी। (महाभारत आश्विमेत पर्व ५०-५९)

राजा पृथुकी व्युत्पत्ति है "पृथु" शब्द का अर्थ "तम करना, सुष्टु करना।" पृथु पतिके अनन्तर जड़ी समाजपति वा राष्ट्रपति वा वृषति राजा बननेके योग्य होता है जो प्रजाकी धाने समाजके मनुष्योंकी सुष्टु अर्थात् सुखी कर सकता है। राजा पदवी सर्व प्रथम पृथु वृषतिकी मिली थी क्योंकि उनके शासनसे सभी प्रजा वृष्ट और सुखी हुई थी।

यथा— "अनुसंगान्तरथ कीरम नाम राजित्गभाषत।"

जब पृथु राजा बनाया गया था तब समाजके सब लोगोंने मिलकर उसका अभिवेक किया था अर्थात् सर्व साधारणकी समतिसी धाने वृतायसे वह राजा बनाया। यथा—

"देवैर्दिवैस्ताया सर्वैरपिषितो महात्मना।"

इस क्षणमें यदि और अधिक जाननेकी इच्छा हो तो पं० अत्रिनामसाह वाजपेयीकी "हिन्दुओकी राज करुणता" नामक पुस्तक देखो।

(ब्राह्मणके) शास और [शत्रुके] पतिनामसे [वेश्याके द्वारा] अन्तर्जनका भाग, मुद्राके रूपमें, वा सामाजिक रूपसे (माता) के नामसे राजाका पहुँचता है। कर प्रजा मात्रको दना पड़ता है और मन्त्रके रूपसे दानका प्रणयन नाम है।

(क) राजासे रक्षित होकर ब्राह्मण वर्ण निर्विघ्नतासे व्यवहारिक और पारमार्थिक ज्ञानका आकलन करके अन्य तीनों वर्णोंमें वितरण करते हैं। व्यवहारिक ज्ञानके अन्तर्गत देश-रक्षण, समाज शासन और समाज-पालन ये तीन बात हैं। प्रथम दो की शिक्षा भद्रिय वर्णोंको ब्राह्मणोंसे मिलती थी* और समाजपालन-विद्या (अर्थ-शास्त्र) जिसके द्वारा धनकी उत्पत्ति की जाती है, वैश्य वर्णोंको मिलती थी। पारमार्थिक ज्ञानका वितरण, ब्राह्मण वर्ण, अपनेमें और अन्य तीनों वर्णोंमें, आचार और उपासनादिकी शिक्षाके द्वारा करते थे और श्रम भी करते हैं, परन्तु इन समय ब्राह्मणोंमें जो केवल इसी कर्ममें जीविका करते हैं और पवित्र पुरोहित कहते हैं उनमें पूर्वकी नाई वह उत्साह नहीं है।

(ख) राजासे रक्षित होकर वैश्य वर्ण, ब्राह्मणोंसे प्राप्त समाज-पालन-विद्याका उपयोग, कौशल पूर्वक करके, याने कृषि, शिल्प और व्याजिज्यके द्वारा समाज-पोषणोपयोगी और सुख भोग्य वस्तुओंको निर्विघ्नतासे उत्पन्न एवं उत्पादन करके अपनेमें और अन्य तीनों वर्णोंमें वितरण करता है। वैश्योंके व्यवसायमें जहाँ तक आर्थिक परिश्रमकी आवश्यकता या प्रयोजन होता है वहाँ तक ये शूद्रोंसे सहायता लेते हैं।

(ग) राजासे रक्षित होकर शूद्र वर्ण अपने श्रम-सापेक्ष-सेवा-कर्मोंसे अपनी ओर अन्य तीनों वर्णोंकी सेवा निर्विघ्नतासे करता है; और ब्राह्मण प्रदत्त पारमार्थिक ज्ञानकी महायतासे वह सन्तोष पूर्वक निष्कपट भावसे (अर्थात् जिना कामचोरी किये) सेवा कर्म कर सकता है।

राजा यदि समाजका शासन पालन और रक्षण कार्य न करे, अथवा इन कार्योंके करनेमें अवहेलना करे, तो ब्राह्मणोंको ज्ञानके सङ्कलन तथा वितरणमें विघ्न होगा, वैश्योंको धनके उत्पादन और वितरणमें विघ्न होगा, शूद्रोंको श्रम साध्य कर्मोंके करनेमें असुविधा होगी, और शस्त्र जीवी (१) क्षत्रियगण दुर्बल होकर दूसरे किसी समाज द्वारा आक्रान्त होंगे और लड़ाईमें हार जायेंगे मारे जायेंगे। तब शरीर वर्ण याने सारा समाज पराधीनता रूपी कूपमें जा गिरेगा।

समाजके पोषण कार्यके लिये समाजके उन मनुष्योंका अनुभव हुआ था

* वर्ण रहित स्वामी राष्ट्रम इन विषयाक शिष्ट क विद्वानगण होते हैं। (१) शस्त्र शस्त्र जीवी।

जो शूर तो न थे किन्तु बुद्धिमें चतुर थे, पर गौत्रपतियोंके लुब्ध भ्रान्ती न थे। इस ३—पोषण अर्थात् श्रीश्रीका नाम वैश्य वर्ण रखा गया अर्थात् “विषय बुद्धि वाले”। वैश्य वर्णका धर्म। विश्वात्से वैश्य शब्दकी उत्पत्ति हुई है। विश्वात्से धातुका अर्थ “प्रवेश” (घुसना) है अर्थात् जिनकी बुद्धि सारसारिक विषयोंमें प्रीति प्रवेश करती है।

यह वैश्य वर्ण, ब्राह्मणोंसे पदार्थ-विद्याका ज्ञान प्राप्त कर अपने बुद्धि-कौशलसे पोषणकार्यके अन्तर्गत कृषि आदि यावत् व्यापार करता है। जिस कालको मैं यहा समझना चाहता हू उसका एक दृष्टान्त यह है—जिस समय पशु चर्म और वृक्षकी छाल पहिनी जाती थी उस समय किसी प्रबुद्धि या मुनिने (ब्राह्मण या गौत्रपतिने) यह सोचा होगा कि धर्म और बङ्कल (काल) से जो उत्पन्न कीर्ति पहिनेने लायक वस्तु हाथ लगे तो अच्छा ही। निदान, जङ्गलमें ऐसी वस्तुका अनुसन्धान करते करते उसे ऐसा एक पक्ष मिला जिसके फलोंमें तन्तु ही तन्तु भरे हुए थे। उसने ये फल वैश्योंको देकर कहा कि इन तन्तुओंसे बड़ा धन सकता है। वैश्योंने अपने बुद्धि-कौशलसे तन्तु बना तथा चर्चों बनाकर उन तन्तुओंका सूत काता और फिर सूतसे कपड़ा बुननेके लिये ताल (अंगठा) निर्माण कर कपड़ा बुना। कुछ दिनोंमें उन्होंने कपड़ा बुननेका शिल्प-कर्म खड़ा कर लिया। फिर शूद्रोंको उससे काम करनेके लिये बुलाया, और फिर तरह तरह काता जाता है फिर कैसे बख्त बुना जाता है आदि बातें सिखाकर उन्हें काम करनेको कह दिया*। इस तरह कपड़ा रूप जो धन उत्पन्न होने लगा उसके वैश्य वर्ण समाजमें (घाटों घाटों में) वितरण करने लगे। अन्तर्जातीय रूप इस वितरणसे जो बख्त बख्त रहे उनकी वे पार्श्ववर्षीं अपर किसी देशमें, जाहा की अधिवासियोंके साथ तत्काल कीर्ति शत्रुता न थी, लेकिन उनको विनिभयमें (वहिर्जातीय) उस देशकी कीर्ति ऐसी वस्तु जो अपने देश में नहीं होती थी, ले आने और अपने समाजमें वितरण करने लगे। इसी प्रकार अन्यन्य शिल्प-व्याख्य व्यापारोंका भी हाल समझना चाहिये।

* इस समयके मद्रास कारखानोंका प्रचार पूर्ण कालमें नहीं था। शन्पी लोग अपने अपना धर्म शिल्प कर्म किया करते थे अर्थात् Cottage industry (गृहशिल्प) का प्रकार था। जो शिल्प कर्म किसी अकेलेक गौर घरहीमें करने लायक नहीं था काल उन्हीके लिये समुप समुधानके नियमसे या तो कम्पनी कर्मके द्रव्य एकत्र किया जाता था और कारखाना खोला जाता था। देशमें धन उत्पन्न करना वैश्य वर्णका धर्म है इस लिये धनी वंशगण शिल्पियोंको सहायता देकर उनसे व्युत्पन्न सामग्री उत्पन्न करवाते और स्वयं उसे खरीद कर नेंचते थे। ऐसा अब भी होता है। समाजको दारिद्र्य दुखसे बचाने वाले हाथसे शासकारोंने वैश्य वर्णका उपनाम “मुत्त” रखा है।

इस धन-वितरण रूप समाज-सेवाके (पोषण-कार्यके) बदले वैश्य वर्ण को राजासे रक्षा, ब्राह्मणसे व्यवहारिक और पारमार्थिक ज्ञान तथा शूद्रसे परिश्रम रूपी सेवा प्राप्त होती है ।

(क) वैश्य वर्णके उपार्जित अन्न वस्त्रादि रूप धनसे ब्राह्मण वर्ण अपना निर्वाह करता हुआ ज्ञान का उपार्जन और वितरण समाजमें स्वच्छन्दता पूर्वक करता रहता है ।

(ख) वैश्य वर्णके उपार्जित धनको करादि रूपसे प्राप्त कर राजा अपना निर्वाह करता हुआ बाहरी शत्रुसे देशकी रक्षा करनेके लिये शस्त्रजीवी क्षत्रियोंकी सेना सग्रह करता है और समाज-शासनके लिये राजनीति कुशल मंत्री, विचारक, विचारालय और शान्ति-रक्षक नियुक्त करता है, एवं समाज-पालनके लिये समाज-तत्त्वज्ञ, अर्थ शास्त्रज्ञ, आयुर्वेदज्ञ आदि मंत्रियोंकी नियुक्ति करता है तथा देशोन्नति कारक कर्मों का और प्रजकी स्वच्छन्दताका आयोजन (इष्टापूर्त कर्म) करता है ।* इस तरह वैश्य वर्णसे क्षत्रिय वर्ण एवं अन्य वर्णों के विद्वान राजकर्म धारी आदिकोका निर्वाह होता है ।

(ग) वैश्योसे विशेष धन प्राप्त कर शूद्र वर्ण अपनी जीविका निर्वाह करता हुआ अन्य तीन वर्णों की अन्न-साध्य सेवा करता है ।

* यज्ञ और देव मन्दिर, विद्यालय, अस्पताल, सङ्घ, बाउली, कुआ, तालाब नहर, रोगानी आदि जितने प्रजाके सुखोन्नति कारक कर्म हैं वे सब "इष्टापूर्त" के अन्तर्गत हैं । राज धर्मका विस्तृत विवरण जानना ही तो स्मृतियोंको देखिये । स्मृतियोंमें वर्णित राजधर्मका, समयानुसार व्याख्या सहित प्रकाशित होना लोक-शिक्षाके लिये अत्यन्त आवश्यक है । इससे जन साधारणको राजनीति सीखनेमें सहायता मिलेगी । महाभारतमें लिखा है कि जैसा सूर्य अपनी किरणोंसे जलको शीतकर पुनः वृष्टि रूपसे उसको पृथ्वीके उपकारके लिये लौटा देता है वैसे ही धर्मज्ञ राजा करके नामसे धनको प्रजासे लेकर प्रजा-हितकारी कार्यों में व्यय करता है । मनुस्मृति अ० ७ । ३३ में लिखा है—

“एष वृक्षस्य नृपतेः शिलोच्छेनापि जीवतः ।

विस्तीर्यते यथा लोके तैलविन्दुरिद्यारभसि ॥”

अर्थ—“ऐसा वर्त्ताव करने वाले शिलोच्छेसे भी (जाग हुआ और बिना हुआ खेतोंके अन्नसे) जीते हुए राजाका यश लोकमें, जलमें तैलकी बूदके समान

समाज-दीवक वैश्य वर्ग यदि धनकी उत्पत्ति, संग्रह और वितरण रूप कर्माँ को न करे, अथवा इन कर्माँ के करनेमें अथहेनना करे॥ तो ब्राह्मण वर्ग द्रव्यकी दुष्प्राप्तिके कारण पारमार्थिक ज्ञानका आकलन स्वच्छन्दता पूर्वक न कर सके; व्यवहारिक ज्ञानके ग्राहकोके अभावसे उसका, व्यवहारिक ज्ञानका आकलन कार्य बन्द हो जाय। व्यवहारिक ज्ञान वैषयिक (सासारिक) उच्चतिका मूल है। अतः इस मूलके उच्छेदसे समाजकी उच्चलिसे बाधा पड़ेगी तथा उसकी अवनति होने लगेगी। शूद्र वर्ग परिश्रमोपार्जित जीविकाके अभावसे भिक्षाजीवी होजायगा। वैश्य वर्ग स्वयं कार्यमें अरुणाल और दरिद्र हो जायगा। राजा धनके अभावसे शस्त्रजीवी शान्ति रक्षकोका तथा विद्यारक आदि भिन्न भिन्न राज कर्म चारियोका पालन न कर सकेगा। प्रजा-हितकारी सब कार्य बन्द हो जायेंगे। शस्त्रजीवी क्षत्रियगण उद्वेग होकर जीविकाके लिये लूट मार मचावेगे। धनके अभावसे राजा सेना रखनेमें असमर्थ हो जायगा, तब वहिः शत्रु देश पर आक्रमण करके ऐसे समाजकी पराधीनता रूप कूपमें डालदेगा।

फैलाता है। इस वचनसे राजाओके लिये राजस्व (कर) का अपने सुख ऐश्वर्यमें खर्च करना धर्म विरुद्ध जान पड़ता है। किसी किसी नीति विशारदकी ऐसी राय है कि यदि राजा सुख ऐश्वर्यमें (Pomposity) न रहेगा तो प्रजा उसे न मानेगी। जो कुछ हो बहुत दिनोंसे "राजा" और "सुख ऐश्वर्य" दोनो शब्द एक समान अर्थके बोधक होगये हैं। परन्तु सुना है कि मुसलिम राष्ट्रकी स्थापनाके आरम्भमें एक राष्ट्रपति अपनेकी राष्ट्रका सेवक मानकर वेतन स्वरूप प्रत्यह उतना ही धन राजकोषसे लेता था जितनेसे कि एक सामान्य व्यक्तिके तुल्य उसका निर्वाह हो सकता था। किंबदन्ती है कि ईदके रोज उसके लड्डके फटे कपड़े पहिने रहगये, स्त्रीके कहने पर भी उसने राजकोषसे न तो अधिक धन लिया और न अग्रिम वेतन।

"जो कोई वैश्य 'कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य' इन कर्माँ मेंसे एक या उघादाकी करके देशके धनको शेष तीनों वर्गों के गुजारेके लिये न बढावे तो वह अपने धर्मसे पतित हो जाता है या पापी बन जाता है"। राजकुमार मोहनबल कृत "मानव धर्मसार" पृष्ठ १०० देखो। इस पुस्तकका पाठ सबको करना चाहिये।

स्वराज्य सम्बन्धी नये सुधारमें औद्योगिक (Industry and Commerce) विभाग पर देश वासियोंकी अधिकार मिलजानेके कारण

शारीरिक परिश्रम द्वारा समाजकी सेवाके लिये समाजके उन मनुष्योंका चुनाव हुआ था जो शूरता और बुद्धि-वृत्तिमें हीन थे, परन्तु शारीरिक परिश्रम करनेका उपयुक्त बल रखते थे। यह शूद्र वर्ण, ब्राह्मणोंके द्वारा निर्वाचित होकर उन्हींसे पारमार्थिक ज्ञान प्राप्तकर, अमसे मनकी जो अवसाद होता है उसको जीतता हुआ, समाजकी अम-साध्य सेवा सन्तुष्ट चित्तसे करता है। इस अम-साध्य समाज सेवाके विनिमयमें उसे ब्राह्मण वर्णसे पारमार्थिक ज्ञान, राजासे रक्षा और वैश्य वर्णसे धन मिलता है एवं स्ववर्णसे अम-साध्य सेवा भी मिलती है* अतएव शूद्र वर्णकी आजीविका शारीरिक अमके द्वारा होनेसे यह वर्ण अमजीवी कहाता है।

इस श्रेणीका नाम शूद्र, शुच=पवित्र करना, इस लिए हुआ है कि यह तीनों वर्णोंकी शुद्धताकी रक्षा करने वाली है, ऐसा किसी किसी परिदृष्टीका मत

आजकल देशमें बहुतसी कम्पनियों खुल रही हैं। इनमें भाग लेना उन लोगोंका भी धर्म है जो स्वयम् तो वैश्य नहीं हैं किन्तु हिंसा खरीदनेमें समर्थ हैं। विद्वानोंको चाहिये कि वे इन औद्योगिक संस्थाओंमें अपनी विद्यासे सहायता पहुँचायें। (इस और भविष्यत्से हिन्दु विश्वविद्यालय से यथेष्ट सहायता मिलनेकी आशा है)। एवं राज्य-प्रबन्ध कर्त्ताओंको चाहिये कि वे ऐसा प्रबन्ध करे जिसे इन कम्पनियोंको आवश्यक सहायता पहुँचती रहे और उनकी औद्योगिक संस्थाये सफल हो।

समाजके लोगोंको चाहिये कि इन कम्पनियोंके द्वारा प्रस्तुत पदार्थ गुणमें कुछ हीन होने पर भी उनका उपवहार करे, क्योंकि ऐसा करना उनमें लिये धर्म्य है। जापानकी दियासलाई पहिले पहल ऐसी खराब बनती थी कि बिलायती दियासलाईके सामने उनका कारखाना बन्द होजाना चाहिये था, किन्तु नहीं, हमारे देशके वैश्योंने उसे इस देशमें खना ही दिया। और अब जापानकी दियासलाई बिलायतीके बराबर होगई है। अतएव वैश्योंको अपने देशकी अरतुके लिये भी वैसा ही यत्न करना चाहिये जैसा कि उन्हेने जापानी सालके लिये किया है। इस तरह जब देशी सालकी खपत् रहेगी तो कारखाने भी जिन्दे रहेंगे और अपने सालकी भी सुधार सकेंगे।

* शूद्र वर्णमें वृत्ति भेदसे जो जाति भेद हुआ है उसके कारण कहीं कहीं नीच जातिको ऊँची जातिसे प्रत्यक्ष सेवा नहीं भी मिलती है।

है। प्राचीन कालमें शूद्र वर्णसे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंकी रसोईसे लेकर गृहस्थीके यावत् अन्न-साध्य कार्योंमें सेवा रूप सहायता मिलती थी। किन्तु वर्तमान कालमें रसोईका कर्म बहुधा ब्राह्मणोंके माथे पड़ा है, क्योंकि विद्याके आहरण और वितरण कर्मों से इन्होंने बहुत दिनोंसे छुट्टी लेली है। क्षत्रिय और वैश्य भी इनकी देखा देखी अपनी अपनी रसोई आप करने लगे,* तथापि पूर्व कालकी स्मृतियों बनाये रखनेके लिये प्रदेश विशेषमें बड़े बड़े भोजनके समय शूद्रोंसे (ढींमर-कहारसे) अलोना शाक बनवा लिया जाता है, और प्रदेश विशेषमें ये लोग भोजन-गृह (होटल) भी रखने लगे हैं।

यदि अन्नजीवी शूद्र वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और स्वयंकी गृहस्थी सम्बन्धी अन्न-साध्य सेवा न करे; और वैश्योंकी कृषि, शिल्प आदिमें शारीरिक परिश्रमसे सहायता न दे तो कुछ दिनों तक समाजमें इतनी गड़बड़ मची रहे कि जिसका ठिकाना नहीं। फिर यह गड़बड़ी तब तक नहीं मिट सकती जब तक कि समाजके श्रेष्ठ तीन वर्ण अपनेसे कुछ लोगोंको चुन कर फिरसे अन्नजीवी श्रेणी न खड़ी कर लें। अन्नजीवी श्रेणीके अभावमें समाज सुखी नहीं रह सकता। पुराण ग्रन्थोंमें एक आख्यायिका लिखी है कि एक समय लक्ष्मणजीने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीसे निवेदन किया था कि पृथ्वी पर गरीब लोगोंका होना भगवान्के लिए अपयशकी बात है। श्रीरामचन्द्रजीने उस समय इसका कुछ भी उत्तर न दिया। पीछे एक दिन लक्ष्मणजीकी शिक्षाके लिए उन्होंने एक भाया रची। एकाएक पानी बरसने लगा। पानीके वेगसे महलके छप्परकी खपरैलसे पानी टपकने लगा। श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे टपका सुधारवानेके लिए कहा। लक्ष्मणजी टपका सुधारने वालोंकी बुलानेके लिये जब किसी नौकरकी आज्ञा देने गये तो महलमें कोई नौकर न देख पड़ा। तब लक्ष्मणजी स्वयम् टपका सुधारने वालोंकी खोजमें निकले। जहाँ घरकी छावनी करनेवाले

* इससे स्वामीजीका यह अभिप्राय नहीं है कि लोग शूद्र वर्णोंसे अपनी रसोई करायें करें। सस्वगुण-विशिष्ट और शूद्र पक्षिण व्यक्ति ही यथार्थमें पाक कार्यका अधिकारी है। यहाँ स्वामीजीका अभिप्राय ब्राह्मणोंकी स्वकर्म-श्रमता रूपी हीन अवस्थाका चित्र दिखाने मात्रसे है।

‡ यह बात पंजाबमें है।

‡ आजकलकी हड़ताल (Strike), जिसकी धर्मघट भी कहते हैं इसका दूरान्त है। बङ्गला शब्द "धर्मघट" का अर्थ है Union "एका" जिसका कार्य हड़तालसे प्रकट होता है।

बनिहार रहते थे वहा जाकर लक्ष्मणजीने एकसे कहा, "भार्ये, मेरा घर चूर रहा है, बलकर सुधार दो।" उसने जवाब दिया "मेरा भी घर चूर रहा है और मैं भी टपका सुधारनेवालीकी खोजमें बैठा हू, और तुनी बनी देनेकी तैयार हू।" इसी तरहका जवाब जब लक्ष्मणजीकी कईएकीसे सिला तब उनकी चेत हुआ और मन ही मन प्रभुसे क्षमा माँगी। तत्काल मायाका खेल भी बन्द होगया।

इस कथासे यह तात्पर्य है कि यदि अमजीवी श्रेणी समाजसे न हो तो समाजके प्रत्येक परिवार और मनुष्यको अपना काम आप करना पड़े। अपना सब काम वही मनुष्य आप साध सकता है जिसकी आवश्यकतायें उतनी ही हैं जितनी कि एक जङ्गली मनुष्य या पशुकी रहती है। यदि समाजसे "परिश्रम" ही उठ जाय, जैसा कि ऊपर कहे दृष्टान्तमें बनिहारलोग अपने घरका टपका भी आप सुधारना नहीं चाहते थे, तो समाज देखते देखते नाश हो जाय। जो जहाँ बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, सोया है, वह वही उभी अवस्थामें ठिठुर कर रह जाय; क्योंकि हिलने डोलनेमें ही तो शरीरके अवयवोंको परिश्रम करना पड़ता है।

(क) यदि अमजीवी शूद्र वर्ण अपने अम-माध्य कर्मोंके करनेमें अवहेलना वा कपट करे तो समाजमें दो तरहके दुःख उपस्थित हो जायें। एक तो बकवाद और गुस्सा बढजाय। यह दुःख उन लोगोंको प्रत्यक्ष भोगना पड़ता है जिनको बेपरवाह नौकरों अथवा अमानी मजदूरोंसे काम लेना पड़ता है। दूसरे, यह कि जितने शिल्पजाल पदार्थ हैं सबका मूल्य बढ जाय; क्योंकि मन लगा कर अम करनेसे जिस कामको एक मनुष्य दिन भरमें कर सकता है उसीको यह बिना मनके करनेमें सवा, डेढ़ अथवा दो दिन लगादेता है। ऐसी कपट-बुद्धि अथवा कामचोर-स्वभाव जिस समाजके अमजीवियोंमें हो और यदि उसके साथ सद्यःशील किसी विदेशी समाजका आबाध क्षाणित्य सम्बन्ध जुड जावे तो ऐसे समाजकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेके लिये वैदेशिक सस्ते मालकी आयात बढ जायगी। देशका सोना चादी रूप धन बाहर चला जायगा, एवं स्वदेश जात द्रव्योंकी दुर्भुल्यताके कारण ऐसे समाजके वहिर्बाणित्यके लिये मालकी निकासी बन्द हो जायगी। इस दशामें देशकी धनोत्पत्ति रुक जायगी, साथ ही साथ सम्पूर्ण समाज भी दरिद्र हो जायगा। शिल्प क्षाणित्यके अधिपति वैश्योंकी कल्पित एजेन्ट वा दलाल हो जाना पड़ेगा। जब वैश्य स्वयम् दलाल हो जायेंगे तब शूद्र वर्ण भीख मागने लगेंगे।

(ख) ब्राह्मणोंको पहले जिस पदार्थ विज्ञानमें मानसिक परिश्रम करना

बहुता था, उससे श्राव्य अवकाश पाकर वे अपनी इन्द्रियोंके सुख साधनाके विषयोमें अधिक मन लगावेंगे और उसीके साथ साथ उनकी पारमार्थिक ज्ञानानुशीलनी शक्ति निरस्त होकर उनमें लोभ और प्रवचनादि वृत्तियों जो श्राव्य तक दखी थीं उठ खड़ी होगी। ऐसी दशामें ब्रह्माकी भी सामर्थ्य नहीं कि वह ऐसे समाजको भावी दारुण दुर्दशासे बचा सके।

(ग) समाजके दरिद्र होजानेसे राजकोषमें खादी सीगा घट जायगा। राजा धनाभावसे न सेना रख सकेगा और न शान्ति रक्षक। कृतनाही नहीं, अन्तः शत्रुसे पीड़ित होकर और वही शत्रुसे आक्रान्त होकर सारा समाज पराधीनता रूपी रूपमें जा गिरेगा।

समाजके इष्टानिष्टकी दृष्टिसे अबतक हमने जो विचार किया उससे यही समझा गया कि समाजके लिये ये चारो वर्गोंके समाज सेवा रूप कर्तव्य एकसे ही उपयोगी है। इनमें न कोई सेवा कर्म छोटा है और न कोई बड़ा, क्योंकि समाजको हानि पहुचाने वाली शक्ति चारोंमें समान है। उसी प्रकार जब इन चारो श्रेणियोंके सेवा-कर्मोंमें समाज-पालनी शक्ति भी समान है तब कोई भी वर्ग हेय नहीं हो सकता किन्तु सभी वर्गों आदरणीय हैं।

परन्तु जब हमारा ध्यान कर्मोंके वाच्य रूप गुणको छोड़ कर केवल श्रम पर जाता है तब हमको यही कहना पड़ता है कि श्रम सबसे बड़ा है। पैरमें विष्णु का वास कहा गया है और ब्रह्माके पैरसे शूद्रोंकी उत्पत्ति कही गई है। इन कल्पनाओंसे आर्य ऋषियोंने यह स्पष्ट बतलाया है कि जिस प्रकार विष्णुके द्वारा सबका पालन होता है उसी प्रकार मनुष्योंमें श्रम सबका पालक है।

किसी भी पदार्थकी उत्पत्ति और नाशमें उतनी आश्चर्यकी बात नहीं है जितनी कि उसकी स्थितिमें है। "नव द्वारेका पीजरा तामे पक्षी पौन। रङ्गनेकर अचरज है गये अचभा कौन ॥" किसी भी पदार्थकी उत्पत्ति और नाश होना उतना कठिन नहीं है जितनी उसकी स्थिति कठिन है। यह स्थिति पालन धर्म सापेक्ष है इसीसे भगवान्की त्रिमूर्तिकी* कल्पनामें विष्णु भगवान् के वैष्णवोंने सबसे श्रेष्ठ माना है।

* ब्रह्मा विष्णु, महेश्वर। सृष्टि वा उत्पत्ति कारिणी शक्ति वा रजोगुणको—ब्रह्मा, स्थितिकारिणी वा पालनी शक्ति वा सत्त्वगुणको—विष्णु, नाश वा संहारकारिणी शक्ति वा तमोगुणको—महेश्वरकहा है।

उत्पत्ति क्षणिक है, इसी प्रकार नाश भी क्षणिक है, पर इन दोनोंके बीचका जो समय है वही स्थिति का समय है। उत्पन्न वस्तुकी यह जो स्थिति रूप अवस्था है इस अवस्थाका प्रकाश, पालनी-शक्तिके कार्यसे देखनेमें आता है। यदि यह पालनी-शक्ति अपना कार्य न करे तो वस्तुओंकी उत्पत्ति और नाश विद्युत्-वत् हुआ करे। परन्तु, उत्पन्न वस्तुकी स्वाभाविक गति जो नाशको ओर है उसको पालनी-शक्ति ज्यों ज्यों नाशसे बचाती जाती है त्यों त्यों वह वस्तु अपनी गतिमें बाधा प्राप्त होनेसे अपनी स्थिति रूपी अवस्थाको अधिकसे अधिकतर प्रकाश करती है। अतएव, स्थिति और पालनका धनिष्ठ सम्बन्ध है। उत्तरा पालनी-शक्ति का आधार भगवान् विष्णु पदार्थ मात्रका स्थिति-स्थान माने जाते हैं।

श्रमको पैरके रूपमें कल्पना करके आर्य ऋषियोंने, जड़ और चेतनमें जो भेद है सो भी स्पष्ट कर दिया है। उद्भिद्-जीव पेड़ भी अपने मूल रूप पैर पर खड़े रहते हैं, परन्तु चलना फिरना रूप श्रमका कार्य नहीं करते। इस लिये वे जड़की कोटिमें गिने जाते हैं। और जङ्गम-जीव मात्र (स्वेदज प्रसङ्ग और जरा-युज) अपने पैर पर स्थित होकर चलना फिरना रूप श्रमका कार्य करते हैं, इस लिये ये चेतनकी कोटिमें गिने जाते हैं। अतएव जिस समाजमें शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रम नामके श्रम रूप चलना फिरना आदि कार्य नहीं हैं—अर्थात् ब्राह्मणोंका विद्या-संग्रह-वितरण रूप मानसिक श्रम, क्षत्रियोंका याने राजाका प्रजा पालन तथा राष्ट्रकी उन्नति करना रूप श्रम, वैश्योंका शिल्प-वाणिज्यरूप श्रम, और शूद्रोंका सब श्रमका मूल शारीरिक परिश्रम नहीं है, वह समाज चेतन धर्मी सनुष्य समाज होकरके भी जड़वत् ही है।

वर्ण धर्म वा समाज-सेवा पर अबतक जो कुछ विचार किया गया उससे हम यद्यपि इस सिद्धान्त पर पहुँचे कि समाजमें चारों वर्णोंकी वा चारों श्रेणियोंकी सेवा समान उपयोगी होनेके कारण वे परस्पर एक दूसरेके समकक्ष हैं, उनमें न कोई किसीसे छोटी है और न बड़ी; तथापि उनमें किसी एकके बड़े वर्ग श्रेष्ठ हुए बिना समाजका नियन्त्रण-कार्य नहीं चल सकता। क्योंकि जिस मसहलीमें सबके सब आप बड़े हैं उरा मसहलीका किसी नियमके अनुसार चलना एक असम्भव बात है। अतएव आगे हमको यह अनुसन्धान करना होगा कि इन वर्णों वा समाज सेवाकी श्रेणियोंमें किस वर्ण वा श्रेणीमें समाज-नियामिका शक्ति है। जिसमें यह शक्ति पाई जायगी वही श्रेणी सबसे श्रेष्ठ मानी जायगी।

श्लो०—चारों वर्गों किस प्रकारसे अपने अपने कर्मों के द्वारा समाजकी सेवा करते हैं यह जैसा आपने समझाया, उससे मैं यही समझा कि चारों वर्गोंकी समष्टि ही समाज है, और इन वर्गोंकी परस्पर सेवासे इनकी संसारमें सुखीवृत्ति होती है। अतएव जिस वर्गका जो कर्म है वही उस वर्गका धर्म है। यदि इन चारों वर्गोंमें कोई एक वर्ग भी स्वकर्मका पालन उचित रीतिसे न करे तो चारों वर्गोंकी याने समाजकी दुःख पहुँचता है। किन्तु यह बात मेरी समझमें अच्छी तरह नहीं आई कि प्रत्येक मनुष्यकी चारों वर्गोंकी सेवा किस प्रकारसे पहुँचती है जिससे उसका जीवन-निर्वाह होता है। अतएव इस विषयकी और स्पष्टरूपसे समझा दीजिये।

सायानन्द—कदाचित् तुम्हारे ध्यानमें यह बात जमी हुई है कि तुम लिनकी नौकरी करते हो उनसे तुमको जो रुपये मिलते हैं उन्हींसे तुम्हारा निर्वाह होता है, किन्तु यथार्थमें केवल रुपयोंसे ही किसीका निर्वाह नहीं होता। रुपयोंके विनिमयमें जो दूसरोंकी सेवा उसको मिलती है उसीसे उसका निर्वाह यथार्थमें होता है। रुपया निमित्त मात्र है। प्रचलित मुद्राकी सेवाका साक्षी पत्र या दर्शनी हुशडी समझना चाहिये। जब जिसकी जिससे अितनी सेवा मिलती है, तब वह उसको उसनी मुद्रा बदलेमें देता है। तुम्हारी नौकरीके बदले तुम्हारे आलियाने तुम्हें जो कुछ मुद्रा दी वह आने समाज पर उन्होंने हुशडी लिखदी। इस हुशडीका अर्थ यह है कि तुमने अपनी सेवाके बदले जो हुशडी प्राप्त की है उसके बदले तुम दूसरोंसे ऐसी सेवा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, प्राप्त कर सकते हो। यह हुशडी, मुद्रा (नोट रुपये आदि) के रूपमें होनेसे वह इस बातके लिये राजाका साक्षी पत्र है कि तुमने अपनी सेवाके बदले इसे प्राप्त किया है। जब तुम बाजारमें जाकर अन्न वस्त्र आदि आवश्यक वस्तु उस मुद्रासे खरीदते हो तब मानो तुम उन दूकानदारोंके लिये समाज पर हुशडी देते हो कि तुमने उनसे सेवा पाई है, अतएव दूसरे भी उनकी आवश्यकतानुसार अपनी सेवा इस हुशडीके बदले उनको देते। इस तरह मुद्राकी विचवाहें आनकर प्रत्येक मनुष्यकी सेवाका एक दूसरेके साथ आवश्यकतानुसार विनिमय होता रहता है।

समाजकी आदिस अवस्थामें मुद्राका प्रचलन नहीं था। सभी प्रकारकी सेवाका विनिमय अमलास द्रव्योंके द्वारा होता था। इस कामके लिये विशेष कर अन्न ही उपयोगमें लाया जाता था। समाजकी इस अवस्थामें अन्नका विनिमय

कष्ट एवं असुविधा जनक था। औद्योगिक उन्नतिसे जाधा पड़ती थी। इस कारण समाज-शासकोंने मुद्रा (कृत अक्षरका निदर्शन वा अक्षरकी सहाय) प्रचलित किया* जिसके विनिमयसे सभी द्रव्य सुख-प्राप्य होगये और औद्योगिक उन्नतिके साथ साथ व्यापार बढ़ गया। मुद्राका प्रचलन समाजकी उन्नत सभ्यताका परिष्कारक है।

गणेश—आपके कथनसे मैं यह समझ गया कि प्रत्येक गृहस्थ, शिवा, रक्षा, पोषण और परिश्रम रूपी चार अधिष्ठात्री समाज-सेवा रूप कर्मा में किसी एक अधिष्ठात्रीके कर्म द्वारा समाजकी सेवा करता है। इस सेवाके बदले उसकी मुद्रा

* “मुद्रा” शब्दकी मूल पत्ति है मुद् + र जिसका अर्थ होता है “इसके द्वारा छष्ट (ग्रान्थिद्ध) होना”। माली, पाने वालेसे मुद्रा कहती है “तुम यह जानकर सम्बुद्ध हो कि मेरे कदम तुमको भी अधर्मी आच्छाद्यकतानुसार दूसरीसे सेवा निःसन्देह मिलेगी”। अपने अक्षरके विनिमयसे जब किसीकी मुद्रा मिलती है तब वह प्रसन्न हो जाता है। किन्तु इस प्रकृताका मूल नहीं बात है जो पाने वालेसे मुद्रा कहती है। भारतवर्षमें मुद्राको प्रचलित हुए लाखों वर्ष होगये, क्योंकि इसका उल्लेख मत्स्यपुराणमें (जो कि सत्ययुगका रसृति-शाखा है) पाया जाता है। मुद्राके इतने नाम संस्कृत साहित्यमें मिलते हैं, यथा—बराटक (धर + अट=असना Currency विनिमयसे जो एकके हाथमें दूसरेके हाथमें चलता जाय) कपर्दक (कौड़ी), तास खरब (पैसे), रजत खरब, रौप्य खरब, तड्का (रुपये), टड्का (मुद्रित धातु खरब), तड्का, टड्का (रौप्य वा रजत मुद्रा)। खरब, खरब, सुवर्ण, पना, धरणा (मुहर) ये प्राचीन कालके लोगोंके सिक्केके नाम थे। सिक्का शब्दकी भी उत्पत्ति संस्कृत सिक् शब्दसे हुई है जिसका अर्थ “चलाना” है सुतरा “सिक्का” और “बराटक” दोनों समानार्थक हैं।

आदिमें कौड़ीसे लेन देनका काम होता था, इस लिये उसका एक नाम “बराटक” है। कौड़ीके दिनोंसे “पना” शब्दमें उसका परिभाषा किया जाता था। किंगी धरतुके मूल भाव करनेसे “१ पना २ पना मूल्य है” एसा कहा जाता था। जब केवल कौड़ीसे व्यवहारका काम पूरा न पड़ा तब धातु काममें लाई गई। पहले पहला लाने वाली सोनेके टुकड़ोंसे लेन देनका काम होता था। किन्तु ये भी द्रव्यके विनिमयके लुप्त असुविधा जनक थे, क्योंकि बार बार तौल लौल कर उनके टुकड़े बनाने पड़ते थे। सुतरा मुद्राका आविष्कार करना पड़ा और उनके निष्कर्ष यो क्षणिक गये—

मिलती है। इस मुद्राके विनियममें वह पुन समाजसे अपने जीवन-निर्वाहके लिये जो जो उपकार प्राप्त करता है उन्हींकी गिन्ती शिक्षा, रक्षा पोषण और परिश्रम इन चार श्रेणियोंमें होती हैं। सुतरा यह मै समझातहू कि प्रत्येक अनुष्ण-को (सद्योजाल शिशुमे वृद्ध तक) चाहे प्रत्यक्ष रूपसे हो, अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे इन चारों श्रेणियोंकी सेवा पहुँचती रहती है। क्योंकि इनके बिना किसीका भी निर्वाह नहीं हो सकता। और आपके कथनसे मैं यह भी समझ गया कि ये चार श्रेणियोंके

कपर्दुक वा कौड़ीका मान ।

सुवर्ण मुद्रा ।

८० कौड़ीका ... = १ पण ।
 (२० कौड़ीका $\frac{1}{4}$ पण भी होता था
 और कदाचित् इससे भी कम परिमाण
 रहा हो । ४० वर्ष पूर्व काशीमें १ कौड़ी
 का भी सौदा मिलता था) ।

ताबेकी मुद्रा ।

२० कौड़ीका = १ कार्षिक
 ४ कार्षिकका = १ पण
 १६ पणका = १ काषार्पण
 (कदाचित् ८ कार्षिकका $\frac{1}{2}$ काषार्पण
 भी रहा हो)

चादीकी मुद्रा ।

२ कृष्णल वा गुज्जका = १ माषक
 (२ रत्तीका)
 ४ माषकका = १ टङ्क वा टङ्कक
 वा टङ्का ।
 ४ टङ्कका = १ धरणा वा
 पुराण
 १० धरणा वा
 पुराणका = १ शतमान

(शतमान मुद्राका वजन $३\frac{1}{2}$ तोला
 होता था । पता नहीं कि १ माषकका
 कितने कार्षिक आदि मान की ताम्र
 मुद्राये मिलती थी) ।

६ सरसोका = १ यव
 ३ यवका = १ कृष्णल, रत्ती
 ५ कृष्णलवारत्तीका = १ माषक
 १६ माषकका = १ सुवर्ण
 ४ सुवर्णका = १ पल वा निष्क
 १० पल वा निष्का = १ धरणा ।

चादीके १ शतमानका वजन सोनेके
 १ पलके बराबर है। सोनेकी मुद्रा १ धरणा
 का वजन $३\frac{1}{2}$ तोला। इससे मालूम
 होता है कि सोना बहुत था किन्तु
 यह मालूम नहीं कि किसी एक स्वर्ण
 मुद्राके बदले कितनी रौप्य मुद्रा मिल-
 ती थी। (भारतमें ताबे और सोनेकी
 खदान है परन्तु चादीकी खानिका
 पता अभी तक नहीं लगा है) ।

सेवा कर्म परस्पर ऐसा धनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं कि वे एक दूसरेके आधार-आधेय हैं, अर्थात् शिक्षाका अवलम्बन रक्षा, पोषण और परिश्रम है; रक्षाका अवलम्बन शिक्षा, पोषण और परिश्रम हैं; पोषणका अवलम्बन शिक्षा, रक्षा और परिश्रम हैं, और परिश्रमका अवलम्बन शिक्षा, रक्षा और पोषण हैं।

किन्तु आपने “शिक्षा” के साथ ब्राह्मण वर्णके धर्मका, “रक्षा” के साथ क्षत्रिय वर्णके धर्मका, “पोषण” के साथ वैश्य वर्णके धर्मका और “परिश्रम” के साथ शूद्र वर्णके धर्मका जो धनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया है वह मुझे देखनेको नहीं मिलता। हा, कुछ बिन्दु तो अवश्य, देखनेमें आते हैं, जैसे—ब्राह्मणोंमें जो पुरोहिताई, पण्डिताई और शिक्षण कार्यसे समाजकी सेवा करते हैं, क्षत्रियोंमें जो राज्य प्रबन्धमें नौकरीके द्वारा समाजकी सेवा करते हैं, वैश्योंमें जो कृषि, शिल्प, वाणिज्य और साहूकारी द्वारा समाजकी सेवा करते हैं और शूद्रोंमें जो शारीरिक परिश्रम एवं शिल्प कर्म द्वारा समाजकी सेवा करते हैं, वे अपने अपने वर्णके धर्मके अनुसार चलते हैं ऐसा भले ही कहलें, किन्तु जब ब्राह्मण मात्र “शिक्षा” द्वारा, क्षत्रिय मात्र “रक्षा” द्वारा, वैश्य मात्र “पोषण” द्वारा और शूद्र मात्र “परिश्रम” द्वारा अपनी जीविका वा समाजकी सेवा नहीं करता है, तब “शिक्षा” को ब्राह्मण वर्णका धर्म, “रक्षा” को क्षत्रिय वर्णका धर्म, “पोषण” को वैश्य वर्णका धर्म और “परिश्रम” को शूद्र वर्णका धर्म कैसे कह सकते हैं ?

आयानन्द—लाखी* वर्ष पूर्व जिस समय भारतमें सामाजिक श्रमके विभागसे समाजका सङ्गठन हुआ था उस समय यावत् श्रमका विभाग चार श्रेणियोंमें हुआ था—यथा, शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रम। और इन श्रेणियोंका नाम करण आर्य ऋषियोंकी भाषामें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किया गया था। और श्रमकी इन श्रेणियोंको वशगन बनानेसे समाज-शासकोंका यह उद्देश्य था कि वंश परस्पराके अभ्याससे ज्ये उधे लोग तत् तत् कर्ममें पटुता प्राप्त

वर्णकी अनित्यता
और समाज-सेवा
कर्मा की नित्यता।

* मनुस्मृतिके अ० १ श्लोक ३३ और ५८ से ज्ञात होता है कि स्वयम्भुवमनुके द्वारा प्रचारित स्मृतिका नाम ही “मनुस्मृति” है। स्वयम्भुवमनुको हुए आज १ अर्ब ८४ करोड़ ४२ लाख १३ हजार १९ वर्ष बीत चुके हैं। अतएव यथा जो “लाखी वर्ष” कहा है उसे कोई अल्पुक्ति न समझें। क्योंकि विज्ञानसे सिद्ध है कि पृथ्वी पर मनुष्यका आविर्भाव हुए प्रायः २ अर्ब वर्ष हुए हैं।

† श्रमका विभाग श्रमके स्वरूप परसे (in theory) न हुआ होगा। पात्रों परसे याने श्रमके करने वाली परसे (occupation परसे) श्रमका विभाग हुआ होगा और उसी समय श्रमका नामकरण भी किया गया होगा। इसीसे ये नाम भाव वाचक सज्ञा न होकर जाति वाचक सज्ञा होगये हैं।

नोट—इन सब कल्पनाओंकी सत्यासत्यताका सिद्ध करना पुरातत्वान्वेषी विद्वानों पर छोड़ा गया।

करेंगे त्यों त्यों उन कर्मोंकी भी उन्नति होगी। पहिले पहिले लोग आपने आपने वर्णानुसार अमके द्वारा ही जीविका करते थे। आपत्कालके सिवा और किसी समय कोई इस परिपाटीका उल्लंघन नहीं कर सकता था। जो कोई आपत्कालके बिना इसका उल्लंघन करता था तो बड़ राजासे दण्डित होता था।

प्रजापालन कार्यके अन्तर्गत राजाके लिये यह भी एक कान था कि वह देखे कि कोई प्रजा अपनेसे किसी शिव वर्णके कर्मसे तो जीविका नहीं काती है। अम याने जीविकाार्थकी वृत्तियाँ जब इस प्रकार वर्णके अन्धनहीं पहचाने तब वर्ण भी "जाति" के बन्धनमें पड़गये। और ज्यो ज्यो लोगोंमें समाज-व्यवस्था ज्ञान लीप होता गया त्यों त्यों जाति बन्धन बढता गया। यहा तक कि पार-स्त्रीक खातीमें जहा पहले चारो वर्णोंका समान अधिकार था वहा भी यह अधिकार निम्नतम वर्ण (शूद्रों) के ही व लिया गया।

हापर गुणमें वर्णगत कर्मोंकी परिपाटीमें व्यतिक्रम होना आरम्भ होगया। जिनसे हापर के अन्तमें अन्तर्गत विद्वानोंकी यह शन्देह होने लग-गया कि वर्ण (समाजका मङ्गल) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके वर्णों पर निर्भर है अथवा जिन कर्मोंके अनुसार उनको तत् तत् पदवी मिली है उन कर्मों पर अर्थात् शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रम पर निर्भर है ?

आज दिन भारतमें अमकी बन्धनसे जो कुटगार विलगपया है, किन्तु वर्ण स्वयम् जातिके बन्धनमें पड़ा हुआ है। अपर दृशासे तो अम तदासे रतावीन रहा है अन्ततः बहुत दिनोंसे वह स्वाधीन हो चुका है। अमके वर्णगत न होनेसे उन देशोंकी राष्ट्रीय उन्नतिमें कोई बाधा नहीं हुई है। प्रत्युत उन्नति ही हुई है। इस समय पृथ्वीके राष्ट्र-संसारकी परिस्थितिके विचारसे यह कहना पड़ता है कि भारतमें अमका पुन वर्णोंके आधीन होना असंभव है। अतः, वर्णोंकी (अमके अपर नाशका) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके वर्णसे अतित्य समझना चाहिये, और उन्हीं वर्णोंके प्रकृत रूप जो शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रम हैं उनको नित्य (शाश्वत) समझना चाहिये।

सामाजिक अमकी हमी नित्यानित्यताके विचारसे श्री गीताके १८ वे अध्या-यके ४५। ४६ वें श्लोकमें कहे "एते ह्य कर्मण्यभिरताः सांगित्तु तापते नरः" अचनमें श्री कृष्ण भगवान्ने "कर्म" शब्दका उपयोग किया है। और जिसका अर्थ करनेमें वेने गीतानुशीलनके उपक्रममें ही "समाजके अनुकूल जीविकाके निर्वाह योग्य अपने अपने कर्मोंमें लगे हुए भी मनुष्य मात्र सिद्धिकी प्राप्त कर सकते हैं।" ऐसा कहकर

यह सूचना दी है कि हम मत्र से, ब्राह्मणादिको क " अपने अपने वर्णाश्रम धर्मानुसार कर्म " पर, जैसा कि तुमने समझा था (उप० अ० पृ० ४ देखो), जोर देने का अभिप्राय न कभी श्रीकृष्ण भगवान का था और न वैसा अर्थ ही अब भारत के लिये लागू हो सकता है, और अन्य देशवासियों के लिये तो कभी वह लागू था ही नहीं ।

इस सिद्धान्त को समाज-तत्त्व पर विचार करते हुए हमें शास्त्रीय युक्ति से प्रतिपन्न करना है ।

४ परिच्छेद ।

समाज-नियामिका शक्ति ।

मायानन्द—केवल भ्रम की दृष्टि से शूद्र वर्ण के समाज-सेवा रूप कर्म का मूल्य सब से अधिक जान पड़ने पर भी हम उसको समाज में उच्च आसन नहीं दे सकते, क्योंकि इस वर्ण में (परिश्रम रूप समाज-सेवा में) समाज का इष्ट और अनिष्ट करने की शक्ति जितनी है, उतनी समाज-नियन्तृ शक्ति इसमें नहीं है ।

समाज में उसी वर्ण को (समाज-सेवा को) सब से ऊंचा आसन प्राप्त होता है जिसमें समाज का मंगल और अमंगल करनेकी शक्ति और समाज में कौन वया श्रेष्ठ है ? समाज-नियन्तृ शक्ति तुल्य रूप से हो, अथवा जिरामें इष्ट, अनिष्ट और नियन्तृ इन तीनों शक्तियों में से दो समानधर्मी शक्ति मिल कर अन्य वर्ण की तीसरी, असमान धर्मी अनिष्टकारी शक्ति से अधिकतर बलवती हो । इष्ट और अनिष्टकारी शक्तियों का परिचय विस्तृत रूप से दिया जा चुका है । अब संक्षेप में समाज-नियन्तृ शक्ति का परिचय दिया जाता है ।

समाज में नियन्तृ-शक्ति वह है जो समाज के लोगों को, समाज के नियमों में, बाँधे रखती है । अब देखना चाहिये कि जब किसी समाज के लोगों ने आपस में नियम बना कर अपने को उन नियमों में एक बार बाँध लिया, तो फिर वे अपने को उन नियमों के बन्धन से कैसे अलग कर सकते हैं ? जिन लोगों ने मिलकर किसी नियम को बनाया, वे ही लोग किसी कारण से पुनः मिल कर उस नियम में हेर फेर कर सकते हैं, परन्तु फिर भी वे किसी दूसरे नियम से अवश्य बंध जायेंगे ।

इसमें स्वस्वपत्न्य नियमों के बन्धन से गमाज का मुक्त हो सकता सिद्ध नहीं होता, हा, नियम का भंग होता व्यक्ति विशेष या श्रेणी विशेष के द्वारा सम्भव है ।

अब विचारना चाहिये कि निद्रम का भंग होना सम्भव क्यों है ? इस सरार में हम यावत् सष्ट वस्तु को संहार की ओर जाते हुए देखते हैं । ब्रह्माण्ड में सतो सृष्टिकाल और संहारकाल के मध्य में जो काल होता गुण नियन्ता है । हे उन्मत्त, उत्पन्न वस्तु उन्नति और अवनति रूपी दो अवस्थाओं को क्रमसे प्रकाश करती हुई, प्रियमान रहती है । वस्तु की उत्पत्ति में जो शक्ति कारण रूप है वह जत्र व्यय हो जाती है अथवा मिथिल पड़ जाती है तब वस्तु के संहार के लिये जो शक्ति कारण रूप है वह प्रकाशित होने लगती है । फिर संहारकारिणी शक्ति भी अपनी शक्ति का व्यय करती हुई उत्पन्न वस्तु को संहार की दशा में पहुँचा कर जब स्वयम् थक जाती है, तब सृष्टिकारिणी शक्ति उन्मत्त वस्तु को संहारकारिणी शक्ति के अधिकार से छीन कर पुनः उसकी सृष्टि करने लगती है ॐ ।

यदि संहार-अवस्था में वस्तु का नाश हो जाता हो तो सृष्टिकारिणी शक्ति उस वस्तु की सत्ता के अभाव से अपनी शक्ति को फिर प्रकाशित नहीं कर सकती एवं सृष्टि और संहारकारिणी शक्तियों की लीला का अवसान (अन्त) हो गया होता । अतएव, वस्तुओं में, उनके आकार और गुण को छोड़कर, जो सत्त्व मात्र है, जिसका स्वरूप रामझने के लिये केवल “सत्” शब्द का उपयोग होता है, वह सृष्टि के पूर्ण में और संहार के पश्चात् एकसा बना रहता है । यही सत्त्व सृष्टि-काल से संहार-काल तक आकार के आश्रय में प्रकाशित होता रहता है, और आकार के संहार के उपरान्त अप्रकाश्य अवस्था में रहित रहता है । सृष्टि और संहार केवल आकार का होता रहता है । . .

ॐ प्रकृति की इन सृष्टि और संहारकारिणी शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिये किसी भी सृष्ट पदार्थ को, फिर चाहे वह सजीव कोटि का हो वा निर्जीव कोटि का, दृष्टान्त स्वरूप ले लो और विचार करो । भ्राल जिस जीव ने शिशु रूप से जन्म लिया है, दिनों दिन उसके उस रूप का नाश होता जाता है और बालक, युवा एवं वृद्धावस्था का रूप उस पर क्रमशः चढ़ता जाता है । नया रूप देने के लिये सृष्टिकारिणी शक्ति कारण है और पूर्ण रूप का नाश करने में संहारकारिणी शक्ति कारण है । अतः जब वह शिशु उदा होकर मर जाता है तब उस जीव-शरीर का पूर्ण संहार हो जाता है । जन्म से मरण तक का जो समय है उसमें जो रूप प्रकट होते हैं वे लौकिक दृष्टि में कुछ अन्वति और कुछ अवन्ति के लक्षण से युक्त रहते हैं, किन्तु दार्शनिक दृष्टि में तो वह सब संहार की ही दशा है ।

सृष्टिकारिणी शक्ति को दर्शनकार 'रजोगुण' कहते हैं, और संहारकारिणी शक्ति को "तमोगुण" कहते हैं, और त्रिधा स्थितिकारिणी शक्ति से वस्तु का भाव एकरसा बना रहता है उसको "सत्त्व" गुण कहते हैं। इसी "सत्त्व" पर रजोगुण आकार डालता है और तमोगुण उस आकार का नाश करता है—अर्थात् वस्तु की सत्ता पर रज और तम आकार को लेकर परपर रपट्टी करते हैं। आकार यदि नाशधर्मी न होना तो तम उसको नाश न कर सकता, एवं सत्त्व में यदि आकार ग्रहण धर्म न होता (सत्त्व का यह धर्म सत्त्व कहाता है) तो रज उस पर आकार न डाल सकता। जैसे, मृत्तिका में आकार ग्रहण करने का गुण रहने के कारण ही हम उसमें आकार डाल सकते हैं, परन्तु वायु में प्रत्यक्ष आकार नहीं डाल सकते। और जब मृत्तिका में आकार-ग्रहण-धर्म है तो आकार धारण करने के उद्देश्य से वह बनी भी है। हम जो उसको आकार देते हैं, आकार देने में निमित्त कारण मात्र है। इसी तरह उस अव्यय और अव्यक्त सत्त्व का जो भाव आकार ग्रहण करता है वह आकार ग्रहण करने के उद्देश्य से ही बना है। अतएव जब तमोगुण में आकार-ग्रहण धर्म है तो आकार का ग्रहण करना उसका उद्देश्य ही हुआ। रजोगुण, जो उसमें आकार डालता है, आकार डालने में निमित्त कारण मात्र है।

सतोगुणाश्रित आकार का संहार करके जब तमोगुण, सतोगुण का कुछ भी न कर सका, और सतोगुण ने रजोगुण को निमित्त मात्र करके पुनः आकार को ग्रहण किया, तो आकार की सृष्टि में सतोगुण ही नियन्ता हुआ। यदि रजोगुण आकार की सृष्टि में नियन्ता होता तो आकार का नाश तमोगुण न कर सकता, और यदि आकार के नाश-कार्य में तमोगुण नियन्ता होता तो रजोगुण पुनः आकार को उत्पन्न न कर सकता। इससे यह विदित होता है कि परस्पर पराभव प्राप्त होने वाली दो शक्तियाँ एक दूसरे की नियामिका [नियन्त्र] नहीं हो सकती।

अतएव, जैसे इस विराट् ब्रह्माण्ड में सतोगुण, रज और तमोगुण का नियामक है [क्योंकि इसी के आधार पर इन दोनों के कार्य प्रकट होते रहते हैं] वैसे ही समाज में मनुष्यों की सात्त्विक बुद्धि समाज की नियामिका है।

मनुष्य के चित्त में सतोगुण ज्ञान का स्वरूप है जिसका उद्देश्य सुख है। ज्ञान की भूमि पर रजोगुण, जो मनुष्य के मन का ही एक गुण है, नियम रूप सुख को खड़ा करता है। और तमोगुण, जो मनुष्य के मन का ही दूसरा गुण है, उस नियम को तोड़ता है। विराट् ब्रह्माण्ड में जेगा सत्त्व शक्ति [तमोगुण] का कार्य पुनः सृष्टि के ही अर्थ

मनुष्य में तमो
गुण नियन्ता है।

होता है, वैसाही मनुष्यों में तमोगुण का कार्य भी सुख के लिये ही होता है। भेद केवल उस सुख के रूप में [भावना में] है।

रजोगुण सुख का जो नियम खड़ा करता है वह क्रियात्मक है क्योंकि वह स्वयं क्रियाशील है, और तमोगुण, रजोगुण से विपरीत धर्मी होने से क्रिया रहित अवस्था को सुख मानकर क्रियात्मक नियमों को तोड़ता है। सुख के स्वरूप पर लड़ते हुए ये दोनों एक दूसरे के नियमों को तोड़ते हैं—कार्य का सहार करते हैं, और परस्पर को पराजित करते रहते हैं, परन्तु ज्ञान जिसका उद्देश्य यथार्थ में सुख है, अपने उद्देश्य के साधन में तत्पर रहकर दोनों ही अवस्थाओं में जब एकसा रिधर रहता है, तो सुख के साधन में ज्ञान को ही नियन्ता समझना चाहिये अतएव, मनुष्यों में भी सतोगुण ही, रज और तम गुण का नियन्ता है।

नियम भंग होने के, और पुन स्थापित होने के कारणों पर जो विचार किया गया उससे यही पाया जाता है कि तमोगुण से नियम भंग होते हैं और रजोगुण को निमित्त करके सतोगुण से पुन नियमों की स्थापना होती है।

यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों अथवा इनमें से कोई भी अपन शूद्रवर्ण वा परिश्रम कर्मों की अवहेलना करे वा उनका सम्पादन अथवा रूप से कर रूप समाज-सेवा में अथवा उनका करना ही बन्द कर देवे, तो शूद्र-वर्ण की समाज-नियन्त्र शक्ति। सेवा में ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा वह उनको पुन अपने अपने कर्मों में नियत कर सके। जो कोई अपना कर्तव्यकर्म स्वयम् अपनी इच्छा से नहीं करता उसको उस कर्म में पुन लगा देने के लिये बल का प्रयोजन होता है। इस बल का प्रयोजन मौखिक शिक्षा द्वारा अथवा ताड़ना किवा दण्ड द्वारा किया जाता है। शिक्षा देना ज्ञानसापेक्ष है, ताड़ना और दण्ड देना शूरता और दैहिक बल साक्षेप है। शूद्र में जो दैहिक बल है वह शारीरिक परिश्रमोपयोगी है, वह शौर्य-कार्य साधनोपयोगी नहीं है। साथ ही उसमें स्वरूपतः दूसरों को शिक्षा देने योग्य ज्ञान नहीं है। इन कारणों से इस श्रेणी की समाज-सेवा नियन्त्र-शक्ति रहित है।

* यहाँ 'शूद्रवर्ण' का अर्थ "शारीरिक परिश्रम" मात्र से है, शूद्रवर्ण के मनुष्यों से नहीं। यही लक्षण दूसरे वर्णों के लिये भी समझो।

वैश्य वर्ण की समाज-सेवा में, जो केवल पोषण रूप कर्म से सम्बन्ध रखती है, ब्रह्म वर्ण वा पोषण रूप श्रमता और वैदिक बल का अभाव होने से, तथा समाज-सेवा में नियन्त्रण शक्ति । दसों को शिक्षा देने योग्य ज्ञान का न रहने से, इस श्रेणी की समाज-सेवा भी नियन्त्रण शक्ति रहित है ।

क्षत्रिय वर्ण में श्रमता और वैदिक बल का एकत्र समावेश होने से, नियन्त्रण शक्ति जिसका वाच्य कार्य दण्ड द्वारा नियंत्रण करना है, समाज-सेवा की श्रेणियों में क्षत्रिय श्रेणी में ही पूर्ण रूप में है (क्योंकि क्षत्रिय वर्ण में श्रमता और वैदिक बल का एकत्र समावेश होने से, समाज-सेवा में नियन्त्रण शक्ति । ब्राह्मण वर्ण की समाज-सेवा केवल शिक्षा सापेक्ष होने से उसमें भी वैदिक बल का, जिसका कार्य उत्पन्नगामी को दण्ड द्वारा नियमित करना है, अभाव मानना पड़ता है) । आर्य ऋषियों ने दण्ड को ही नियन्त्रण-शक्ति माना है । ब्राह्मण में नियन्त्रण शक्ति का नाम यम है, और समाज में नियन्त्रण शक्ति का नाम राजा है । क्षत्रिय वर्ण में जो नियन्त्रण शक्ति है वह इस राजा के द्वारा ही प्रयुक्त होती है ।

समाज-रक्षक श्रेणी (क्षत्रियवर्ण) को छोड़कर और शेष श्रेणियों में “ अपना आप बड़ा ” का ही एक मुखिया हो सकने, परन्तु क्षत्रिय श्रेणी में राजा नाम का एक ही मुखिया होता है जो अपनी श्रेणी का दसों श्रेणियों का शासन और पालन करता है । इस शासन और पालन कार्य में लिये राजा को अपनी श्रेणी तथा और और श्रेणियों के कर्तव्यों में अभिज्ञता रखनी चाहिये ।

यदि समाज-रक्षक श्रेणी (ब्राह्मण वर्ण) समाज को व्यावहारिक और पारमार्थिक ज्ञान की शिक्षा देने में अवहेलना कर अथवा अनुचित शिक्षा देवे तो राजा लाड़ना वा दण्ड द्वारा इस श्रेणी का शासन कर सकता है, परन्तु शिक्षा के औचित्य एवं अनौचित्य के बारे में राजा को स्वयं महिष्ठे ज्ञान लेना चाहिये कि उचित शिक्षा क्या है ।

यदि समाज-पोषक श्रेणी (वैश्यवर्ण) समाज-पोषण कर्मों को करने में अवहेलना कर अथवा उन कर्मों को अयथा रूप में करे तो राजा शिक्षा, लाड़ना वा दण्ड द्वारा इस श्रेणी का शासन कर सकता है, परन्तु कृषि, शिल्प और वाणिज्यादि विषयों में शिक्षा देने के लिये राजा को स्वयं इन विषयों का ज्ञान होना चाहिये ।

१) “ दसस्य हि भवात्सर्वं जगदभोगाय कल्पते ”, अर्थ—दस ही के प्रभाव से सब लोग अपने अपने काम को भोगते हैं ।

यदि भ्रमजीवी श्रेणी के लोग (शूद्र वर्ण) अपने कर्त्तव्य कर्म अर्थात् भ्रम के करने में अग्रहेलना करें तो राजा ताड़ना वा दण्ड द्वारा इस श्रेणी का शासन कर सकता है । परन्तु राजा को व्यक्तिगत स्वाधीनता और न्याय का ज्ञान होना चाहिये ।

अतएव, जब क्षात्र शक्ति रूप राजा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों पर शासन करने की सामर्थ्य है तो समाज में क्षात्र शक्ति ही नियन्त्र शक्ति है और इसी का आसन समाज में सब से ऊँचा जान पड़ता है । इसी विचार में श्रीगीता में क्षत्रिय वीर अर्जुन को निमित्त मान कर निष्काम वर्णधर्म का आचरण करने का उपदेश किया गया है । महाभारत का भीष्म-युधिष्ठिर सवाद भी इसी प्रकार का उदाहरण है, जिसमें विशेष कर राजधर्म का ही विवेचन किया गया है क्योंकि अकेले राजधर्म में और और वर्णों के धर्मों का अन्तर्भाव है ।

“ स राजा पुरुषो दण्ड सनेता शासिता च स । चतुर्णामाश्रमाणाच धर्मस्य प्रतिभू रमृत ॥ ” (मनु अ० ७।१७) अर्थ—वह दण्ड ही राजा है, पुरुष है, वही राज्य का नियामक है और वही शासक है और उसी को चारों आश्रमों के (श्रेणियों के) धर्म का प्रतिनिधि कहा है । मनु के इस वचन में प्रजातंत्र शासन पद्धति का सिद्धान्त प्रकट हो रहा है । प्रजा की सगमति से जिरा प्रकार के शासन की व्यवस्था होती है वे ही शासन मानते रामाज की आत्मा है । इस आत्मा पुरुष का, समाज के चारों श्रेणियों पर जो अधिकार है उसी का दिग्दर्शन कराने के लिये मैं ‘ क्षात्र-शक्ति ही नियन्त्र शक्ति है ’ ऐसा कहा । शास्त्रकारों ने उसी आत्मा पुरुष को ‘ राजा ’ शब्द से निदर्श किया है । जिस व्यक्ति में प्रजा इस आत्मा पुरुष का आरोप करके उसपर शासन कार्य के परिचालन का भार सौंपती है वह भी लौकिक भाषा में राजा कहलाता है ।

अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है यदि राजा स्वयं उत्पन्न गामी हो, यदि वह अपने कर्त्तव्य के पालन में अग्रहेलना करें अथवा अगत्या रूप से ब्राह्मण वर्ण वा शिक्षा रूप समाज सेवा में नियन्त्र शक्ति प्रजा या तो समाज का शासन करे, तो किन्हीं शक्ति से वह अपने कर्म में नियत किया जा सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर केवल “ ब्राह्मण ” (ज्ञान) इस शब्द के अन्तर्गत है । ब्राह्मण वर्ण नामक समाज सेवक की रामाज सेवा स्वयं शिक्षा रूप होने से वह तो ज्ञान

‡ समाज में रहने वाला कोई भी मनुष्य पूरा ग्राहीन नहीं है । उस की स्वाधीनता समाज की भलाई के लिये ही अपेक्षा से नियमित होती है । समाज की इस अपेक्षा रहित स्वाधीनता में स्वच्छाचार है जो कि निन्दनीय है ।

का ही रूप है । अतएव शिक्षा सापेक्ष नियन्त्र शक्ति इस वर्ण में यथेष्ट है । किन्तु स्वरूपन इ । श्रेणी की सेवा में श्रुता और दैहिक बल न होने से, उत्पथ गामी को जो कि शिक्षा अथवा लाडना से भी उचित मार्ग पर नहीं चलता है, दण्ड द्वारा नियमन करने की शक्ति उस में नहीं क ममान है । इस कारण, आपातन ब्राह्मण वर्ण की समाज सेवा में भी पूर्ण नियन्त्र शक्ति का अभाव जान पड़ता है, परन्तु जब ज्ञान किसी कार्य साधन के लिये क्रियोन्मुख होता है^१ तब वह मानस बल को उत्पन्न कर देता है । मानस बल और श्रुता में विशेष कोई भेद नहीं है । इसी से पुराणों में जहां उत्पथ गामी राजा वा क्षत्रिय वर्ण के शासन का इतिहास हमें देखने को मिलता है, वहां हम यही दखते हैं कि ब्राह्मण वर्ण ने अपने ज्ञान के साथ बल रूप दण्ड का योग करके ऐसे राजाओं का वा क्षात्र-शक्ति का शासन किया है । राजा वेण जब उत्पथ गामी हुआ था तब ब्राह्मणों ने समाज से बल का समग्र कर के उस के बाहु रूप बल को मयित किया था । वशिष्ठ ऋषि ने गाधिनन्दन प्रमुख क्षत्रियो के बल को परारत किया था । परशुरामजी ने इक्कीस बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर डाला था ।^१

इन इतिहासों में यही जाना जाता है कि पुराकाल में ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो वर्ण (जाति रूप से) समाज में सर्वोच्च आसन के लिये जाने सामाजिक (लौकिक) श्रेष्ठता के लिये लड़ाई कर चुके हैं,^१ परन्तु शिक्षारूप समाज सेवा ही, समाज पालन का मूल होने से सदा समाज में नियन्त्र शक्ति बनी रही है ।

स्मरण रहे कि समाज-सेवा रूप कर्मों के करने में जिन भिन्न शक्ति वा गुणों की आवश्यकता होती है केवल उन के स्वरूप पर ही हम अबतक विचार करते आये हैं न कि इन भिन्न भिन्न समाज-सेवकों पर अथवा उन की जाति अथवा

१ बुद्धि जब कार्य करने के लिय निश्चय कर लेती है ।

† “बहजोऽग्निपान्ना राजान सपरिच्छदा ॥” मनु अध० ७।४० अर्थ—बहुतरे राजे अविनयी होने के कारणी वैभव और परिवार सहित नष्ट हो गये ।

१ महाभारत शान्ति पर्व के अध० ७२ में इस पर एक प्रश्न आया है—राजा पुरुवा वायु देवता से प्रश्न करते हैं—“ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दो वर्णों में प्रमाणित कौन पृथ्वी का अधिकारी है” । वायु उत्तर देता है—“ब्राह्मण अग्रजन्मा है इस लिये जगत् के सख्दाय पदार्थ पर उस का अधिकार है । विद्वान् विशक्तिमान् ब्राह्मण अपने उपदेशों से राजा का मंगल करता है ।” इसका भावार्थ यह है कि समाज और राष्ट्र के समग्र में ज्ञान आदि कारण है । दैहिक बल और श्रुता से विया बड़ी है । मनुष्य निर्बल होकर भी बलवान् हाथी पर सवार होता है ।

वर्ण पर। उसी स्वरूप पर विचार करते हुये अब हम दगा कि शिक्षा (ब्राह्मण) और रक्षा (क्षत्रिय) इन दोनों में सच्चमुच्च कोन नियन्त्रु शक्ति का आधार है ।

एतिहासिक दृष्टान्तो से हमने देखा कि ब्राह्मण वर्ण ने नलका राग्रह कर के क्षत्रियो पर शासन किया। इस से समाज-तत्व के विचारानुसार गही प्रतिपन्न होता है कि शिक्षा-शक्ति, रक्षा-शक्ति दोनों न मिलकर एक दूसरी " शिक्षा रक्षा " शक्ति का पराभव किया। जैसे एक राजा वा जाति दूसर राजा वा जातिका पराभव करती है।

पहले कह आय है कि ब्राह्मणों से समाज रक्षण और शासन विद्या एवं समाज पालन विद्या को प्राप्त कर क्षत्रिय, समाज का शासन पालन और रक्षा करता है। अर्थात् ज्ञान भूमिका पर खड़ी होकर शूरता इन तीनों कर्मा को करती है। यदि उसे ज्ञान की सहायता न मिले वा उन कर्मा का उत्पादन वह कदापि नहीं कर सकती।

यदि आज मनुष्य-समाज से उन कारणों का, जिन के पीछे एक दशवारी अन्य दशवारीयों से लड़ते नल आय है, लोप हो जाय तो समाज की रक्षक शक्ति की आवश्यकता न रहे। कदाचित् शिक्षा के द्वारा समाज से जातीय स्वार्थ परता का लोप होना संभव हो, किन्तु जब तक मनुष्य नामक जीव इस संसार में बना रहेगा तब तक उसमें प्रकृतिजन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भौतिक और आत्मा-त्मिक विषयों के ज्ञान के अर्जन करने की वृत्ति बनी रहेगी। उमका लोप होना सर्वथा असंभव है।

यदि आज मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो जाय कि उपर्युक्त मात्र स ही वह अपना भला दुग समझ कर अनित्य कार्य अनायाम कर सक तो समाज में शिक्षा रूपी सेवा पर्याप्त हो जाय ताडना वा लण्ड (रक्षा रूपी सेवा) की कोई आवश्यकता न रहे।

‡ एक ही मनुष्य जब विद्या की तलाश कर रहा है तब वह शान्त बसा है, जब किसी को दूसरे के अन्याय व्यवहार से बचा रहा है अथवा किसी को अन्याय व्यवहार के लिये ताडना कर रहा है तब वह क्षत्रिय है, जब किसी के लिये कोई तनु सग्रह वा उत्पन्न कर रहा है तब वह वैश्य है, और जब शारीरिक परिश्रम साध कर कई कर्मा कर रहा है तब शूद्र है अथवा समाजसार तग की उत्पत्तिवाद से ऐसा मानना पडता है। अतएव शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रमरूप कर्मा की जो शक्तियाँ हैं वे मानो रग हैं जो कार्य क्षेत्र में मनुष्यों पर चढते उतरते रहते हैं।

बिना दण्ड के केवल शिक्षा द्वारा ही समाज शासन करना कदाचित् सम्भव हो, परन्तु बिना ज्ञान के केवल दण्ड द्वारा ही समाज का शासन करना तो बिल्कुल असम्भव है ।*

सभ्यताभिमानी पाश्चात्य दशों में तथा भागतवर्ष में भी, अभी कोई १०० वर्ष पूर्व केवल, राज दण्ड ही पर्याप्त नहीं था । उसके साथ साथ शिक्षा की भी आवश्यकता थी, क्योंकि इन दशों की जनता भी उस समय हथियार बांधे रहती थी और काम पढ़ने पर अपना न्याय आप कर लेती थी । परन्तु वही जनता अब छोड़ी तक का रखना अनावश्यक समझती है । यह दण्ड का प्रताप नहीं, किन्तु शिक्षा का फल है ।

जो व्यक्तिगत बल से व्यक्तिगत बल का दमन होना देखने में आता है उस से बल के स्वरूप का दमन सिद्ध नहीं होता । जो बलवान अन्यायाचरण करने से बचा रहता है वह अपन अन्ननिहित न्याय के ज्ञान से बचा रहता है । ज्ञान शून्य शूरता तो हिंसक जीव की शूरता के समान है, समाज की शासन रूपी सेवा में इसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन में, शिक्षा रूपी समाज सेवा के सामन रक्षा रूपी समाज सेवा की अनित्यता सिद्ध होती है, क्योंकि राजा अज्ञानवश उत्पथगामी अथवा अपने

क्योंकि ऐसे दण्ड का प्रयोग प्रजा के स्वाय के लिये न होकर राजा की स्वार्थ सिद्धि के लिये होता है, और जिसे श्राय कदाक वर प्रजा के मन में राजा की ओर विरोध भाव उत्पन्न होता है । राजा ज्यों ज्यों प्रजा के इस विरोध भाव को दमन करता जाता है त्यों त्यों वह भावना, बंधे हुए श्रोत के जल जैसा बल पकड़ती जाती है और अंत को, बांध तोड़ कर जैसे नदी बह निकलती है वैसे ही वह राजा को नष्ट कर देती है । इसका प्रत्यक्ष अर्वाचीन दृष्टान्त १९१७ ई० में होनेवाली रूसी राज्य विप्लव की घटना है । (विप्लव=वि+प्ल+अल—भा = जल से बह जाना) । और वर्तमान में १९०० ई० में पञ्जाब के जालियानवाला बाग में अंगरज शासन कला के द्वारा निरपराधी जनता की हत्या के कारण भारतवर्ष में शासकों के साथ जा असहकारिता का आन्दोलन और उद्योग हो रहा है वह भी 'ज्ञान रहित दण्ड प्रयोग द्वारा शासन' फल का एक दृष्टांत है ।

। महाभारत अ० १४ में जो कहा है—'क्षत्रिय धर्म सब धर्मों में उत्कृष्ट और अविनाशी है' उसका अर्थ यह है कि क्षात्र शक्ति जबतक ज्ञान से नियंत्रित होती है तभी तक वह उत्कृष्ट और अविनाशक है ।

कर्मों में अवहलना करनेवाला होना से शिक्षा ही उसको अपने कर्मों में पुनः नियत कर सकती है। सुतरा समाज में नियन्त्रक शक्ति ज्ञान है जिसका आधार रूपक शब्द में ब्राह्मण । अतएव समाज में ज्ञान वितरण रूपी सेवा मतम सुख्य है । और उस सेवा रूप कर्म को जो अपना धर्म यान कर्त्तव्य समझता है और समाज पालन करता है, अथवा किसी क. रवाभाविक शक्ति क अनुसार जिन पर समाज न इस सेवा का भार दिया है यदि वह उसको निष्कपट भाव से बतल करता है, तो समाज सबको ही श्रेणियों में उसका आसन सबसे ऊँचा है । इसी विचार से भारती आर्य पुरुषों के समाज में ब्राह्मण वर्ण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।/

गणेश—आपने अभी मनुस्मृति के एक वचन का उद्धरण करके कहा था कि इस वचन में प्रजा-तन्त्र शासन पद्धति के सिद्धान्त का बोध होता है, और पहले भी आपने कहा था प्राचीन काल में राजा, प्रजा द्वारा चुना जाता था । इस पर मुझे कुछ पृथक्ता है क्योंकि रमणियों में इस बातका कुछ पता नहीं चलता । वर्तमान में भी यह बात दर्शन में नहीं आती ।

मागानन्द—पहिले हम इस 'सांसाजिक अधर्म' की उत्पत्ति पर विचार कर लेंत दो जिस अधर्म के कारण दश, ज्ञानि वा समाज दुर्दशाग्रत होजाता है और अन्त में उसका नाम और चिन्ह तक मिट जात है । तुम्हारे पठन के उत्तर में फिर जातीय उत्थान और पतन के आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर विचार करने की आवश्यकता न रह जायगी, बवल ऐतिहासिक दृष्टि में भारतीय आर्य गण्ट के उत्थान और पतन का वर्णन करना शप रह जायगा । समाज वर्णन करने में वेद, पुराण, स्मृति आदि ग्रन्थों का मयन करना पड़ेगा और उनमें इस विषय पर जो जो रूपक वर्णित है उनका अर्थ खोलना पड़ेगा । रूपक के युक्तिरिक्त अर्थ की सत्यता पर बात विवादास्पद होगी (क्योंकि पौराणिक रूपकों के अर्थ लगान की जली अभी तक निश्चित और स्वमान्य नहीं हो पाई है), इस कारण विषय इतना बढ जायगा कि तुम्हारे हमारे बीच का यह सवादगीता का अनुशीलन न होकर वह भारतीय आर्य गण्ट के उत्थान और पतन के इतिहास का अनुशीलन हो जायगा । अतः तुम्हारे इस पठन के तार में मुझे यही कहना है कि इस विषय को सम्प्रति के लिये रथगित रसों फिर अभी दर की चर्चा करेगा ।

‡ इसके दृष्टान्त गीताम और अच्युत योग महाभारत में राजा युधिष्ठिर है ।

इस काल में यह सम्मान शिक्तों को प्राप्त है ।

गणेश— महान अच्छा ।

मायानन्द—‘समाजसेवा की विस्मृति से अधर्म की उत्पत्ति और उस से बचने का उपाय’ विषयक महान विचारों में प्रवेश करने के पहले हम यह जताना चाहते हैं कि जन शिक्षा रूपी समाजसेवा अन्य श्रेणियों की समाजसेवा से तथा समाज के पालन में नियामिका है, तब शिक्षा रूपी समाजसेवा का अभाव वा दुरुपयोग ही किसी दल, जाति वा समाजके दुर्दशाग्रस्त होने में मूल कारण होगा । क्योंकि यह बात सबत सिद्ध है कि मार्ग प्रदर्शक की अज्ञानता वा अभाव-धानी से साथ क गात्रियों को भी भटकना पड़ता है ।

५ परिच्छेद ।

समाजसेवा की विस्मृति से अधर्म की उत्पत्ति और उससे बचने के उपायों पर विचार ।

मायानन्द—लोक समाज की स्थिति और उन्नति के लिये उस समाज के मनुष्यों को परस्पर मिलकर एक दूसरे की सहायता में जो नाना प्रकार के मानसिक और शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, उन परिश्रमसाध्य कर्मों के करने वालों को चार श्रेणियों में विभक्त करके, एक एक श्रेणी के हस्तगत कर्म पर जो विचार पहले प्रगट कर आये हैं, उससे तुम यह अच्छी तरह समझ गये होंगे कि यदि वे अपने अपने कर्मों को कर्तव्य-ज्ञान से और निरव्यर्थ भाव से करें तो समाज की स्थिति और उन्नति में किसी तरह का विघ्न न हो ।

जब कोई विघ्न नहीं होगा तो समाज के सभी मनुष्यों को सुख होगा, सुतरा सुतरा उन वालों को मिलेगा । अतएव सामाजिक मनुष्यों के जो अपने ‘स्व स्व कर्म’ हैं वे ही उनका लिये ही उपायों के हनु हैं ।

धर्म और अधर्म का पड़ना उन्नी रवाना में उठता है जहाँ दो अथवा उससे अधिक शक्यता पाणी है । कपना करे कि इस ब्रह्माण्ड में धर्म और अधर्म ।

कैतल तुमही अकेले हो, अन्य कोई दूसरा जीव नहीं है । ऐसी अवस्था में तुम अपने लिये धर्म और अधर्म की कल्पना क्या करोगे ?

गणेश—इस अवस्था में वही कर्म मरा धर्म होगा जिससे मेरा अस्तित्व बना रह ।

मायानन्द—अब यदि कोई दूसरा प्राणी उत्पन्न होके तुम्हारे पास पहुँच जाय, और तुम अपने लिये जो कर्म करना चाहो उसका करन म यदि उस प्राणी की स्थिति म वाया पहुँचे या पहुँचने की सम्भावना हो तो ?

गणेश—तो वह कर्म जो मेरा अकेले के लिये धर्म था अब इस दुकेले में अधर्म हो सकता है और जिस कर्म में दोनों की स्थिति म विन्न न हो वही कर्म दोनों के लिये धर्म होगा ।

मायानन्द—अर्थात् तुम्हारे जिस कर्म में उरकी स्थिति में सहायता पहुँचनी है, और उसके जिस कर्म में तुम्हारी स्थिति में सहायता होती है, वे कर्म धर्म होंगे और इनके विपरीत कर्म अधर्म । अतएव धर्मधर्म का विचार दो वा उससे अधिक प्राणियों के परस्पर अनुकूल वा प्रतिकूल व्यवहार में उत्पन्न होता है । नीति और अनिति का तत्व भी यही है ।

गणेश—मृत्यु है ।

मायानन्द—अब हमको यह इग्रना है कि किसी प्राणी के समाज सेवक अपने कर्त्तव्य कर्म के करन में अवहलता क्या करत है अथवा जब उस काम को करत है तो उसे अनुचित रीति में क्या करत है एवं अधर्म की उत्पत्ति का कारण क्या है ?

सबभावत जीव मात्र सुख के अभिलाषी और दुःख के द्वेषी होत है । पहिले संक्षेप में सुख का अर्थ 'मन और इन्द्रियाँ की प्रसन्नता' कह आये है ।

धख और आनन्द ।

इस शरीर में सुख का ज्ञान बुद्धि के द्वारा होत है और इस सुख के उत्पत्ति स्थान तीन हैं । (१) बाह्य विषयों के संबन्ध में इन्द्रियाँ की जिस प्रसन्नता को बुद्धि आनन्द करती है उसको ऐन्द्रिक वा इन्द्रियजन्य सुख कहते हैं । जैसे सुख के समय में घ्राणन्द्रिय को जो प्रसन्नता होती है उसका जो अनुभव बुद्धि को होता है वह इन्द्रियजन्य सुख है । (२) बाह्य आवात्मिक विषयों के संबन्ध में अहंकार

(मन) की जिस प्रसन्नता को बुद्धि अनुभव करती है उसको आभिमानिक वा आहंकारिक सुख कहते हैं। जैसे, किसी के सम्मान सूचक अथवा आदर सूचक अभ्यर्थना से, अथवा किसी प्रिय चिन्ता से अहंकार वृत्तिको जो प्रसन्नता होती है उसका जो अनुभव बुद्धि को होता है वह अहंकारजन्य है। (३) बाह्य सम्बन्ध शून्य अवस्था में मनकी जिस प्रसन्नता का अनुभव बुद्धि करती है उसका आत्मिक वा आत्मजन्य सुख कहते हैं। बाह्य सम्बन्ध-रहित सुख और इस बाह्य सम्बन्ध-रहित सुख का भेद ज्ञानान के लिये दर्शनकारों ने इस आत्मिक सुख का नाम "आनन्द" रखा है।

सुख और आनन्द में यह भेद है कि सुख का जो अनुभव है वह आरम्भ में प्रिय हो करके भी पीछे अप्रिय हो जाता है। जैसे मिठाई, खाते समय पहिले पहल तो वह बहुत प्रिय लगती है पर खाते खाते अप्रिय लगने लगती है, परन्तु आनन्द का जो अनुभव है उसका रूप आदि से अन्त तक एकसा रहता है। किसी बाह्य वस्तु में इसका दृष्टान्त नहीं है। भगवत् प्रेमी वा आत्मयोगी (आत्माराम) इस आनन्द को जानते हैं। सुख के अनुभव के समय अन्त कर्ण में कुछ चञ्चलता रहती है, किन्तु आनन्द के अनुभव के समय अन्त कर्ण में ज्ञान रहता है। अन्त कर्ण की इन दोनों विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान जिसको एकबार हो गया है उसको लिये सुख भी दुःख का ही रूप है। इस कारण दर्शनकारोंने आनन्द को ही पुरुषार्थ माना है।

किन्तु जिसे अभी तक अन्त कर्ण की ज्ञानता का अनुभव नहीं हो पाया है याने जिसने आनन्द का अनुभव नहीं किया है, वह बाह्य विषय श्रम और शान्ति। सम्बन्धी सुख की प्राप्ति में यत्न करता रहता है। यत्न मात्र क्रिया सापक्ष है, चाहे वह क्रिया मन-साध्य हो वा शरीर-साध्य हो। किसी उद्देश्य साधन के लिये यत्न सहित क्रिया को श्रम कहते हैं।

प्रकृति में जो श्रम देखा जाता है उसको दर्शनकार रजोगुण कहते हैं। यही रजोगुण जीवों में श्रमका जनक है। पहले कह आये हैं कि विराट्ब्रह्माण्ड में रजोगुण रूपी सृष्टिकारिणी शक्ति को तमोगुण रूपी स्वप्नकारिणी शक्ति जिस प्रकार पराभव करने को सदा उद्यत रहती है * वैसे ही इस शरीर रूप श्रुत ब्रह्माण्ड में तमोगुण, आलस्य रूप से रजोगुण जन्य श्रम का पराभव करने में सदा तत्पर रहता है। इसी कारण जीव मात्र को श्रम से थकावट प्राप्त होती है।

| अन्त कर्ण = चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार वृत्तियों का समन्वय है। किसी कारण से "मैं छपी" "मैं टूटी" हैं ऐसा जो भान अपने को होता है उसको 'अभिमान' कहते हैं। ऐसा अभिमान मुख्यतः अहंकार वृत्ति के कारण अन्त कर्ण में हुआ करता है।

| निष्काम कर्म इस अवस्था का वाक्य नहीं है। ❀ ४ था परिच्छेद देखिये।

श्रम का कार्य दो सुखी होता है । प्रयुक्त रथान में वह उद्देश्य का साधन करता है और अपने उत्पत्ति रथान में श्रान्ति को लाता है । शान्ति और दुःख । श्रान्ति भी दुःख का एक रूप है । जिग रजोगुण में चालित हो कर मनुष्य ने अपनी सुखसाधक सामग्री का उपार्जन किया था, मानो वही रजोगुण परिणाम में श्रान्ति रूप दुःख का भी उत्पन्न करने वाला हो गया ।

श्रान्ति रूप दुःख का प्रगट कारण जब किया हुई, तो क्रिया रहित होन पर यान निष्क्रियता में वह दुःख दूर हो सकता है । निष्क्रियता तमोगुण का लक्षण है और तमोगुण से भी एक प्रकार का दुःख दूर हो कर दूसरे प्रकार का सुख प्राप्त होता है, परन्तु तमोगुण जात केवल निष्क्रियतात्मक सुख से जीव का जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता, / इस कारण उस पुन रजोगुण के आश्रय में प्रियाशील होना पड़ता है । इन रजो और तमो गुणों के प्राप्त प्रतिपातो का जो सरकार मनुष्य के चित्त पर पड़ता जाता है वह अन्त को उसकी स्वार्थपरता का अर्थ ही जानता है ।

अधर्म की उत्पत्ति में कारण बढ़ने के लिये अर्थात् जैसा विचार किया गया उस से यही पाया गया कि यदि रजोगुण में चालित होकर यान सुख प्राप्ति के लक्ष्य से, समाज-सेवा अपना नियत कर्म करता रहा होगा तो उसको श्रम का दुःख अवश्य हुआ होगा । और इस दुःख का दूषण के लिये तमोगुण का आश्रय उसे लेना ही पडा होगा । मगर यदि किसी कारण से वह नियत कर्म का त्याग न कर सकेगा तो उस में वह अवहेलना करेगा या अनुचित रीति से उसका साधन करेगा । उसका ऐसा व्यवहार, समाज के हित के प्रतिकूल होन से, अधर्म में परिणत हो जायगा । इस बात को हम आगे और खुलाया करते हैं ।

शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का शरीरव्यवस्थाओं को जो श्रान्ति होती है, निद्रा रूप स्वाभाविक नियम द्वारा उसका अपनोदन (क्षय) होता रहता है । इस तरह शरीर में रजोगुण बात रूप से और तमोगुण कफ रूप से श्रम और श्रान्ति की दिन प्रति दिन सृष्टि और लय करते रहते हैं । परन्तु श्रान्ति का सरकार चिन्तन पड़ता जाता है, और जब वह सरकार प्रबल हो जाता है तो तमोगुण में क्रिया से विरति रूप अपसाद को प्रगट करके जीव को क्रिया से गत प्रियुक्त

/ बिना धंधे के बड़े बड़े कर्मों का निर्वाह नहीं हो सकता ।

कर देता है । उस तरह तमोगुण रजोगुण को परास्त करान में समर्थ हो जाता है । यदि परमात्मा की पालनी शक्ति सतोगुण शरीर में पित्त रूप में क्षुधा रूप अभाव को उत्पन्न न कर देव तो जीव तमोगुणजात निष्क्रियात्मक सुख को छोड़ कर पुन रजोगुण के आश्रय में यत्न सान्ध्य क्रियाओं को करने में चेष्टान्वित न होव । अतएव, समाज सचका को स्व स्व नियमित कर्म द्वारा समाज की सेवा में नियुक्त रखने के लिये शिक्षा रूपी सामाजिक शक्ति (जिसकी उत्पत्ति सतोगुण में है) जैसी नियत है, वैसे ही परमात्मा के नियम क्षुधा रूप से मनुष्यों को जीविका के लिये समाज की सेवा करान में प्रेरक है । और जैसा पीछे कह आये है कि समाज सेवकों की चार श्रेणियाँ सामाजिक नियमों के अनुकूल बर्ताव से समाज की उन्नति में साधिका होती हैं, वैसे ही परमात्मा के जिन नियमों में मनुष्य जाति में नित नई आवश्यकताएँ उत्पन्न हुआ करती हैं जिनकी उचित पूर्ति करने की शक्ति भी उनमें उत्पन्न हो जाया करती है, वे नियम समाज के अथ मनुष्यों के कार्यरत तत्पर होने में सहायक होते हैं ।

श्रुति कर्ता के इन स्वाभाविक नियमों पर विचार करने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि परमात्मा का यही अभिप्राय है कि मनुष्य सतोगुण के आश्रय में 'कर्म' करे । अब, वह 'कर्म' सिवाय 'मनुष्या की स्वाभाविक आवश्यकताओं के पूर्ण करने के यान समाज का दुःख दूर करने और सुखोन्नति करने के' और क्या होगा ।

आवश्यक वस्तुओं की अप्राप्ति ही दुःख है । जीत, भ्राम, वर्षा आदि स्वरूप से दुःखदायी नहीं कह जा सकत, क्योंकि जो मनुष्य अपने को मनुष्य में कम करान में लो न्त्रिक यत्नवा । उनसे बचा सकता है उगक लिये व दुःखदायी नहीं होत । हा, जो अपने को उनसे नहीं बचा सकता उसक लिये व दुःखदायी है । क्षुधा यदि दुःख रूपिणी होती तो बड़े आदमी क्षुधा-बटिका न खरीदत वा औषधालया में भूख बढ़ान की दवा न विकती होती । परन्तु जिसके घर में अन्न नहीं होता उसीको क्षुधा दुःखदायिनी होती है । अतएव दुःख से जीवों का द्वेष रहने से यही समझा जाता है कि प्रकृति जीवों को भ्रमशील और उद्यमशील होने को कहती है । इसी से अपनी आवश्यकताओं के पूरक कर्मों में मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धिवृत्ति का संचालन करत दुःख जान हैं । अब, इस व्यक्तिगत स्वाभाविक कर्म-प्रवृत्ति को समाज स्यापक्रमण लोकसेवा के लक्ष से, याने दुःख दूर होकर लोगों को सुरा मिले इस उद्देश से, किसी नियमित प्रणाली से चलाना चाहत है । उनकी यह नियमित प्रणाली ही समाज-सेवा रूप कर्मों की श्रेणियाँ हैं जिनका वर्णन हम पहिले कर आये हैं ।

समाज-सेवाको की श्रेणीगत समाज सेवा में परस्पर क श्रम का विनिमय समाज सेवाका जीवन निर्वाहोपयोगी द्रव्यों के द्वारा होना से उनमें परार्थ परना की समाज-सेवा का ज्ञान होना अतीव कठिन है। क्योंकि इसका मूल ही आजी-स्वार्थपर कियों विका है। श्रमक आदि म जीविका का प्रश्न है और श्रम की हो जाती है ? समाप्ति म जीविका प्राप्ति रूप उत्तर है। श्रमक आदि में स्वभाव श्रमकारी को बनाता है कि तुम जीविका क लिये यह श्रम करत हो, और श्रम क अन्त में, उस श्रम स जिसका उपकार हुआ उसमें, श्रमकारी को जब भरण-पोषणोपयोगी कुछ द्रव्य मिलता है तब उसे पुन अपनी जीविका की बात ही याद आती है। इसीमें वे स्वार्थ पर सुतंग दु गयी बन् रहत हैं। यही स्वार्थपरता **समाज-सेवा की विस्मृति का कारण है।** बिना उपयुक्त शिक्षा क मनुष्यों की परार्थपरता तथा नि स्वार्थ समाज सेवा वा सामाजिक कर्त्तव्यता का ज्ञान नहीं हो सकता।

जब तक मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, एक पदार्थ का विनिमय दूसर पदार्थ से ही हुआ करता था, तब तक इस स्वार्थ परता म इतना अधर्म से समाज का नाश । लोभ नहीं दिखाई दिया था जितना आज कल है, क्योंकि कोई भी किमी चीज को अधिक संख्या वा परिमाण में बहुत दिनों तक नहीं रखना चाहता था। कारण उस प्राचीन काल में विनिमय योग्य अन्नादि वस्तु ही लोगों का धन होना से, एमें धन को जमा करके रखने की प्रवृत्ति उनमें नहीं होती थी। क्योंकि अन्नादि वस्तु अधिक दिन रखनी रहने म खराब हो जाती है। किन्तु मुद्रा (रूपय पैसे) रखव रहन से खराब नहीं होता, इस कारण मुद्रा क प्रचलन क साथ साथ लोभ भी बढ़ता गया। कहावत प्रसिद्ध है कि लोभ ही पाप का मूल है। किन्तु केवल लोभ समाज का अनिष्ट कारण नहीं हो सकता यदि कर्त्ता में परार्थ परता तथा समाज सेवा का ज्ञान बना रहे। लोभ केवल कर्त्ता क ही आध्यात्मिक उन्नति का बाधक हो सकता है इस कारण वह

। आमेरिकन लोग उन के इतने लार्भा है कि उनका नाम "उनका उगासक" पड़ गया है। किन्तु वे ऐसे लोभी नहीं है कि दूसरों का अनिष्ट सा उन करके उन एकाद करतें हैं। वे नय नय उगास नयों से अपना कमान क लोभा है। उन कमाने क लाभ से वे समाज की आवश्यकताओं का दुर्बतें रहते है। समाज के लिय नई आवश्यकताओं का उद्भावन करत है। फिर जिन उपायों से उनकी पूर्ति करत है उन्ही उपायों क द्वारा न अपने लिय उन का उपाजन करत है। यद्यपि उनकी ऐसी धनोपाजन की प्रणाली लाभमूलक है तथापि उनके इस कारण से उनके देश की सुव्यवस्था ही होती जाती है। हा यदि न इसी प्रणाली को निष्काम रूप में देवे अर्थात् केवल समाज की सुव्यवस्था को ही अपना स्वार्थ वा उद्देश्य बनाल तो उनके सिवाय गांति भी इनको प्राप्त हो।

पाप है । परन्तु लोभ और स्वभाव सेवा की विस्मृति दोनों मिल कर उस अधर्म का रूप हो जाता है जिस अधर्म से समाज का नाश सम्भव होता है ।

यह तो तुम सुन चुके कि किन किन कारणों से सामाजिक अधर्मकी उत्पत्ति होती है अर्थात् समाज संचरण अपने कर्तव्य कर्मों में अवहेलना करते हैं वा अनुचित गति से उसका सम्पादन करते हैं जिससे समाज दुर्दशा ग्रस्त हो जाता है । अब उस उपाय को भी सुन लो जिससे न तो “श्रम जनित श्रान्ति का संस्कार चित्त में पड़े” और न सामाजिक अधर्म उत्पन्न हो ।

भगवान् ने देह की रचना क्षिति, अप, तेज, महन, व्योम और मन, बुद्धि एवं देह की रचना— अहंकार इन आठ तत्त्वों से की है । इन में से प्रथम पांच तत्त्व भ्रूण और ग्राहक देह के रथूल अवयवों के उपादान कारण हैं, और शेष तीन तत्त्व कारिक क्रिया । देह के शूक्ष्मांग के, जिस को अन्तःकरण कहते हैं, उपादान कारण है । जीवित प्राणी की देह में दो तरह की क्रियाएँ देखी जाती हैं । एक स्वाभाविक वा दैहिक (Involuntary or mechanical) दूसरी, आहंकारिक वा ऐच्छिक (Voluntary)

दैहिक क्रिया देह की स्थिति के लिये होती रहती है—यथा, अन्न का परिपाक रक्त का संचार श्वास प्रश्वास, निमयोन्मेष (पलक मार्गना), मलमूत्र विसर्जन आदि असंख्य आभ्यन्तरिक क्रियाएँ । इन क्रियाओं के जो फल बाहर प्रकाश होते हैं उनका ज्ञान हमको होता है । यथा, श्वास प्रश्वास, निमयोन्मेष, मल विसर्जनादि । और जिन क्रियाओं का फल तत्काल बाहर प्रकाश नहीं होता, यथा-अन्न का परिपाक, रक्त का संचार आदि, उनका ज्ञान भी हमको नहीं होता । दैहिक क्रियाओं का कर्ता जीवत्मा नहीं है क्योंकि उसकी इच्छा से वे निष्पन्न नहीं होते । इन क्रियाओं की कर्तृता तो प्रकृति ही है । इसलिए ये देह की स्वाभाविक क्रियाएँ हैं । देह की इन स्वाभाविक क्रियाओं से रथूल शरीर के अवयवों में जो श्रम होता है उसका सरकार चित्त पर नहीं पड़ता, क्योंकि मनको उस श्रम का बोध ही नहीं होता ।

पहिले कह आये हैं कि ‘प्रकृति में जो श्रम देखा जाता है उसको दर्शनकार रजोगुण कहते हैं और तमोगुण आलस्य रूप से रजोगुणजन्य श्रम को पराभव करने के लिए व्यरत रहना है’, अतएव, अब यह कहना पड़ता है कि देह की ये स्वाभाविक क्रियाएँ प्रकृतिजन्य होने से रजोगुण का ही कार्य हैं । अतः तमोगुण इनका बाधक अवश्य होता है और इन श्रम सम्बन्धी अवयवों में श्रान्ति लाता है । यह श्रान्ति निद्रा से मिल जाती है । किन्तु निद्राकाल में भी तो शरीर की स्थिति साधक सत्र क्रियाएँ चलती ही रहती हैं । तब क्रियाजनित श्रान्ति का दूर होना निष्क्रियता बिना कैसे सम्भव है ? यह शंका हो सकती है । अतः सुनो—

शरीर क उपादान पंच तत्त्वों मे क्षिति और अप् तत्त्वों पर, तेज और मरुत तत्त्वों की जो क्रिया । रजोगुण से होती रहती है वही देह की स्वाभाविक क्रिया है । इस स्वाभाविक क्रिया के कारण शरीर मे क्षिति और अप् का तथा तेज का भी जो अपचय (waste), रजोगुण के कार्य मे तमोगुण की बाधा (the nature of resistance in matter) से हुआ करता है उसको पूर्ण करने के लिये सतोगुण की सहायता से धुधा और पिपासा रूपी आवश्यकताओं का प्रकाश होता है । अतएव यह कहना पडता है कि स्थूल शरीर की स्वाभाविक क्रियाजन्य श्रान्ति का रूप क्षुत् पिपासा है, जिनका ज्ञाता मन है । क्षुत् पिपासा (भूख पिपास) रूपी यह श्रान्ति निष्क्रियता से दूर नहीं हो सकती परन्तु 'कर्म' से ही दूर होती है । वह कर्म जीविकार्जन की वृत्ति है याने समाज सेवा है ।

देह की इस स्वाभाविक क्रिया का उपयोग केवल देह की स्थिति और पालन के लिये है । जब देह की यह स्वाभाविक क्रिया देह की स्थिति और पालन के लिये ही है तब इस क्रिया को सतोगुण मूलक (अर्थात् सतोगुण की भूमिका पर रजोगुण इस क्रिया को केवल सम्पन्न करता है) कहना चाहिये, क्योंकि सतोगुण से ही स्थिति और पालन होता है ।

देह की स्वाभाविक क्रिया के विवेचन से यह जाना गया कि जिस क्रिया की भूमिका सतोगुण है और जिसका न हम कर्ता है और न ज्ञाता, उस क्रिया जनित श्रम का बोध हमको तत्काल नहीं हो सकता, सुतग मन भी उस से अवसाद ग्रस्त नहीं होता ।

| जब पेट में अन्न और जल नहीं रहता तब तेज पित्त रूप से और मरुत वायु रूप से शरीर के परमाणु और रस पर जो क्रिया करने लगता है उस पर से ही भूख और प्यास लगती है । उस समय पेट में अन्न और जल के पडने से उग पर तेज और मरुत अपनी क्रिया करने लग जाते हैं और उन जीव की भूख प्यास शान्त हो जाती है । यदि अन्न और जल पर तेज और मरुत की क्रिया करने का अवसर न मिले तो वे शरीर के परमाणुओं और रस को धस करते चले जाते हैं जिस से शरीर क्षीन होता जाता है । यदि जीव को लगातार भोजन करने को न मिले तो उसके शरीर पर तेज और मरुत के कार्य जारी रहने से ज्यों ज्यों वह शरीर से दुबला होता जायगा त्यों त्यों अन्न जल के अभाव से तेज और मरुत भी क्षीण होते जायग अर्थात् शरीर के चारों तत्व क्षीण होते जायेंगे और अन्त को तेल हीन बस्ती की तरह उनका जीवन प्रदीप बुझ जायगा । अभी हाल में इंग्लैण्ड के जेल में आयरलैंड का मेकसिनी नाम का एक व्यक्ति ७४ दिन निरहार रह कर इसी प्रकार से मर गया ।

केवल आहंकारिक क्रिया से मन अवसाद ग्रस्त कैसे होता है सो मुनो ।

मन के सहयोग से कर्मेन्द्रियों के द्वारा शरीर में, तथा मनकी देह की आहंकारिक क्रिया और उस से मनका अवसाद ग्रस्त होना । सकल्प-विकल्प-विकल्प-विकल्प शक्ति के द्वारा अन्तःकरण म जो क्रियाय होती है, उनको आहंकारिक क्रियाय कहते हैं । आहंकारिक क्रियाओं का नियमन व्यवसायात्मिका (निश्चय करने वाली) बुद्धि के आधीन है । इस कारण मन अपने को इन क्रियाओं का कर्ता मानता है । इसी से आहंकारिक कहे जाते हैं । खाना, पीना, चलना, फिरना आदि जितने प्रकार की बाह्य क्रियाये हैं सबको, अन्तःकरण शरीरग्रथ बाह्य अवयवों द्वारा, और बोलना आदि वाचनिक क्रियाओं को जिह्वा द्वारा, एवं विचार आदि मानसिक क्रियाओं को मस्तिष्क के द्वारा करता है । अन्तःकरण इन क्रियाओं को राग और द्वेष बश होकर करता है । इस कारण, इन क्रियाओं को देह की स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न श्रेणी की बतलाने के लिये ये आहंकारिक कही जाती हैं । आहंकारिक क्रियाओं के मूल म भी रजोगुण है । इन क्रियाओं से जो भ्रम तत्-अवयवों, पेशी और रनायु को होता है और उस से जो भ्रान्ति का अनुभव होता है, उसका सस्कार चित्त म पडता जाता है । भ्रान्ति तो निद्रा वा विश्राम से दूर हो जाती है किन्तु भ्रान्ति रूप दुःख का सरकार एकत्र होकर मन को अवसाद ग्रस्त कर देता है ।

आहंकारिक क्रियाजन्य भ्रान्ति, कर्ता को मात्रम होती है दूसरों को वह तबतक प्रत्यक्ष नहीं होती जबतक कि उसका परिणाम आलस्य वा निद्रा रूप से कर्ता म प्रगट न हो ।

रथूल शरीर और चित्त सत्ता के धनिष्ठ संबंध से अन्तःकरण के अहंकार तत्त्व में शरीर के लिये ममता (यह शरीर मेरा है ऐसा ज्ञानजन्य एक प्रकार की स्वाभाविक वृत्ति) बनी रहती है । इस ममत्व के कारण शारीरिक यावत् अभाव बुद्धितत्त्व में दुःख रूप से प्रतिभासित होने लगते हैं । इस दुःख का अभिमानी होकर अहंकार तत्त्व अपने को दुःखी मानता है । एवं, सुख से प्रीति और दुःख से द्वेष ऐसे स्वभाव के कारण वह, मन और बुद्धि की सहायता से उरा दुःख को दूर करने की चेष्टा करता है, जिस से आहंकारिक क्रियाओं का प्रकाश होने लगता है । अतएव, आहंकारिक क्रिया जब अहंकार तत्त्व के दुःख (तमोगुण मूलक अभावों) के दूर करने तथा सुख प्राप्ति के लिये होती है तब इस क्रिया को तमोगुण मूलक (अर्थात् तमोगुण की भूमिका पर रजोगुण इस क्रिया को सम्पन्न करता है) कहना चाहिये ।

देह की स्वाभाविक क्रिया के साथ अपर किसी देह का साक्षात् सम्बन्ध नहीं है, इस कारण देह की स्वाभाविक क्रिया में धर्माधर्म का कोई प्रश्न नहीं उठता । आहकारिक क्रिया, बिना बाह्य पदार्थ अथवा अन्य प्राणी के सम्बन्ध के निष्पन्न नहीं होती । इस कारण आहकारिक क्रिया में धर्माधर्म का विचार उठता है । आहकारिक क्रिया जब तमोगुण मूलक होती है तब उस से अधर्म की ही सम्भावना अधिक रहती है । क्योंकि, अदृष्ट कारण वश, चेष्टा मात्र से ही मनुष्य अपना दुःख दूर करने में समर्थ नहीं होता । चेष्टा कभी सफल कभी निष्फल होती है । सफल और विफल रूप ये दो घटनायें मन में सरूप विकल्पों को उत्पन्न करती हैं जिस से अन्तःकरण में कामना वा लोभ और द्वेष वा क्रोध वृत्तियों का उदय हो जाता है । अन्तःकरण की इस अवस्था में शारीरिक वा मानसिक जो कुछ कर्म किये जाते हैं, उन से जो श्रान्ति उत्पन्न होती है उसका स्वरूप बुद्धि में दुःख रूप से प्रतिभासित होता है । ऐसे एकत्रित दुःखके सस्कारसे मन अवसादग्रस्त हो जाता है ।

देह की स्वाभाविक और आहकारिक क्रियाओं के विवेचन से यह जाना जाता है कि स्वाभाविक क्रिया से अहंकार का सम्बन्ध न रहने की समाज-सेवकों के समाज-सेवा से चित्त में ममता उत्पन्न नहीं होती । ममता के अभाव से स्वार्थ-कैसे परार्थ पर परता भी उत्पन्न नहीं होती । आहकारिक क्रिया के साथ अहंकार हो सकती है । तत्त्व का पूर्ण सम्बन्ध रहने से उग में ममत्व ज्ञान बना ही रहता है जिसके कारण उग्रता बंध होता है और उस से वचन का पीछे स्वार्थ-परता उत्पन्न हो जाती है । स्वार्थ परता अधर्म का घर है । उग अधर्म से वचने का उपाय यह है कि हम जो कुछ कर्म करें उन के करने में, स्वाभाविक क्रिया में जो कारण मुख्य है उस को हम ग्रहण करें और आहकारिक क्रिया में जो कारण मुख्य है उसका हम त्याग करें ।

गणेश—स्वाभाविक और आहकारिक क्रियाओं का जैसा वर्णन आपने किया है उस से यही समझा गया कि इन क्रियाओं के जितने कारण हैं वे सब प्राकृतिक हैं । अतएव प्राकृतिक कारणों पर मनुष्य का ऐसा क्या अधिकार है कि वह मन माना उन में से किसी का ग्रहण और किसी का त्याग कर सके ।

मायानन्द—यह सत्य है कि सभी प्रकार की क्रिया प्रकृति मूलक है, और प्रकृति पर किसी का जोर नहीं । तथापि, प्रकृति के व्यक्तरूप जो सत्त्व, रज और तमोगुण हैं उन पर मनुष्य का अधिकार है, और इसी अधिकार के कारण मनुष्य में और अन्य प्राणियों में भिन्नता है । इन तीनों गुणों पर मनुष्य का अधिकार वही तक है जहां तक कि इनका सम्बन्ध उस के अन्तःकरण के साथ है ।

मनुष्य सतोगुण की वृद्धि करके तमोगुण को दबा सकता है, और तमोगुण को बढ़ाकर सतोगुण को दबा सकता है, एन अपनी इच्छानुसार रजोगुण से सतोगुण की भूमिका पर, अच्छा कर्म और तमोगुण की भूमिका पर बुरा कर्म कर सकता है। मनुष्य को ऐसा अधिकार रहन से ही वह धर्माधर्म, पाप पुण्य का फलभोगी ठहराया गया है।

अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य सती और तमोगुणों का, जोकि इन्द्रियों से अप्राप्य तास्विक वस्तु मात्र है, निगमन किस तरह कर सकता है, अर्थात् स्वाभाविक क्रिया में मुख्य कारण जो सतोगुण है उसका ग्रहण, और आह्लाकारिक क्रिया में जो मुख्य कारण तमोगुण है उगहा त्याग, मनुष्य स्वकर्म के सम्पादन में किस तरह कर सकता है ?

इसका उत्तर यह है—स्वाभाविक क्रिया देह की रक्षा के हेतु होने से प्रकृति का ऐसा कर्म परार्थ है। अतएव, हम भी यदि परार्थ की चिन्ता से सब कर्म करें तो हमारे अन्तःकरण में सतोगुण की वृद्धि होगी। आह्लाकारिक क्रियाएँ प्रधानतः अपन लिये ही की जाती हैं, यदि हम इन कर्मों को केवल स्वार्थ के बज हो कर ही न करते रहे तो हमारे अन्तःकरण में तमोगुण घटता जायेगा। प्राकृतिक नियम ऐसा है कि सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों में से जहा कोई भी एक गुण घट जाता है, तहा उसका प्रतिद्वंद्वी दूसरा गुण बढ़ जाता है, यथा—रज के घटने से तम (निष्क्रियता, आलस्य), तम के घटने से रज (क्रियाशीलता, उद्यम), सत्त्व के घटने से तम (अज्ञान, स्वार्थपरता), तम के घटने से रज (ज्ञान, परार्थपरता), बढ़ जाता है। ज्यों ज्यों हम स्वार्थ चिन्ता को छोड़ कर परार्थ की चिन्ता से कर्म करते जायेंगे, त्यों त्यों हमारा तमो गुण घट कर सतोगुण बढ़ता जायगा।

तमोगुण वृद्धि का अवसादक है याने मन को सकुचित, अवसन्न और विषादग्रस्त करने वाला है। और सतोगुण वृद्धि का प्रसादक है याने मन को प्रसारित, सतेज और प्रफुल्लित करने वाला है। सुतरा, ज्यों ज्यों सतोगुण की बाहुल्यता के कारण मन प्रफुल्लित होता जायगा त्यों त्यों तमोगुण अपनी न्यूनता के कारण रजोगुण को वाधा पहुँचाकर मन में शान्ति तथा क्लेश उत्पन्न न कर सकेगा।

इसका दृष्टान्त यह है कि जब हम किसी दूसरे के किसी दुःख को दूर करने के लिये शारीरिक वा मानसिक परिश्रम करते हैं, उस समय यदि हमें अपनी चिन्ता कुछ भी न हो तो इस श्रमजनित आनन्द का स्वरूप हमारा चित पर नहीं पड़ता। बरन एक प्रकारका सन्तोष वृद्धितत्त्व में प्रतिभासित होने लगता है।

पराया दुःख दूर करने के लिये जो चेष्टा हम में उत्पन्न होती है वह भी अहंकार और रजोगुण जन्य है, किन्तु उसकी भूमिका सतोगुण होने से तमोगुण अपनी शक्ति पूर्णतया प्रकाश नहीं कर सकता । तथापि, अहंकार के ससर्ग से तमोगुण कुछ शक्ति अवश्य प्रकाश करता है जिससे मन कुछ अवसादमरत हो ही जाता है । इसमें बचना साधारण गृहस्थ समाज-सेवकों के लिये कठिन है । उनके लिये इतना ही बस है कि वे अपने को सदा समाज का सेवक समझें और यह ध्यान में रखें कि उनका जीवन केवल समाज के ही लिये है । परन्तु जो इस ससारी दोषजन्य अवसाद से भी बचना चाहता है उस के लिये कर्तृत्वाभिमान और फलाशा का त्याग करना ही एक उपाय है, जिस की पूर्ण आलोचना श्री गीता के मंत्रों की व्याख्या के समय उपयुक्त अवसर पर की जायगी ।

अतएव, चित्तमें श्रमजनित श्रान्ति का सरकार न पड़ने देने का, और ऐसा सरकार, जिस से अधर्म की उत्पत्ति की सम्भावना रहती है, उरा से बचने का यही उपाय है कि ममता विहीन और स्वार्थ ज्ञान रहित होकर परार्थपरता एवं कर्तव्य ज्ञान की चिन्ता से परार्थ के लिये ही कर्म किया जावे । यह कर्म श्रीकृष्ण भगवान् के कहे हुए ४५ । ४६ व मंत्रों के अन्तर्गत “स्वे स्वे कर्मण्य भिरत” के स्व स्व कर्म है जिनका विचार इस समाज तत्व-सवाद में अब तक हम करते आये हैं, यह वार्त्ता तुम्हारी समझ में आ गई होगी ।

गणेश—मैं इस बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मनुष्य मात्र अपने अपने समाज का सेवक है और निस्वार्थ समाज सेवा अर्थात् परार्थपर होकर अपने वर्णानुसार कर्मों के करने से इन समाज सेवकों को धर्म होता है । समाज की सेवा से ही उनको अर्थ की प्राप्ति होती है जिसका उपभोग वे करते हैं । स्वार्थपर होकर अपने वर्णानुसार कर्मोंका अनुचित रीति से सम्पादन करना वा उनके सम्पादन में अवहेलना करना अधर्म है और उसका फल जो दुःख है सो उनको भोगना पड़ता है ।

मायानन्द—बहुत अच्छा । अब आगे, गीतानुशीलन के विषयानुसार हमको उन्नतिशील पाश्चात्य समाजों के सेवक गणों की समाज सेवा के साथ वर्तमान भारतीय-समाज-सेवक गणों की (भारतवासियों की) समाज-सेवा की तुलना करते हुए यह देखना है कि उनकी समाज-सेवा निष्काम है वा सकाम, और श्रीगीता का उपदेश उनके लिये कैसा आकश्यक है । और फिर आगे चल कर हमको इस बात पर विशेष रूप से विचार करना होगा कि “स्व स्व कर्म” से भगवान का अभिप्राय वर्णों के कर्मों से है अथवा मेरा कहा हुआ समाज के अनुकूल जीविका निर्वाह योग्य किसी भी कर्म से है ?

गणेश—आपका विश्राम करने का समय आगया इस कारण सकोच होता है कि कुछ प्रश्न करू वा नहीं ।

मायानन्द—यदि कोई शका हो तो अवश्य पूछो । यदि सक्षिप्त उत्तर से उमका समाधान हो सकता है समझूंगा तो तुम्हारा प्रश्न का उत्तर भी दूंगा ।

गणेश—जो आज्ञा । आपने ४ थे परिच्छेद के अन्त में कहा था कि सामाजिक अधर्म के कारण देश, जाति वा समाज दुर्दशाग्रस्त हो जाता है और अन्त में उसके नाम और चिन्ह तरु मिट जाते हैं । अधर्म की उत्पत्ति का वर्णन जैसा आपने किया उससे मैं यह समझ गया कि किसी भी समाज के पनुष्यों की रवार्थपरता के कारण वह समाज दुर्ग्वस्थापन्न हो जाता है । परन्तु यह मैं नहीं समझा कि अन्त में उसके नाम और चिन्ह तरु का मिट जाना कैसे संभव होता है ? मैं यह भी जानना चाहता हू कि इस अंत की परिस्थिति अथवा लक्षण क्या है ।

मायानन्द—देश, भेष, भाषा, धर्म (उपासनापद्धति religion), देशाचार (customs), सामाजिक रीतिया (rituals and conventionalities) और पौराणिक विश्वास (traditions and beliefs) इन्हीं से भिन्न भिन्न मनुष्य समाजों की भिन्नता प्रकाशित होती है । जिन कारणों से जो समाज दूसरों से भिन्न जाना जाता है वे ही कारण उमके भिन्नता के लक्षण हैं । किसी समाज राष्ट्र वा जाति की भिन्नता, व्यक्तित्ता (individuality or personality) के ये लक्षण यदि लोप हो जाय तो मानो उस समाज का ही लोप हो गया, चाहे उस समाज के मनुष्यों का अस्तित्त्व भले ही बना रहे । लोगों की रवार्थपरता के कारण ज्यों ज्यों सामाजिक अधर्म की वृद्धि होती जाती है और उससे लोग ज्यो ज्यो दुर्ग्वस्थापन्न ✽ होते जाते हैं त्यों त्यों लोगो की रवार्थपरता अधिक तर बढ़ती जाती है । अन्त में लोग अपने समाज के सब लक्षणो को त्याग करके अन्य किसी सौभाग्यशाली समाज के (जिसके अधीन वे उस समय रहते हो) लक्षणो को ग्रहण करने लगजाते † हैं । इस तरह जब पूर्ण परिवर्तन हो जाता है तब उस दुर्ग्वस्थाग्रस्त समाज का नाम और चिन्ह मिट जाता है चाहे लोगों की वैपयिक अवस्था इस परिवर्तन से अच्छी भी होगई हो । इस विषय में यदि और अधिक बातें जानना चाहो तो भूतपूर्व जातियों (extinct races and nations) के इतिहास का अनुशीलन करना होगा ।

✽ पराधीन [३ रा परिच्छेद देखो] । † इसका कारण जानने के लिये 'सामाजिक मनस्तत्व' विज्ञान का अध्ययन करना चाहिये । | ब्रिटेनके सेल अथवा केल्ड जाति अब वृद्धिमा जाति होगई है । अमेरिका की एक असभ्य जाति स्पेनिस जाति की अधीनता में स्पेनियर्ड होगई है ।

इस समय हम इतना ओर कह कर इस प्रसंग को समाप्त करते हैं कि विद्या और अविद्या, धर्म और अधर्म, सुख और दुःख, सुअवस्था और दुःखस्था का पर्याय क्रम से परिवर्तन होता रहता है, अर्थात् विद्या के अनन्तर अविद्या और अविद्या के अनन्तर विद्या, धर्म के अनन्तर अधर्म और अधर्म के अनन्तर धर्म, सुख के अनन्तर दुःख और दुःख के अनन्तर सुख, सुअवस्था के अनन्तर दुःखस्था और दुःखस्था के अनन्तर सुअवस्था—ऐसे इन परिवर्तनों के अधीन सभी मनुष्य समाज हैं। इन में जो अप्रिय परिवर्तन है उनके आघात से जो समाज अपने भिन्नता ज्ञापक लक्षणों (identity) को खो नहीं देता वही समाज धन्य है, क्योंकि जब तक जातीयता (nationality) उस में है तब तक उस में जातीय जीवन भी है। अतएव जो समाज जीवित है उसको किसी काल में पुन विद्या, धर्म, सुख और सुअवस्था की प्राप्ति होना सम्भव है। जैसे, कोई रोगी केसा ही ककालमार (अस्थि-पंजर मात्र) क्यों न हो, जिन्दा है तो पुन उसके शरीर पर मांस चढ़ सकता है।

यदि तुम भारतीय आर्य जातिके उत्थान और पतनके कारणोंका अनुसन्धान करनेके लिये वैदिक कालसे आज तक इस जाति पर होने वाले आघातों-प्रत्याघातों पर विचार करोगे तो देखोगे कि विद्या और अविद्या, धर्म और अधर्म, सुख और दुःख एवं सुअवस्था और दुःखस्था रूप परिवर्तनों के नात-प्रतिवर्तोंसे विचलित होने पर भी यह जाति अपने जातीय लक्षणोंमें से देश, दशाचार, सामाजिक नीतिया और पौराणिक विश्वास नामक चार लक्षणोंको न छोड़नेसे ही अत्र तक जीवित है। यद्यपि इन लक्षणों पर (दश नामक लक्षण को छोड़ कर) बहुतोंका आक्षेप है, और एक प्रकारसे यह भिन्न भी नहीं है, तथापि केवल पूर्वजोंके स्वीकृत इन लक्षणों के आश्रयसे ही यह जीवित बनी हुई है। जब यह जाति जीवित है याने इसका नाम और चिन्ह बना है तब विद्या और धर्मके सहारे इसका पुनरुत्थान भी सम्भव है, और ऐसी सभावनाका सूत्र पात तबरो हो चुका है जबसे इस देशके लोग पुन अपनी भूत तथा वर्तमान दशाको देखने सुनने तथा सोचने समझने लगे हैं।

| कुमारी श्वर [Miss Schreiner] लिखती है—“दक्षिण-अफ्रिकानी कुछ बर जाति के लोग, कोई २०० वर्ष पूर्व अपने देश उत्तमार्कसे आकर आफ्रिकाकी एक अशुभ जाति के साथ रहने लगे थे, पर ये अपने देशके रिवाज रसमोंको आज तक इस प्रकार पकड़ हुए हैं जैसे नदीमें रहता हुआ आदमी किसी आश्रयको धरि रहता है। यदि वे अपने देशकी स्थिति इस प्रकार से बनाय न रात तो अपने देशके सम्बन्धमें कुछ कर कभी के इन अशुभ हवसी जातिके साथ मिलगये होते। अतएव अपने पूर्वजोंका अनुकरण करना इस जातिकी परिस्थितिके अनुसार कल्याण कारक हुआ है। इस प्रकार की अवस्थामें पह कर युरोपकी अच्छी १ जातियां अपनी २ जातीयताको खो बठी है।” (Social psychology)।

६ परिच्छेद ।

वर्तमान सभ्य समाजों की दशा का चित्र

अर्थान

पाश्चात्य समाज-सेवकों की कर्त्तव्यपरायणताके साथ भारतीय समाज-सेवकों की कर्त्तव्यपरायणता की तुलना और उनकी समाज-सेवा निष्काम है वा स काम इस बातका दिग्दर्शन ।

मायानन्द—वर्तमान किराी भी स्वतंत्र पाश्चात्य सभ्य समाजके भ्रम विभाग पर दृष्टि डालनेमें यह देखनेमें आता है कि रक्षा-श्रेणीमें केवल राजाको छोड़ (जिस दशमें राजा हो) और किसीमें भ्रम विभागकी व्यवस्था वशानुगत नहीं है, जैसे कि भारतवर्षीय आर्य जातिमें श्रेणीगत श्रमकी व्यवस्था वर्ण धर्म रूपसे वशानुगत है । पाश्चात्य देशोंमें सामाजिक भ्रमके विभाग अपने अपने भ्रमके गुणानुसार भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, यथा—राजा, मैनिफ, व्यापारी, लोहार, बटुई, पुरोहित आदि । इनके (केवल राजाको छोड़) वशानुगत होने का न होनेके लिये विधि-निषेधात्मक कोई शास्त्रीय शासन नहीं है । भारतवर्षमें सामाजिक भ्रमके जो चार मुख्य विभाग हैं वे वर्णोंके इन नामोंसे, यथा—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, विख्यात हैं । और भ्रमके इन विभागोंमें जो उपविभाग हैं वे, यद्यपि पाश्चात्य देशोंके समान ही अपने अपने भ्रमके गुणानुसार नामोंसे ही पुकारे जाते हैं तथापि वे वशानुगत होकर जाति वाचक हो गये हैं । जैसे, पुनार, लोहार, बटुई आदि । पाश्चात्य देशोंमें सामाजिक भ्रमका विभाग लोगोंके लिये समाज विहित जीविका मात्र है, जातिसे उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है । परन्तु भारतवर्षमें उन्हीं समाज विहित जीविकाओंसे, स्वाभाविक लक्षणयुक्त जातिके अतिरिक्त, अनेकों भई नई जानियां उत्पन्न होगई हैं । स्वाभाविक लक्षणयुक्त जातिभेद, देश और भाषाभेदसे जैसा भारतवर्षमें है वैसा ही वह पृथ्वीके और और बड़े बड़े देशोंमें भी है । परन्तु जीविकाके भेदसे जातिभेद विचार केवल भारतवर्षका ही देशाचार है । /

† पाश्चात्य यूरोपीयनोंमें भी एक प्रकार का जाति-विचार है जिसका मूल धर्म और पदकी मर्यादा है । इस प्रकार का जाति-भेद धनी और दरिद्रमें, उच्च और निम्न वर्णोंमें, पतिवित और सामान्य पुरुषोंमें है ।

/ यथाधर्ममें जाति विचार केवल सुसुसमानों में नहीं है । अशुद्धता, कर्मक जाति विचार किसी व किसी रूपमें पाया जाता है ।

पठितभी समाजक लोग अपना अपना गुण, सामर्थ्य तथा रुचिके अनुसार जीविकाके लिये किराई माला (जर्मन) लग जात है । जो लोग श्रमशील, वैज्ञानिक, साहित्यिक वा सांख्यिक गतन गैरक किराई क यहा, या किसी कारखानेमें श्रम प्रोत्साहक गहन शारीरिक श्रमसाध्य कर्म करते हैं वे बनिहार होते जाते हैं । और जिनके शारीरिक श्रमसाध्य कर्ममें श्रम प्रोत्साहकी आवश्यकता नहीं है वे अपना अपना श्रम प्रोत्साहक नारते पुनार जाते हैं । मजदूरके और श्रम जो दान नहीं पुर्याम होत है, और जो लोग इनके लिये शारीरिक परिश्रमसाध्य कर्ममें जीविका नहीं करते, उनको अपनेसे नीचा समझते हैं । ये लोग अब चाहत उन अपना काम छोड़ कर घर बैठ जाते हैं । इनकी यह समझ है कि हम सब अपना लिये ही मजदूरी करते हैं । यदि शरीर पोषणकी आवश्यकता सही व्यापि उनको पीठ न होगी वह तो ये लोग मजदूरी कभी न कर । काम करनके समय जरा तक उनसे दनता है 'कामचोरी' करत है । इस लिये इनसे काम लेनेवालोंको या तो इनके निर पर सवार रहना पडता है या इनसे ठेकेमें काम मगाना पडता है । राजा साधारण राज-नियमम इनको काम करनेके लिये बाध्य रही कर सकते जब तक उनको किसीका काम करनेका टका न ले लिया हो । परन्तु उगत-नियन्ताने समाजक बरधणार्थ मानों इनसे इकारनामा लिखा ही लिया है, उसीसे जब दग पर भूख रूप दण्ड पडने लगता है तब ये फिर काम करने को दौड़त है ।।

बनिहार जो कामचोर होता है उसको लोग पारमं लगाना नहीं चाहते । इससे वा अन्य कारणोंसे जिनकी रोजी नहीं लगती व भीरु माग कर वा अन्य किसी सुर उपायस प्त पालन लगत है । उनका भीख मागना और दुर्ग कर्म करना बंद करनेके लिये राजा दण्डका, और धर्मयाजकरण भगवानके भय युक्त धर्म-शिक्षाका प्रचार करत रहते हैं, परन्तु जब तक उनके साथ पेट लगा है तब तक इन उपायोंकी आजानुरूप फल नहीं मिल सकता ।

भारतवर्षमें भी राजदुर्गका ऐसा ही हाल है, परन्तु विशेषता यह है कि यहा भीख मांगनेवालोंको राज दण्ड नहीं मिलता । जानि-बिखारके रहने (उच्च वर्ण

१. मजदूरोंकी यह प्रकृति दृश्य कर कारखानोंके मानिक लोग इनकी संसारिक परिस्थिति की जाने इनकी उच्च व्यवस्थाके बनानेका विचार कर रहे हैं जिससे ये उद्योग स्वच्छताके लोभसे इकार करत करे सथावु भविष्यत् के लिये कर्मका संभव करना सीखे ।

निम्नवर्ण द्वारा सन्मानकी दृष्टिसे, और निम्नवर्ण उच्चवर्ण द्वारा हेयताकी दृष्टिसे देखे जाने) पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गोंमेंसे जिग लोगोंको अपने दोगरे वा दरिद्रावस्थाके कारण यदि ऐसी शत्रोच्चिन श्रममात्र जीविका उठानी पडनी है तो उनको भी अच्छी अवस्थावालोकी दृष्टिम हीन होना पडता है, जिगम उनका मन लगाकर श्रम करनेका उत्साह जाता रहना है और अन्तम वही कामचोर हो जाने ह ।

इन दिनों बड़े बड़े कारखानोंमें मजदूरोंके नैतिक सुधारके लिये पाठशालाओंकी योजना हो रही है साथ ही उनही सन्मानकी शिक्षाके लिए शाटकी ओरसे निष्पक्ष प्राथमिक शिक्षाकी व्यवस्था हो रही है । परन्तु अन्तम इन श्रमजीवियोंको ऐसी शिक्षान की जायगी कि 'जिस देशमें व रहने हैं उग देशका मनुय-समाज परमात्मा का रूप है, और जिराका काम वे अभी कर रहे ह वे हग समाज लपी परमात्माको उनकी सेवा पहुँचानेके लया उनको जीविका दिलानेके निमित्त है—अताम, प्रेमक साथ एव मत लगाकर काम करना ही उनका धर्म है । अर्थकी चिन्तासे समाज-भगवानकी सेवा नहीं करना चाहिये, अर्थ तो उनकी सेवाके निमित्तमे आप ही उनको प्राप्त होगा' श्रीगीतारी ऐसी शिक्षा जवतक श्रमजीवियोंको न दी जायगी तत्रतक इनकी 'कामचोरी' दूर न होगी । और जबतक अच्छी अवस्थावालोमे एव ब्राह्मण, क्षत्री वैश्य आदि उच्च जातिवा अभिमान कानेवालोमे ये समानताकी दृष्टिसे न देखे जायगे तत्रतक अपन काममे इनको उत्साह न दया । उत्साहके बिना किसी भी काममें मत नहीं लग सकता और न जोई काम सही लगनेसे किया जा सकता है ।

प्रेमकी भावनासे उत्साहित होकर जो काम किया जाता है उस से काम करने वाले को श्रम का कष्ट नहीं जान पडता, और घनन देने वाले को भी उगसे प्रसन्नता होनी है । इस प्रकार जीविका के एक सामान्य धर्मस भी पुण्य का उदय होता है ।

जो लोग किसीके लिये वा किसी कारखाने मे वा किसी सरकारी दफतर म लिखने-पढने तथा डिग्राय रखने का काम करत मणीजीवी है वे वर्तमान कालम छाक, मुर्गरि, लिग व नवीस,

| हम जानकी सत्यता आगकजली से—पमिधिया के स्वयसेवकों क एा दगिनी दश सेवक संताथोंके कठिन पश्चिममाध्य कर्मसे विरित दाती है ।

मुन्शी, मुनीम, गुमारता आदि नौकरी पेशावाले मशीजीवी कहलाते हैं। ये अपने भरण-पोषण के निमित्त ही नौकरी करते हैं। यदि भरण-पोषण की चिन्ता इन्हें न हो तो ये भी नौकरी न करें। नौकरी-पेशावालों की गृहस्थी की व्यवस्था भ्रमजीवियों की गृहस्थी से उन्नत होने के कारण, एवं लोगों में इनका सम्मान भी है यह ज्ञानकर, और इस ज्ञान से भी कि उनकी ऐसी नौकरी जहा तहा अब षाहे नव नहीं मिल सकती, और ये रवयम् भी कुछ लिखे पढ़े होने के कारण भविष्यत के विचार से इनमें अपनी अपनी नौकरी निवाहने का ज्ञान मजदूर पेशावालों में अधिक रहना है। परन्तु अपने मनमें ये भी नौकरी को एक बोझसा ही समझते हैं। जिनकी नौकरी ये करते हैं बहुधा उनकी भलाई की चिन्ता ये नहीं करते। इन नौकरी पेशावालों में से जिनकी नौकरी में सरासरी जनता के साथ व्यवहार रहता है याने जिनका काम निवाहने के लिये इनकी नौकरी है, उनको तो ये कभी अपने मालिक ही नहीं समझते। अपने अफसर को या जिससे नौकरी मिलनी है उसको ये अपना मालिक समझते हैं। परन्तु जिनके लिये उनकी यह नौकरी है उनके आराम की परवाह इनको कुछ भी नहीं होती। यदि कहीं किसी में ऐसी परवाह देखने में आती है तो वह इनका स्वाभाविक भ्रमजनता से है अथवा अपने मालिक या अफसर के डरसे है, कुछ समाज की सेवा के ज्ञान से नहीं है।

ऊपर मशीजीवियों का जो वर्णन किया गया है वह हिन्दुस्थान के मशीजीवियों को पूर्णतया लागू होता है। पाश्चात्य देशों के मशीजीवियों की नैतिक-अवस्था इतने अच्छी है। हिन्दुस्थान में प्राचीन काल में राष्ट्रीय नौकरियों को छोड़ कर अन्य नौकरियों की इतनी भरभार नहीं जितनी कि वर्तमान काल में है। और इसी नौकरी पेशा के अर्थ अंगरेजी राज में शिक्षा का भी प्रचार पहले से बहुत अधिक हुआ है। पुराणों से वा स्मृतियों से इस नौकरी पेशा का पता नहीं लगता, तथापि ऐसा अनुमान होता है कि अपने अपने वर्णों में नौकरी-पेशा उसी उसी वर्ण के लोग करते रहे होंगे। और व्यापार एवं शिल्पकला की परिस्थिति भिन्न प्रकार की रहने से नौकरी की संख्या भी कम रही होगी। परन्तु इस काल में वैदेशिक शिल्प-व्यापार की वृद्धि के कारण एवं प्रसरणशील राज्य प्रबन्ध के कारण नौकरियों की संख्या अधिक होने से एवं लोगों की पूर्व परिस्थिति के बदल जाने से चारों वर्णों के लोग नौकरी-पेशावाले हो गये हैं।

। इस विषय पर जिनको पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करना हो वे किसकी बकतुताओं का अध्ययन करें और Wealth of India नामक मानिक पत्रमें (जो २५ वर्ष पूर्व कलकत्ते से प्रकाशित होता था) India's poverty & its-remedy नामके प्रबंध को पढ़ें ।

समाज-सेवा के इस विभाग में काम करनेवाले, थोड़े बहुत विद्वान होने से धर्म और अधर्म के प्रचलित रूप को जान सकते हैं, परन्तु इस बात को ये नहीं जानते कि जिस नौकरी से उनकी जीविका का निर्वह होता है उसमें भी धर्म और मोक्ष का बीज पड़ा हुआ है। अपने को समाज रूपी भगवान का सेवक समझ स्वार्थ रहित होकर प्रेम से यदि वे अपने उस नौकरी के काम को करें तो उसी से उनको धर्म और मोक्ष भी मिल सकती है, जैसा कि हम समय उन्हें केवल अर्थ और काम (भोग) मिल रहे हैं।

यज्ञद्वारी पेशा वाले तो प्रायः अपक्व मनुष्य होते हैं। उनकी गीता का ज्ञान जबतक कोई दूसरा न बतलावे तबतक वे उसका मनन और अभ्यास नहीं कर सकते। परन्तु नौकरी-पेशावाले लिखे-पढ़े होने से श्रीकृष्ण भगवान कथित गीता के उपदेशों को वे स्वयम् पढ़कर उनका मनन और अभ्यास कर सकते हैं। श्रीगीता की शिक्षाओं के मनन से उनको Public (समाज) Public service (समाज-सेवा) एवं I have the honor to be, sir, your most obedient servant के यथाार्थ रूप और अर्थ का ज्ञान हो जायगा, जिनके अपूर्ण वा यत्किञ्चिन् (अल्प) ज्ञान से ही युरोप, एमेरिका, जापान आदि क निवासी धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में पृथ्वी पर श्रेष्ठ जाति हो रहे हैं। अतः ही मोक्ष के लिए इनको भी गीता-ज्ञान की आवश्यकता है।

नारायण ने मनुष्यों के भरण-मोषण, लौकिक सुख और रोगों की शांति के लिये आवश्यक सामग्री का उपादान अमिन रूप से भूगर्भ, भूपृष्ठ, शि-पजीवी। जलाशय और वायुमंडल में संचित कर रखा है। और वही नारायण आवश्यकताओं (Natural wants) के द्वारा, इन संचित पदार्थों का संग्रह करने में और उनको व्यवहार में लाने के लिये मनुष्य हृदय को प्रेरित करता

☞ इस अंग्रेजी वाक्य का अर्थ है—“ हे महाशय ! मैं आपका अतिशय आभारकारी होने में अपने को सम्भावित समझता हूँ ” सरकार से जो पत्र समाज के किसी व्यक्ति को लिखा जाता है उसके उपसंहार में यह वाक्य लिख कर हस्तक्षर करने की रीति है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार तथा व्यक्ति मात्र समाज के सेवक हैं। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का न मालिक है और न सेवक, वे परस्पर एक दूसरे का सहकारी हैं। केवल समाज ही सबका मालिक है। इस समाज के यथाार्थ रूपको जो व्यक्ति ज्ञाननेत्र से देख सकता है उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है।

है, इसीसे पुराणकार ऋषियों ने नागायण को क्षीर सागरवासी वा क्षीरोद समुद्रशायी कहा है । जो लोग नागायण के इस आवश्यकता रूप संकेत के अनुसार उत्साहित होकर मनुष्य जाति के रवाभाषिक अभावों को एवं कृत्रिम आवश्यकताओं को दूर करने के लिये धनसे, बुद्धिसे और शरीर से यत्न करते हैं वे ही परमात्मा की दृष्टि में सच्चे वैश्य हैं; याने समाज के पोषण रूपी श्रम विभाग के सच्चे कारिन्दे हैं, और उन्हीं की नागायण की अर्द्धांगिनी देवी लक्ष्मी भी अपना आश्रय देती है, अर्थात् उन्हीं को सुख-सौभाग्य प्राप्त होता है ।

इस पोषण रूप सामाजिक श्रम विभाग में चार मुख्य विभाग हैं जिनके अन्तर्गत अनेक उपविभाग हैं । वे चार मुख्य विभाग ये हैं, यथा—

- (१) सभाहक—जो कच्चे मालका संप्रद करने हैं ।
 - (२) कारक (जिल्पी) जो रागहीन रत्ने माल से व्यवहारोपयोगी वस्तुओं तैयार करते हैं ।
 - (३) व्यापारी—जो कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं ।
 - (४) वाहक—जो कच्चा तथा पक्का माल एक स्थान से अन्य स्थान को ले जाते हैं ।
- (१) संपादन—(क) जो लोग कृषि क्रम द्वारा अन्न का और रुई आदि सच्चे मालका संप्रद करते हैं वे कृषक कहाते हैं,
- (ख) जो पालन पशु जाति से आहार्य और व्यवहार्य यथा—घृत, ऊन आदि वस्तुओं का संप्रद करते हैं वे पशुपालक कहाते हैं,
- (ग) जो जल जन्तुओं से आहार्य और व्यवहार्य सामग्री का संप्रद करते हैं वे मत्स्य कहाते हैं,
- (घ) जो तमचर पक्षियों से और वनचर जन्तुओं से आहार्य और व्यवहार्य सामग्री संप्रद करते हैं वे व्याधा (व्याध) कहाते हैं,

(च) जो भूगर्भ से वातु, तेल, क्रोयला, आदि व्यवहारिक पदार्थों को निकालते हैं वे खनिक कहाते हैं,

(छ) जो समुद्रगर्भ से मोती, मूगा, क्रौडी आदि व्यवहार्य वस्तुओं का संग्रह करते हैं वे लुब्धीमार कहाते हैं, इत्यादि, ये सब सम्राज्य विभाग के उप विभाग हैं।

इस विभाग में कर्म करने वाले भी अपने-अपने कर्मा को जीविका के लिये ही करते हैं, समाज सेवा के ज्ञान से निष्काम होकर नहीं करते।

(२) कारक- (क) जो लोग रूई, पशुलोम वा तन्तुओं से कपड़े बुनते हैं, उनकी तन्तुवाय (जुलाह) कहते हैं,

(ख) जो लोग तिल, सरसों आदि तिलहन बीज से तेल निकालते हैं वे तैली कहाते हैं,

(ग) जो लोग लोहा नामक धातु से लोहे का सामान बनाते हैं वे लोहार कहाते हैं,

(घ) जो लोग खनिज धातु नामा, मीसा आदि से मिश्र धातु बनाते हैं, और तामा, एवं पीतल, कासा आदि प्ररतुत धातुओं से बर्तन बनाते हैं वे अपने-अपने कारके अनुसार तमरे, कसेर, कहाते हैं;

(च) जो लोग सोने चादी से गहने आदि वस्तुएँ बनाते हैं वे सुनार कहाते हैं,

(छ) जो लोग लकड़ी का सामान बनाते हैं वे बढ़ई कहाते हैं,

(ज) जो लोग मिट्टी से बर्तन, ईंट आदि का सामान बनाते हैं वे कुम्हार कहाते हैं,

(झ) जो लोग पत्थर की वस्तुएँ बनाते हैं वा पत्थर से कोई इमांगनी सामान गढ़ते हैं वे लहिया कहाते हैं,

(झ) जो लोग कच्चे चमड़े को पकाते हैं वे चमार कहाते हैं और जो पक्के चमड़े से जूता आदि चमड़े का सामान बनाते हैं वे मोची कहाते हैं।

जैसे अनकों उपविभाग इस कारक विभाग में अन्तर्गत हैं । कारक विभाग के उपविभागों का अन्त नहीं है । मनुष्यों के बुद्धिफौजल और योग से कारक के उपविभाग दिनों दिन पाश्चात्य देशों में बढ़त चले जा रहे हैं । इस विभाग में काम करने वाले को एक न एक शिल्पकला के ज्ञानकी आवश्यकता है । अन्य देशों में वे लोग अपने अपने शिल्प-कर्म के अनुरूप नामों से पुकार जाते हैं, परन्तु भारतवर्ष में इन नामों में अनक नाम जातिवाचक हो गये हैं । जीविका के उपायों की संख्या अमर्यादित है, अतः जीविका के उपाय मान यदि जानि माने जाय और उनमें परस्पर जाति-विचारों के द्योप हो तो ऐसे लोगों की भ्रमदशन रूपी आध्यात्मिक उन्नति दुःसाध्य है, चाहे धर्म के नैतिक अंगों का कैसा ही अधिक पालन करने वाले वे क्यों न हों । ।

इस विभाग में काम करने वाले भी जीविका के लिये ही कर्म करते हैं कदाचित् ही किसी को समाज-सेवा का ज्ञान रहता है । कन्वित ही कोई स्वार्थ-भावना रहित होकर समाज के लोगों का सुख बढ़ाने में उद्देश्य को मुख्य ध्येय बना कर किसी शिल्प कर्म को खड़ा करता है अतएव, इनके लिये भी श्री गीता के उपदेशों की बड़ी आवश्यकता है ।

(३) व्यापारी—इस विभाग में कई उपविभाग हैं । अपनी अपनी बुद्धि, विद्या और धन बल के अनुसार कोई व्यापारी देश देशान्तरों में कच्चा, परका माल खरीद कर देश देशान्तरों में थोक बन्दी भण्डता है, कोई अपने ही शहर में, थोक बन्दी माल खरीद कर दुकानदारों को फुटकर बचता है, कोई दुकान लगा कर फुट कर माल गृहस्थों के हाथ बचता है, और कोई फरी करके घर घर माल बचा करता है । जो जिस माल का क्रयविक्रय अधिकता से करता है वह उसी माल के नाम से या किसी विशेष नाम से पुकारा जाता है ।

† जिस नियम के कारण एक जाति दूसरी जातिका अन्न नहीं खाता, और पर पुरुष कन्याका विवाह नहीं करता उसको जाति-विचार कहते हैं । और जहाँ एक दूसरे का हीनयाहेय समझता है, एक दूसरे का पानी पीने से शर्पय होना मानता है वहाँ जाति विचार शेषशुक्त हो जाता है यह शेष आध्यात्मिक उन्नति का बाधक है ।

‡ यह बात इस समय भारत में बहुत बृद्ध दिख रही है । नीति विषयक धर्म तो बहुत बढ़ा हुआ है परन्तु आध्यात्मिक धर्म जिससे आत्मिक शिवानि प्राप्त होती है उदात्त हुआ है श्री गीता अध्याय १२ की व्याख्या देखिये ।

इस क्रय-विक्रय रूप व्यापार में कोई, कोठीवाला होकर रूपयों के तन वन के द्वारा, सहायता करता है, कोई आढ़तिया होकर माल को उतारने और बचने में मदद देता है, कोई दलाल होकर खरीदार और बचनहार के बीच भाव ताव तय कराता है ।

इस विभाग में काम करने वाले भी जीविका के और धन कमान के लिये ही कर्म करते हैं । यद्यपि इनमें ऐसे अनेक हैं जो पुण्य कार्यों में और । धार्मिक काव्यों में लाखों रूपये व्यय करते हैं, तथापि उन में ऐसे कितने हैं जो अपनी छाती पर हाथ रख कर यह कह संत हो कि हम अपने को समाज का सेवक जानते हुए अपने कारो-बार द्वारा निष्काम होकर, यानि जीविका को अथवा धनाङ्जन को मुख्य न मानकर समाज की सेवा करते हैं । यदि ये ऐसा न कह सके तो इनके लिये भी गीता के उपदेशों का मनन करने की बड़ी आवश्यकता है ।

(४) वाहन—यह विभाग कच्चे और तैयार माल के स्थानान्तरण करने में उपरोक्त तीनों विभागों का सहायक होता है । यह समाज के लोगों को और उनके माल-असबाब को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाता है । यह विभाग यात्री और माल एवं पत्रों के ढोल में जहाज, नाव, रेलगाड़ी, ट्राम, मोटर, वाइसिक्ल, ठला-गाड़ी, बैल-गाड़ी, एवं ऊट, हाथी, घोड़ा, गन्धक, गाया, बैल, बकरे और मनुष्य तक से काम लेता है । और अब वायुयान से काम लेने का प्रबन्ध हो रहा है, कहीं कहीं लिया भी जान लगा है । इस विभाग में काम करने वाले भी जीविका के लिये ही कर्म करते हैं, कुछ समाज-सेवा के ज्ञान से काप नहीं करते । इनमें राजा और रेलगाड़ी चलाते वाली बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं जो उन सम्पन्न उच्च पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनमें समाज सेवा का ज्ञान रहते हुए भी उनकी निष्काम भावना में मन्दहृद है । इन समस्याओं के निराकरण में निम्न-कर्मचारियों के लिये यह नियम बना खरपा है कि ये अपने को Public servant (जनता का सेवक) समझे और जिस समय जिसमें (यात्री और महाजनों में) उनका व्यवहार उपस्थित हो उस समय उसका काम सभ्यता के साथ (प्रेम पूर्वक) कर । पाश्चात्य देशों के रेल-कर्मचारियों का सार्वजनिक व्यवहार भारतीय रेल-कर्मचारियों के व्यवहार से अवश्य ही अच्छा होगा क्योंकि वे स्वाधीन देश हैं । किन्तु भारतीय रेल-कर्मचारियों का व्यवहार आशानुरूप सन्तोष जनक न भी हो तो जनता को उस पर आक्षेप नहीं करना चाहिये, क्योंकि न तो यह देश स्वाधीन है और न इनको श्रीगीता की उचित शिक्षा ही मिली है ।

| इण्डियन कर्म और धर्म कर्म का भेद परिच्छेद १ पृ० १६ में देखिये । श्रीगीता के मंत्रों की व्याख्या के अन्तर्गत इन भेदका विचार विस्तारसे किया जायगा ।

उपरोक्त चारों विभागों में काम करनेवाले अपने अपने व्यवसाय की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार आम जीवियों और मशीजीवियों की सहायता लेते हैं। इनके कारणों से निर्विघ्न सम्पन्न होने के लिये इनको, दश के शम्भजीवियों से (शासन-विभाग में) भी सहायता मिलती रहती है। पाश्चात्य दशा के शम्भजीवी (अध्यापक एवं पाठडी) भी इनके सहायक हैं। परन्तु भारत में इनको शम्भजीवियों से (अध्यापक, पण्डित और पुरोहितों से) जो कुछ उचित और आवश्यक सहायता मिलती है वह नहीं के समान है। किसी भी सम्यक् समाज में जितने मनुष्य होंगे उन्में से तीन भाग बहुत करके एसी ही समाज-सेवा में लगेंगे। जीवन के पोषण करनेवाले एवं शरीर और मनको सुख पहुँचानेवाले कर्मों की मर्यादा नियत नहीं है। इस श्रेणी के कर्मों के करनेवालों की विद्या, बुद्धि, उन्माह और दक्षता पर इन कर्मों की मर्यादा का घटना-बढ़ना निर्भर रहता है। परन्तु लोग स्वार्थवश इस समाज-सेवा को उठाने हैं, कुछ स्वार्थ-चिन्ता रहित होकर-केवल समाज-सेवा की बुद्धि-इन कार्यों को नहीं करते। अतः स्वार्थ के अनुसंगी दृश्य भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। अतएव, यदि ये चाहते हैं कि स्व-स्व जीविकार्जनी वृत्तियोंमें लग रहने भी हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी सिद्धियोंकी प्राप्ति कर लें तो इनको चाहिये कि निष्काम धर्माचरण का और समाजके सत्य स्वरूपका ज्ञान लाभ करनेके लिये गीताजीकी परम श्रेष्ठ शिक्षाओंको ग्रहण करे।

यदि समाज सेवा गण चाहते हैं कि धर्म के आश्रय में भारतका पुनरुत्थान हो, भारत सन्तान प्रशुकी मनुष्य जातियोंके लिये उच्च आनन्द देने, अपने दशमें वह सब समाज सेवाक हो, पारिवारिक सुख दृश्यक युद्धम अटल रहने वाला एवं चरित्रमें शुद्धिप्रदके तुल्य हो, हृदयकी नीरतामें अर्जुनके समान और स्वार्थके त्याग में कर्ण तथा आत्मोत्सर्ग में दधीचिके। तुल्य हो, तो वे शिक्षाओंको केवल सिग्वानेके साथ ही साथ श्रीगीता-ज्ञानाभ्यास करने का भी प्रबन्ध करे।

† असर्गक साथ देवताओंकी रहने दिनास लडाई हो रही थी। वृत्रासुरसे इन्द्र देव हार था। ऐसी दशाम देव गुरु रूहस्पतिने यह उपाय बतलाया कि दधीचि ऋषिकी इश्टीसे यद्वि-यज्ञ नामका अन्न चने ता तत अन्नस वृत्रका मदार हो सफता है। तब देवताओंने दधीचिकी से उनकी इश्टी मांगी। ऋषिकीने स्वशीघ्र अपना शरीर द्वाक दिया।

यूरोप, अमेरिकादि के पोषण-श्रणी के वैश्यों से हमारे भारतवर्ष के पाँपण-श्रणी के वैश्यों/ के उद्योग में जो अन्तर है सो यों है कि - -

यूरोप, अमेरिकादि के—

(१) वैश्य, पहिले शिक्षाश्रणीमें व्यवहारिक वा अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर के सब किसी शिल्प व्यवसाय हाथ में लेते हैं। वहा की शिक्षाश्रणी भी विज्ञान की आलोचना बराबर करती जानी है।

(२) वैश्य, मनुष्यों की प्रच्छन्न आवश्यकताओं को (जिनका ज्ञान उनकी स्वयं तथा) ढूँढ ढूँढ कर निकालते हैं एवं उनकी पूर्ति करने के लिये नई नई वस्तु प्रस्तुत करते हैं। जिनको देखते ही लोगों में उनकी आवश्यकता जान पड़ने लगती है और वे उन्हें खरीदने लगते हैं। इस प्रकार से पाश्चात्य देशों के वैश्यगण अपने लिये धनागम का रास्ता एवं शिल्पी तथा श्रमजीवियों के लिये नित्य नवीन (नया) जीविका पथ खोलते जाते हैं।

(३) वैश्यों का आना जाना अन्त्य देशों के साथ लगा रहने से, ये वैश्विक समाजों के शिल्पो में भी हस्तश्रम करते हैं, और अपनी विद्या के बल से उनकी शिल्प ज्ञात वस्तुओं की उत्पत्ति करके उन देशों के बाजार पर आपना आधिपत्य जमा लेते हैं और अपने बुद्धिबल

भारतवर्ष के—

(१) वैश्यों ने बहुत दिनों से अर्थशास्त्र का ज्ञान शिक्षा-श्रणी से ग्रहण करना छोड़ दिया है क्योंकि शिक्षा-श्रणी में विज्ञान की आलोचना का अभाव हो गया है।

(२) वैश्य, विद्या के अभाव से इस चतुर्गई में निरगौपति हैं। इस कारण इनमें नये नये उद्योग पथ देखने में नहीं आते। सुतरा समाज में शिल्प जीवी, श्रम जीवी और भगी जीवियों के लिये सदा जीविका का अभाव बना रहता है।

(३) यहा के वैश्य बहुत दिनों से कूप मण्डक बन् हो गये हैं। जिन्होंने पहिले पहिल जहाज की सृष्टि की थी वे ही अब समुद्र की तरंगों का नाम सुन कापने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जल का रंग समुद्र के खार पानी से बो जाय, जैसे जहाज का रंग समुद्र के पानी में खराब हो जाता है। महा-भारत शानि पर्व अ० २९९, मेरिग्या

(१) शिल्प, वाणिज्यादि उद्योगों में मूल धन के लगाने वाले।

यूरोप, अमेरिकादि के—

मे निज देशजात शिष्यों का व्योहार भी वैदेशिक नद जों मे जगी जग्वा देत हे ।"

भारतवर्ष के—

इ-११ वणिक गण जिस तरह समुद्र में जाकर अपने अपने मूल्यन के अनुरूप अर्थ का लाभ करते हैं ।" इससे जाना जाता है कि ५००० वर्ष से भी प्राचीन काल में भारत के वैश्य समुद्र के शान्ते वाणिज्य करने थे जिस समय कि इंग्लैंड आर्मागका का पता भी न था । परन्तु इस घोर कलियुग में विद्या की हीनता से न तो वे अपने ही शिल्पों को वैदेशिक आक्रमण से बचा सक और न निदेशी शिल्पों का ही अनुकरण कर सके । शिक्षा के अभाव से अथवा विपरीत शिक्षा के फल में (समुद्र यात्रा में जानिनाश होती है परी मिथ्या शिक्षा में) यहाँ के देशों का विद्या-विहीन होने का जो फल हुआ है उसे भारतवर्ष में सर्वत्र दरिद्रता के रूप में प्रकाशमान / है ।

(४) धनवान वैश्य अपने-अपने अथवा धरण किया करके किसी भी व्यवसायके लिए दूढ़े बड़े कारखाने जारी करते हैं जिनसे हजार-हा मनुष्य काम करते हैं । लोहे के कारखाने का वर्णन ही क्या करना ? चाकर बनाने के कारखाने का काम

(४) देशों न शिल्पों का काम तो हजारों वर्षों से शूद्रों को रोंप रखा है और उनमें से किसी ने शिल्प का कोई काम अपने हाथ में रखा भी है तो वह विरादरी से बाहर बर दिया गया है ।"

ॐ विलायती वस्तु मात्र इतने उष्टान्न है । फलम से मोगग ही और मो र हल नक दख लीगिर ।

/ हलमे चकेरा वेष्टों का ही दोष नहीं है परन्तु पराधीनता एवं प्रयान्ध कागण भी (स न जिय उत्तरदायी है ।

जिन रत्नों में अनेक होता है उनको यहाँ विज्ञान (वश्य) माना गया है ।

यूरोप अमेरिका के—

भारतवर्ष के—

बहुत ही मरल है तथापि उनका वर्णन पढ़ने से हम लोगों की बुद्धि दृग् हो जाती है कि ऐसे बृहत् कारखाने के काम चलायानवाले की महिनष्क-शक्ति कैसी तेज है। ऐसे कारखानों में सर्वत्र से सन्ध्या तक हजारों टन (२७ मन १० सेर का एक टन) रेश्म खेनों से कटवाकर सैकड़ों टन आकर बोरेबन्दी करवा कर जहाजों में लदवा दी जाती है।

इस प्रकार कटाकौशल से पश्चिमात्य देशों के वैद्यों जो वस्तु उत्पन्न करते हैं व भारत की हस्त कौशल से उत्पन्न वस्तुओंमें सरती होने के कारण वाणिज्य व्यापार में उन्हें कममूल्य पर बच कर इन देशों के शिल्पियों को नष्ट करने में समर्थ एवं अपने देश की उन्नति तथा स्वयम् धनशास्त्री होने में सफल हो रहे हैं।

यहां के शिल्पी अपने घर ही में शिल्प का काम करते थे। कारखाने, काम करने वाले सैकड़ों मजदूर और लिखने वाले क्लर्कों का दफतर ये तो यहां के वैद्यों को स्वल्प में भी न दीख पड़े होंगे।

शिक्षाश्रेणीवालों ने तो 'शूद्रों के लिये शिक्षा की आवश्यकता नहीं' ऐसा सिद्धान्त कर लिया था, अतः विचारे शिल्प-जीवी मूल्य शूद्र कहा तक वैद्यों के सोंपे हुए शिल्पियों की रक्षा कर सकते थे। विदेशियों की टक्कर से उनका सब शिल्प बकनाचूर हो गया। निज के रोजगार के न रहने से शिल्पियों को पेट पालने के लिये मिवाय मजदूरी के और कोई उपाय न रह गया। और इस धके से अमनीवियों को भिक्षाजीवि होना पड़ा।

यहां के वैद्यों ने अपने हाथ में करल वाणिज्य व्यापार रक्खा था, और जब तक वैदेशिक शिल्पियों की टक्कर इस देश के शिल्पियों में न लगी थी तबतक उनका भी वह जमाना था कि वे

/ भारतीय शासन पद्धति के अन्तर्गत वाणिज्य का नियंत्रण इनको दृग् बात में सहायता पहुंचा रहा है।

। जो जो शिल्प कर्म घर घर हो सकते हैं उनके लिये कारखाना खोलना शिल्पियों या मजदूर बनाना है। हां, शिल्पियों को आपस में मिलकर कारखाना खोलना या हिये। पुराकाल में ऐसा होता था।

यूरोप अमेरिका के—

(५) वैश्य भी आपस में शिल्प-
काण्ड के सम्बन्ध में प्रतिद्विधा
करते हैं, परन्तु उसका ढंग इस प्रकार है
कि यदि कोई गन्ने से शक्कर बना कर
रूपये में ५ सेर बेचता है तो दूसरा 'बीट'
मूल (गाजर) से शक्कर बना कर
६ सेर की बेचता है, तो तीसरा रसा-
यन शक्कर के बल में अलकनरा
(Coaltar टायर) से ऐसा एक
रूप निकालता है जिसकी एक बौतल,

भारतवर्ष के—

अपना शिल्प ज्ञान इन्हीं यूरोप को
पहुँचाया करते थे । अब तो वे खुद
विदेशी माल के कमिशन एजेंट और
सद्रेदार हो गये हैं ।

कुछ वर्षों से अब इन में चेतना
आ रही है और परस्पर मिल कर बड़े
बड़े (यूरोप, अमेरिकादि के मुका-
बिल में छोटे छोटे) कारखाने खोलने
लगे हैं जिनसे कि अमजीवी और
मशीजीवियों की जीविका लभावली है ।
परन्तु पारस्परिक विश्वास और कला
शिक्षा एवं उच्चतम वैज्ञानिक शिक्षा के
अभाव से ऐसे उद्योग प्रबल नहीं होने
पाते हैं । इन अभावों का दूर होना
गीता की निष्काम धर्म शिक्षा और
जानीय शिक्षा एवं प्रचलित शिक्षा
संज्ञ के सुधार पर निर्भर है ।

(५) वैश्य भी आपस में प्रतिद्विधा
करना जानते हैं, परन्तु इनकी प्रथा
भिन्न प्रकार की है । यदि यह
दखा गया कि सेठ रामदास घी के
व्यापार में लक्ष्यपति हो गया तो सेठ
श्यामदास भी घी के रोजगार में कूद
पड़गे, उनमें यह कहापि न होगा कि
गोशाला (डेयरी) खोल कर, घी
उत्पन्न कर और सेठ रामदास से सस्ता
बेच । किसी नया रोजगार के खोलने

*। टाटा कंपनी के, जिनमें भारत का
सुतोखल किया है, लॉहे के कारखाने को
छोड़कर ।

यूरोप अमेरिका के—

मिठास में एक बोगा शककर के समान होती है और मूल्य भी शककर से समता रहता है ।

(६) वेष्टियों के कारखानों के मार उनके समाज के अधिक संख्यक मनुष्य मजदूर (Mill hands) बन रहे हैं । इस कारण उनकी समाज की वैसी उन्नति, जिसको कि हम आदर्श मानते हैं नहीं हो रही है । उनकी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ रही है । क्योंकि कारखाना-सम्बन्धी मजदूरी-पशा भी दारुणता की नाई मनुष्य के आत्म गौरव और सम्मान को घटानेवाला है । यद्यपि पाश्चान्त्य देशों में ज्ञानि विचार नहीं है तथापि गरीब अमीर में वैसा ही पाठ्यकथ का विचार है जैसा हमारा यहाँ ऊँच-नीच का भेद है । जवन्तक ये लोग गीता की शिक्षा प्राप्त कर व्यक्तिगत स्वार्थकोत्याग करके योग्य कार्य के लिये कला कौशल के अनुचित विस्तार को न रोकें और अपने देश के श्रमजीवियों को शिल्प का काम अपने अपने घर में बसौर रोजगार के करने के लिये न सौंपें तब तक इनके समाज की भी पूरा आध्यात्मिक उन्नति न हो सकेगी और न समाज के सब मनुष्य सुखी होंगे ।

भारतवर्ष के—

म इनको राहस्य नहीं होता क्योंकि विद्या की चर्चा के अभाव में इन में आवश्यक ज्ञान का अभाव रहता है

(६) वेष्ट्य भी जब तक गीता की शिक्षा के अनुरार स्वार्थत्यागी होकर अपने देश के शिल्प के उद्धार के लिये विद्या का आहरण और धन का सम्यक उपयोग न करेंगे तब तक ये भी धर्म न कमा सकेंगे और न भारतीय आर्य जाति की ही उन्नति होगी । देश के शिल्प कर्म पुनरुज्जीवित होने में उनकी उन्नति के साथ साथ व्यवसाय वाणिज्य की वृद्धि के कारण इनको भी धनागम अधिकतर होगा । यदि इन्होंने समय रहत श्रीगीता की शिक्षा लेने में अवलमना की और वहीं इनके हाथ से कमीशन एजेंसी और संतुदारी का (विलायती सामान के व्यवसाय का) काम भी छिन गया तो—विधाता भारत को उम्र परिणाम में बचावे । दग्दिता आध्यात्मिक उन्नति का भयकर बाधक है दग्दिता ही के कारण हममें आध्यात्मिक अवनति उपस्थित हुई है । इस समय अब अन्न ४।५ सेर का बिक रहा है यदि लोगों की जीविका के लिये यथष्ट उपाय न रहेंगे तब पेट की चिन्तागिन में आध्यात्मिक विचार की जड़ तक जल कर भस्म हो जायगी । भारत में दग्दिता रूपी व्याधि जैसी उत्कट है उसकी द्वाड़े भी वैसी ही सहस्र पुढ

भारतवर्ष के—

की मात्रा है । उस मात्रा का नाम है 'सर्वजनिक स्वार्थन्यागातासीम परिश्रमश्च' जिसके अन्त में प्रत्येक श्री पुरुष को, चाहे वह रजिक हो वा गरीब, इतना स्वायत्याग और श्रम करना पड़ेगा कि जिसकी सीमा नहीं है । और इन दोनों बातों के कष्ट और अवसाद से बचने के लिए और उत्साह को समान भाव से बनाये रखने के लिए इन सभी को श्री गीता समुद्रसे निकाला हुआ अमृत का पान करना पड़ेगा ।

इस काल में सभी सभ्य देश के राजा लोग प्रजा के अनुमोदन से राज्य का प्रबन्ध करते हैं । रक्षा, शिक्षा, शासन और पालन, यानि जितनी बातें समाज

की स्थिति और उन्नति के लिए आवश्यक हैं, सभी इस प्रबन्ध के अंतर्गत गण जीति
वा
शासन
हैं । जल और स्थल सेना के द्वारा रक्षा, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, और पाठशालाओं के द्वारा शिक्षा, न्यायालय और पुलिस विभाग के द्वारा शासन एवं कृषि, शिल्प और वाणिज्य विभागों द्वारा पालन का प्रबन्ध किया जाता है । राज्य पत्र सम्बन्धी कार्य को 'पब्लिक ररविस्' यानि समाज-सेवा कहते हैं । किन्तु राज्य पत्र में काम करने वाले राजा और उच्चतम कर्मचारियों से कदाचित ही कोई सरल अन्तःकरण से अपने को 'समाज का सेवक' समझना है यद्यपि पत्र-व्यवहार में उनको "आपका अति विनीत सेवक" ऐसा समाज के सभी मनुष्यों को लिखना पड़ता है । परन्तु वे अपने को समाज का रक्षक, शिक्षक, शासक और पालक समझते हैं । राज्य-पत्र में जो निम्न कर्मचारी गण हैं उनसे अधिकांश अपने को मन्ही मन समाज का प्रभु समझते हैं, परन्तु उच्च कर्मचारियों के भय से जहानक बन पड़ना है प्रभुता दिखाने से अपने को रोकते हैं ।

राजा लोग अपने को अपने अपने देश का सत्वाधिकारी समझते हैं, और उनका अधिकांश परिश्रम उस सत्वाधिकार के संरक्षण के लिए होता है । वे हम सबको भूल गये हैं कि देश का प्रकृत सत्वाधिकारी समाज है जिसके प्रतिनिधि रूप से राजा देश का सत्वाधिकारी माना जाता है । जो राजा इस सत्य को भूला हुआ है

उसका राज्य-कार्य शासन (आदेश, आज्ञा दण्ड और दमन) के रूप में, और यदि वह प्रजा वत्सल भी हुआ तो उसका राज्य-कार्य प्रजा के पालन और रक्षण के लिये होता हुआ भी समाज-सेवा वा निष्काम धर्माचरण में परिणत होने नहीं पाता । उसकी शिन्ती सकाम धर्माचरण में होती है । सकाम धर्माचरण सम्बन्धी परिश्रम के आनुसङ्गिक जो मानसिक अवगमन है उसमें उसका हृत्काम नहीं होता ।

राज्य काय का स्वभाव ही ऐसा है कि स्वार्थ चिन्ता से रहित होकर भी इसका निर्वाह में केवल परार्थचिन्ता ही का बोझ इतना भारी है कि राजाओं के लिये मन की शान्ति एक असम्भव बात ही जान पड़ती है । यही कारण होगा कि पूर्व काल में, जब और जहाँ के राज-प्रबन्ध में प्रजा का मत नहीं लिया जाता था (राजतन्त्र, absolute monarchy थी) बहुत राजा लोग कठिन मानसिक परिश्रम से बचने के लिए मंत्रियों पर राज काज का भार दकर निश्चिन्त हो जाया करते थे । राजा के कर्त्तव्य की ऐसी अनदेखना से तदुद्या प्रजा को दुःख भोगना पड़ता था और भोगना पड़ता है ।

परन्तु जो राजा अपने को प्रजा का प्रतिनिधि एवं सनक समझकर राज्य का प्रबन्ध करने में तत्पर रहता है उस राजा के लिए धर्म अर्थ और काम की योजना स्पष्ट है । परन्तु श्रीकृष्ण भगवान् कथित मोक्ष (मरने के बाद मुक्ति नहीं किन्तु जीवन-मुक्ति की अवस्था) राजाओं को प्राप्त होना कैसे सम्भव हो सकता है यह बात भगवान् के गीतोक्त उपदेशों से जानी जायगी । राजा जनक की मुक्तावस्था की उपमा महाभारत और गीता में प्रसिद्ध ही है । उपयुक्त अवसर पर गीतानुशीलन में भी इस पर पूरा विचार किया जायगा । राज कर्मचारियों की श्रेणी में बहुतेरे उच्चपदस्थ कर्मचारी केवल सम्मान के लिए, और निम्नपदस्थ कर्मचारी जीविका के लिये राज्य प्रबन्ध में काम करने हैं । प्रजारूपी समाज से राजा को करके रूप में जो द्रव्य मिलता है उसीमें इन सब की जीविका का निर्वाह होता है । अतएव इस श्रेणी के समाज सेवकों का भी स्वार्थ, सम्मान और जीविका ही है । यह स्वार्थ जब जिसमें मर्यादातिरिक्त (उचित माना से अधिक) होता है- याने उच्चकर्मचारी सम्मान के पीछे जब समाज पर प्रभुता दिखाने लग जाते और निम्नकर्मचारी जब अपने उस समाज को भूल जाते हैं जिसके लिये हुए द्रव्य (कर) से उनको तनखाह मिलती है- तभी उनके कर्त्तव्य में अवहेलना होने लगती है । अतएव स्वार्थ और अज्ञानता के बढ़ते जयतक इन के हृदय में समाज का ज्ञान और उसका लिए प्रेम भाव और सब्य भावना का उदय न होगा तब तक इनके कर्त्तव्य में अवहेलना होने की सम्भावना

बनी रहगी । प्रेम और सेवा की भावनाओं का उदय भी गीता के उपदेशों के ग्रहण से ही हो सकता है ।

इन में जो लोग अपने को समाज का सेवक जानकर समाज की सेवा कर्त्तव्य के अनुरोध से ठीक ठीक करते हैं—तब समाज के लोगों को सुख तो होता है सही, परन्तु केवल कर्त्तव्य ज्ञान से भावित निरस हान से ऐसे कर्त्तव्य परायण समाज सेवकों के मनमें भी अवसाद उत्पन्न होने की ओर उन्में कर्त्तव्य में अवहजना होने की सम्भावना बनी रहती है । अतएव श्रीगीता के दार्शनिकत्व का ज्ञान प्राप्त करना इनके लिए भी आवश्यक है जिसमें कि उनके कर्त्तव्य-ज्ञान प्रथम की भावना से प्रसक्त हो जाय ।

पाश्चात्य सभ्य देशों में शिक्षा के दो अंग हैं— एक धार्मिक शिक्षा (Religious teaching) और दूसरा व्यवहारिक शिक्षा । इन दोनों की धार्मिक शिक्षा के देने वालों को हम लोग पादरी कहते हैं, सम्भवतः यह शब्द पोद्दगीस भाषा में निकला होगा । इस शब्द का अर्थ बाबाजी होता है । पादरी लोग साम्प्रदायिक धर्म ग्रन्थों का उपदेशक हैं ।

पादरी लोग निज समाज के पुरोहित हैं । उपासना मन्दिरो (गिरजाघर) में य प्रति रविवार को पुरोहित का कार्य करते हैं । यज्ञमानों से अपने यज्ञमानों की गहायना करते हैं । यज्ञमानों के यथा जन्म, विवाह और मृत्यु की पटनाओं में सम्स्कार क्रिया करते हैं । एक एक मुहल्ला वा गांव एक एक पादरी के जिम्मे रहता है । और वहाँ के निवासी उसी पादरी के यज्ञमान होते हैं । गरीब यज्ञमानों की बीमारी से पादरी लोग उनकी शुश्रूषा करते हैं । पादरी लोग सचमुच 'पुरोहित' नाम को सार्थक करते हैं । ये अपने यज्ञमान और समाज के हितकारी हैं । पादरियों की जीविका उनके यज्ञमानों के दान से और राष्ट्र-निर्द्धारण श्रुतियों से चलती है । ये लोग धार्मिक शिक्षा द्वारा समाज-सेवा रूप स्वर्ग में निरत रहते हैं, अतः इन्हें धर्म-अर्थ और काम की प्राप्ति होती है । परन्तु ये मनुष्यों को मनुष्य समझकर दया की भावना से उनके उपकार करने में लगे हुए हैं । सुख ही में सेवा की भावना का अभाव है । सेवा भावना की प्राप्ति के एवं जीवन मुक्ति अथवा निर्वाण मुक्ति के लिये इनको भी गीता के निष्काम कर्म की शिक्षा एवं ज्ञान की आवश्यकता है ।

पाश्चात्य सभ्य देशों में व्यवहारिक शिक्षा स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों में दी जाती है। इन सब विद्यालयों का प्रबन्ध रा्ट की ओर से हुआ करता है। विद्वान पाठगी तथा अन्य अन्य विद्वान लोग इन विद्यालयों में शिक्षा-कार्य में नियुक्त रहते हैं। शिक्षण कार्य के लिये शिक्षकगण वतन पाते हैं। जिससे उनकी जीविका का निर्वाह होता है। विश्वविद्यालय के अव्यापक प्रकृति के गुणों के अनुसंधान में लगे रहते हैं। इस तरह दिनों दिन नये नये विषयों के आविष्कार से नाना प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की उन्नति होती रहती है जिससे उनका देश उत्तरोत्तर रूढ़िछाली होता जाता है।

जो विद्वान किसी विद्यालय के वतन मुक्त शिक्षक नहीं हैं, पर वैज्ञानिक विषय के अनुसंधान के लिए किसी मण्डली वा समिति के सदस्य हैं, उनका व्ययभार समाज के धनी लोग एवं रा्ट वहन करते हैं। ये समितिया भी प्रकृति के नये नये रहस्यों का उद्घाटन कर के विज्ञान की उन्नति करती रहती हैं, जिससे सांसारिक कार्यों में सफलता होनेहुए उनका निज देश धन तथा शक्ति का सन्धय करत जान है।

इस तरह पाश्चात्य सभ्य समाजों की शिक्षा-श्रेणी के समाज-सेवकों के इव-धर्म धालन के द्वारा उन देशों के अर्थ की दिन दूनी गल चौगुनी उन्नति होती जाती है। परन्तु इन समाजों में ज्यो ज्यो अर्थ की उन्नति होती जाती है त्यों त्यों इनमें अथवा काम (भोग) लिप्सा बढ़ती जाती है। इन समाजों में रही एक कुलक्षण देख पडता है। यदि गीता के उपदेशानुसार ये अपनी काम-लिप्सा की सर्गादा बाध सकेंगे तो भावी सकट से बच जायेंगे।

यह सकट वैपयिक उन्नतिशील समाजों पर दो रूप से आक्रमण करता है। एक वैराग्य रूप से और दूसरा विग्रह रूप से। भारतीय आर्य जाति पर इस संकट का आक्रमण वैराग्य रूप से पाच हजार वर्ष पूर्व में हुआ था, जिसके आघात से आज दिन उसका जातीय जीवन निश्चेष्ट दग्ग पड़ रहा है। वैराग्य रूप जो संकट है वह रज और तम गुणों के परस्पर प्रतिरपर्द्धात्मक क्रियाओं का सहज फल है। किंतु इसमें सात्त्विक वृत्ति की प्रादान्यता के कारण मनुष्य का मन सत्वनिष्ठ रहता है। इस कारण ऐसा समाज तमोगुणाभिभूत अवस्था में सब तरह का क्लेश सह करके भी जीवित रहने में समर्थ होता है। और काल पाकर, अर्थात् प्रकृति के नियम से जब तमोगुण हीन बल हो जाता है, तब ऐसे समाज की प्रच्छन्न रजोवृत्ति पुनः सत्वगुण की भूमिका पर प्रकाशमान हो जाती है--जैसा निद्रित जीव निद्रारूप आलस्य के दूर होने पर पुन जागरित होता है।

विग्रह रूप जो संकट है वह रज और तमगुणों की परस्पर सहायक क्रियाओं का अथवा परिणाम है, जिसमें सत्त्वगुण श्रीग और अहंकार प्रबल रहता है। इसके कारण मनुष्य का मन लोभ नोमादि वृत्तियों में अभिमानी हो जाता है, जिस कारण से काम लिप्पु उन्नत रामाजों के बीच विग्रह उपस्थित होता है—मानों इनके रजोगुण अहंकार प्रधान तमोगुण की भूमिका पर खटा होकर परस्पर लड़ने लगते हैं।

वैराग्य और विग्रह नाम सामाजिक संकटों का रूपक वर्णन हो सकता है कि—वैराग्य में एक ही समाज के रज और तम गुण, सत्त्व गुण को साक्षी मान कर कुस्ती लड़ते हैं, जिस में रजोगुण के हारने पर तमोगुण सत्त्वगुण को आलिंगन करता है—इसके दृष्टान्त में रे साधु सन्यासी भाई हैं। विग्रह में दो भिन्न समाज के रजोगुण, अहंकार प्रधान तमोगुण को साक्षी मान कर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यादि अर्थात् दी सहायता में परस्पर रणम करत हैं, और एक के हारने पर दूसरे जितनेवाला अहंकार को जा आलिंगन करता है—इसका प्रत्यक्ष दृष्टान्त भीत्रगण्ड है जो पृथ्वी व्यापी महा समर में जर्मनी को चीनकर अहंकारी हो गये हैं। हाग हुआ रजोगुण को पन प्रभाव में परिणत होकर वह भी तमोगुण से जा मिलता है। इस प्रकार दोनों समाजों में तमोगुण ही प्रबल हो जाता है। तमोगुण का फल अवनति तथा ध्वज अवश्यभाव है।

विग्रह के कारण दो भिन्न समाजों में जो लड़ाई होती है पराका परिणाम काम लि सु 4 विभिन्न समाज के लिये ध्वज तुगा होता है। इस जो पात्र का तल

जब, निज सुख की चेष्टा में दूसरे का क्या अणकार होता है इसका विचार नहीं रहता तब रज और तमोगुण एक दूसरे का सहायक होकर क्रिया करता है। ऐसी क्रिया जब दो मण्डलों में होती रहती है तब दोनों में लड़ाई होती है।

प्रथी के मनुष्य जातगा या इतिहास में अनुसन्धान करने से ऐसे दृष्टान्त मिलेंगे जिसमें यह मालुम होगा कि जीवन जाल राष्ट्रके गर्भ एवं पराजित स्वा दीन राष्ट्र के नाम एवं वर-भा के कारण इन दोनों में पुन पुन पत्र हाकर दोनों की अवनति हुई है अथवा दोनों ध्वज को प्राप्त हुए हैं।

+ जो राष्ट्र पराजित होकर विजेता राष्ट्र का अधीन हो जाता है यदि उसमें धारैतिक दख भाग की इच्छा प्रबल रही और उस विजेता राष्ट्र की अधीनता में स्वयं मिला तो वह विजेता राष्ट्र के आचार व्यवहार का अनुकरण करता हुआ अपना व्यक्तित्व लोक विजेता राष्ट्र में मिला जाता है।

बड़े पात्र के जल में गिरकर अपना आकार खो देता है, वैसे ही विजेता समाज की अदीनता में काम लिए हुए विजित समाज का रजोगुण (जिससे काम लिप्सा उत्पन्न होती है) विजेता समाज के रजोगुण में लय होकर अपना व्यक्तित्व खो देता है । इस तरह के विग्रह रूप संकट में आक्रान्त होकर इस पृथ्वी पर न जाने कितने बड़े बड़े उन्नत समाज नष्ट हो चुके हैं ।

अन्ततः वैराग्य और विग्रह रूप उभय स्वरों से उन्नत समाजों के वन्दे रहने का एक मात्र उपाय श्रीकृष्ण भगवान् प्रचारित निश्चय धर्माचरण ही है ।

गणेश—आपने ' रज और तम गुणों के परस्पर प्रतिरोधक क्रियाओं का सहज फल (वैराग्य) है ' परा जो पद कहा वह मेरी गमना से नहीं आया । यदि अवसर हो तो उसे समझा लीजिये ।

माथानन्द—यह विषय मनोविज्ञान का है । सृष्टि तत्त्व की मुख्य मुख्य बातों को जान लेने के अनन्तर मनोविज्ञान वा मनरत्नत्रय के अर्थात् अन्तःकरण की शक्तियों का विज्ञान व उन्नतता का अवसर आता है । अभी इस विषय की आलोचना में प्रवृत्त होन से परन्तु विषय (समाजतत्त्व) दूर हो जायगा । इस कारण हम यहाँ इस विषय की चर्चा न करेंगे । तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से देने का अवसर चन्द्रन और गोपी के विषय में विचार करने के समय आवेगा । अभी हम को उपरिष्ठ विषय को पूर्ण रूप से ही समझनी पड़ी है ।

पाश्चात्य देशों में परलोक सम्बन्धी शिक्षा को धार्मिक शिक्षा और इहलोक सम्बन्धी शिक्षा को व्यवहारिक शिक्षा कहते हैं, और ये एक दूसरे से भिन्न मानी जाती हैं । परन्तु भारतीय आर्यजाति में ये दोनों शास्त्रज्ञानि ।

शिक्षाये एव ही धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत मानी गई है । अतएव, जैसा पीछे कह आये है कि भारतीय शास्त्रज्ञानी विज्ञान पर ब्राह्मण होते थे और उनका प्रधान धर्म्य होना ही शिक्षा दाना । इस स्वप्न के अनुसार वैदिक काल में आचार्य ब्राह्मणगण, ब्राह्मण प्रव्रिय वेद्य और शूद्र बालकों को पात्रानुसार यथा-योग्य दोनों तरह की शिक्षा दत्त थे, एवं गृहस्थों के पारलौकिक धर्म के लिये यज्ञ और सम्कारादि क्रिया भी कराते थे । ऐसी क्रियाये याजन नाम से प्रसिद्ध हैं । विद्यार्थीयो एव गृहस्थ यजमानो से, अपने परिश्रम के लिये दक्षिणा के नाम से जो द्रव्य मिलता था उसी से उनका जीवन निर्वाह होता था । इन कर्मों के अनिश्चित,

समाज की उन्नति कारक वैज्ञानिक आधिकार तथा आध्यात्मिक विद्या की उन्नति और प्रचार के लिये अभिषिक्त राजा स (यान अपने समाज का जो राजा समाज द्वारा रक्षक नियुक्त हुआ हो उससे) आवश्यक अर्थ का दान इनको मिलता था । उन दिनों इन की साधारण पदवी मुनी, ऋषि आदि थी ।

उन दिनों शास्त्रजीवी ब्राह्मणों के ६ कर्म निर्धारित थे जिनमें यज्ञादि क्रिया करना, दान देना, और पढ़ना, उनके अपने पारलौकिक श्रेय के लिये, और यज्ञादि क्रियाओं का ग्रहणों से कर्गना, विशार्थियों को पढ़ाना, और प्रतिग्रह करना (दान-लेना), ये कर्म समाज तथा यज्ञमानों के इहलौकिक तथा पारलौकिक हित के लिये एवं अपने योग के लिये थे । इन ६ कर्मों में से दान देना और पढ़ना क्या शास्त्र-जीवी और क्या आम भोजीवी सभी ब्राह्मणों के लिये कर्त्तव्य कर्म थे । और प्रतिग्रह करने का अधिकार केवल उन शास्त्रजीवी ब्राह्मणों को था जो ब्रह्मचर्याश्रम के आचार्य वा वैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक विद्या के प्रचारक थे । आपतकाल में ब्राह्मण आपद्धर्म के नियमानुसार (जिसका वर्णन 'आश्रम' पर विचार करते समय करेंगे) अपनी जीविका निर्वाह करता था, वह आपत काल के बीतने पर पुनः स्वकर्म में लग जाता या चाहे उसमें उसकी जीविका का निर्वाह भलीभांति न होता हो ।

वर्तमान काल में ब्राह्मण जीविका के लिये चारों वर्णों के कर्मों को करते हुए देखे जाते हैं, जिनमें कदाचित् एक अंश ब्राह्मणोचित स्वकर्म में नियुक्त है और शेष तीन अंश क्षत्री, वैश्य शूद्रोचित भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा जीविकार्जन करते हैं । एक अंश जो ब्राह्मणोचित स्वकर्म में नियुक्त है उसका विभाग तीन श्रेणियों में हो सकता है, यथा पुरोहित, शिक्षक और न्यायालयों के विचारक । निष्काम घर्माचरण के लिये गीता की शिक्षा का प्रयोजन इनको भी वैसा ही है जैसा और सब को है ।

इन स्वकर्म निरत और विरत ब्राह्मणों में पूर्वोक्त ६ कर्मों के चिन्ह वर्तमान है परन्तु अब उनका रूप भिन्न प्रकार का हो गया है । वह इस प्रकार है कि—

पुरोहित—(१) घर में वा मन्दिरों में ठाकुर की सेवा करना, (२) इच्छा हो तो दान देना, (३) कुछ ज्योतिष, कुछ दर्शन, कुछ पुराण,

जब कोई ब्राह्मण आपतकाल में स्वकर्मों के द्वारा जीविका न करके अन्य वर्ण के कर्मों के द्वारा जीविका करता है तब वह आपद्धर्मजीवी कहाता है ।

कुछ व्याकरण, कुछ रमृति और इत्यादि हुई तो कुछ वेद पढ़ना, (४) मन्दिरो में पूजारी या पण्डागिरि करना, गृहस्थों से बुलाये जाने पर व्रत, पूजा और गोरकार्य क्रियादि कर देना (५) पढ़न के लिये विद्यार्थी आजाय तो पढा देना, और पुराण के मुनन वाले मिल जाय तो उसका पाठ करना, (६) प्रतिग्रह के लिये सत्ता सोत्सुक रहना और अधिकार हो वा न हो अवसर पर दान लेलेना ।

शिक्षक—उपरोक्त न १ और २ के कर्म यथच्छानुसार, वर्तमान काल में सुयोग और योग्यता के अनुसार विद्या पढ़ना, उपरोक्त न ४ के कर्म द्वारा जीविका न करना, (५) पाठशाला स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों में विद्या-विद्यो को पढ़ाना, (६) प्रतिग्रह करना न करना अपनी इच्छानुसार ।

विचारक—न १ और २ यथच्छानुसार, (३) व्यवहार ब्राह्म (कानन) पढ़ना, न ४ से जीविका न करना, (५) न्यायालयों में विचारक का काम अथवा बकालन करना (६) प्रतिग्रह न करना ।

ब्राह्मण वर्ण क शत्रु नीन अज्ञ जो और वर्णों की वृत्ति में जीविका निर्वाह करत है उनमें जो पटकर्म पाय ज्ञान ह और जिनको व " खटकर्म " कहते है, व ये ह—प्रातःकालिक औनादि क्रिया, जिम्माका प्रधान अंग मुखारी है (२) स्नान, (३) निलक (४) पूजा, पाठ, (५) जप । उन ' पटकर्मों " क एक से भी इनकी जीविका का कोई संबन्ध नहीं है ।

वर्तमान काल के ब्राह्मण वर्ण क उपरोक्त चार श्रणियों में केवल पुरोहित श्रणी को छोड़ कर शेष तीनों श्रणी के जीविका पथ जैस विस्तृत है वैसा ही उनमें और वर्णों की प्रतिद्वन्द्विता रूप विघ्न भी ह । पुरोहित श्रणी की जीविका के पथ में अन्य वर्णों का पडापण करने का अधिकार न रहने से वह निर्विघ्न है तथापि यह पथ दिनोदिन सकीर्ण होता जाता है ।

जीविका पथों का विस्तीर्ण जोर सकीर्ण होना तन पथ सम्बन्धी विषयों की माग और पूर्ति पर निर्भर है । इष्टान्त (१) १०० स्कूलों में ५०० शिक्षकों की माग है परन्तु शिक्षण कार्यक्षम मनुष्य केवल ३०० हैं, इस अवस्था में शिक्षा द्वारा जीविका कर्जन करने का पथ शिक्षकों क लिये विस्तृत है । (२) १०० स्कूलों में ५०० शिक्षकों की माग है जिसे पूरी करने के लिये ६०० शिक्षण कार्यक्षम मनुष्य उपस्थित है, इस

अवस्था में शिक्षा द्वारा जीविकार्जन करने का पथ शिक्षकों के लिये सकीर्ण है, क्योंकि अतिरिक्त १०० शिक्षण कार्यक्रम मनुष्यों की जीविका उपरिथत १०० रवृत्तों से नहीं चल सकती। इस नष्टान में माग की ररथा से पूर्ति की ररथा १०० अधिक हो गई। अब ये १०० मनुष्य उन ५०० के प्रतिद्वन्दिनी समझे जायंग, जिनके कारण ६०० को ही शिक्षण रूप जीविका पथ सकीर्ण जान पड़ने लगेगा।

उपरोक्त नष्टान्त क्या पुरोहित श्रेणी को लागू हो सकता है? इस विचार में प्रतिद्वन्दिता का नष्टान्त इन पर लागू नहीं हो सकता। क्योंकि भारतीय आर्य जाति में जय से वण व्यवस्था प्रचलित हुई है तब से सिवाय एक त्रिभयनन्दन त्रिश्वामित्र के और किसी ने इनकी याज्ञकवृत्ति में प्रतिद्वन्दिता न की। इस काल में भी उनका कोई प्रतिद्वन्दिनी नहीं दिग्ग पड़ता और भविष्य में होने की सम्भावना नहीं।

यद्यपि जीविका-पथ से प्रतिद्वन्दिता को दूर रखने के लिये ही भारतवर्ष में जीविकार्जनी वृत्तियाँ जातिवाचक हो गईं हैं और जाति से प्रचलित हो गया है, तथापि अन्यवर्णों में अन्नशुद्धीय और वलिर्शुद्धीय प्रतिद्वन्दिता वृत्तियों से आरम्भ हो गई है और उत्तरोत्तर अधिक होती जाती है। किन्तु ब्राह्मण वर्ण की वृत्ति में प्रत्यक्ष कोई प्रतिद्वन्दिता उपरिथत नहीं हुई है, हा, ब्राह्मणवर्ण अन्य वर्णों का जीविका में प्रतिद्वन्दिनी होते आये हैं और होते चले जाते हैं। जय ब्राह्मण वर्ण में से ही तीन भाग अन्य वर्णों की जीविका में चले गए पर जेन एक भाग में से २ राजन शिक्षण और विचारक वृत्ति ग्रहण की तब जो पीछे ९६ अर्थात् २१ ब्राह्मण + २५ क्षत्रि + २५ वैश्य + २५ शूद्र, मन्वादि ऋषि प्रदर्शित श्रौत और स्मार्त धर्मानुसार चलनेवाले यज्ञमानों के रहत हुए भी पुरोहित श्रेणी के ब्राह्मणों का जिनकी संख्या सौ पीछे ४ होती है, जीविका पथ क्यों सकीर्ण हो गया यह एक बड़े रहस्य की बात है। यदि माग से पूर्ति (supply) अधिक होती, जमी कि दफ्तरों में नौकरी और मन्त्रीजीवियों की दशा है, तो यह कोई विचारणीय समस्या की धान न थी। परन्तु दशा में अधिक है, क्यों सनातन धर्मावलम्बिमात्र को पुरोहितों की आवश्यकता है और पुरोहितों की संख्या भी कम है, तथापि ब्राह्मण पुरोहिताई वृत्ति को छोड़कर अन्य वृत्तियों में जाते हुए देखे जाते हैं। पुरोहित श्रेणी स्वयं यह कहा करती है कि हमारी जीविका 'आकाशवृत्ति' है। इनके इस कथन से यही ज्ञात होता है कि इनकी दृष्टेय माग नहीं है। इनकी माग न रहना और भारतीय आर्य जाति का अथवा मनालन धर्म का श्लेष होना एकही बात है।

इधर सनातन धर्मावलम्बी गृहस्थोको किसी पर्वके दिन पूजाके लिये पुरोहितकी घाट जाहने देखकर यही समझना पड़ता है कि, पुरोहितोंकी ही सख्या कम है। मेरो समझमें पूर्वके हिसाबसे माग तो नहीं घटी, किन्तु श्रौत और स्मृत कर्मोंका सख्याके हिसाबसे दक्षिण अवश्य घट गई है। अतएव यजमान-सख्या अधिक होनेसे ही क्या होता है, यजमानकी कर्म-प्रवृत्ति और दानशक्ति क्या है सो भी तो देखना चाहिये। वैदेशिक शिक्षाके कारण यजमानोंमें कर्मप्रवृत्ति, और दक्षिणताके कारण उनकी दानशक्ति, घट गई है।

पृथ्वीके विभिन्न सम्य देशोंके आय-व्ययके लेखमें यह ध्यान प्रसिद्ध हो चुका है कि भारतवर्ष अतीव दरिद्र देश है। और इस ध्यानमें भी मन-निरोध नहीं है कि, पूर्व कालमें मागतवर्ष तत्कालीन सम्य देशोंमें सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली और उन्नत था। किसी समाजकी उन्नति और अवनतिके कारणोंका अनुसन्धान करनेसे यही जाना जाता है कि, शिक्षाके प्रभाव और अभाव ही सबत्र उन्नति और अवनतिके कारण होते आये हैं। अतएव शिक्षाके प्रभावसे भारतवर्ष पुनः कालमें ऐश्वर्यशाली हुआ था परन्तु शिक्षाकी अवनतिसे अथवा विपरीत शिक्षाके फलसे भारतवर्ष इस समय दरिद्र हुआ है।

समाज तत्व पर विचार करते हुए हम पीछे कह आये हैं कि, भारतीय आर्य समाजमें समाज-शिक्षाका भार ब्राह्मण वर्ण पर ही निभाना था। अतएव ब्राह्मणवर्णका स्वकर्म जो समाज-शिक्षा थी उसमें उनको और से अथहेलना होने से ही भारतीय आर्य जाति निर्धन और दरिद्र हो गई है, इसमें कोई सन्देह नहीं। स्वार्थपरतासे कर्त्तव्यमें अथहेलना होनी कोई विचित्र बात नहीं है, यह तो स्वाभाविक ही है। परन्तु समाज-तत्व पर समाज-सेवाके ज्ञानके लोपसे इनमें जो कर्त्तव्य कर्मोंकी अवहेलना उत्पन्न हो गयी है, और जिसके कारण ये दिनोदिन इच्छान गते हुए जो स्वार्थ-परायण हो रहे हैं, यही अत्यन्त खेदका विषय है।

यदि इनमें समाज-सेवाके ज्ञानका लोप न हुआ होता तो श्रीभगवान् के मुखारविन्दसे “स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभन्ते नरः। यतः प्रवृत्ति भूताना येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा।” यह जलद-गम्भीर घोषणा भी न निकली होती। भारतमें गीता-धर्मका प्रचार हुए यद्यपि ३५,०० वा उससे भी अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके तथापि इस देशकी शिक्षा-श्रेणीके समाज सेवक गणों अर्थात् ब्राह्मणोंके, उस उपदेशकी यथार्थ रीतिसे ग्रहण न करनेके कारण आज दिन इनकी जैसी अवस्था हो रही है उसका स्मरण करने से हृदय विदीर्ण होने लगता है।

ॐ इस समय १९८० में समाज-तत्व और समाज सेवा पर व्याख्यान भी समाज-तत्व ही रहा है

यह बात नो विश्रित ही है कि गीताक धर्मके पत्रारके बहुत समय पूर्वसे ही समाज-सेवाके जाका लोप हो चुका ग, तभी ता गीताधर्मके पत्रारका प्रयोजन हुआ, तथापि हमको इसका अनुमान करना है कि, समाज-सेवाके ज्ञानका लोप करने और किरा त इसे होता नला आया है, अतएव अन हम आगे इसीका विचार करेगे । हमारे इस विचारमें जहा कही ब्राह्मण गवद् आये उससे परिडत, पुरोहित और गार्थ्य श्रेणीको ही समझना चाहिये, ब्राह्मण मात्रके नही । क्योंकि परिडत, पुरोहित और आचार्यकी श्रेणीको छोड़कर और किसी ब्राह्मणमें उनकी जीविका इसके ब्राह्मणत्वके लक्षणको सिद्ध नही करनी, कारण कि वर्त्तमानमें वैसा लक्षण औरोंमें भी पाया जाता है । यथा—कौई ब्राह्मण, विचारक (जज्ञ) अथवा शिक्षण कार्यसे जीविका निर्वाह करता है, तों क्षत्रिय, वैश्य वा शूद्र वर्ण के मनुष्य एवं अंग्रेज भी इन कर्मोंसे जीविका करने पाये जाते है । इस कारण ये कर्म अब ब्राह्मणत्वके स्थापन नही रहे । परन्तु भारतीय आर्य जातिमें स्वारकारिक क्रिया और गजक-वृत्ति तथा पुनर्णादि पाठके द्वारा जीविका करते हुए केवल परिडत-पुरोहित श्रेणी ही पाई जाती है, इन कर्मोंके द्वारा और कौई वर्ण अपनी जीविका करते नही पाये जाते । अतएव ये कर्म इनके ब्राह्मणत्व के विशेष लक्षण हैं ।



७ परिच्छेद ।

भारतीय आर्यजातिमें समाज-संशुद्धि के ज्ञानका लोप ।

मायानन्द—अब हम ब्राह्मणोंके कर्त्तव्यकी बुद्धि तथा उनकी वर्तमान अवस्था पर विचार करेंगे। अतएव भारत तथा मनुष्य समाज मात्र के गिर-रहानीय ब्राह्मण वर्णसे हमारी यह प्रार्थना है कि, इस विचार शृंखला में जो अप्रिय सत्योक्तियाँ हों उनके लिये वे हमें क्षमा करें, और अपनेको तथा अपने अनुयायी शैव तीन वर्णों का अवनति-रूपसे उद्धार करनेके लिये अपने सनातन कर्त्तव्यों पर विचार करें, और अपनी पृथक्कालिक ज्ञान उद्योगके प्रकाशसे पृथ्वीकी अपर जातियोंको पुनः निष्काम धर्माचरणका मार्ग दिखा दें जिससे उनको, हमारी नाई, भविष्यत्में अधनति रूपी गड्ढेमें न गिरना पड़े।

यदि हम भारतीय आर्य जातिके सामाजिक अभ्युदय और पतनका शृंखलाबद्ध इतिहास बता सकें, तो उपस्थित विषय पर पूर्णतया विचार करना हमारे लिये सरल होता, परन्तु हम निरुपाय हैं। वेदों और पुराणोंकी भाषा आज दिन हमारे लिये पहिलीही रही है। तथापि जहाँ तक मुझ जैसे व्यक्तिके लिये साध्य है इस विषयका दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न करता हूँ।

ऋग्वेद अष्ट० १ अ० १ म० १ अनु० ३ सू० ६ मंत्र ६ ।

ब्राह्मणोंके कर्त्तव्यकी
बुद्धि पर वेदोंके
दृष्टान्त ।

“अस्मान्त्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रभस्वत तुविश्व्युन्नयशस्वतः ।”

अर्थ—हे सहस्रकाते इन्द्र ! हमको ऐसा वैभव दीजिये कि जिससे हम धनोपार्जन करने में प्रवृत्त हों। हमारे हाथसे

वे सब्से प्रयत्न हों, जिनसे हमको यश मिले। (श्रुतिबोधसे संकलित)।

इस मंत्रमें समाजकी ओरसे परमात्मासे यह प्रार्थना की जाती है कि, हे परमात्मन् ! हमको ऐसी मानसिक शक्ति दीजिये कि जिससे हम धन (राष्ट्रीय नैभव) उपार्जन करने में उत्साह सम्पन्न हों और बुद्धिपूर्वक उसका प्रयत्न करें।

ऋग्वेदके इस मंत्रसे यह जाना जाता है कि, वैदिक युगमें यज्ञादि कर्मोंका फल प्राप्त करना पौरुष सापेक्ष समझा जाता था और इसी लोकमें इच्छित फल-प्राप्तिकी आशा की जाती थी। अर्थात् जातीय उन्नतिके लिये उस जातिको उन्नतिकारक कर्म करने पड़ते थे, केवल तदुपयोगिनी बुद्धि और उत्साह प्राप्त करनेके लिये यज्ञमें परमात्मासे प्रार्थना की जाती थी।

पान्थु परवर्ती कालमें—सम्भवतः ब्राह्मण, युगमें—यहाँमें केवल प्राथनाका ही ब्राह्मणगण कम सम्भक्ते लगे और फल प्राप्त इत्य लोकोमें देवकी कृपासे होती है—यदि न हुई तो परलोकमें होगी—ऐसा मानै लग गये थे। महाभारतकी आलोचनासे यह जाना जाता है कि, महाभारतके रचयिता विद्वानोंने भी ब्राह्मणोंके ऐसे तम पर आक्षेप किए हैं। इसका एक दृष्टान्त महाभारतके वनपर्वसे दिया जाता है।

महाभारत वनपर्व अध्याय ३२—महाराज युधिष्ठिरके वनवास कालमें महाराजा द्रापदीजी महाराज युधिष्ठिरसे इस बात पर विचार करती हुई कि, पुण्यकार्य (सकाम यज्ञादि क्रिया) से लौकिक महाभारतसे द्रौपदी अस्त्युत्पन्न होता है अथवा व्यवहारिक विद्या सम्बन्धी युधिष्ठिर सवादेका कर्मों से, और इसके समयमें कि व्यवहारिक विद्या कृष्णान्त । लौकिक ही लौकिक अस्त्युत्पत्त्या कारण हैं, वहनै लगीं—“ कर्म अस्त्युत्पत्त्या कारण क्या है ? कितने प्रकारके हैं इसकी गणना नहीं हो सकती । जितनी अट्टालिकार्यें और नगर बने हैं कर्म ही उनका कारण है । तथा तिल में तेल, गौ में दूध, पथ लकड़ी में आग है—बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धिके प्रभावसे इन बातोंको जानकर उक्त वस्तुओंके तैयार करने का उपाय निकालते हैं, और तब उन उपायोंके अस्त्युत्पत्त्या करके अपना अपना प्रयोजन सिद्ध करने में पबुत्ता होते हैं । ” यदि वत्स्रान युगमें किसीको यही बात समझाना होता तो कहना पड़ता कि, पूजापाठके फलसे वैश्वदेवको अलग समयमें आने जाने के स्वाधनमें उद्यति नहीं हुई है, किन्तु वायु-बलमें चालक शक्ति है, और तृणिया, तामा, सीसा तथा जलके संयोगसे विद्युत्शक्ति उत्पन्न होती है, यह जानकर विद्वानलोगोंने उपायके द्वारा उनका उपयोग रेल और तार में करके, मनुष्य, माल और सवादेके गमनागमनमें आवश्यकतकर उद्यति की है ।

समाज-सेवा ज्ञानके लोप पर महाभारत प्रणेताने वनपर्वके ३१ वें अध्यायमें यक्ष-युधिष्ठिर सनादमें प्रश्नोत्तर रूपसे कई एक ऐसी बातोंका उल्लेख किया है । जनका मुख्य तात्पर्य लोग भूल गये हैं और अन्य रूपसे उनको समझने लगे हैं—

महाभारतसे यक्ष-युधिष्ठिर सनादके दृष्टान्त ।

यक्षने महाराज युधिष्ठिरसे पूछा—“ ब्रह्मणोंमें देवभाव क्या है ? उनको कोन धर्म साधु है ? ” युधिष्ठिर महाराजने उत्तर दिया—“ स्वाध्याय ब्रह्मणोंका देवभाव है और तपस्या उनका साधुभाव है । ”

† यद्योक्त यक्षोंकी विधि जिन ग्रन्थोंमें सतिहार वर्णित हुई हैं उनके ' वाक्पद' यक्षने हैं—उनकी रचनाका काल ।

अब हमको युधिष्ठिर महाराजके उत्तर पर विचार करना है।

(१) ब्राह्मणों में देवभाव क्या है ? 'स्वाध्याय' शब्दका प्रचलित अर्थ है वेदाध्ययन, अर्थात् पुरुषके लिये धर्मग्रन्थोंका पाठ करना। और 'तपस्या' शब्दका अर्थ है इन्द्रिय नियम। परन्तु यहाँ युधिष्ठिरके कहनेका अभिप्राय यह है कि, जैसे देवता—(जीवोंके पोषण करनेवाला प्राकृतिक शक्तिपी) जीवोंका पोषण करते हैं, उसी तरह जो ब्राह्मण वेदज्ञानके (विद्यालये) अनुशीलनमें समाजका पोषण कर सकता है उन्में ब्राह्मणके लिये उसका स्वाध्याय ही देवभाव है (अन्य जो ऐसा नहीं कर सकता केवल पाठमात्र करता है उसके लिये नहीं)। क्योंकि इस अनुशीलन रूप स्वाध्यायसे ही उसमें समाज-पोषण-शक्ति उत्पन्न होती है।

यदि कहो कि, धर्म ग्रन्थोंके अध्ययनमें सात्त्विकभाव की वृद्धि होती है इसलिये स्वाध्यायको देवभाव कहा गया है, तो उसका उत्तर यह है कि, ऐसा स्वाध्याय न केवल ब्राह्मणोंमें, परन्तु शूद्र, वैश्य, शूद्र तथा सभी मनुष्योंमें देव-भाव उत्पन्न करनेवाला है। और ऐसी ही समझ लेगीमें प्रचलित भी है। परन्तु यहाँ ब्राह्मण वर्णके कर्मको लक्ष्य करके प्रश्न हुआ है। इस कारण 'स्वाध्याय' का अर्थ वेद वा धर्मग्रन्थोंका केवल अध्ययन ही नहीं माना जा सकता। क्योंकि वेदाध्ययन विजमात्र—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका और धर्म ग्रन्थोंका अध्ययन सभी मनुष्योंका, कर्त्तव्य कर्म है *। हमने इस प्रश्नका जैसा आशय प्रकाश किया, उसके दूसरे एवं परिवर्ती प्रश्नोंमें उसीका समर्थन होता है।

यक्ष्ने पूछा—“ क्षत्रियोंमें देवत्व क्या है ? ” युधिष्ठिरने उत्तर दिया, “ क्षत्रियोंमें अस्त्र-शस्त्र ही देवत्व है। ” इस उत्तरका अर्थ यही हुआ कि, क्षत्रिय अस्त्र-शस्त्रके द्वारा ही समाजकी रक्षा करता है। यह समाज-

रक्षा-कार्यही देवत्व है। इसी तरह यदि यक्ष्ने पूछा होता (२) क्षत्रियोंमें देवभाव क्या है ? कि वैश्यों और शूद्रोंमें देवत्व क्या है, तो महाराज युधिष्ठिरने यही उत्तर दिया होता कि वैश्योंमें “ कृषि-गौरक्षा-वर्णिजय ” और शूद्रोंमें “ शारीरिक श्रम ” ही देवत्व है। अर्थात् इनके स्व-स्व कर्म 'देवत्व' हैं न कि केवल सात्त्विक गुण।

यक्ष्ने पूछा—“ ब्राम्हणको दान देनेका प्रयोजन क्या है ? ” समाज और समाज सेवाका ज्ञान न रखनेवालेकी ऐसा प्रश्न बालकोचित

* गीता अ० ३ च० ११ देखो।

☞ इसे शास्त्रकारोंने 'क्षत्रिणाण' कहा है।

समझ पड़ेगा । बालकही ऐसा प्रश्न कर सकता है प्रथवा बालकसे ही ऐसा प्रश्न

(३) ब्राह्मणोंको किया जासकता है कि, भूखेको अन्न देनेका क्या प्रयोजन ? दान देनेका प्रयोजन ? परन्तु यक्षके इस प्रश्नका विषय गम्भीर था । इक्षसे

यह समझा जाता है कि, उस समयके लोग पारलौकिक कल्याणकी कामनासे ब्राह्मणोंको दान देंगे थे, जैसा कि इस समयके लोग भी करते हैं । यथार्थमें द्रिद्र एव अभावप्रस्तको दान देनेसे पुण्य होता है, परलोकमें कल्याण होता है । “ ब्राह्मण ” द्रिद्रता वा अभावप्रस्तका स्थापक कोई योगरूढि शब्द नहीं है । “ ब्राह्मण ” कहनेसे किसी द्रिद्र व्यक्तिकी मूर्ति मनश्चक्षु पर उदित नहीं होती, जैसा कि “ मगना ” शब्दके उच्चारणसे द्रिद्र व्यक्तिका बोध होता है ।

युधिष्ठिर महाराजने उत्तर दिया—“ धर्मार्थ ”—याने धर्मके लिये ।

युधिष्ठिरके इस उत्तरका अर्थ यह है कि, जब समाजकी इहलौकिक और पारलौकिक शिक्षा ब्राह्मणोंसे ही होती है, तब ब्राह्मणोंके भरण-पोषणमें जो अर्थका दान दिया जाता है वही दान “ धर्मार्थ ” है, याने समाजके हितके लिये है न कि दाताके पुण्यके लिये अथवा केवल शूनीताके निज हितके लिये है । इसमें यही सिद्ध होता है कि, ब्राह्मणमात्र वर्णके नाम पर दान लेनेके अधिकारी नहीं है परन्तु जो ब्राह्मण पुरोहित हों, ब्रह्मचर्याश्रमके आचार्य हैं, केवल वे ही दान लेनेके अधिकारी हैं + ।

युधिष्ठिर महाराजके ऐसे सूत्रात्मक उत्तर, अर्थात् ‘ धर्मार्थ ’, पर यह शङ्का हो सकती है कि, भूखेको अन्न और द्रिद्रको द्रव्यका दान देना क्या धर्मार्थ नहीं है ? युधिष्ठिरके उत्तरके अनुसार वह धर्मार्थ नहीं है परन्तु पुण्यार्थ है । धर्म वहाहै जो समाजको धारण करता है । जिस कर्मसे व्यक्तिगत उपकार होता है वह पुण्य है । और समाजके सुखकी दृष्टिमें जो कर्म किया जाता है उसको धर्मदर्शनकार ‘ धर्म ’ कहते हैं । जीवके सुखकी दृष्टिसे जो कर्म किया जाता है उसको धर्म ग्रन्थोंमें “ पुण्य ” कहते हैं, परन्तु, जब जीव समष्टि ही समाज है तब धर्म और पुण्यमें कोई भेद नहीं हो सकता । तथापि व्यष्टि और समष्टिकी भावनाके अनुसार भेदकी कल्पना करनी पड़ती है । इस भेदका महत्व भी इस बात पर निर्भर है कि, जिस समय अपने देशको उन्नत करनेके लिये लोगोंमें धर्म कर्मोंके करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, उस समय लोग केवल पुण्य कर्म करके ही अपना इति कर्त्तव्य न समझ लें ।

+ वंगदेशमें इस समय “ आचार्य ब्रह्मण ” खन्व ब्राह्मणोंसे हीन समझे जाते हैं । क्योंकि अब समाज शिक्षासे इनका कोई संबंध नहीं है । ये स्वयं सुख्य होते हैं । शासक स्वधिकार दान लेनेसे वे पतित समझे जाते हैं ।

† पृष्ठा परिचय पृ० १६ देखो ।

यक्षने पूछा—“ तपका लक्षण क्या है ? ” याने तप किसको कहनेहैं ? युधिष्ठिरने उत्तर दिया—“ स्वधर्मका अनुवर्तन करना ही तपस्या है । ” याने स्व स्व कर्म करना ही तपस्या है । तप. का (४) ब्राह्मणोंके साधुभाव और तपस्याका लक्षण क्या है ? प्रचलित अर्थ है इन्द्रिय संयम । इन्द्रियोंका स्वयम अनुष्यमात्रका कर्त्तव्य होने पर भी गीतामें (अ० १८ में ४२ देखिये) तप. ब्राह्मणका कर्म कहा गया है । इसमें ऐसा समझा जाता है कि, समाज के अगुआ ब्राह्मणवर्ण ही सर्व प्रथम स्वकर्म सकाम होकर करने लग गये थे । पुराणोंमें तपका अर्थ ‘ जङ्गलमें शरीरको क्लेशदेना ’ माना गया है—इसी भ्रमको दूर करने के लिए यक्षका यह प्रश्न हुआ है * ।

यहाँ युधिष्ठिर महाराजके कहें हुए अर्थका अभिप्राय समाज-सेवा से है । परन्तु जीविकाके लिये मनुष्य मात्र स्वत ही समाजकी सेवा करता है । क्योंकि समाजकी सेवासे ही मनुष्योंकी जीविकाका निर्वाह होता है । अतएव यह तो कुछ विशेष बात नहीं है कि इसे तप. कहा जावे । जीविका के उद्देशसे वा स्वार्थसे जो समाज-सेवा है उसमें अनश्व तप.का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मनुष्योंकी चित्तवृत्तिकी ऐसी ही स्वाभाविक गति है । किन्तु समाज-सेवाके उद्देशसे समाजकी सेवा करना निष्काम वा परार्थपर कर्म होने से इसमें अवश्य तप.का लक्षण है । क्योंकि निष्काम वा परार्थपर होने में चित्तवृत्तिकी स्वाभाविक गति जो स्वार्थपरताकी ओर है उसे रोकना पड़ता है । यक्ष-युधिष्ठिरके इस प्रश्नोत्तरसे यह जाना जाता है कि, लोग निष्काम होकर याने समाजकी हित-चिन्तासे समाज-सेवा नहीं करते थे । लोग स्वार्थाभिसन्धिसे अपने वर्णके अनुरूप कर्मोंसे समाज-सेवा करते थे और अपनेको स्वकर्मनिरत समझते थे । स्वकर्म-निरतोंकी ऐसी ही परिस्थिति अब भी है । किन्तु स्वकर्म और स्वधर्ममें यह भेद है कि, स्वकर्म जब निष्काम होकर किया जाता है तब वह स्वधर्म कहाता है । अथवा यों समझना चाहिये कि, प्रत्येक मनुष्यका यह धर्म (कर्त्तव्य Duty) है कि वह स्वकर्म (जीविका निर्वाहक कर्म Occupation) निष्काम होकर करे ।

यक्षका प्रश्न था “ ब्राह्मणोंका कौन धर्म साधु है । ” इसके उत्तरमें युधिष्ठिरने कहा था “ तपस्या उनका साधुभाव है । ” अब यहाँ तपस्याका अर्थ यह समझा गया कि, जो ब्राह्मण निष्काम होकर स्वकर्म द्वारा समाजकी सेवा करता है वही तपस्वी है, साधु है, स्वधर्मका अनुवर्तनकारी है ।

ॐ “ वेदाभ्यासो हि तपः परमिहोषते ”—अर्थ—वेदाभ्यासही ब्राह्मणोंका परम तप कहाता है । (मनु सू० २-१६६) । कदाचित् यह उस समयमें कहा होगा जब ब्राह्मणोंमें शरीरतपका भी लोप हो रहा था ।

जो ब्राह्मण ऐसा नहीं करता वह स्वकर्मका अनुवृत्तकारी होकर के भी स्वधर्मसे पतित ही है। उस कालके ब्राह्मणों पर मनुभारतकारका ऐसा आक्षेप था। और इस कालमें भी वह आक्षेप ऐसा ही बना है। ब्राह्मण वर्णका स्वधर्म है क्षानार्जन और ज्ञानवितरण—“ ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानम् । ” (मनु) ।

यश्चनै पूछा—“ कुल, वृत्त, स्वाध्याय और श्रुति, इनमेंसे कौनसा ब्राह्मणत्वका कारण है ? ”

युधिष्ठिर महाराजने उत्तर दिया—“ कुल (जाति वा वर्ण), स्वाध्याय (वेदादि शास्त्रोंका अध्ययन), वा श्रुति (वेद—परन्तु यहा इन्का सङ्गत अर्थ वेदका अध्यापन है), इनमें से कोईभी ब्रह्मणत्वका कारण नहीं है, एक मात्र वृत्तही ब्राह्मणत्वका कारण है * । अतएव ब्राह्मणोंको वृत्तकी रक्षा

(५) ब्राह्मणत्वका कारण क्या है ?

विशेष रूपसे करनी चाहिये । वृत्त-ज्ञान न होनेसे ब्राह्मण कभी हीन नहीं होता। किन्तु क्षाणवृत्त होनेसे हां हीन हो जाता है। जो ब्राह्मण केवल अध्ययन, अध्यापन वा शास्त्र-चिन्ता करते हैं वे स्वयं व्यसनी (कल पढने पढानेही में आसक्त) और मूख हैं। (पण्डित) जो क्रियावान् है (शास्त्रोंके मर्मोंको काममें परिणत करनेवाले हैं) वेही यथार्थमें परिणत हैं। अतुर्वैद्वेत्ता व्यक्तिगतदुर्मन (दुराचारी वा दुष्टवृत्तिक) होने से कभी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। हां, वह शूद्रों से केवल वर्णमें भिन्न है इतनी ही विशेषता है। किन्तु जो अग्निहोत्र परायण है वही यथार्थ में ब्राह्मण है । ”

युधिष्ठिर महाराजका उत्तर हमलोगोंके लिए पहिली सरीखा है। अतएव उसमें जितने शब्द आये हैं उनमें से केवल “ वृत्त ” और “ अग्निहोत्र परायण ” ये ही दो शब्द ऐसे हैं जिनके आधार पर हमको इस पहिलीका रहस्य भेद करना है। क्योंकि इन्ही दो शब्दोंमें ब्रह्मणत्वके लक्षण बतलाये गये हैं। सुतरा इन दोनों में कोई विशेष सम्बन्ध भी होगा। उस विशेष सम्बन्ध पर लक्ष रखके हमको अपना निश्चार प्रगट करना पड़ेगा।

कोषके अनुसार वृत्त शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार सिद्ध होती है—
 धृत् + क्त = वृत्त। इसका अर्थ होता है—न्याय पूर्वक अथवा उपांजन करना, पालन करना †, वर्द्धन करना और सत् पात्रों में वाम देना—वृत्त के ये नार अङ्ग हैं। युधिष्ठिरके उत्तरमें “ अतएव ब्राह्मणोंको वृत्तकी रक्षा विशेष रूपसे करनी चाहिये ” यह जो वाक्य आया है उसका अर्थ यदि यह होता है कि, ब्राह्मणोंको न्याय पूर्वक,

(६) ब्राह्मणत्वका कारण वृत्त क्या है ?

* वेद पढ़नेका अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को ही । † अर्थात् पालन—गिरावणविला ।

अर्थका उपार्जन, पालन, वर्द्धन और सत् पात्रोंमें दान देना चाहिये तो वृत्त ब्राह्मणत्वका कारण नहीं माना जा सकता। क्योंकि सभी वर्णोंके गृहस्थ समाजके ये कर्तव्य हैं कि वे न्याय पूर्वक अर्थका उपार्जन, पालन, और वर्द्धन कर सत् पात्रोंको दान दें। वृत्त गृहस्थका सामान्य और बेधोराएल राजाओंका विशेष लक्षण हो सकता है। ऐसे वृत्तके क्षीय होनेसे गृहस्थ और धर्मोपकरणके वंशवर्ण (रोजगारी) एव राजा अवश्य हीन हो जाते हैं। वृत्त, केवल ब्राह्मण वर्णके ब्राह्मणत्वका कारण होनेके लिए उसका कोई गृह अर्थ होना चाहिये, जोकि केवल ब्राह्मण वर्णको ही लागू हो। वृत्तके जो चार अङ्ग हैं उनका अनुष्ठान चाहे अपने लिए किया जावे अथवा परायेके लिए किया जावे, उनका सम्बन्ध सदा समाजसे ही रहेगा। अपने लिए अर्थका उपार्जन, पालन, और वर्द्धन करना, हम विषयमें ब्राह्मणोंके लिए कोई विशेष विधि नहीं है। यदि कोई विधि होती तो प्रत्येक कर्मके लिए × शास्त्रमें पुरोहितोंके लिये दक्षिणाका मूल्य निर्धारित रहना और सकलकर्म मंत्रमें उसका उल्लेख हाता एव दक्षिणान्तके मंत्र में भी उस मूल्य का पुनरुल्लेख करना पड़ना। दक्षिणान्तके मंत्रमें — ह्य धेखते है कि यजमान हरीतकी फलसे लगा कर आशुम तक अपनी श्रद्धा और सामर्थ्यके अनुसार पुरोहितको दक्षिणा दे सकता है और पुरोहित भी उसीमें सन्तोष मानता है। किसी व्यक्ति विशेषके लिए अर्थका उपार्जन, पालन और वर्द्धन करना ब्राह्मणोंके द्वारा नहीं होना चाहिये, क्योंकि ऐसा कर्म व्यक्ति विशेषकी नौकरी होनेसे ब्राह्मणोंके लिए मनुस्मृति में मना है। (सेवा प्रवृत्तिराख्याता तस्मात्सा परिवर्जयेत्—वृत्तकी नौकरी कुट्टर वृत्ति है उसमें जीविका न करे। मनु ७० ४। ६)

अतएव समाजके लिए अर्थकी उत्पत्ति, पालन और वर्द्धनका उपाय सत् पात्रोंको याने वैश्य और अमिषिक्त राजाको बतला देना ब्राह्मणोंका वृत्त हो सकता है। ऐसा वृत्त, और धनोत्पत्तिके लिए व्यावहारिक शिक्षाका प्रचार, एकही बात है। और यह, शिक्षासे सम्बन्ध रखने के कारण ब्राह्मणोंका ही समाज नियोजित स्वकर्म है। चिन्ता “ क्रिया ” के, याने चिन्ता कोई नहीं

× श्रौत, इमात्, दानिष्ठ और पौराणिक क्रियायें जो पुरोहितोंके द्वारा कराई जाती हैं।

— दक्षिणान्त-मन्त्र—“ कृतैतत् अमुक कर्मण प्रतिष्ठार्थं दक्षिणामिदं काञ्चन मुल्यं रजत मूल्यं (कांचन मण्ड रजत खण्ड) हरितकी फलमर्चित्वा श्रीविष्णु देवतं यथा सम्भव गोत्र नाभने ब्राह्मणाय (तुभ्यम्) अहं ददामि । ”

+ जहाँ कहीं किसी पुरोहितमें इसके विपरीत आचरण देखनेमें आवे वहाँ समझना चाहिये कि इस पुरोहितमें साम्प्रिक वृत्तिकी कमी है।

ज्ञानके प्राप्त करने की चेष्टा किये, केवल अध्ययन अध्यापना और शास्त्रचिन्ता इनके पांडित्य वा ब्राह्मणत्वके परिचायक नहीं हो सकते । और यदि ब्राह्मण “वृद्ध” होगया, अर्थात् किसी नवीन ज्ञानको प्राप्त कर उसके सहारे अपने ही लिये अर्थका उपाजन चालन और वर्द्धन करने लग गया, एवं वैश्य वर्ण और अभिषिक्त राजाको उसकी शिक्षा नदी, तो उसने समाज-निर्याजित अपने स्वकर्मसे पतित होकर ब्राह्मणत्वको खो दिया ।

पुनश्च—वृत्तका अर्थ है—“ गुरुपूजा घृणा शौच सात्त्वमिन्द्रिय नियमः । प्रवर्तन हितानाच तस्य सर्वं वृत्तपुञ्जते ॥ ” (कौष से संगृहीत) अर्थात्, गुरुजनकी पूजा, पापकर्ममें घृणा, शौच, स्वत्य, इन्द्रिय-निग्रह और रागके हितमें रत रहना, ये सब वृत्त कहाते हैं । गुरुपूजादि सात्त्विक वृत्तिया जब सदाचार हैं तब सभी मनुष्यों की ऐसी वृत्तिया होनी चाहिये । तो फिर ये सब वृत्तिया केवल ब्राह्मणोंका ही वृत्त है ऐसा क्यों कहा गया ? मुद्दिष्टिर के उत्तरमें “ अध्यापना ” शब्दके रहने से यही सूचित होता है कि, यक्ष्णने ब्राह्मणवर्णके ही विषयमें प्रश्न किया था न कि मनुष्योंकी सात्त्विक वृत्तिका विषयमें । क्योंकि अध्यापना केवल ब्राह्मण वर्णका ही स्वकर्म है । अतएव वृत्त शब्दका अर्थ हमारे विचारके अनुकूल “ सबके हितमें रत रहना ” होना है । क्योंकि इसके साथ जीविकार्जनी वृत्तिका + जितना धनिष्ठ सम्बन्ध है, उतना धनिष्ठ सम्बन्ध गुरुपूजा, पाप कर्मोंमें घृणा आदिके साथ नहीं ।

अब देखना चाहिये कि, “ रागके हितमें रत रहना ” रूप वृत्त वा वृत्ति यदि किसीमें सम्पक् पुष्ट हुयी हो तो उसके क्षीण होनेकी कल्पना सम्भवपर हो सकती है । “ सबके हितमें रत रहना ” मनुष्यके लिये असाध्य बात है । हाँ, यत्र तत्र किसीका हित करना उसके लिये सम्भव है । परन्तु स्वज्ञान याने समाजका हित करनेके लिये शिक्षाका प्रचार करना ब्राह्मणोंके लिये न केवल सम्भवपर ही है बल्कि सहज और साध्य भी है—जैसाकि तुमको समाज तरवके वर्णनसे मालूम होगया है । अतएव शास्त्रोक्त विषयोका केवल अध्ययन, चिन्तन और अध्यापना ही ब्राह्मणत्वका लक्षण नहीं है । परन्तु शास्त्रीय शिक्षाको कर्ममें याने व्यवहारमें परिणत करना और कराना ही शिक्षक श्रेणी याने ब्राह्मणोंका यथार्थ लक्षण है । इसीमें इनका शिक्षकत्व वा ब्राह्मणत्व है । तथा, शास्त्रीय ज्ञान-नएडारमें नये नये ज्ञान रखीका संग्रह कर्ता ही वाग्मनविक परिउत है । और ऐसेही ब्राह्मण यथार्थमें पुरोहित

। वृत्ति - गुण + क्त - भा = अर्थ जीविका, व्यवसाय ।

याने समाजके हितकारी हैं। शास्त्राका मौलिक ज्ञान पारिच्छेदका लक्षण नहीं है। +

नये नये ज्ञान रत्नके समूह बिना समाजका सम्यक् जिन नहीं हो सकता। धर्मिक अनुष्ठानसमाजकी अवस्था स्थितिशील नहीं है। यानो उसकी उन्नति ही होगी अथवा उन्नतिको अभावमें अगमन ही होगी। पृथ्वी धामें वह नहीं रह सकती। इस कारण समाज-हित अर्थात् यथार्थ समाज-सेवाक अवसर-विरत तथा स्वयं परागण ब्राह्मणोमें नये नये ज्ञान रत्न आहरण करनेका साधन होना चाहिये। और ऐसा साधन जिसमें है उसीका रूपान्तर समाज-सेवाकी श्रेणीमें सबसे ऊँचा है। इस विचारसे युधिष्ठिर महाराजने अपने उत्तरमें कहा “ जो अग्निहोत्र परायण है वही यथार्थमें ब्राह्मण है ”। इससे अग्निहोत्रका ज्ञान आहरणका साधन कहा गया। अनप्य ज्ञान-आहरण रूप अग्निहोत्रके सात ज्ञान-वितरण रूप वृत्तका, साध्य-साधन रूप, घनिष्ठ सम्बन्ध है ऐसा अनुमान करना पड़ता है।

युधिष्ठिरके इन प्रश्नोत्तरोंमें यह जाना गया कि, उन दिनों ब्राह्मण लोग लकीरके फकीर होकर केवल वेद शास्त्रादिकोंका अध्ययन, अध्यापन किया करते थे। किसी नई बातका आविष्कार करना उन्होंने छोड़ दिया था। प्रकृति रूप महारत्नाकरका लक्ष्य उत्तम प्रष्ट हो गया था। समाज-सेवा का ज्ञान उनके मनसे लौप हो गया था। आज दिन भी * ब्राह्मणोंकी वही परिस्थिति है।

अब हमको, अग्निहोत्र कैसे ज्ञान-आहरणका साधन हो सकता है, इसका अनुसन्धान करना है। अग्निहोत्र एक प्रकारका नित्य यज्ञ है जो छिज जातिके (जिनका जनेऊ होता है) द्वारा अग्नि देवकी परितुष्टिके लिये प्रातः और सायंकालमें किया जाता था। ब्रह्मन्तर्याम्रममें रहते हुए इन द्विजजातित्रय (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के बालकोंको प्रतिदिन सन्धयोपासनाके अनन्तर अग्निसे काष्ठप्रक्षेपादि कर्म और भोजनके पूर्व हविः ब्राह्मणत्वका कारण प्रदान करना पड़ता था। यही ब्रह्मचारियोंका अग्निहोत्र अग्निहोत्र क्या है ? था। ब्रह्मचारी जब गुरुकी आज्ञा लेकर गृहस्थाश्रममें

+ यही आशयकी बात है कि, अब यज्ञेय वर्ण आर्यसमाजियों पर प्रकृत होकर अपने पूर्वजोंकी चलाई हुई “ शर्मा ” उपाधिकी छोड़कर “ परिष्ठत ” उपाधि लेने लग गये हैं चाहे वे शास्त्रका “ श ” भी न जानते हों। इस तरह “ परिष्ठत ” शब्द जब जातिवाचक या वर्णका सापेक्ष ही जायगा, तब इस समयके लेखोंमें दस जनोंके अर्थमें जो परिष्ठत शब्द आया है वह अकिञ्चित् अशुभोंके लिये प्रकृत हो जायगा।

* अब १९२५ ई० में दगर सुभन्ती हुई देखा पड़ती है।

प्रवेश करता था तब विवाहके अनन्तर × अपने घरमें विवाहमें स्वरूप किया हुआ अग्नि, वेद मंत्र द्वारा स्थापन करता था। इस अग्निमें उसे जो नित्य-क्रिया करनी पड़ती थी—याने प्रातः और सार्थकाल होम और अग्निकी उपासना और मध्याह्नकालमें हविः प्रदान—वही उसका अग्निहोत्र था। यह अग्नि कभी बुझने नहीं पाती थी। इस प्रकार गृहस्थाश्रमी वा अग्निहोष था। द्विज गृहस्थ जब तक गृहस्थाश्रममें रहता था तब तक गृहमें अग्निहोत्र कर्म करना था और जब जीवनकी तीसरी अवस्थामें याने ५० से ७० वर्षकी आयुमें वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश करता था तब उस गार्हपत्य अग्निको स्थाय्य लिये जाता था, और सन्यासाश्रममें प्रवेश करनेके पूर्व तक ऊपर कही रीतिसे अग्निहोत्र कर्म करता था। इस प्रकार वानप्रस्थाश्रमीका अग्निहोत्र था। अग्निहोत्र कर्म पारलोकिक श्रेयके लिये निष्काम धार्मिक नित्यकर्म माना जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मणोंके कथाके अनुसार अग्निहोत्रगत हविः ही अग्निका खाद्य है। इसके स्विनाय ओर जो कुछ हविः अग्निमें डाली जाती है उसे वह देवताओंकी पहुँचा देता है। इसलिये अग्निका एक नाम हव्यवाहन है।

उपर्युक्त अग्निहोत्र क्रियाको लक्ष्य करके युधिष्ठिर महाराजने ऐसा न कहा होगा कि, जो अग्निहोत्र परायण है वही यथार्थमें ब्राह्मण है। ऐसा कहनसे अग्निहोत्र परायण क्षत्रिय और वैश्यभी ब्राह्मणके लक्षणयुक्त अथवा ब्राह्मण होजाते हैं। अतएव किसी स्मन्त्र विद्याहीरी युधिष्ठिरने अग्निहोत्र शब्द कहा है।

अथवा क्या ऐसा समझना चाहिये कि किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण परिदितने स्पश्रेणीकी श्रेष्ठता बतलानेके लिये युधिष्ठिरके उत्तरमें उक्त वाक्य महाभारतमें प्रक्षेप किया है ?

पुनश्च, वेद मंत्र द्वारा स्थापित अग्निमें प्रतिदिन होम करना रूप अग्निहोत्रही यदि ब्राह्मणत्वका लक्षण ही तो “ वृत्त ही ब्राह्मणत्वका कारण है ” ऐसा कहना निरर्थक होता है। क्योंकि, पीछे जैसा अग्निहोत्रका वर्णन किया है उससे “ वृत्त ” का कोई सम्बन्ध नहीं दिखता। यदि किसी प्रश्नके उत्तरमें कहे हुए वाक्यका एक अंश दूसरे अंशके विरुद्ध होते तो वह वाक्य उस प्रश्नका यथार्थ उत्तर नहीं हो सकता। सुतरा, या तो वृत्तके साथ अग्निहोत्र की संगति है ऐसा मानना पड़ेगा अथवा अग्निहोत्रको यहाँ प्रक्षिप्त समझना होगा। “ जो अग्निहोत्र परायण है ” इस वाक्यको प्रक्षिप्त माननेके लिये यह भी अनुमान करना पड़ेगा कि उन दिनोंमें, इन दिनोंकी तरह, द्विज जाति

+ वसन्तकालमें धारुहण, ग्रीष्मकालमें अन्निय, और शरत्कालमें वैश्वदेव अग्नि की स्थापना करता था। पार्ष्णी लोगोंने इस प्रकारका अग्निहोत्र अभी तक चला आरंभ है।

भात्रके द्वारा अग्निहोत्र नित्य कर्म रूपसे आचरित नहीं होता था । सुतरां ब्राह्मणवर्णके जो लोग पूर्व पुरुषोंके अनुयायी होकर इसका नित्य आचरण करते थे, वे अपनेको अन्य ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ घतलानेके लिये " अग्निहोत्री " की उपाधि प्राप्त कर चुके थे । ऐसा अनुमान चाहे सत्य भी हो तथापि हम " जो अग्निहोत्र परायण है " इस घोषणाको प्रक्षिप्त माननेको प्रस्तुत नहीं हैं । अपरंच हम यह सिद्ध करने को प्रस्तुत हैं कि वृक्ष और अग्निहोत्रमें साध्य-साधन सम्बन्ध है और दोनोंकी विशेष सगति है । युप्रिष्टिकके ऐसे उत्तरसे केवल यही बात प्रकट होती है कि वे ब्राह्मण, जो केवल स्थूल अग्निकी रक्षा अपने घरोंमें करने हैं और केवल उसकी ही नित्य सेवा स्वधर्मकी भाँति करते हैं, किन्तु अग्निदेवसे वृक्ष रूप कार्य सम्पादनका उपाय नहीं पूछते x, यथार्थमें स्वधर्म परायण ब्राह्मण नहीं हैं ।

जाति, कुल अथवा वर्णके नामसे ब्राह्मणत्वकी सिद्धि नहीं होती, युप्रिष्टिकके मुखसे ऐसा कहलाकर महाभारतकारने समाजतत्त्वमें हमारी कहीं हुई वर्णव्यवस्थाकी ही पुष्टि की है । किन्तु वेदादिशास्त्रोंका " अध्ययन अध्यापना " (स्वाध्याय और श्रुति), तथा यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह (जिनका विशेष उल्लेख यहाँ पर नहीं है), इनमेंसे किसीको भी ब्राह्मणत्वका कारण अथवा लक्षण न मानना स्मृति विरुद्ध है । और तीनों वर्णोंके एक सामान्य कर्म अग्निहोत्रको ब्राह्मणत्वका कारण मानना एक रहस्यकी बात है । सुतरा इस रहस्यको समझनेके लिये, पीछे जैसा विचार करते चले आये हैं कि, समाजका हित करना और समाजके हितके लिये नये नये ज्ञानका आविष्कार करना ब्राह्मणोंका कर्त्तव्य है, ऐसा मानना होगा । अतएव ऐसे आविष्कारोंके लिये आवश्यक मानसिक शक्ति जिस देवताके आधीन हो ओर ऐसी शक्तिके प्रयोग करनेकी सामर्थ्य भी जिसमें हो उस देवताका आराधन करके कृतकार्य वा कृताथ होना ब्राह्मणत्वका कारण हो सकता है । अर्थात् जो ब्राह्मण समाजके हितकी कामनासे बुद्धि वृत्तिकी संचालना करता है एवं किसी नये ज्ञानके आविष्कारसे सफल मनोरथ होकर उसके द्वारा समाजको लाभ पहुँचा सकता है वही " यथार्थमें ब्राह्मण है " । जो ब्राह्मण केवल अध्ययन करता है वह " ध्यसनी " है और वक्षिणा लेकर केवल पढ़ाना और याजन कराना उसके लिये मेहनताना लेकर केवल दूसरोंका काम कर देना है, जैसा कि शूद्र मेहनताना लेकर काम करते हैं । और यजन कार्य

x हे शार्वर्षवान् अग्नि ! इत्थं यद् तस्य कृत्वाद्दये अिससे एव पृथ्वीके सब वस्तुओंका उपभोग कर सकें । सूर्यदेव अ० २ अ० १ अ० १ अ० १५ सू० १२७ अ० ११ (अतिशोच) अ०— " नदि शशिष्ठ महत्तुपि सद्यो भुंसि अहम् । "

अन्वय— " हे शशिष्ठ नः नदि संनद्ये कृपि भुंजे च अहम् (कृपि) । "

अपने पारत्वीकिक श्रेयके लिये होनेसे समाज-सेवाकी दृष्टिमें उसका कोई मूल्य नहीं है, तथा क्षत्रिय और वैश्यकी गजन करम करते हैं। वर्ण व्यवस्था युक्त हिन्दू समाजमें ब्राह्मणगण, समाजका नेता तथा शिक्षक है। गहनेत्व और शिक्षणता उसके ब्राह्मणत्वका कारण है। यदि वह समाजका अभ्युदय और व्यक्तियोंका निश्रेयस् साधन कर सकता है याने समाजका हित कर सकता है तो वह यथार्थमें ब्राह्मण है याने नेता और शिक्षक है अन्यथा वह केवल नाम मात्रका ब्राह्मण है। इन विचारोंसे युधिष्ठिर महाराजका उतर बराबर युक्तिसंगत होता है। और समाजका हित ज्ञानसाक्षेप हानेसे "ज्ञान" समाज-हित रूप साध्यका साधन हो जाता है। अतएव समाज-शिक्षक ब्राह्मणवर्णका साधन हुआ "ज्ञानार्जन," और साध्य हुआ "समाज-हित" जिनको युधिष्ठिर महाराजने "अग्निहोत्र" (ज्ञानार्जनी वृत्तिकी परिचालना) और "वृत्त" (सबके हितमें रत रहना) के नामसे कहा है।

अब हमको पुराणों और वेदोंमें इस बातका अनुसन्धान करना है कि, अग्निके साथ मनुष्योंकी ज्ञानार्जनी वृत्तिका वह कौनसा सम्बन्ध है कि जिसके आधार पर युधिष्ठिर महाराजने 'अग्निहोत्र परायण' शब्द कहा है। पुराणोंमें अग्निका परिचय इस प्रकार मिलता है—(१) "अग्नि, पुराणोंमें अग्नि देवता कश्यप (मरुत्) और अदिति (आकाश) के पुत्र है।" का परिचय। यहा अग्नि, तेजः तत्व है। क्योंकि आकाश और वायुके मेलसे तेजः तत्व (उष्णता और प्रकाश) की उत्पत्ति दर्शन शास्त्रोंमें मानी गई है।

(२) "धर्मसे, वसु-नाम भाष्योंके गर्भमें अग्नि उत्पन्न हुए थे।" वसुधा पृथ्वीका नाम है। खुररा वसु शब्दसे जीव और स्थावर वस्तुओंका लक्ष्य होता है। धर्म वह है जो जीवोंको धारण (पालन, पोषण, उन्नत) करना है। अपने पालन-पोषणकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेवाली मनुष्योंकी मानसिक चेष्टा और स्वावर वस्तुओंके संघर्षसे कार्यकारिणी बुद्धि उत्पन्न हानी है—यथा, भूमि, जल और वीज पृथ्वीपर उपस्थित रहते हुए भी आदिम मनुष्योंको कृषि-कौशलका ज्ञान न था। केवल अन्नकी आवश्यकताका ज्ञान था। उसकी पूर्तिके लिये उनमें इच्छा थी। यह इच्छा जब बलवती होकर अन्नके उपादान भूमि, जल और वीजके संग मिलकर चेष्टान्वित हुई, तब दोनोंके संघर्षसे कार्यकारिणी बुद्धिका उदय हुआ—जिससे कृषि-कौशलका आविष्कार हुआ। इसी प्रकार अन्य विषयोंमें भी समझो। उचित उपायसे जीवन यात्राके तथा अपनी उन्नतिके लिये जो प्रयत्न किया जाता है वह धर्म है और यही, कर्त्ता हानेके कारण रूपकमें भर्त्ता कहा गया। और वसु याने अन्य पार्थिव वस्तु, उपादान होनेके कारण रूपकमें भाष्यी कही गयी। इन

दानोके संवर्षरी जो कार्यकारिणी बुद्धि उत्पन्न होती गयी उग्नको रूपकमें अग्नि इसलिये कहा कि सवर्षसे ही अग्नि (उत्ताप) की उत्पत्ति होती है ।

अतएव, अग्नि शब्दसे मनुष्योंकी वह मानसिक वृत्ति विवक्षित है जिसकी शक्तिसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके लिये स्थावर वस्तुओंको उपयोगसे लाते हैं । मनुष्योंकी वह मानसिक वृत्ति ' बुद्धि ' है ।

(३) " (क) अग्निके तीन पैर, (ग) सात हाथ और (ग) दो मुख हैं । " (क) सात्विक, राजसिक, और तामसिक बुद्धि—इस प्रकार बुद्धिके तीन भेद देखे जाते हैं । निम्न स्वभाव स्वभावगुणके आधार पर बुद्धि काम करती है उस समय वह सात्विक, रजोगुण पर राजसिक, और तमोगुणके समय तामसिक कहाती है । बुद्धि इन तीनों गुणोंमें किसी एक पर खड़ी होकरही काम करती है । अतएव ये तीन गुणही उसके तीन पैर हैं, अर्थात् स्थिति स्थान है । (ख) पान ज्ञानेन्द्रिया, निम्न पाँच अहङ्कार ये सात स्थान, बुद्धिके कार्य करने और प्रकाशित होनेके साधन हैं, इसलिये कहा गया है कि अग्निके सात हाथ हैं । (ग) जीवित प्राणीमें मुग्धमण्डल (कण्ठसे ऊपर का भाग) ही प्रधान अङ्ग है । मनुष्य इसी अङ्गके द्वारा अनायास पहचाने जाते हैं । गीताके सातवें अध्यायके चौथे श्लोकमें कहे हुए—भूमि, जल, अनल (अग्नि) धातु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कार, और जीव (प्राण) इन नव तत्त्वोंमेंसे प्रथम पाँच अचेतन हैं, दूसरे तीन चेतनप्राय हैं, और शेष एक चेतन है । अचेतनकी कोटिमें जो अनल वा अग्नि है उसके दो विभाग हैं । एक अपनी सूक्ष्मताके कारण तेजस्तत्व कहाता है जिसका रूप विद्युत्के प्रकाशमें हम देखते हैं । दूसरा अपने स्थूलत्वके कारण आग कहाता है । अग्निका सूक्ष्म रूप तेजस्तत्व जब प्राणके साथ देहमें सम्मिलित होना है तब वह बुद्धि रूपसे प्रकाशित होता है । अतएव अग्निका अचेतन स्थूल रूप अङ्कार, प्रकाश आदि, जो ताप और आलोक देनेवाले हैं, उसका एक मुख है । और उसका चेतनप्राय सूक्ष्म रूप, जो प्राणियोंकी देहमें बुद्धि रूपसे प्रकाशित होता रहता है, वह उसका दूसरा मुख है । अर्थात् अचेतन ' तेज ' और चेतनप्राय ' बुद्धि ' ये दो तत्व अग्निके दो मुख हैं ।

अग्निके सम्बन्धमें पुराणोंमें कहे हुए रूपककी मैंने जिस प्रकार व्याख्या की है, उस परसे तुम समझ गये होंगे कि महाभारतकारने भी पुराणोंकी शैलीसे ' ज्ञानार्जुनी पृथिवी सञ्चालन जो करता है ' इस आशयको " जो अग्निहोत्र पराथण है " इन शब्दों में कहा है । इसीकी पुष्टिमें अब वेदसे अग्निका कुछ परिचय दिया जाता है ।

ऋषियोंकी वाणीरूप वेद मन्त्रोंका मौखिक प्रचार कब से चला आ रहा था हमको मालूम नहीं । ओर वेद संगीत याने उन मन्त्रोंका नमबद्ध संग्रह,

देवीयों को न बस
अग्नि मानी गई है ?

हामेंके पूर्व वे किस क्रमसे कण्ठस्थ किये जाते थे सो भी हमें मालूम नहीं। वेदका हम लोगोंने जिस रूपमें प्राप्त किया है वह रूप महर्षि ऋष्यायणायणका दिया हुआ है। महर्षिजीने वेदमन्त्रोंको संग्रह करके चार भागोंमें विभक्त किया था, यथा—ऋक्, साम, यजु और अथर्व। इन चारों वेदोंमें ऋग्वेद प्रथम सम्भक्त जाता है। इस ऋग्वेदके आरम्भमें ही अग्नि देवकी स्तुति मिलती है। इससे हमारी समझमें यही बात आती है कि महर्षि व्यास भी 'अग्नि' शब्दसे बुद्धि तत्त्वका ही अर्थ मानते थे। सृष्टिके विषयमें बुद्धितत्त्व (महत्तत्त्व) का विकास सर्व प्रथम हुआ था (प्रकृतेर्महान-प्रकृतिसे महत्तत्त्व हुआ—स्वास्थ्य), ऐसा माने जानेके कारण महर्षिजीने इस चेतनप्राय तत्त्वकी स्तुति विषयक मन्त्रको वेदके आरम्भमें ही स्थान दिया है। यदि अग्नि शब्दसे वे अचेतन कोटिके स्वरूप और स्थूल अणुको सम्भक्तते तो व्योमके देवता इन्द्रकी रतुतिको सर्व प्रथम स्थान देते। हा, यह शङ्का हो सकती है कि, जब अग्निके बिना किसी भी देवताके निमित्त होम नहीं किया जा सकता, तब अग्निको प्रथम स्थान क्यों नहीं मिलना चाहिये ? परन्तु यह युक्ति हीनबल है, जैसा कि, नीचे लिखे वेद मन्त्रकी व्याख्यासे सिद्ध होता है—

ऋग्वेद—१ अष्टक—१ मण्डल—१ अ०—१ अनु—१ सूक्त ।

मन्त्र १—“ अग्निमीडे पुरोहितं यन्नस्य देवदृष्टिजम् होतारं रत्नधानमम् । ”

अर्थ—अग्नि सब देवताओंका अग्रणी (अगुआ) है, यज्ञका सम्माननीय आचार्य है, असंख्य रत्नोंका निधि है। (श्रुतबोध)

व्याख्या—(१) जीवमें बुद्धिका बोध रूप कार्य्य प्रथम होता है, अनन्तर इन्द्रियोंके कार्य्य प्रकाशित होते हैं। जैसे—नीच खुलने पर पहले अपने अस्तित्वका बोध हुआ, अनन्तर शीत मालूम हुई तब कपडा ओढा। इस दृष्टान्तसे सम्भक्त गया कि इन्द्रियोंके कार्य्य प्रकाशित होनेके पूर्व बुद्धिका कार्य्य प्रकाश पाता है। इस मन्त्रमें इन्द्रियोंको देवता कहकर बुद्धिको उनका अग्रणी कहा है।

(२) शिक्षक या उपदेशकको आचार्य्य कहते हैं। जड अग्नि यज्ञ संस्थानधी कर्मोंका उपदेशक नहीं हो सकता। बुद्धि छाराही ये कर्म प्रकाशित हुए हैं, अतएव बुद्धितत्त्वको ही यहाँ अग्नि कहा है।

(३) असंख्य रत्नोंका निधि जड अग्नि नहीं है। रत्नोंकी निधि तो पृथ्वीही है। किन्तु पृथ्वीसे रत्नोंको (सब प्रकारके धन धान्य) संग्रह करने के लिये बुद्धिकी सहायताकी आवश्यकता होती है।

मन्त्र ५—“ कविऽकतुः— ” अर्थ—“ बुद्धिशाली परिडतोको, ज्ञान-सामर्थ्य अग्निमें प्राप्त होती है । ” (श्रुतिबोध)। इसका अभिप्राय यह है कि, सृष्टि कार्यमें तेजऽस्तत्त्व ही क्रियाशक्ति है। इस क्रियाशक्ति को जो बुद्धिमान पुरुष विचारते रहते हैं उनमें दो तरहकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है—पदार्थोंके गुणोंके विचारसे वैश्विक उन्नति साधक सामर्थ्य और अन्तर्जगत्की क्रियाओंके विचारसे अध्ययान्म विषयक जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे मुक्ति पानेकी सामर्थ्य। अतएव बुद्धिके द्वारा प्रकृतिके अनुशीलन रूप कर्मको वेद मन्त्रके आधार पर महाभारतकालमें गुधिष्ठिरके मुग्धसे “ अग्निहोत्र ” शब्द कहलाया है,—ऐसा सिद्ध होता है।

पुनश्च, मन्त्र ५—“ सत्यः— ” अर्थ—“ अग्निके दिये हुए वर निःसशय सफल होते ही हैं । ” (श्रुतिबोध)। इस मन्त्रसे क्या यह समझना चाहिये कि, और देवताओंके दिये हुए वरके सफल होनेमें संशय रहता है? यदि सशय नहीं रहता है तो क्या यह स्तुति केवल चाटुवाद मात्र है? ऋग्वेदमें जिन मनुष्योंमें अग्निकी स्तुति गाई है वे ऋषि-पद्योंको पहुँचे हुए थे। ऋषिपद्योंके योग्य वही मनुष्य होता है जिसका शरीर और अन्तःकरण शुद्ध तथा सरल है, चाटुकार तो अन्तःकरणका कुटिल होता है। पहिले कह चुके हैं कि तेजऽस्तत्त्व तथा रजोगुण (क्रियाशक्ति) का स्थूल रूप अग्नि है। रजोगुणका कार्य उत्साह और उद्योग है। जो रजोगुणका अनुरागी (पूजक) पुरुष रजोगुण रूपी अग्नि देवसे कोई अभीष्ट वर मागकर उसकी सफलताके लिए उत्साह पूर्वक उद्योग करता है उसका वह वर सफल होनेवाला ही है। क्योंकि ऐसा मनुष्य स्वभावसे ही उत्साही होता है। वह आलसीके समान यह नहीं सोचता कि कोई दूसरा अथवा देव मेरा अभीष्ट साधन कर देगा।

दृष्टान्त—किसी महात्माने वे विनाशियोंको यह वर दिया कि मुझ प्रवेशिका परीक्षामें उत्तीर्ण हो जाओगे। उनमें से एकने उस वरको निमित्त मानकर अपने पाठमें मन नहीं लगाया, वरके भरोसे निश्चिन्त होकर बैठ गया। दूसरे लड़केको वह वर ऐसा उत्साह वर्द्धक हुआ कि वह दृढ़ने उत्साहसे अपने पाठमें परिश्रम करने लगा। फल यह हुआ कि आलसी लड़का तो परीक्षामें फेल हो गया और उत्साही लड़का प्रथम भागमें ससम्मान उत्तीर्ण हो गया। हम लोग अपनी आत्मिक उन्नतिके लिये परमात्मासे जो प्रार्थना करते हैं उसकी भी यही दशा होती है। ज्योंही हम लोग परमात्मासे प्रार्थना करते हैं त्योंही वह हमको वर देता है। परन्तु हमारा यत्न अथवा आलस्यही अन्तको प्रकाश कर देता है कि वह प्रार्थना और वर सफल अथवा विफल हुए।

अतएव “रजोगुणका (अग्नि का) दिया हुआ वर निःसशय सफल होता है ” ऐसा कहनेका अभिप्राय यह है कि, उद्योगी पुरुषका अभीष्ट यद्यपि उसके

उद्योगमें ही सिद्ध होता है तथापि उद्योगके मूलकारण अपने रजोगुणको अपनेसे भिन्न एक देवता मानने से वह पुरुष कृतत्वाभिमानसे बद्ध नहीं होता ।

“अग्निहोत्र परायण” शब्दोंसे युधिष्ठिरके कहनेका यह अभिप्राय है कि जो ब्राह्मण, चाहे वह वेदवेत्ता परिडित हो या न हो, उद्योगी और उत्साही होकर समाजके हितमें अपनी बुद्धिका प्रयोग करता है वही यथार्थमें ब्राह्मण है * ।

मन्त्र ८—“ गोपाप्तस्य ”—अर्थ—“ (यज्ञके) सब विधियोंका रक्षण करनेवाला अग्नि ही है ” । (श्रुतिबो १) ।

यज्ञकी विधिकी रक्षा वा लेाप होना यज्ञ करनेवालो पर निर्भर है नकि अचेतन यज्ञाग्नि पर, तथापि यहा ऐसे अग्निको उसका रक्षक क्यों कहा गया ? वैदिक युगमें लेयन प्रणालीकी सृष्टि नहीं हुई थी । ब्राह्मणवर्ण वेद मन्त्रादि पुरुष परम्परासे मौखिक सीखत चले आते थे । ऐसी मौखिक शिक्षाका स्मरण रचना मनुष्योंकी स्मृति-शक्ति पर निर्भर है । यह स्मृति-शक्ति, बुद्धि इन्द्रियके अन्तर्गत एक शक्ति है । और यह स्मृति-शक्ति जीवात्माके साक्षिधर्मों तैजसत्वके द्वारा बुद्धिवृत्तिमें प्रकाश होती है † । अतः अग्निही स्मृति-शक्तिका कारण है और बुद्धि रूपमें जीव देहमें स्थित है, ऐसा इस स्तुतिसे ज्ञात हुआ ।

अनप्येव ‘ वृत्त ’ और “ अग्निहोत्र परायण ” शब्दोंसे युधिष्ठिर महाराजके कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि, जो ब्राह्मण अपनी बुद्धि वृत्तिका उपयोग समाजके हित (उन्नति) के लिये करता है वही यथार्थमें अग्निहोत्र परायण है और ब्राह्मण है, चाहे वह स्ववर्ण निर्दिष्ट कर्म अध्ययन एवं

ॐ महाभारत शान्तिपर्व २०९—“ अग्निहोत्रादिकं अनुष्ठान द्वारा दूसरेका हित किया जा सकता है परन्तु सर्वन्यागी होनेसे अपनाही श्रेयोलाभ होता है ।

† इसका दृष्टान्त ग्रामोफोन है । ग्रामोफोनमें प्लेट के स्रृश अन्तःकरणमें चित्त है । प्लेट पर जो अङ्कित लकीरें हैं, वे चित्त पर वाद्य विषयोंके इन्द्रिय ससर्गजात संस्कार हैं । ग्रामोफोनकी सुई, अन्तःकरणमें मन है । प्लेटको घुमाने के लिये ग्रामोफोनका स्प्रिङ्ग घुँटकर जो दम भरा जाता है वह अन्तःकरणमें तैजसात्मकी शक्ति है जो, कभी चित्त रूपी प्लेटको और कभी मन रूपी सुईको चित्तके संस्कार रूपी लकीरों पर घुमाता है (जब हम किसी बातको स्मरण करना चाहते हैं उस समय मन चित्त पर आवश्यक संस्कारको ढूँढता है, और अन्य समय जब बिना प्रयोजन चिन्तार्यों मनमें उठतीं रहतीं हैं उस समय प्लेटकी तरह चित्त ही मन रूपी सुईके नीचे घूमता रहता है) । इससे जो फल उत्पन्न होता है वह कभी “ स्मरण ” और कभी “ संस्कार-विकल्प ” कहलाता है ।

अध्यापना और स्थूल अग्निमें नित्य होम न भी करता हो। और जो ब्राह्मण केवल जीविकाकी चिन्तासे अध्ययन एवं अध्यापना करता है और स्ववर्णके कर्त्तव्य ज्ञानसे तथा धार्मिक भावनासे केवल स्थूल अग्निमें नित्य होम करता है वह परिङ्गन नहीं है, समाजसेवा-ज्ञान रहित मूर्ख है। एव जो ब्राह्मण अपनी विद्या-बुद्धिका उपयोग केवल अपने ही हितके लिये करता है, वह ब्राह्मण वर्णके प्राप्य सन्मानके योग्य नहीं है, बरु पतित है।

महाभारतकारके इन आक्षेपोंके लिये यही प्रकाश होता है कि उस प्राचीन कालसे ही ब्राह्मणोंमें समाज-सेवा ज्ञानका लोप हो चुका था।

गणेश—पाश्चात्य देशोंके विद्वानोंने विज्ञान-जलसे अपनी अपनी जातिकी जैसी उन्नति की है वैसे ही अपने देशकी उन्नति ब्राह्मणोंको करनी चाहिये, ऐसा सिद्ध करनेके लिए आपने महाभारतके यज्ञ-युधिष्ठिर सम्वादाका तथा वेद मन्त्रोंका जैसा युक्ति सहित अर्थ किया वह आपकी कपोलकल्पना है अथवा परिङ्गताको भी मान्य है, इसमें मुझे शङ्का है।

मायानन्द—तुममें अथवा किसीभी श्रोतामें ऐसी शङ्काका होना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि वेद, पुराण, रघुति, वृशन इत्यादि जिनमें आर्ष ग्रन्थ है, कहीं भी रघु रूसे उनमें ऐसा नहीं लिखा है कि “ समाजकी सेवा करना समाजके मनुष्योंका परम धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति समाजका सेवक है, और समाज, समाजके प्रत्येक मनुष्यका पोषण करनेवाला है। इसलिये प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य है कि वह अपनी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्तके अनुसार समाजकी उन्नतिकी चेष्टा करे। ” यह स्पष्ट रूपों नहीं लिखा गया, इसका कारण काश्चित् यह हो कि लेखन कलाके आविष्कृत होनेके सैकड़ों वर्ष पूर्व से ही हम लोगोंमें समाज-सेवाका ज्ञान लुप्त हो चुका था। तथापि ऐसा कोई आर्ष ग्रन्थ नहीं है जिसमें समाज-सेवाके विषयमें कुछ न कुछ लिखा न हो। यह अवश्य है कि वह ऐसे शब्दोंमें है कि, जिसको धर्मका गूढ तत्व मालूम नहीं उसको बिना टीकाके उनके वास्तविक अर्थका बोध नहीं हो सकता, क्योंकि, जैसे स्थूल वस्तु कालके आक्रमणमें रूपान्तरित होती जाती हैं वैसेही, कालान्तरमें भाषाके शब्दोंके अर्थ-ज्ञानका भी रूपान्तर होता जाता है। परन्तु जो जानता है कि समाजकी स्थिति और उन्नतिके लिए समाज-सेवा, धर्मका आधा अङ्ग है, उसको आर्ष साहित्य और शास्त्र ग्रन्थोंके प्रत्येक पन्नेमें समाज-सेवा विषयक उपदेश ही उपदेश सूझता है। समाजके हितकारी शासनका

अरिहोत्रकी व्याख्या पर शङ्काके निवारणमें वैशेषिक मतके अनुसार धर्मको व्याख्या।

समस्त शारीरिक हे और समाजके हितसे जिसका सम्बन्ध है वह साहित्य है ।

वैशेषिक दर्शनमें महर्षि कणादने धर्मका जो लक्षण निर्णय किया है वह यह है,—

यतोऽभ्युदयनि श्रयस सिद्धिर्धर्मः ।

अर्थ—जिससे अभ्युदय (और) निःश्रेयसकी सिद्धि होती है वह धर्म है ।

धर्म । उदय = अभ्युदय,—अर्थ = उदय, उत्थान, मङ्गल, उन्नति, वृद्धि ।

नि + श्रेयस् = नि श्रेयस्,—अर्थ = कल्याण, मोक्ष । श्रेय शब्दका अर्थ है, मङ्गल, स्वर्गप्रद ।

यह जो साढ़े तीन हाथका सजीव मनुष्य है वह, अन्त करण और शरीरका एक मेल है । मनुष्यको अपने शरीर और अन्त करणका सुख आभोग्य है । यदि प्रत्यक्षमें उसके शरीरको सुख हुआ और आभोग्यतरिक चिन्ताओंके कारण अन्त करण असुखी रहा तो उसके लिये वह शारीरिक सुख सुखही नहीं । शरीरके दुःखका बोध रहते हुए अन्त करणको आत्मिक सुखका बोध होना भी सम्भव नहीं । अतएव जीवितकालमें यह अपने पूरे मेलका सुख चाहता है । मनुष्यका यही सहज स्वभाव है ।

आत्मिक मनुष्यको यह विश्वास है कि मनुष्यको दो अवस्थायें होती हैं । एक जीवितदशा और दूसरी मरणान्तरकी दशा । इन दोनोंही अवस्थाओंमें मनुष्य सुखसे रहना चाहता है । इस लोकमें—और यदि उसका विश्वास स्वर्गलोकमें है तो शरीर छूटनेके बाद—स्वर्गमें भी, वह सुखी रहना चाहता है । और यदि, मरनेके बाद पुनः इसी लोकमें जन्म होता है, ऐसा वह मानता है तो फिर इसी लोकमें, जन्मान्तरमें भी वह सुखी होना चाहता है । और जो आवागमनसे छुटकारा पानेको याने मोक्षको ही कल्याणप्रद समझता है वह मरणान्तरमें मुक्ति चाहता है ।

मनुष्यको ऐसी सुखानुसन्धानकारिणी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विचार करके महर्षि कणाद कहते हैं कि, जिससे मनुष्यके इहलौकिक और पारलौकिक अभीष्टकी सिद्धि हो, वा शरीर और अन्त करणके सुखोंकी युगपत् सिद्धि हो, वह धर्म है ।

। शब्दोंके अर्थ—ज्ञानके रूपान्तरमें एक दृष्टान्त " साहित्य " शब्दका है । सम् । हित + पद्यञ् = साहित्य । इसका प्राचीन अर्थ था—दृष्टसाधक वा हितसाधक गुणका होना । प्राचीन अर्थ है—वाच्यशास्त्र, शब्दशास्त्र, Litteratura ।

इहलौकिक और पारलौकिक सुख कर्म साध्य है। अतएव धर्म, कर्म सापेक्ष है याने धर्मका रूप कर्म है। अब यही विचार करना चाहिये कि वे कौनसे कर्म हैं, जिनसे धर्म हो सकता है या वे धर्म कहे जा सकते हैं। अर्थात् उन कर्मोंसे लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक निःश्रेयस्की सिद्धि होती हो अथवा शारीरिक और मानसिक सुखोंको युगपत् सिद्धि होती हो।

श्रीभगवान्‌के कहे हुए " यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य मिद्धि विन्दति मानवाः । " मन्त्र रूप उपदेशमें ही केवल वह कर्म निहित है जिससे, जातियों और साम्प्रदायिक धर्मोंमें विना विरोध उत्पन्न हुये ही, मनुष्यमात्रके लिये लौकिक और पारलौकिक अथवा शारीरिक और मानसिक सुखोंकी युगपत् सिद्धिकी सम्भावना है। यह बात तुम तब समझ जाओगे जब हम इस मन्त्रकी व्याख्या कर चुकेंगे। प्रचलित धर्म-कर्मोंमें से तो मुझे कोई भी ऐसे लक्षणगुण नहीं दिखाई पड़ता जिसको मैं महर्षि कणादकी कथित परिभाषाके अनुसार धर्म-कर्म कह सकूँ।

यदि प्रतिदिन गङ्गा स्नान धर्म-कर्म हो तो इसकी परीक्षा यों करनी चाहिये—कोई मनुष्य किसी ऐसे प्रदेशमें जाकर, गङ्गानदी पर बसे जहा कोसों तक मानवकी वृत्त न हो। और फिर वह प्रतिदिन गङ्गातीरमें स्नान करता

धर्म और पुण्य कर्मों का भेद।

जाय और देखता जाय कि क्षया लगने पर अन्न, जाड़ा लगने पर कपड़ा, धूपमें छाता और वर्षामें मकान, तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द ये पाँचों प्रकारके भोग्य विषय, पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके लिये उसे स्वयमेव मिलते हैं वा नहीं। यदि न मिलें तो जानना चाहिये कि गङ्गा-स्नान, वह धार्मिक कर्म नहीं है जिससे मनुष्यको लौकिक सुख मिल सकता हो। मान लिया जाय कि ऐसे गङ्गा-स्नानसे पारलौकिक सुख मिलेगा, किन्तु यह गङ्गा-स्नान रूप कर्म धर्मका पूरा रूप न होगा। क्योंकि इससे इहलौकिक और पारलौकिक सुखोंमें से केवल एक सुख मिला, दोनो सुख न मिले। जब, अन्तःकरण और शरीरके मेलका नाम मनुष्य है, तब यदि इस मेलमें से कोई एक पृथक् हो जाय तो एकको हम लाश और दूसरेको लिंग शरीर कहेंगे। उनमें से किसी एकको भी मनुष्य न कहेंगे। वैसे ही, जिस कर्मसे केवल लौकिक अथवा पारलौकिक सुखकी सिद्धि होती है, उसे ' धर्म ' के सिवा और किसी भी नामसे पुकार सकते हैं।

इस तरह प्रत्येक कर्मका, जिसको लोग अब धर्म कहते हैं, विचार करने से ज्ञान होगा कि उसका सम्बन्ध, स्वतः वा परतः, मुख्यतः वा गौणतः, दूसरेके तथा अपने लौकिक अथवा पारलौकिक सुखसे है और उसका आचरण कष्ट साध्यभी है। परन्तु महर्षि कणादके धर्मकी परिभाषाके अनुसार उसमें धर्मके पूर्ण लक्षणका अभाव है, और भगवान्‌ कथित कर्मके सङ्घ, वह सहज और सर्व-साध्य भी नहीं है।

गङ्गा स्नानही पर पुनः विचार करे। सांख्यिक भावनायुक्त होकर, गङ्गा स्नान करनेसे सत्वगुणकी वृद्धि होती है। सत्वगुणकी वृद्धिसे तमोगुण का हास, तमोगुणके हास तथा सत्वगुणकी वृद्धिसे स्वाथपरता कम होकर पराथपरता रूप सदृशिका आविर्भाव, स्वदृष्टिके आविर्भावसे दूसरेके अपकार करनेमें सङ्कोच तथा अन्यके उपकार करनेमें उत्साह होता है। अतएव इन बातोंसे धर्मके साथ गङ्गा स्नानका गौण सम्बन्ध हुआ। और स्नानमें शरीर और मनके जो अस्वाद दूर हुए एव शरीरकी निर्ममतासे जो आरोग्यकी वृद्धि हुई— इन बातोंसे स्नानके साथ धर्मका मुख्य सम्बन्ध हुआ। परन्तु यदि ऐसा कोई कर्म होता, जिससे दूसरोका तथा अपना साक्षात् उपकार वा हित एक साथ होता और पुनः उसीसे पारलौकिक श्रेय प्राप्तिकी भी सम्भावना रहती तो वह कर्म महर्षि कणाद कथित धर्मके पूर्ण लक्षण युक्त होता। भगवान् श्रीकृष्णोक्त “स्य स्य कर्म” ही केवल एक ऐसा कर्म है जिसके यद्योपदिष्ट आचरणसे दूसरोको तथा आचरण करनेवालेको साक्षात् उपकार वा हित एक साथ होता है और आचरण करनेवालेके पारलौकिक श्रेय का होनाभी निश्चित रहता है।

जिस क्रियाका फल साक्षात् दूसरोको नहीं पहुँचता ऐसी गङ्गा स्नान धार्मिक कर्मके लक्षण। रूपी एकाङ्गिक क्रियासे यदि धर्मका सम्बन्ध पाया गया, तो जिनका फल साक्षात् दूसरोको पहुँचता है ऐसी क्रियाओंके साथ धर्मका कितना अधिक सम्बन्ध न होगा? भूखेको अन्नदान रूप क्रियाका फल भूखेको तृप्तन मिलता है, और उस भूखेका फल दूर होनेकी भावनामें दाताको सत्त्व रूप साक्षात् फल मिलता है एवं उसकी भूख दूर होनेसे उसे जो सुख होता है उस कारण दाताके लिये सुकृत् वा पुण्यका उदय होता है। अतएव इस प्रकार अन्नदान कर्म धर्मका रूप हुआ।

परन्तु, महर्षि कणादके धर्मकी परिभाषाके अनुसार ऐसा उभयतः साक्षात् फलप्रद कर्म भी धर्मसे गौण सम्बन्ध रखनेवाला है। इस अन्नदान रूप क्रियामें जो मङ्गल वा सुख हुआ वह स्थायी और व्यापक नहीं है। क्योंकि अभी परितृप्त हुआ वह व्यक्ति कल पुनः क्षुधातुर होगा, और परितृप्त अवस्थामें वह समाजकी कोई सेवा करता वा न करता इसका भी कोई निश्चय दाताको नहीं था। सुतरा, ऐसी अनिश्चित दशामें इस अन्नदान क्रियाके साथ समाजके उपकारका भी साक्षात् सम्बन्ध नहीं पाया जाता, इसलिये यह व्यापक नहीं है। इस कार्यसे केवल व्यक्तिगत सुख और मङ्गलके होनेसे यह पुण्य मात्र है।

परन्तु समाज-सेवा रूप जिन कर्मोंके द्वारा—याने शिक्षण, रक्षण, पोषण वा परिश्रम रूप सेवासे—दानाने अन्नका सप्रह क्रिया था उन कर्मोंमें ऐसे परीपकारक कार्योंका बीज निहित है। सुतरा, जिन कर्मोंमें दूसरोके लिये तथा अपने लिये सुखका बीज व्यापक रूपसे निहित हो, याने समाजको लौकिक सुख

और व्यक्तिको लौकिक तथा पारलौकिक सुखका होना सम्भव हो, वे ही धर्म-कर्म हैं। इन्हींके आचरणसे आचरणकारी चतुर्पग याने धर्म, अथ, काम और मोक्षका भागी होता है। समाज-सेवा रूप कर्मोंका आचरण गीतोंके विविधत् निष्काम होकर करना है, याने समाजकी हित चिन्तासे स्व स्व कर्मोंका, याने जीविका निर्वाहोपयोगी कर्मोंका आचरण करना है। ऐसी निष्काम समाज-सेवासे समाजको अभ्युदय (उन्नति) और कर्त्ताको निःश्रेयसकी सिद्धि होती है। और व्यक्ति रूपसे समाजका अङ्ग होनेसे समाजका सुवैभवासे कर्त्ताको भी सुख होता है। ऐसे ही विचारसे महर्षि कणादने धर्मकी ऐसी परिभाषा की है, ऐसा मानना होगा, अन्यथा कर्त्ताके ही लिये अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होना स्वीकार करने से धर्माचरण कामना परतन्त्र हाजाता है। जिससे कर्त्ताको निःश्रेयस (मुक्ति) की प्राप्तिमें बाधा पहुँचती है, एवं महर्षिका वाक्यभी वदनेोव्याघ्रात् लक्षणाक्रान्त हो जाता है।

समाजकी उन्नतिसे व्यक्तियोंकी उन्नति और व्यक्तियोंकी उन्नतिसे समाजकी उन्नति ऐसा दोनोका जो अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है उस पर से यदि कहा जाय कि, व्यक्तिगत उन्नतिको लक्ष्य करके महर्षिजीने “ यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः ” ऐसा कहा है, तो उसका उक्त यह है कि, व्यक्तिक उन्नतिके रास्तेमें समाज सेवकोको कामना परतन्त्र हो जाना पड़ता है, जिससे उनके निःश्रेयसकी सिद्धि नहीं होती और समाजभी उनके लक्ष्यसे भ्रष्ट हो जाता है। सुतरा, इस प्रकारके धर्मसे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनोकी सिद्धि आचरणकारीको न होगी, अतएव धर्मका धर्मत्व ही जाता रहेगा। भारतके आश्रयपतनका यही एक मुख्य कारण है।

अपनेको और अपने परिवारको छोड़कर और सभोको सुखी करनेकी चिन्तासे जो स्वकर्म याने जीविकाके निर्वाह योग्य कर्म किया जाता है, वही कर्म सब प्रकारसे धर्म माना जा सकता है। क्योंकि उसका वह कर्म परार्थपर है, और यदि पूर्व जन्मका कोई कर्म बाधक न हुआ तो इसी जन्ममें उसका लौकिक अभ्युदय तो होता ही है और वैज्ञानिक विचारसे परलोकमें भी उसका मङ्गल होना निश्चित है। इस लोकमें कैसे उसकी उन्नति होती है इसका समझना कोई कठिन बाल नहीं है। कोईभी दुकानदार ग्राहकोको सन्तुष्ट करनेके अभिप्रायसे अपना माल अच्छा और साफ रखेगा, उचित लाभ जोड़कर उनका मूल्य लगायेगा, और अपनेको ग्राहकोका सेवक समझ कर उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो उसकी बिक्री दिन दूनी रात चौगुनी क्यों न बढ़ेगी ? जो दुकानदार स्वार्थ चिन्तासे भी, इस प्रकारका व्यवहार करते हैं उनकी भी तो उन्नति देपनेमें आती है। अतएव जिस कर्मसे, कर्त्ताको अर्थ और काम रूप पुण्य और फल देनेके लिये, और अपनी शीलल छायामें कर्त्ताको अनन्त विश्राम देनेके लिये, समाजका

अ+पुण्य रूप वृक्ष उत्पन्न होता है वही धर्म है। ऐसा मानना सर्वथा युक्ति सङ्गत है।

अभी हम पीछे कद् आये है कि, पारलौकिक सुख प्राप्त करना भी कर्म साध्य है। वे कौा से कम हं ? इसपर बहुतेरे उपदेश अपने धर्म ग्रन्थोमे पढ़ने और लोक सुगसे सुननेमे आते है और सबको चिदित गी है। इन सब कर्मोका सार बुद्ध गगनानने "परोपकाराय परमोधर्म." इस सूत्रमे प्रकाश किया है।

मरि कगादके निर्णयके अनुसार में इन सब पारलौकिक सुख साधक कर्मोका पुण्य कर्म करना हूँ और धर्मके साथ बहुधा इनका गण सम्बन्ध मानता हूँ। परोपकारक कर्मोका बीज जिन कर्मोमे रहता है, परोपकार करनेकी शक्ति और प्रवृत्ति जिन कर्मोसे उत्पन्न होती है, उनको में धर्म कहता हूँ। यदि धन न होगा, धल न होगा, और परोपकार करनेकी प्रवृत्ति भी न होगी तो कहासे और कैसे परोपकारी कार्य (पुण्य कर्म) हो सकेगा ? अतएव जिन शिक्षाओंसे धनके उपार्जन करनेको, धनके सञ्चय करनेकी और पुण्य कार्य करनेकी प्रवृत्ति हममे होती है, वे शिक्षायें ही धर्मकी शिक्षायें हैं। और उन शिक्षाओंके अनुसार कर्मोमे ही धर्मका प्रकाश है। भारतीय आर्य्यजातिको समाज-सङ्गठन-व्यवस्था के अनुसार ऐसी शिक्षाओंका प्रचार भार ब्राह्मणों पर है। सुतरा ब्राह्मणोंके ब्राह्मत्व पर विचार करते हुए महाभारतकाग्ने जो शब्द विन्यास किया है उसका तात्पर्य्य जैसा हमने प्रकाश किया है यदि वेसा नहीं है, तथा उसकी पुष्टिमें हमने वेद मन्त्रकी जैसी व्याख्या की है यदि वह सत्य नहीं है, तो उस शब्द विन्यासका एव उस वेद मन्त्रका धर्म और युक्ति सङ्गत दूगरा तात्पर्य्य एव अर्थ ही क्या हो सकता है ? *

अतएव भारतके ब्राह्मणोंके कर्त्तव्यकी अवहेलना पर यक्ष रूपी धर्मने जो आक्षेप सूचक प्रश्न किया है, उसके उत्तरमे धर्म पुत्र युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंके कर्त्तव्य पर अपना जो धर्म सङ्गत अभिप्राय प्रकाश किया है, हमने उसीकी व्याख्या, पाश्चात्य देशोंके विद्वान लोगोने विज्ञानबलसे धनके समागमका उपाय आविष्कार करके अपनी अपनी जातिकी जो उन्नति की है उसके दृष्टान्तसे, यथा मति वेद मन्त्रके युक्ति सिद्ध अर्थके द्वारा की है। इसमे शङ्का की कोई बात नहीं है।

०५-०६-०७-०८-०९-१०

* "सर्वपां ब्राह्मणो विद्याहृत्पुपायान् यथाविधि। प्रब्रूयादितरेभ्यश्च स्वयंचैव तथा भवेत् ॥ (मनु अ० १० श्लो० २)

अर्थ—सब धर्मोंकी जीविकाका उपाय ब्राह्मण विद्याके द्वारा जाने और अन्यको उपदेश करे और आपभी वैसा हो।

८ परिच्छेद ।

समाज-सेवा-ज्ञानके लोपमें केवल पारलौकिक मङ्गल ही धर्मका पूर्ण रूप माना गया है ।

मायानन्द—परोपकार वा पुण्य कार्योंके सम्पादन उत्तम माना
प्रवृत्ति, जैसे नीच माना है । अतएव परोपकार वा
परोपकार वा पुण्य कार्योंमें ही धन
साधन । पुण्यकार्य करनेसे ही धन प्राप्त होता है । अतएव परोपकार वा
पुण्यकार्य करनेके प्राचीन चालमें ही धन प्राप्त होता है । अतएव
दौतौ—उपकार वा पुण्य—कार्यकी भूमिका ही

प्रवृत्ति है । यदि हमने प्रवृत्ति नहीं है तो धन या लक्ष्मी पर भी हमने परोपकार
वा पुण्यकार्य न होगा । परन्तु यदि हमने प्रवृत्ति है तो अपन पाप
धन वा लक्ष्मी न रहने पर भी हम उनका संग्रह कर सकते हैं । अतएव
परोपकार वा पुण्य कर्ममें मुख्य होनेसे प्रवृत्ति ही साधिका है और धन
एवं बल साधन है, ऐसा समझना चाहिये । प्रवृत्ति, शिक्षा मापत्रक ही और
बलका उपचय (संग्रह) करना अपने व्यापार जादि अस्वास्थ्यके
जातीय है । किन्तु धनका संग्रह करना किसी अकेले मनुष्यके जातीय नहीं है ।

मनुष्य सामाजिक जीव है, वह समाजमें रहता है । समाजकी सेवा
से ही उसको धन मिलता है । तुम पुरानेकालकी दुकानमें पुस्तकें बेचते हो ।
पुस्तक खरीदनेवालेसे तुम्हारे मालिकको धन मिलता है और तुम्हारा
मालिक तुमको वेतनके रूपमें धन देता है । तुम्हारे आनन्दकालमें जिन
लोगोंसे पूरी होती हैं, उन दुकानदार जादि लोगोंको तुमसे धन मिलता है ।
इस तरह समाजमें धनके प्रचारकी शृंखला जाती है । अर्थशास्त्रमें मुद्रा कौटो
धन नहीं कहते । किन्तु जिन वस्तुओंसे मनुष्योंकी स्वाभाविक और कल्पित
आवश्यकताओंकी पूर्ति होती है उनको धन कहते हैं । अतएव जैसे धनका
प्रचार जिस समाजमें जितना अधिक होगा, उतनाही अधिक लौकिक सुख
और पुण्य वा परोपकारी कार्य करनेकी सामर्थ्य उस समाजके लोगोंमें अधिक
होगी । और, धर्मसम्बन्धी शिक्षाका प्रचार जितना प्रचल रहा, उतनी ही अधिक
परोपकार वा पुण्य कार्य करनेकी प्रवृत्ति उस समाजके लोगोंमें पाई जायगी ।

भारतवर्षमें जब एक रुपयेमें १ मन गेहूँ और १ रुपयेमें ४ सेर घी
मिलता था, तब लोग जितना अधिक ब्राह्मण-भोजन करते थे अब उतना
अधिक नहीं करते हैं । इसका कारण, स्वाधनका अभाव है । स्वाधनके अभावका

कारण अर्थकरी शिक्षाका लेप, और उसका हेतु ब्राह्मणोंकी कर्त्तव्यमें अवहेलना है। इसी भारतवर्षमें पहिले जय कपड़े हाथसे बुने और सिये जाने थे, तब लेप जितने कपड़े पहिनते थे, अब बुनने और सीनेकी कलोकें प्रचार होनेके कारण लेप उससे दश गुणा अधिक कपड़े पहिनने लगे हैं। इसका कारण कपड़ा और सीनेकी कला रूपी धनकी वृद्धि है, और उसका हेतु विदेशी विद्वानोंकी कर्त्तव्य-परायणता है। यदि भारतवर्षका ब्राह्मण-समाज ऐसेही अपने कर्त्तव्यमें परायण रहता तो आज दिन हमको आधे पेट खाकर नन ढाकनेकी नौबत न आती। यदि अन्न देकर हमको विदेशियों से कपड़े और सीनेकी कलें आदि न परीवृत्ता पड़ती तो भारत आज दिन अन्न से परिपूर्ण रहता।

जबसे ब्राह्मणोंमें समाज-सेवा ज्ञानका लेप हुआ है, तबसे उनकी समझमें व्यक्तिगत पारलौकिक मंगल ही, धर्मका पूर्ण रूप हो रहा है। इसीसे, इन्होंने वैराग्य उत्पन्न और पुण्य कार्य करानेवाली प्रवृत्ति बढ़ानेकी शिक्षा देना ही अपना कर्त्तव्य मान रखा है, और इसीमें वे यत्नशील भी रहते हैं। परन्तु वृक्षको जड़ काटकर डाल पर पानी सौचना, जैसे वृक्षमें फूल फलसे शोभित करनेमें सर्वथा असमर्थ ही नहीं होता, प्रत्युत वृक्षको सड़ा देता है, वैसेही सामाजिक अभ्युदयके साधनोंके समग्रके उपायोंकी शिक्षाके अभावमें ऐसे पुण्य कार्योंकी शिक्षा निष्फल हो रहा है, इतना ही नहीं बल्कि वह समाजको उत्तरोत्तर दगिद्र बना रही है।

जिस समाजमें जितना अधिक धन होता है उस समाजको अन्य समाजके लेप उतनाही अधिक उन्नत, और निर्धन समाजको हीन समझते हैं—जैसे यूरोप निवासी भारतवर्षसियोंको गरीब जानकर हीन समझते हैं। ऐसे जातीय अपमानसे बचनेके लिये वैदिक युगके ऋषि लोग प्रार्थना किया करते थे—“ हे इन्द्र ! ' मोधनाधि वैभवा हमारे पास बहुत है, हमारा सामर्थ्य बडी है ओर हम दीर्घायु हैं ' इसे प्रकारकी हमारी कीर्त्तिका सर्वत्र प्रचार हो ओर वह कभी खरिडल न हो ” (ऋग्वेद म० १ सू० ६ म० ७—श्रुतिबोध)। अतएव धन, समाजकी उन्नतिमें एक हेतु है, और उन्नत समाज अपने आश्रित मनुष्योंके सुखका हेतु है। इसलिये समाजकी उन्नत दशा (अभ्युदय) धर्मका प्रत्यक्ष फल है, और समाज सेवकोंको निःश्रेयस् (पारलौकिक कल्याण अथवा मुक्ति) की प्राप्ति

† “ दानमेकं कलं युगे ” मनुस्मृति अ० १ । ६ ।

होना धर्मका अप्रत्यक्ष फल है। ऐसे दोनो फलोंके प्रदाना धर्म वृक्षका उपादान निष्काम समाज-सेवा और ब्रह्मज्ञान है। *

समाजके अस्त्युद्यके लिये भारतवर्षमें वर्णाश्रमधर्म वा समाजसेवा की व्यवस्था चलाई गई थी। और उसी राम्नेसे समाजसेवकोको निःश्रेयस्की प्राप्ति होनेके लिये ब्रह्म वा आत्मज्ञानका प्रचार हुआ था। परन्तु कालकी महिमासे वर्णधर्मका जाति-विचारमें, और आत्मज्ञानका सन्यासमें पर्यवसान हो गया है।

पहिले हमने समाज-सेवाकी व्यवस्था पर यथा साध्य विस्तार पूर्वक आलोचना की है। यदि तुमने उसको समझा होगा तो तुम्हागी समझमें यह बात भाग्यी होगी कि समाज-सेवाही धर्माचरणका एक प्रकृत उपाय है। जिसको धर्माचरण वा धर्म-कर्म करना है उसको समाजकी निष्काम सेवा करनी चाहिये। क्योंकि धर्मका स्थिति-स्थान (रहनेका मुख्य स्थल) अथवा स्वयं धर्मका रूप, समाजही है। ऐसे धर्म और धर्माचरण दोनोकी स्थिति, शिक्षा पर निर्भर है। क्योंकि, बिना शिक्षाके निष्काम समाज-सेवा रूपी धर्माचरण की सम्भावना नहीं, और बिना निष्काम समाज-सेवाके, समाजकी सच्ची उन्नति होनी सम्भव नहीं और न समाज सेवकोकी मुक्ति ही सम्भव है। अतएव धर्मके वाच्य विषयो वा उपादानोंका मूल, शिक्षा रूपी समाज-सेवा है ऐसा सिद्ध हुआ। भारतवर्षमें, वर्णव्यवस्थाके अनुसार, इस मूलके आधार, ब्राह्मण ही हैं, और अन्य देशोंमें उन्ही देशोंके विद्वान्।

अब निष्कामता वैराग्यके बिना उत्पन्न नहीं होनी ऐसा स्वाभाविक नियम है। निष्काम समाज-सेवाके लिये वैराग्यकी शिक्षाकी भी आवश्यकता है। किन्तु, जैसे अन्नमे जीवन रक्षा होने परभी उसके अयथोचित आहारसे जीवन संहारक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसी तरह भारतवर्षमें दुर्भाग्यवश वैराग्यकी शिक्षा मर्यादातिरिक्त होजानेसे वैराग्यका शिक्षावाता ब्राह्मणवर्ण स्वयं ब्राह्मणत्वसे हीन हो गया। और धर्मका एक अग जो सामाजिक अस्त्युद्य है वह उसकी दृष्टिसे व्युत् हो गया। एव व्यक्तिगत निःश्रेयस्—याने मुक्ति अथवा पारलौकिक श्रेय ही—जो कि धर्मका दूसरा अंग है—धर्मके पूर्ण रूपके सदृश उसको भासने लगा है।

उचित शिक्षाके अभावके कारण जयसे हमलोगोंमें समाज-सेवा ज्ञानका लोप हुआ तबसे पुरय कर्मोंको याने व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेयस्साधक

ॐ ईशोपनिषद् म० १ देखो, जिसका आलोचन गीताके १८ अ० के २६ वें मन्त्रकी श्याख्यामें किया गया है।

† मोक्ष प्रकरणमे इसका कारण देखिये।

कर्माँको ही हम धर्म मानने लग गये । जिससे हमारा सारा कर्म स्वार्थपर हो गया । गता तक कि जिस समाजके आश्रयमें उत्पन्न और पालित होकर हम युवावस्थाको पहुँचे, उस समाजका ऋण न चुका करके ही, अपने निःश्रेयस्के लिये पुण्य कर्माँ तक का त्याग करना श्रेष्ठ धर्म मानने लग गये हैं । इससे जो सामाजिक अत्रमकी उत्पत्ति होने लगी उसके भावो कुफलसे हमको सतर्क (सावधान) करनेके लिये श्रीकृष्ण समझानका अवतार हुआ । x

व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेयः को ही पूर्ण धर्म समझना ब्राह्मणोंमें तथा अन्य लोगोंमें कर गे आरम्भ हुआ उसका कोई पता नहीं । किन्तु लोगोंके ऐसे अत्रम पर महाजातकारने पृथिविष्ठिरके मुगरो प्रकृत धर्मके अनुसन्धानमें जिन प्रणयोंको कहनाया है जो ब्राह्मणोंके ऐसे अत्रम पर महाभारतकारने तुलाधार-जाजलिके उपाख्यानमें जा आश्रीय प्रकाश किया है, उनका कुछ रहस्य शान्ति पर्वके ११६, २६१-२६४ अध्यायोंसे यहा बताया जाता है ।

शान्तिपर्व १०,-१५६—युधिष्ठिर महाराजने भीमसे पूछा “ हे पितामह ! अल्पवृत्ति मानवगण धर्म और अधर्मके अत्रम पर महाजातकारने पृथिविष्ठिरके मुगरो प्रकृत धर्मके अनुसन्धानमें जिन प्रणयोंको कहनाया है जो ब्राह्मणोंके ऐसे अत्रम पर महाभारतकारने तुलाधार-जाजलिके उपाख्यानमें जा आश्रीय प्रकाश किया है, उनका कुछ रहस्य शान्ति पर्वके ११६, २६१-२६४ अध्यायोंसे यहा बताया जाता है ।

शान्तिपर्व १०,-१५६—युधिष्ठिर महाराजने भीमसे पूछा “ हे पितामह ! अल्पवृत्ति मानवगण धर्म और अधर्मके अत्रम पर महाजातकारने पृथिविष्ठिरके मुगरो प्रकृत धर्मके अनुसन्धानमें जिन प्रणयोंको कहनाया है जो ब्राह्मणोंके ऐसे अत्रम पर महाभारतकारने तुलाधार-जाजलिके उपाख्यानमें जा आश्रीय प्रकाश किया है, उनका कुछ रहस्य शान्ति पर्वके ११६, २६१-२६४ अध्यायोंसे यहा बताया जाता है ।

शान्तिपर्व १०,-१५६—युधिष्ठिर महाराजने भीमसे पूछा “ हे पितामह ! अल्पवृत्ति मानवगण धर्म और अधर्मके अत्रम पर महाजातकारने पृथिविष्ठिरके मुगरो प्रकृत धर्मके अनुसन्धानमें जिन प्रणयोंको कहनाया है जो ब्राह्मणोंके ऐसे अत्रम पर महाभारतकारने तुलाधार-जाजलिके उपाख्यानमें जा आश्रीय प्रकाश किया है, उनका कुछ रहस्य शान्ति पर्वके ११६, २६१-२६४ अध्यायोंसे यहा बताया जाता है ।

युधिष्ठिर महाराजकी उक्तिमें “ धर्म ” और “ अधर्म ” ये दो शब्द आये हैं । यहा “ अत्रम ” का अर्थ है मनुष्योंके उन कर्मोंसे जिन पर उनके लौकिक जन्मुद्ग जो पारलौकिक मंगल (निःश्रेयस्) अलम्बित हो । परं कर्माँका करना प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य होनेसे उनकी गिनती धर्ममें होती है । “ अत्रम ” शब्द का अर्थ यहा ‘ पापकर्म ’ नहीं है किन्तु ‘ अकर्त्तव्य कर्म ’ का अर्थ है । जो कर्म किसी एक विचारसे तो कर्त्तव्य हो और किसी अन्य विचारसे अकर्त्तव्य हो । यथा—अर्जुनने युद्धको पाप कर्म समझकर अपने पारलौकिक मङ्गल साधनके लिये सन्यासको कर्त्तव्य कर्म समझाया जा और श्रीकृष्णने समाज-सेवाके आधार पर सन्यासको उनके लिये अकर्त्तव्य कहनाया । अतएव “ अत्रम ” का अर्थ यहा ‘ विकर्म ’ याने मोहसे उत्पन्न कर्त्तव्य ज्ञान वा ‘ अप्रशस्त कर्म ’ (जो सभी दृष्टिसे प्रशंसनीय न हो) है ।

x इसका पूरा विचार हम भोनाके उत्पत्ति त्रिपणक सम्पादमें प्रकाशित करेंगे ।

युधिष्ठिर महाराजने पांच प्रश्न किये हैं। पहिला प्रश्न है—धर्मके गुण, फल वा उपयोगिताके विषयमें। दूसरा प्रश्न है—धर्म की कसादी क्या है? याने किस बातकी अपेक्षासे मनुष्योंके कर्तव्योंका निर्णय किया गया है? तीसरा प्रश्न है—मनुष्योंको केवल अपने (“अपने” शब्दमें परिवार वर्ग भी शामिल है) लौकिक मङ्गलके लिये (दूसरोंको किसी प्रकारका दुःख न पहुँचा कर भी) कर्म करना क्या धर्म (कत्तव्य) है? चौथा प्रश्न है—मनुष्योंको केवल अपने पारलौकिक मङ्गलके लिये कर्म करना क्या धर्म (कत्तव्य) है? यह प्रश्न सन्यास पर दृष्टि रखकर किया गया है। पांचवा प्रश्न, वैशेषिक दर्शनोक्त धर्म-रक्षण “यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः सधर्मः” का अनुवाद है। इस प्रश्नमें जो “सच्चमुत्र” शब्दका उपयोग हुआ है उससे यह शङ्का प्रकट की गई है कि प्रत्येक मनुष्यका अपना (परिवार वर्ग का भी) इहलौकिक अभ्युदय और पारलौकिक मंगल-साधन करना ही यदि धर्म है, तो इससे धर्म शब्द को व्युत्पत्तिसे—धृ + म—अर्थात् जो सब मनुष्योंको धारण करता है याने पालन, पोषण और रक्षण करता है—जो अर्थ निकलता है क्या वह सिद्ध होगा?

युधिष्ठिर महाराजके प्रश्नोंके आशयको, और “समाज सेवाके ज्ञानके लेप” की जो कथा में कह रहा हूँ, उनके समझनेके लिये यह जानलेना अच्छा होगा कि महाभारतमें शान्तिपर्व को लिखा गया।

भारत-युद्धकी समाप्ति होने पर जब पांचो पाण्डव हस्तिनापुरके बाहर एक मासका × अशौच मना रहे थे, उस समय अनेक ऋषि मुनियोंका समागम हुआ था। युधिष्ठिर महाराजको जब लोग विजयकी बधाई देनेके आये थे, उस समय युधिष्ठिर व्याकुल होकर अपनेको युद्ध और ह्वातिबधका कारण मानते हुए रोने लगे और अन्तमें अनुत्तसे आपने कहा “अब मैं तुम लोगोंसे बिदा लेकर मुनिवेश धारण करके वृका आश्रम लूँगा”। उपस्थित लोगों—(श्रीकृष्ण महाराजके सिवा द्रौपदी, कुन्ति और चारों माई से लेकर महर्षि व्यास तक) ने स्वभावात् कि आप सन्यास न लें, पर युधिष्ठिर महाराजने किसीका कहना न माना और सबको बात काटते गये। इस वादविवादका वर्णन ३७ अध्यायोंमें हुआ है, इसीसे तुम समझ जाओगे कि सभी प्रकारकी नीति कथायें इस प्रसंगमें आ गई हैं, पर युधिष्ठिर महाराजको कुछ भी सन्तोष न हुआ। वेदव्यासजीने अन्तमें अश्वमेध यज्ञके द्वारा पापका प्रायश्चित्त करनेका उपदेश दिया। युधिष्ठिर महाराज, सङ्कोच वर्ण अर्ध सहमत हुए और

× इस कालमें द्विजवर्ण १३ दिनका अशौच मानते हैं। उस कालके द्विज वर्णोंमें क्षत्रिय वर्णको १ मासका अशौच मानना पड़ता था, महाभारत-शान्तिपर्व पहिला अध्याय देखिये।

कहा “ आपने प्रायश्चित्तकी कथा सुनकर मेरे अन्तःकरणमें अत्यन्त हर्ष और कानुक उत्पन्न हुआ है। धर्मव्यर्था और राज्यरक्षा ये दोनों कार्य परस्पर विरुद्ध हैं। अतएव वही व्यक्ति धर्मकी रक्षा और राज्यभार वहन, ये दोनों काम किस प्रकार कर सकता है, यही चिन्ता मुझे धारम्बार विमोहित कर रही है। ” युधिष्ठिरकी इस बातसे यह सिद्ध हो रहा है कि इन ३७ अध्यायोंके ८१ पृष्ठोंमें कहीं भी स्पष्ट रूपसे समाज-सेवा धर्मका (गीताक्त धर्मका) विवेचन वा उल्लेख नहीं हुआ है। महाभारतकारने इस वादविवादमें श्रीकृष्ण महाराजको भागलेने ही नहीं दिया, किन्तु और जितने ऋषि मुनि वहाँ थे सबसे धर्मोपदेश करचाया।

युधिष्ठिर महाराजकी इस अन्तिम शङ्काको सुनकर वैशम्पयानीने कहा “ वत्स, यदि तुमको सब धर्म-विषयोंको सुनना है तो कुरुकुल पितामह भीष्म जो युद्ध क्षेत्रमें शरशय्या पर पड़े हैं, उनके पास चलो। ” युधिष्ठिर महाराजने युद्धकी कथा स्मरण करके अपना सङ्कोच प्रकाशित किया। तब यदु कुल भूषण हृषीकेश (गीता धर्मके प्रचारक श्रीकृष्ण) ने चारों वर्णोंके हितसाधन करने के लिये युधिष्ठिर से कहा कि “ हे महाराज ! अपने राज्यके चारों वर्णोंके हितसाधन * , अमिततेजा व्यासदेवजीकी

* भीष्मजीके पास महाराज युधिष्ठिरके उपस्थित होने पर देवर्षि नारदने इस प्रकार प्रणम उठाया “ महात्मा भीष्म जीवन त्यागने वाले है। इन्हें चारों वर्णोंका धर्म मालूम है। अतएव आप लोग प्रश्नोंके द्वारा अपनी अपनी शंकाओंका समाधान कर लीजिये ”। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान् से प्रार्थना की कि आप भीष्मजीसे धर्म विषयक प्रश्न करें। कृष्ण भगवान् ने भीष्मजीसे कहा “ महाराज युधिष्ठिर आपसे सनातन धर्म के विषयमें कुछ जानना चाहते है परन्तु लज्जावश प्रश्न करने में सकुचाते है। ” भीष्मजीने उत्तर दिया कि, दान, अध्ययन और तपस्या जैसे ब्राह्मणोंका उत्कृष्ट धर्म है वैसाही क्षत्रियोंका संग्राममें शत्रुका संहार करना ही परम धर्म है। अतएव, युधिष्ठिर नि सकुच प्रश्न करें। (महाभारत शान्तिपर्व अ० ५५)

युधिष्ठिर महाराजका पहला प्रश्न (अ० ५६ में लिखा है)—“ धर्मज्ञ महात्माओंका कहना है कि राजाओंके लिए राजधर्म ही सब धर्मोंसे श्रेष्ठ है। किन्तु इस धर्मका निवाहना कठिन है। अतएव आप इसी धर्मका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये। धर्म, अर्थ, कामके साथ इसका विशेष सम्बन्ध है और उसीमें

अनुष्ठा पालन और हम लोगों एवं द्रौपदीके अनुरोपकी रक्षा करनेके लिये महावीर भीष्मके निकट जाइये ।” इस प्रकारसे प्रकृत धर्म वा धर्मों को समझनेके लिये और उनके मनमें जो युद्धमें ज्ञानिवध जनित पापाशङ्का समा गई थी उसे दूर करने के लिये युधिष्ठिर महाराज, भीष्मजीके पास जाकर उक्त प्रकारके प्रश्न किये हैं । उन प्रश्नोंके सरल और उचित उत्तर इस प्रकार है:—

(१) धर्मके रूप वे कर्म हैं जिनके द्वारा समाजका पालन और व्यक्तियोंका पारलौकिक मंगल होता है । इन कर्मोंके युधिष्ठिरके प्रश्नोंके समूहका नाम धर्म है । अतएव धर्म समाजका पालक अनुसार धर्म वस्तु और व्यक्तियोंका पारलौकिक मंगल दायक है । पर विचार ।

(२) धर्मकी उत्पत्ति का स्थान समाज है । मनुष्य एकत्र होकर रहते हैं । इस एकत्रित मनुष्य मण्डली वा समाजकी उन्नति और

मोक्षधर्म भी मन्निविष्ट है । नरपति यदि राजधर्म के प्रतिपालनमें अक्षम हो तो लोक समुदायमें बड़ी विगृह्वला उत्पन्न होती है । ”

इसके उत्तरमें यदि गीता—धर्मका उपदेश दिया गया होता तो युधिष्ठिर महाराजकी शकाका समाधान हो गया होता । युधिष्ठिर महाराजके प्रश्न के दगसे ही समझ पड़ता है कि उत्तर किस प्रकारका होना चाहिये था । किन्तु भीष्म पितामहने उत्तर देना इस प्रकारसे आरम्भ किया—“ राजाका सबसे पहला कर्तव्य है कि वह देवता और ब्राह्मणोंको मत्तुष्ट करनेका विधिवत् यत्न करे । देवता और ब्राह्मणोंके यथोपयुक्त उपचार व पूजा करनेसे, राजा गण धर्मके ऋणासे विभुक्त होकर सबके आदरणीय होते हैं । ” मानो उनके कर्तव्य की इतने ही से इति श्री हो जाती है ! आगे उनके लिये जो कुछ शेष कर्म रह जाता है वह प्रजासे लगानका पैसा वसूल करना, क्योंकि विना पैसके देवता और ब्राह्मणोंकी यथोपयुक्त उपचार से पूजा नहीं हो सकती । ऐसे ही उपदेश भारतको पराधीनता के गड्ढे में डालने का कारण हुए है । भला ऐसे उपदेशों से महाराज युधिष्ठिरको कब सन्तोष हो सकता था । महाभारतमें क्षेपक कथाके रूपमें पण्डितगण जैसे जैसे प्रश्न युधिष्ठिरसे कराते गये वे प्रश्नों पर प्रश्न करते गये । इस तरह अ० ६० से लेकर २५८ अ० तक प्रश्नोत्तर होने पर भी जब प्रकृत धर्मका निपटारा नहीं हुआ तब २५९ अ० में नये सिरेसे “ धर्म ” पर युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न हुआ ।

पालनके लिये और ऐसे समाजके व्यक्तियों के पारलौकिक मंगलके लिये, जिन कर्मोंकी आवश्यकता होती वे कर्म, धर्म कहते हैं। ऐसे धार्मिक कर्मोंकी उत्पत्ति मनुष्य समाजकी ही होती है और उन कर्मोंके करनेवाले उस समाजके व्यक्ति ही हैं। इसलिये धर्मकी उत्पत्ति का स्थान समाज ही है। किसी स्थानमें एकत्र रहकर और एक दूसरे के सहायक होकर जीवन निर्वाह करनेवाले व्यक्तियोंका समूह, समाज वा जाति कहा जाता है। उक्त धार्मिक कर्मोंसे इस समाज वा जातिके लौकिक अभ्युदय याने उन्नति और पालन होता रहता है। इस प्रकार समाज वा जातिके अभ्युदयसे व्यक्तियोंका भी अभ्युदय होता है।

(३) मनुष्य केवल अपने और परिवारवर्ग के ही लौकिक मङ्गल याने अभ्युदय वा सुखोन्नतिके लिये जो कर्म करता है वह धर्म नहीं है। यह उसका जीविकाजनन कर्म है और उद्यम है। इस पर यदि वह व्यक्ति, मृत्युके बाद दूसरे जीवन पर विश्वास न करनेके कारण पारलौकिक मंगल के लिये कोई कर्म न करनेसे अपना अमंगल करता है, तो वह अधर्म है। समाजमें रहकर जो मनुष्य, अपनी और अपने कुटुम्बका भरण-पोषणकी ही चिन्तामें जिस कर्म और उद्यम से जीविकाजनन करता है, वह कर्म समाजकी सेवा होनेके कारण धर्म होते हुए भी उसकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं होता। अर्थात् स्वार्थ चिन्ताके कारण उसकी आत्मिक अवन्नति होती है सुतरा वह, धार्मिक कर्म करता हुआ भी अधर्म याने अकर्त्तव्य कर्म ही करता है।

पक्षान्तरमें, यदि जीविकाजनन कर्म और उद्यम समाजकी सेवाकी भावनासे किये जाय तो वही कर्म, धर्म सहाको प्राप्त होता है। ऐसा कर्त्ता यदि परलोकका विश्वासी न भी हो तथापि उसकी आत्मिक अवन्नति नहीं होती। क्योंकि उसमें स्वार्थ चिन्ता न रहने से और परार्थ की चिन्ता रहने से उसकी बुद्धि सात्त्विक भूमिका पर स्थिर रहती है और परलोकमें उसे मंगल प्राप्त होता है।

(४) धर्मके दो अंग हैं—समाजका लौकिक मंगल और व्यक्तियोंका पारलौकिक मंगल। व्यक्तियोंके द्वाराही इन दोनों अंगोंका आचरण किया जाना चाहिये। याने, धर्मके आचरण करने वाले व्यक्ति ही होते हैं। अतएव जो मनुष्य केवल अपने पारलौकिक मङ्गलके लिए कर्म करता है उसका कर्म अपूर्ण धर्म है। व्यक्तिके लिए, समाजका मंगलकारी कार्य करना “ परार्थ ” है और अपने लिये पारलौकिक मंगलकारी कर्म करना “ स्वार्थ ” है। इस दृष्टिसे वह मनुष्य अधर्म करता है याने अप्रशस्त कर्म करता है। समाजमें जो मनुष्य उत्पन्न होता और वृद्धि प्राप्त करता है यदि वह अपने गुण कर्मानुसार

समाजकी सेवा न करके, अपना पारलौकिक मङ्गल साधन करनेका प्रयत्न करता है तो वह नैतिक दृष्टिमें कर्त्तव्य की अवहेलना के कारण अपराधी होता है । किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति समाजके दानसे अपना भरणपोषण करके भी यदि उसके बदले में समाजकी कुछभी सेवा न कर, अपना ही पारलौकिक मङ्गल साधना आय तो वह पापका भागी होता है । और जिस समय समाजकी ऐसी अवस्था हो, जब कि उसके अङ्ग स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की सेवाकी उसे आवश्यकना है तो, उस समय जो व्यक्ति समाजके दानसे अपना भरण पोषण करता हुआ भी उसकी सेवासे विमुख रहता है, चाहे वह अपने पारलौकिक मङ्गलके लिए कितना भी कठिन भगवद्भजन क्यों न करता हो, महा पापका भागी होता है ।

इस समय गृहस्थाश्रमी के पारलौकिक मङ्गल साधक कर्मोंके विधान की बहुलता पाई जाती है । उसका कारण यह है कि स्वभावतः मनुष्योंमें राजस् और तामस् वृत्तियोंकी ही प्रथलता है इसलिये उनमें सात्विक वृत्तिकी वृद्धि करने के अभिप्रायसे पारलौकिक मङ्गलके साधन पर विशेष जोर दिया गया है । जीविकार्जन कर्म और उद्यम मात्र समाजकी ही सेवा है, सो तो गृहस्थ मात्र करते ही जाते हैं, समाजका काम तो चलता ही जाता है । यदि इन कर्मों को धर्मका रूप दे दिया जायगा तो वे निष्काम होनेके बदले इस धर्मकी ओरमें अधिक राजसिक और तामसिक हो जायेंगे । इस भयसे पारलौकिक कर्मोंको शास्त्रकारोंने धर्म बनलाया है ।

(५) इसी लोकमें फल प्राप्तिकी आशासे धर्मशास्त्रानुमोदित जितने कामना मूलक कर्म हैं वे प्रकृत धर्म नहीं हैं, गौण धर्म हैं । पारलौकिक मङ्गलकी आशासे धर्मशास्त्रानुमोदित जितने कामना मूलक कर्म हैं और आशामग्नसे छुटकारा पानेके लिये वा भगवद्प्राप्तिके लिये जितने तप रूपी साधन हैं, सब धर्मके अङ्ग मात्र हैं । धर्माचरणकी भावनासे अभी लोग जो कुछ कर रहे हैं उन कर्मोंकी समष्टि धर्मका आधा अङ्ग मात्र है । क्योंकि श्रुति-स्मृतिके विधानानुसार सोलह संस्कार, सन्ध्योपासना, जप, तप, नित्य कर्म, यज्ञ होमादि नैमित्तिक कर्म, पुराणोक्त व्रत और उपवासादिकर्म, तन्त्रोक्त देव पूजादि कर्म इत्यादि, जितने कर्म धर्म-कर्मके नामसे प्रख्यात हैं, सबके सब व्यक्तिगत लौकिक और पारलौकिक मङ्गलसे सम्बन्ध रखते हैं । इनमेंसे कुछ कर्म ऐसे हैं जो व्यक्तिगत पारलौकिक मङ्गलकी प्राप्ति कराने में स्वतन्त्र हैं । शेष सबके सब व्यक्तिगत लौकिक मङ्गल की प्राप्ति कराने में परतन्त्र हैं ।

† इस समय, जबकि, स्वराज्यके पीछे हिन्दुजाति पर घोर आपत्ति उपस्थित है, ५५ लाख साधु सन्यासियों का देश सेवा से उदासीन रहना, उक्त सिद्धान्तके अनुस्वार, महापापका भागी बनना है ।

इस कथन को दृष्टान्त द्वारा समझाता हूँ—जैसे वेदके अनुयायी ' वेदके स्वाध्यायसे स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध होते,' मानते हैं * वैसेही तन्त्रके अनुयायी भी चण्डी के स्वाध्याय से स्वार्थ, परमार्थ दोनों सिद्ध होते हैं ऐसा मानते हैं । १६०४ ई० में मुझे उड़ीसामें एक प्रौढ बङ्गाली ब्राह्मण मिला था, जो नौकरी की तलाशमें भटकता फिरता था । वह अपने जीवन की कथा कहता हुआ मुझसे कहने लगा कि " मैं चण्डी (देवी भागवत्) का स्वाध्याय किया करता था । एक समय, जबकि मैं पत्ने से तड़प या, उसी शहरके किसी रास्ते में मैंने एक सेनाके हार पडा पाया, उसे मैंने उठा लिया और अपने मनमें देवी को इस धनके दिलाने के लिये भजनादि दिया " । मैं उसके विचारको सुनकर मनहीमें हँस कर चुप रह गया । आगे उपन उस सेनाके हार का क्या उपयोग किया मैंने सङ्कोच से नहीं पूछा, क्योंकि वह मुझसे उमरमें बड़ा था । यदि देवी को उस ब्राह्मणको द्रव्य देना अभिप्रेत था तो उसके घर पर ही आवश्यक द्रव्य पहुँचाना देनी । पछा पाया हुआ सेनाके हार तो दूसरोंकी कमाईसे बना था और उसके दुर्भाग्यसे वह लो गया था । यही ब्राह्मण, जिस समय वह गुच्छे मिला था, नौकरीकी तलाश में बग़ाकुल था ।

ऐसे पशुग भी हैं, जो बड़े नियम से पूजा पाठ करते हैं और अपने मालिकको टगकर धनी हो जाते हैं और मनका प्रयोग करने तक से ही कि, पूजा पाठकी बदौलत ही उनके घरमें धनकी वृद्धि हो रही है । बिना उद्योग, परिश्रम, सत्यव्यग्रहार और परापकारके, केवल नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मोंके लोकप्रसिद्ध धार्मिक कृत्यों से किसीका लोकिक मङ्गल, जिसमें भोजन और वस्त्रका प्रश्न मुख्य है, सिद्ध नहीं हो सकता * । लोकिक मङ्गलके लिये सगत धार्मिक कृत्योंके करने वाले ब्राह्मण को भी उद्यम और परिश्रम करने पड़ते हैं, क्योंकि भोजनाच्छादनके सिवाय नैमित्तिक और काम्य कर्म भी तो निरा द्रव्यके नहीं होते ।

अतएव, इस लोक—यानै समाजकी सुखैश्वर्य—के लिए जो कुछ कर्म किया जाय, चाहे उससे जीविकाार्जन भी क्यों न होताहो, और अपने पारलौकिक मङ्गलके लिये जो कुछ कर्म किया जाय, ये दोनों मिलकर धर्मके पूर्ण स्वरूप

॥ पं० भीमसेन शर्मा कृत याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका पृ० १३ में १७ के श्लोक का अर्थ देखिये । " ते तृप्तस्तर्पयन्त्यन नर्भ काम फले शुभे । " ये तृप्त वा सन्तुष्ट हुए देव और पितर हस्त स्वाध्याय करने वाले द्विजको सब प्रकारके शुभ कामनाओंसे पूर्ण करके सन्तुष्ट करने हैं । "

* ७ वे परिच्छेदमें दैवनी-युधिष्ठिर सम्प्रार्थने महाभारतकारकी सम्मति देखिये ।

होते हैं । इन पूर्णरूप धर्मका आवरण करना ही मनुष्य मात्रका कर्तव्य है । आर्य जातिका समाज चार वर्णोंसे संगठित है । प्रत्येक वर्णके लिये जो भिन्न भिन्न कर्म निर्दिष्ट हैं वे कर्म ही समाजकी सुव्यवस्थाके आधार हैं, और व्यक्तियोंके जीवनयात्राके साधन हैं । जो व्यक्ति अपने जीवनयात्राके साधन कभी कर्मको, समाजकी सेवा समझकर जीविकाार्जनकी कामनासे रहित होकर, करता है और अपने पारलौकिक मंगलके लिए शास्त्र निर्दिष्ट कर्मोंका साधन करता है वह प्रकृत धर्मका पूरा आवरण करता है । जिसके फलस्वरूप इस लोकमें उसका और उसके पौरुषवर्गीया पालन होता है और मृत्युके बाद परलोकमें वह सद्गति प्राप्त करता है ।

मनुष्यके लिये समाजकी सेवा करना ही प्रकृत धर्म है । क्योंकि प्रकृत वा मनुष्य धर्म समाजके पारस्परिक सेवा-कमा पर ही समाजका श्रेय अवलम्बित है * । इन्हीं पारस्परिक सेवा कर्मोंके फलस्वरूप लोगोंकी सुख और जीवन निर्वाहकी सामग्री मिलती है, जिससे उनका पालन होता है । इसीसे धर्मका अर्थ हुआ है—जो मनुष्यको धारण करता है । केवल इसी एक प्रकृत और मुख्य धर्मके आवरणसे, शास्त्र निर्दिष्ट पारलौकिक मंगल साधक अन्य कर्मोंके बिना किए ही, मनुष्य परलोकमें स्वर्ग वा सुखरूप उत्कृष्ट फल प्राप्त कर सकता है ।

युधिष्ठिर महाराजके प्रश्नोंके उत्तरमें भीष्म पितामहने जिस प्रकार धर्मका वर्णन किया है, वह आगे बतलाउगा और साथ ही उन पर टीका भी करता जाउगा, जिससे वे उत्तर तुम्हारी समझमें आते जायें । भीष्मजीके उत्तरोंके साथ जब ऊपर कहे हुए मेरे उत्तरोंका मिलान करोगे तब तुम्हें यह ज्ञान हो जायगा कि, भीष्मजीका अवलम्बन करके महाभारत-कारने उस समयमें प्रचलित धर्मसम्बन्धी मत-मतान्तरोंको प्रकाशित किया है । युधिष्ठिरके प्रश्नोंसे प्रकृत धर्मकी अनुसन्धान-प्रवृत्ति प्रकाशित होनी है । अतएव उत्तरमें जब भिन्न भिन्न मतोंकी जालोचना करके किसी एक मत पर जोर नहीं दिया गया है तब, उन उत्तरोंके किसी एकमें प्रकृत धर्मका परिचय रहते हुएभी हमको यहाँ कड़ना पड़ेगा कि जिस समय महाभारतमें " युधिष्ठिर-भीष्म सवाद " याने शास्त्रिपर्यका २५६ वा अध्याय जोड़ा गया है, उस समय समाज-सेवाकर्म याने समाज चिहित जीविकाार्जनी वृत्तिया धर्ममें नहीं गिनी जाती थी, जैसे कि इस समयभी नहीं गिनी जाती हैं, यद्यपि इस समय

* गीताचू गीलन प्रथम पाठ ३, परिच्छेद द्विगिमे ।

राष्ट्रीय-जागृति और आ-देशनके दिनोंमें अवैतनिक देश-सेवा कर्मोंकी गिनती धर्ममें होने लगी है † ।

भीष्मजीके उत्तर

टीका

- १ “ हे धर्मराज ! सदाचार, स्मृति, वेद और अर्थ ये ही चार विषय धर्मके ज्ञापक हैं । मनुष्यको चाहिये कि प्रकृत धर्मका अवधारण करके उनका अनुष्ठान करे । ”
- १ यह उत्तर मनुस्मृति अ० २ श्लोक १२ “ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् । ” के अनुसार है ।

अर्थ—“ वेद, स्मृति, सत्पुरुषोंका आचार तथा धर्म सङ्कटमें विवेक वृत्तिको जिस आचरणसे सनेप हो, ऐसे ये चार साक्षान् लक्षण धर्मके कहे गये हैं । ” किन्तु भीष्मजीके उत्तरमें, उक्त शेष लक्षण ‘ विवेकानुमोदित आचरण ’ के स्थानमें, “ अर्थ ” को चौथा लक्षण कहा गया है । इस “ अर्थ ” शब्दका अर्थ समझमें नहीं आता । यदि इससे “ अर्थशास्त्र ” याने धनोपार्जन वा जीविकोपार्जनका उपाय समझ लिया जाय तो भीष्मजीके उत्तरसे पारलौकिक पक्षमें वेदाक्त यज्ञादि कर्म और स्मृत्युक्त विधि निषेध पक्ष लौकिक पक्षमें सदाचार और जीविकाजनी वृत्ति, द्युक्तिगत धर्म सिद्ध होते हैं ।

युधिष्ठिरने यह जानना चाहा था कि धर्म क्या वस्तु है और किसके सम्बन्ध वा अपेक्षाने वह उत्पन्न होता है । उत्तरमें बताया गया कि † वेद, × स्मृति और + सत्पुरुषोंके आचरणसे धर्मका ज्ञान होता है, याने वेद और स्मृतिमें मनुष्यके कर्त्तव्योंके जो विधान हैं वे धर्म हैं । सत्पुरुषोंके जो आचरण हैं उन्हीका अनुवर्तन दूसरोंको भी करना चाहिये । धर्मोंकी जीविकाजनी वृत्तिया भी धार्मिक कर्म हैं । किन्तु धर्मकी उत्पत्ति पर कुछ न कहकर भीष्मने युधिष्ठिरको यह उपदेश दिया कि इनमें से कौन प्रकृत याने सच्चा धर्म है, निश्चय करके उसका अनुष्ठान करना चाहिये । प्रकृत और अप्रकृत, मुख्य और गौण धर्मका निर्णय तब किया जा सकता है जब कि धर्मकी उत्पत्तिको ज्ञान हो ।

† अवैतनिक होने परभी कान्प्रोसको देरा सेवकेके लिये सुराक और मार्ग ध्ययका रता उठाना हो पडता है ।

‡ श्रोत कर्म = यज्ञादि ।

+ स्नात कर्म—गोडग सरहार, आश्रा धर्म ओर रात्र धर्म ।

× मनुके अनुसार—पूजावत (पत्राव) देगके विवासिगोंका आचार सदाचार है ।

- २ “ लोक-यात्रा निर्वाहके लिये धर्मकी स्थापना हुई है । धर्मके आचरणसे इस लोकमें धीर परलोकमें सुख रूप उत्कृष्ट फल मिलता है । जो मनुष्य प्रकृत धर्मके आचरणमें उदासीन रहता है उसको निश्चयही पापका भागी होना पड़ता है । ”
२. “ धर्म किससे उत्पन्न होता है— युधिष्ठिरके इस दूसरे प्रश्नका यह उत्तर है । इस उत्तरसे यह स्पष्ट है कि समाजके सम्बन्धसे मनुष्योंके लिये कर्त्तव्य निर्णित किये गये हैं । अब तक कहे इन दो उत्तरोंसे युधिष्ठिरको सन्तोष होना था, पर ऐसा नहीं हुआ । यह आगे चलकर मालूम होगा । क्या सन्तोष नहीं हुआ ? क्योंकि वेदके आधार पर बने हुए स्मृति ग्रन्थोंमें “अर्थ” की गिन्ती धर्ममें नहीं की गई है । और न समाज-

सेवाको पाने वरुणोंकी जीविकार्जनी वृत्तिको धार्मिक रूप दिया गया है । मनुस्मृति (अ० २ प्रलोक २६-२८) में वरुणोंका धर्म इस प्रकार लिखा है—“ अब ब्राह्मणादि वरुणोंके धर्म सुनो—ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्योंके, वेदमें कहे हुए पवित्र कर्मोंसे गर्भाधान भादि शरीरके संस्कार करे । यह संस्कार इस लोकमें तथा परलोकमें अन्तःकरणको पवित्र करते हैं । गर्भको पवित्र करनेवाले हवन, जन्म समयके जात कर्म संस्कार, चूडाकर्म संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कारसे द्विजोंका वैजिक पाप (पिताके किये निषिद्ध भौधुनके संकल्प भादिके कारण उसके वीर्य द्वारा बालकमें आया हुआ दोष) तथा गार्भिक पाप (माताके निषिद्ध भौधुनादिके संकल्पसे उसके रुधिरके द्वारा बालकमें आया हुआ दोष अथवा माता पिताके रजवीर्यकी अपवित्रता) भए होना है । वेदपाठ रूप स्वाध्याय, भ्रमर्मासाधिका त्याग, चान्द्रायणादि वृत्तों, अग्निहोत्रादि होम कर्मों, तीनों वेदोंके पढ़नेके निमित्त शास्त्रोक्त नियमोंका पालन, वेदता-भृषि-पितरोंका सपण, गृहस्थाश्रमी होकर पुत्र उत्पन्न तथा पञ्चमहायज्ञ और ज्यौतिष्टोमादि यज्ञ करनेसे इस शरीरमें रहनेवाला आत्मा परब्रह्मका ज्ञान पानेके योग्य किया जाता है । ” मनु कथित यह धर्म अथवा आजकल लोग जिसे मनातल धर्म कहते हैं, व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेयःके लिये कहा गया है, यह स्पष्ट है । अतएव पारलौकिक श्रेयःकी प्राप्ति करना जब मनुष्यका मुख्य कर्त्तव्य है और उसके साधनभी स्वतन्त्र हैं तब समाजके सम्बन्धसे धर्मकी स्थापना हुई है, यह कहना व्यर्थ है । बल्कि यही कहना ठीक है कि प्रत्येक व्यक्तिकी जीवनयात्राके लिये धर्मकी स्थापना हुई है । अतएव इस प्रकारके धर्म के अनुसार युधिष्ठिरका, युद्ध करके अपहृत राज्यका उद्धार करना अनुचित हुआ था ।

- ३ “ पाप परायण पुरुष कभीभी पाप से विमुक्त नहीं होता (क) । किन्तु कोई कोई आपत्कालमें पापाचार करके भी निर्वापी और मिथ्या कहने पर भी सत्यवादी और धर्मात्मा गिना जाता है ” (ज) ।
- ३ (क) यह नीतिका साधारण सिद्धान्त है । (ख) यह विशेष सिद्धान्त धर्मनकटके समग्र विश्वके वृत्तिके सन्तान पर निर्भर है ।, इस उत्तररो भीष्मजीने देश, काल, और पात्रके विचारसे सामान्य धर्मके अपवादोंका उल्लेख किया ।
- ४ “ आचारही धर्मका आश्रय है । उस आचारको आश्रय करके धर्म को जानना चाहिये । ”
- ४ यह उत्तर मनुस्मृति अ० १ श्लोक १०८ । ११० के अनुसार है । धर्म का रूप आचार है । यथा—“ आ-चार, परमो धर्म श्रुत्युक्त, स्मार्त्त पवन् । तस्माद्वास्मिन्सदायुक्तो नित्यस्याशात्मवानद्विजः ॥ पपमा-चात्तो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् । सर्वस्य तपसो मूलमाचार जगद्गुः परम् ॥ ”

अर्थ—“ धर्म और मनुस्मृतिमें कहा हुआ आचारही परम धर्म है, यदि ब्राह्मणादि नीतों वर्गोंको अपना हिन करनेकी इच्छा होय तो सदा आचारके पालन करनेमें तत्पर रहें । इस प्रकार आचारसे धर्मकी प्राप्ति को देख कर मुनियोंने माना है कि सफल तपोका मूल आचार है । ”

इस आचारके कुछ दृष्टान्त ये हैं—अग्निहोत्र, पच महायज्ञ, पितरोंका श्राद्ध और तपण, शिर पर पगडी आदि पहिनकर भोजन न करना, एक वस्त्र पहिनकर भोजन न करना, उदय होते हुए और अस्त होती हुए सूर्यको न देखना, फिसीकी हिंसा न करनी, सत्या बोलना आदि अनैक विधि निषेधोंका पालन करना ।

५. “ मनुष्योंका स्वमान ऐसा है कि वे अपने अधर्मको छिपाते और दूसरोंके पापाचरणको प्रकट करते हैं । देवो, चार राजाहीन राज्यमें दूसरोंका धनु चुराकर अपनी धर्म-शीलताको निःशङ्क वित्तपे प्रकाश
- ५ इस उत्तरका भावार्थ यह है कि अपने स्वदूष दूस्वरोके सुख, दुःखका समझना भी धर्म है ।

। इस विषय पर विस्तृत विचार लो० मा० निदरने अपने गीता रहस्यक “ कर्मविज्ञाना ” प्रकरणसे किया है ।

करता है । परन्तु जब दूसरा
उसका धर्म हरता है तब वह राजा
से अभियोग करता है । ”

६. “ सत्य कहना अवश्य चाहिये । ६ इस उक्ताका भावार्थ यह है कि
सत्यसे बढ़कर कुछ नहीं है । सत्य परस्परकी स्थिति के लिये निश्चयों
में ही सब कुछ स्थित है । पापात्मा का पाठन करना मर्तव्य नहीं है ।
तोड़ग स्वभाववाले मनुष्यपण, शान्तुशीलन के बोधे परिच्छेदमें
सत्यके प्रभावसे ही नियमोंकी इस विषय पर विस्तृत विचार
स्थापना करके, एक दूसरेकी अनिष्ट किया जा चुका है ।
चिन्ताको छेड़ भापसमें एकना करते हैं । यदि वे नियमोंके बन्धन से छूट जाय तो निश्चयही विनष्ट हो जाय । ”
- ७ “ मनीषिगण, हिंसा परित्यागकर ७ “ अहिंसा परमो धर्म ” अहिंसा
शान्तिमागका अवलम्बन करना ही (किसी प्राणीको दुःख न देना)
परम धर्म मानते हैं । ” ही परम धर्म है । जो कि, केवल
व्यक्तिगत श्रेयसे ही सम्बन्ध
रखता है ।

भीष्म पितामहके उत्तरोंका अधिक सङ्कलन करना निश्चयोजन है ।
भीष्म पितामहके उत्तर युधिष्ठिर महाराजके प्रश्नोंके दृग्से हमने यही समझा
पर युधिष्ठिराभट्टाराजकी था कि “ स्वे स्वे कर्माभिरत ” इस मंत्रकी व्याख्यामें
रसिका । अत्र तक हम जिस समाज-सेवा रूपी जीविकार्जनी
वृत्तिसे इहलीकिक धर्म प्रतिपादन करते हुए चले आ रहे
हैं, उसीका पुष्टिकरण स्पष्टाक्षरोंमें भीष्म पितामहके उत्तरमें पाया जायगा ।
विचारे भीष्म पितामह भी क्या करे ! “ एष परम्परा प्राप्तमम राजर्षयो धिदुः
(इस परम्परा प्राप्त कमयोगके राजर्षि लोग जानते थे—गो० अ ४ मं० २) ”
श्रीकृष्ण भगवानके इस वाक्यके अनुसार, राजर्षियोंके अग्रगण्य, बालब्रह्मचारी
महावैराग्यवान, ज्ञानके पारगामी, जीवन्मुक्त, तथापि क्षत्रियोचित समाज-
सेवामें रत, क्षत्रिय कुल-भूषण, भीष्मजीके सुपुत्र—भगवान् कृष्ण द्वैपायन
देवव्यासजीने श्रीकृष्ण प्रचारित गीताधर्मकी जो व्याख्या की थी वह
अभास्यवशात् परवर्ती कथा बोचनेवाले ब्राह्मणोंको स्वार्थमिसन्धिके कारण
अस्पष्ट हो गयी है * । मेरा ऐसा अनुमान निर्णयक है वा साथ ही सो आगे चल

* स्वामीजीका ऐसा आक्षेप करनेका कारण यह है कि उनका ऐसा विश्वास
है कि, श्रीकृष्णोक्त धर्मके प्रचारके लिये वेदव्यासजी ने आदिमें महाभारतकी
रचना करके स्वयं का नाम जय रखा था । क्योंकि जब स्वयं जितने धर्म मत्त

कर मात्स्य होगा । जो कुछ हो, भीष्म पितामहके उत्तरसे युधिष्ठिर महाराजको खतोष नहीं हुआ । उन्होंने अपने पूर्व प्रश्नोंको सुधार कर फिरसे पूछा । (अ० २६०) महाराजा युधिष्ठिरने कहा—“ हे पितामह ! आपने सूत्र-वेद बोधित धर्म लक्षणका जैसा कथन किया, यह मेरे हृदयमें स्फुरण हो रहा है । अब मैं कुतर्कको छोड़कर भीर एक प्रश्न करता हूँ, सुनिये । ”

युधिष्ठिर महाराजके इस वाक्यका जो अर्थ है सो इस दृष्टान्तसे खुलासा होता है:—कोई साहुकार अपनी लाखोंकी सम्पत्ति त्यागकर किसी महात्माके पास जाकर पूछे कि, हे भगवन् ! मैं अमुक लक्षणित साहुकार था, अब सर्वस्य त्याग कर धर्मकी खोजमें आपके पास आया हूँ । यह महात्मा साहुकारको, इस उपदेशके बच्चे कि मनकी शान्ति धर्मका रूप है और यह शान्ति परमात्माके प्रेमसे होती है, यह उपदेश करने लगे घोरि न करना धर्म है । ' तो यह विरक्तमना साहुकार अवश्य कहेगा कि, हे भगवन् ! मैं तो पहिलेसे ही इस बातको जानता था । यह उपदेश मेरे लिये निरर्थक है ' ।

ऐसाही युधिष्ठिर महाराजके भी कहनेका अभिप्राय है कि, हे पितामह ! भारतयुद्धमें क्षात्रियध्वजनिष्ठ शोकसे अशान्त होकर, ' क्षत्रियो मे लिये युद्ध करना धर्म है ' क्यो माना गया ? इसके और धर्मके स्वरूपको जाननेके लिये, मैं आपके पास आया हूँ । गौण धर्मोंका ज्ञान प्राप्त करनेको नहीं, क्योकि उन सबको मैं जानता हूँ । धर्मके उत्पत्ति स्थानको जानना चाहता हूँ, धर्मका रास्ता पूछना मेरा उद्देश्य नहीं है; धर्मके रास्ते पर चलते चलते मेरा नाम ही ' धर्मराज ' पड़ गया है । अब, मैं आपके उत्तरोंका प्रतिघाट न करके दूसरा प्रश्न करता हूँ, सुनिये ।

प्रचलित वे उनका खण्डन करके श्रीकृष्णोक्त धर्म मतकी अद्वैता उसमें बतलाई गई थी । उत्तरकालमें श्रीकृष्णोक्त धर्म नीतिके विस्मरणसे तथा इसके आचरणको असम्भव मान पुराण जीवी पण्डितोंने अपनी मनमानी जोड़ तोड़ करके उसका स्वरूप ही बदल दिया । यहाँ तक कि जोड़ की अधिकतासे आदिम " नय " नामक भारतका रूप महाभारत हो गया है और विचारोंकी शैलीमें असामञ्जसता आ गई है । जिसके कारण साधारण पाठकोंके लिये किसी विचार विशेषके सिद्धांत तक पहुँचना कठिन हो गया है । " श्रीकृष्ण चरित " के रचयिता पंडितवर वद्विम बाबूका कहना है कि महाभारतकी रचना और विचारशैलीमें तीन तत्व पाये जाते हैं, जिससे बोध होता है कि तीन भिन्न भिन्न व्यक्तियोंके द्वारा महाभारत रचा गया है । यदि इन दोनों विद्वानोंके मत किसीको मान्य न हो तो उसे अवश्यमेव यह मानना पड़ेगा कि वर्य प्राचीनकालमें जितने प्रकारके मत और विचार और पौराणिक कथायें प्रचलित थीं सबका समग्र महाभारतकारने इस ग्रन्थमें किया है । किसी विशेष मतके प्रचारके लिये महाभारत नहीं रचा गया था । जो कुछ हो, यदि किसी समय सटीक महाभारतका प्रकाशन विद्वानोंके द्वारा आरम्भ होगा तो सम्भव है कि इन अनुमानोंकी सत्यासत्यता प्रकाश हो जायगी ।

महाराज युप्रिष्टिग कउने लॉग—“जिस्न धर्मके प्रगल्भमे प्राणिकी उत्पत्ति, स्थिति आग संहार होना है, वह धर्म केवल शास्त्र पाउसे नहीं जाना जाता।” (जैसे जीविका, जिन रूपी समाज-सेवा धर्म है—इसका ज्ञान इन दिनों हम शास्त्र पाउसे नहीं होता)। जिनपत्र व्यक्तिका जो धर्म है वही विषय व्यक्तिका नहीं है। आपवाये जराएय

है, आपद्धर्म भी नाना प्रकारके है। जनएव शास्त्रोसे आपद्धम जिन तरंग जाना जायगा ? ” (इस कथनका भावार्थ समझनेका एक दृष्टान्त यह है—प्रचलित किसी कोप ग्रन्थमें सत्र प्रचलित शब्दोंका संग्रह हो चुका है। यदि अब कोई नया शब्द उत्पन्न होना वह शब्द इस अभिप्रायमें न रहनेसे भविष्यत् कालके मनुष्य, इस शब्दका अर्थज्ञान किस उपायसे करेगे ? भाषामें इस शब्दका उपयोग जिस भावनाके व्यक्त करनेके लिए होगा या वाहता है उसके ज्ञानसे इसका अर्थज्ञान होगा। अतएव शब्दोंके अर्थज्ञानके लिए कोप मुख्य आधार नहीं है। परन्तु भाषाही मुख्य आधार है। अतएव कर्त्तव्य, अकर्त्तव्य कर्मोंके ज्ञानके लिए शास्त्रानिरिक्त ओर भी कोई आधार होगा ओर वह आधार समाजकी हित-दृष्टि है, जिसके आधार पर शास्त्र भी बने है। जैसा कि भाषाके आधार पर कोप ग्रन्थ ।)

युप्रिष्टिग महाराजका यह प्रश्न भीष्म पितामहके उत्तर न० १ का प्रत्युत्तर है। स्मृतियोंका शासन है (श्रुतिस्मृत्युद्धित धर्ममनुनिष्ठिह मानवः । इह कीर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम सुखम् । मनु अ० २ श्लोक ६) कि, श्रुति (वेद) ओर स्मृतियोंमें कहे हुए धर्म (कर्म, आचार) के अनुष्ठानसे मनुष्य इस लोक में कीर्त्ति ओर परलोकमें अत्युत्तम सुखको प्राप्त होता है। ‘वेद, स्मृति धर्मका जापक है’ ऐसा जो गीमजीने कहा था उसका अर्थ ‘श्रुति और स्मृतिमें कहे हुए कर्म धर्म हैं’ ऐसा मानकर युप्रिष्टिग महाराजने यह शब्दा उठाई है कि, विधि-विहित कर्मोंको ही धर्म मानना चाहिये अथवा धर्म कोई स्वतन्त्र वस्तु है, जिसके लिये कर्मोंका विधान हुआ है ? यदि कर्मोंको धर्म माना जाय तो धर्मका रूप अस्थिर हो जाता है। क्योंकि अवस्था या परिस्थिति विशेषमें जो कर्म एकके लिए कर्त्तव्य समझा जाता है वही दूसरेके लिए अकर्त्तव्य हो जाता है। जो विधि, क्रिया कालमें प्रहित समझी जाती थी वही दूसरे कालमें अधिहित समझी जाती है। (जैसे ब्राह्मणोंका चारों धर्मोंमें निवाह, नियोगविधि और मास-दोष होता है, परन्तु कालमें प्रहित थे अब अधिहित हैं।) दूरदर्शी महर्षियोंमें जता तक सम्भव हो सका है समाजकी विभिन्न अवस्थाओं आर परिस्थितियोंका विचार करके कर्मोंके विधान किये हैं राही, परन्तु जब अवस्थाये आर परिस्थितिपा खल्यानद्व नहीं है तब शास्त्र विभिन्न को परिस्थिति उपस्थित होने पा

धर्मधर्म वा कर्त्तव्याकर्त्तव्यका निर्णय कैसे होगा ? अतएव धर्मका यथार्थ लक्षण, जो तीनों कालमें स्थिर रहनेवाला हो, जान लेना आवश्यक है, जिससे कर्त्तव्याकर्त्तव्यका निर्णय करना सरल हो जाय। धर्मका यथार्थ लक्षण देशबाधित भी नहीं हो सकता, अर्थात् जो कर्म एक देशमें धर्म माना जायगा वह पृथ्वी भरमें सर्वत्र धर्म ही माना जायगा। प्रकृत धर्म पात्रबाधित भी नहीं हो सकता, अर्थात् जो कर्म एरुके लिए धर्म होगा, वह सभी व्यक्तियों के लिये धर्म होगा।

भीष्मपितामहके उत्तर नं० १ और २ में “ प्रकृत धर्म ” शब्द आया है, अतएव इससे जाना जाता है कि “ अप्रकृत धर्म ” भी कोई वस्तु है। धर्मका जो लक्षण देश, काल, पात्र इन तीनों दशाओं में अव्याहत रहता है उसको हम “ प्रकृत धर्म ” और जो लक्षण देश, काल और पात्रकी विशेषता से परिवर्तनशील है और परिवर्तित अवस्थामें कहीं “ प्रकृत धर्म ” के साथ गौण सम्बन्ध रखता है और कहीं नहीं भी रखता, उसको “ अप्रकृत धर्म ” कहेंगे। ऐसे “ अप्रकृत धर्म ” सम्बन्धी कर्मोंके विधानसे चेद और स्मृतियां भरी पड़ी हैं। (इसका विचार हम आश्रम प्रकरण में करेंगे)। जिनमें बहुतेका गौण सम्बन्ध “ प्रकृत धर्म ” के साथ अभी तक बना है और बहुतेका वैसा सम्बन्ध कालवश नष्ट हो गया है। जिस समय जिन ऋषियोंने उन कर्मोंका विधान किया था उस समय उन कर्मोंका “ प्रकृत धर्म ” के साथ गौण सम्बन्ध बना था, क्योंकि बिना प्रकृत धर्मके ज्ञान हुए “ अप्रकृत धर्म ” का विधान हो नहीं सकता था। परन्तु अवस्था वा परिस्थित के परिवर्तनके साथ साथ “ अप्रकृत धर्मों ” के विधानका भी परिवर्तन होना चाहिये था। किन्तु करे कोन ? क्योंकि प्रकृत धर्मका ज्ञान तो लोप ही हो चुका था। इसी आशेपको प्रकाश करनेके लिए युधिष्ठिर महाराजके मुखसे ऐसा शङ्कायुक्त प्रश्न उत्थापित किया गया है।

प्रकृत धर्मका लक्षण है “ समाजका अभ्युदय ” और “ व्यक्तियोंका निश्चयस् ”। भूत, वर्त्तमान, और भविष्य तीनों कालोंमें, पृथ्वीके सभी देशोंमें, प्रत्येक मनुष्यके लिये ये दोनों बातें मङ्गलकारिणी थी, हैं और रहेंगी। इस धर्मका कर्म है “ ज्ञान राहित समाजकी निष्काम सेवा, ” जो कि मनुष्य मात्रके लिये तीनों कालमें आन्तरणीय था, है और रहेगा। इस धर्मके मुख्य विषय तीनों कालमें एकसे बने रहते हैं केवल इसके आन्तरणीय विधिमें जब तब कुछ रूपान्तरसा हो जाता है। यथा—मुख्य विषय ‘ समाज ’ और ‘ सेवा ’ हैं। और आन्तरणीय विधि ‘ ज्ञान सहित ’ और ‘ कामना रहित ’ हैं। ये विधि कभी ‘ अज्ञान और सकाममें ’ और पुनः ‘ सज्ञान और निष्काममें ’ रूपान्तरित होती रहती हैं * ।

मनुष्य नामक प्राणीकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार समाजमें ही होते हैं। समाज ही मनुष्योंकी इन तीनों अवस्थाओंका कारण है जिनमें से मुख्यतया स्थितिका कारण तो समाज है ही। मनुष्योंकी इन तीनों अवस्थाओंके धारण करने से समाज मनुष्योंके द्वारा "धर्म" सज्ञा पाने के योग्य है। युधिष्ठिर महाराजने अपने प्रश्न (क) में समाजको ही "धर्म" सज्ञा दी है। समाजसे भिन्न किसी कर्त्तव्यकी कल्पना भी मनुष्योंके लिये नहीं हो सकती। ऐसे समाजधर्म (प्रकृत धर्म) के आचरणमें जो मनुष्य उदासीन रहता है उसको निश्चय ही पापका भागी होना पडता है। (भीष्मजीका उत्तर न २ देखो)। उस समयके कर्मकाण्डी, ज्ञानमार्गी और तपस्वी जो व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेयको ही धर्मका पूर्ण रूप समझते थे, उनपर महाभारतकारने भीष्मके मुखसे ऐसा आक्षेप कराया है।

(ख) युधिष्ठिर महाराजने कहा—“शास्त्रोंमें सत् पुरुषोंके आचारको धर्म, और धर्मानुष्ठानपरतन्त्र पुरुषोंको सत् कहकर निर्देश किया है। इस लक्षणसे यही स्पष्ट जान पडता है कि धर्म और सत्पुरुषता परस्पर सापेक्ष हैं। परन्तु इसके द्वारा कौन सत् पुरुष है और धर्म क्या है इसका निरूपण नहीं किया जा सकता”। (भीष्मजीके उत्तर न ४ का यह प्रत्युत्तर है)।

भीष्म पितामहने सदाचारको धर्मका ज्ञापक (उत्तर न १) और आचारको धर्मका आश्रय (उत्तर न ४) कहा था। उन पर युधिष्ठिर महाराजने उक्त शका उठाई है। इस शङ्कासे युधिष्ठिर महाराजका अभिप्राय यह है कि सदाचारकी कसौटी सत् पुरुष है, अथवा कोई और ? यदि सत् पुरुष इसकी कसौटी है तो सत् पुरुषकी कसौटी क्या है ? इस पर यही उत्तर देना पडता है कि सत् पुरुषकी कसौटी सदाचार (सत् + आचार) है। अतएव “आचार” और “पुरुष” दोनों शब्दोंमें जो ‘सत्’ शब्द लगा है उस “सत्” की व्युत्पत्ति कहा से है सो नहीं जाना जाता। पहिले “सत्” वस्तुका ज्ञान होना आवश्यक है तब उसके अनुकूल आचरणोंको “सदाचार” और उनके आचरणकारीको “सदाचारी पुरुष” कह सकेंगे। अतएव, किसी मनुष्य विशेषको सत् पुरुषकी सज्ञा देकर उसके आचरणको सदाचार मान लेने से ही कुछ धर्मका निरूपण नहीं हो सकता।

“सत्” शब्दका अर्थ है विद्यमान, वर्तमान, नित्य, चिरस्थायी। इस लक्षणके अनुसार जैसा सत् शब्दसे परमात्मा और जीवात्मा का बोध होता है, उसी तरह अति पूर्वकालमें मनुष्यसमाजका भी बोध होना था। इस सत् लक्षण युक्त मनुष्यसमाजके हितकी अपेक्षामें जिन आचारोंका निरूपण हुआ था वे “सदाचार” कहलेंगे। कालान्तरमें तब सत् शब्दके

समाजका ज्ञान होना लाय हो गया और कुछ आत्मोंके निर्देश करने से इसका उपयोग होने लगा, तब व्यक्तिगत जीवात्माके हितका अपेक्षा करने का आचरण (जो स्वभावतः उभयभुगी है यानि व्यक्तिगत और सामाजिक हितसाधक) सदाचार समझी जाने लगे । गुनरा राजतारात्पांसि जाते का पुन जावश्यकता हो गई । वर्तमान शास्त्रोंमें इस विज्ञानका कोई स्पष्ट उल्लेख अन्तर्गत महाभारतकारने भीम युधिष्ठिर सम्वादमें इस प्रश्नको उठाया ।

राजताराके निर्देशमें मनुस्मृतिमें अ० २ श्लोक १७, १८, १९ और २० में कहा है “ प्रतापसंदेशने (स्वयंपती जोर द्रुपदती नवियोंके बीच प्रताप विलोम उत्तर पश्चिम पश्चिमका प्रदेश) वयुषा शिशुके उत्पन्न होनेसे उस देशमें राज्यागने लेकर वर्षाकरा तत्र में परम्परा से चला आता हुआ जो आचार है वह राज्याग कहा जाता है । कुम्भेश्वर, मनुष्य (विराट् देश वा जयपुर), पानाट (पञ्जाब प्रान्त के देश विशेष) और शूशेन (मथुरा) ये ब्रह्मर्षिदेश प्रतापसंदेशस कुठ न्यून है । इन देशोंमें उत्पन्न हुए राज्यागोंमें पृथिवी में सब मनुष्य अपने अपने चरित्र (आचार) को सोमै । ”

मनुस्मृतिके इस आदेशमें यह कुछ भी नहीं जाना गया कि सदाचार क्या चरित्र है । इतना ही मात्र जाना गया कि यदि कोई हमसे कहे कि तुम्हारा आचरण (चरित्र, आचार, व्यवहार, रीति, कर्म इत्यादि उनमें से कोई भी हो) सब नहीं है, तो क्या हम बङ्गालियों का, पञ्जाबियों का, कुरुओं का, मथुराके भीम, नृपति पर रोड़ी बनाना और चिना पानीके राज्य में वर्तित मल उना, ' राजपूतानावासियों से 'मथुराका पानी पीना,' मथुरा वालेसे मग पाना' और कान्पुर-जदेश-निवासियोंसे 'शोले जाके चिना हाथ सट्टियाये चाये हाथ से कपडा स्वहालकर लोटा पकड़ना' सीखना चाहिये ? युधिष्ठिर महाराजक चारोंसे यह स्पष्ट है कि ये सब बातें देशाचार कही जाती हैं । 'मर्म' इसका कोई सम्बन्ध नहीं ? देशभेद वा जातिभेद से आचार की भिन्नता हुआ ही करती है । राजा और पराधीन जातिके आचरणोंमें भिन्नता रहती है । छल नाचुरा, कपट, कठोर और ऊपरी दया, ये गुण जितने अधिक पराधीन जातिमें पाये जायगे उतने अधिक राजाधीन जातिमें न पाये जायेंगे । शिक्षित और अशिक्षित जाति और व्यक्तिके आचरणोंमें भी भिन्नता रहती है । जितनी अधिक स्वार्थपरता अशिक्षित जाति और व्यक्तिमें पाई जायगी उतनी शिक्षित जाति और व्यक्तिमें न पाई जायगी ।

२ शिक्षित और अशिक्षित जातिसे हम जानते हैं कि वे सब विद्वान् लोग हैं, उनमें बहुत ही अधिक ज्ञानक विपरीत मन होना ही नहीं है । अशिक्षित जातिसे हम जानते हैं कि शिक्षित जाति भी जातिसे पर है परन्तु शिक्षित जाति में ही जाति का रीति का पराधीन है । जो पराधीन की अच्छी शिक्षा में पाये जायगा वह जाति में न पाकर भी अच्छी शिक्षा पायेगी ।

कोई भी देश हो, वहाँ के लोग चाहें स्वाधीन हो वा पराधीन, चाहें शिक्षित हो वा अशिक्षित, चाहे वहाँ हो ही मनुष्य एकत्र न्यो न रहने हो, सबत्र दूसरेका कष्ट व्यवहार, और दूसरेका तथा अपना भी ऐसा व्यवहार जिसने अपनेको कष्ट होता हो और अपनी वस्तु चोरी जाती हो, सभीको बुरा लगता है। अतएव जिस आचारसे आचरणकारीको और उससे भिन्न एक वा तनाविक मनुष्योका हित ही, सुख वा प्रसन्नता हो, वह आचरण सदाचार है। सुतरा सदाचारका लक्षण बनलाने के लिये किसी देश, जाति वा मनुष्य विशेष के आचरणको निर्देश न करके उसके फल हो, जिसने अपनी और दूसरेको तात्कालिक प्रसन्नता और भविष्यत् में सुख वा हित हो, सदाचारके लक्षणके रूपसे निर्देश करना चाहिये। क्योंकि प्रकृतिके विभिन्न नियम से स्वाधीन जातिका आचरण पराधीन होने से और पराधीन जातिका आचरण स्वाधीन होने से बदल जाता है +। शिक्षित जातिका आचरण अशिक्षित होने से और अशिक्षित जातिका आचरण शिक्षित होने से बदल जाता है +। अतएव स्मृति शास्त्रोंमें (यदि वे धर्म शास्त्र है केवल भूतकालिक विषयोंका स्मारक नहीं हैं तो) किसी विशेष समय की जाति विशेष का आचरण सदाचार रूपसे निर्दिष्ट नहीं होना चाहिये या। यही महाभारतकारका आक्षेप है। सदाचार जब समाज-व्यापक होता है तब वह प्रकृत धर्मका ज्ञापक हो जाता है।

(ग) जैसे सदाचारकी एक कसौटी है वैसा ही किसी कर्मको धार्मिक कर्म समझने के लिये उसकी भी कोई कसौटी होनी चाहिये, ऐसा मनमें विचार कर लोकसम्मत वा स्मृतिकथित धार्मिक और अधार्मिक कर्मों पर युधिष्ठिर महाराज अपनी शकार्यें प्रकाश करते हैं—“देखिये शूद्र वर्णके लोग मुमुक्षु होकर धर्मकी वृद्धिके लिये वेदान्तादि ग्रन्थों को श्रवण करते हैं—इससे उनके अधर्म होता है। और अगस्त्यादि

। केवल आचरण ही नहीं, भाषा तब बदल जाती है। पराधीनतासे भारतवर्षमें तो मनुष्योका डील डाल (शरीर) ही बदल गया है। शरीराकृतिके परिवर्तनके सम्बन्धमें कहा जाता है कि प्राचीन कालमें भारतके मनुष्य ताडके समान लम्बे होने थे और तब घोर क्लिप्ताल उपस्थित होगा तब जो भारतवासी इस समय भुक्त भुक्त कर भाटा (वे गन) तोड़त हैं, उनका लम्बी से भाटा तोड़ना पड़ेगे। कदाचित् किसी तत्पन्न रसिक पण्डितने भारत वा पराधीनताके भागी फल की ओर लक्ष्य कर के इस कहावतका जन्म दिया होगा। +। अर्थात् अजाति वा द्रष्टान्त भोग्य है, और उन्नतिके दृष्टान्त यूरोप, अमेरिका, जापान आदि हैं।

महर्षिगण यज्ञके निमित्त नाना प्रकारके हिंसा जनक अनुष्ठान करते हैं * इससे उनको धर्म सञ्चय होता है (पेसा लौकिक में समझा जाता है) । अतः धर्मका निर्णय कैसे किया जाय ? ”

मनुस्मृति में ब्राह्मणके पारलौकिक कल्याण (मोक्ष) के लिये छ. कर्म कहे गये हैं—

“वेदाभ्यासरूपो ज्ञानमिन्द्रियाणाञ्च संयम. ।

अहिंसा † गुरुतेवाच न श्रेयस्करं परम्” ॥ मनु अ १२ । ८३

अर्थ—उपनिषदादि वैदिक ग्रन्थोंका अर्थ सहित अध्ययन,
कृच्छ्रादि तप (कठोर व्रत), ब्रह्म विषयक ज्ञान, इन्द्रिय संयम,
अहिंसा और गुरुकी सेवा ये छः मोक्ष के उत्कृष्ट साधन हैं ।

इस पर यह चिन्तक उपस्थित होने पर कि, क्या इन छः कर्मोंके समान साधनसे मोक्ष मिलता है अथवा किसी एक के अतिशय साधनसे भी मोक्ष मिल सकता है ? इस पर यह कहा है कि—

“सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञान परं स्मृतम् ।

तद् व्यग्रं सर्वविद्ययानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥ मनु अ० १२ । ८५

अर्थ—इन सब कर्मोंमें ब्रह्म वा आत्मज्ञान श्रेष्ठ कहा गया है । इस कारण सब विद्याओंमें उपनिषद् ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा मोक्ष मिलता है ।

युधिष्ठिर महाराजने जो शंका उपस्थित की है उसका विचार यों है—
मन की शान्ति एवं पारलौकिक कल्याण, मनुष्य मात्र का अभीष्ट है और उनका साधन करना मनुष्य मात्रका कर्त्तव्य है । जिन कर्मोंसे मनकी शान्ति और पारलौकिक कल्याणकी सिद्धि होती है वे कर्म जब मनुष्य मात्र के लिए धर्म्य कर्म माने गये हैं तब शूद्र वर्णके लिये उपनिषदोंका श्रवण, मनन अधर्म्य क्यों माना जाता है ? क्या शूद्र मनुष्य नहीं है ? यदि है तो उसको भी मोक्ष साधक ज्ञानार्जन का अधिकार है ।

५ वें परिच्छेद में कह आये हैं कि यावत् कर्म श्रमसाध्य होने से मन में अवसाद उत्पन्न करने वाले है । मनको इस अवसादके आक्रमणसे बचाने

* यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्या. प्रथस्ता मृगपक्षिण । मनु अ० ५ । १२

† मोक्षार्थी के लिए हिंसाजनक अनुष्ठान त्याग्य है ।

के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे मन में, समाज तथा जिसके साथ कोई कर्म-सम्बन्ध उपस्थित हो उसके लिये, प्रेम भाव उत्पन्न हो । ("यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य" इति मंत्र गी० अ० १८ । ४६ में देखिये) । अतएव समाजके मङ्गलार्थ वेदान्तका ज्ञान सबके लिये समान आवश्यक होने पर भी शूद्रके लिये विशेष आवश्यक है । हा, कर्म-सन्न्यास प्रधान वेदान्तके ज्ञानसे समाजका अमंगल होता है परन्तु भक्ति-प्रधान वेदान्तके ज्ञानसे समाजका मंगल ही होता है । तथापि जय यहा युधिष्ठिर महाराज उस समयके प्रचलित लोकमत वा किसी स्मृतिके आधार पर (स्मृतियोंके अनुसार शूद्रको ब्रह्मचर्यानुष्ठानका अधिकार नहीं है) कहने हैं कि शूद्रों के लिए धमवृद्धि के अर्थ वेदान्तादि ग्रन्थोंका श्रवण अधर्म है, तो इससे यही जाना जाता है कि, शूद्रवर्ण भी सनातन आर्य समाजका अंग है तथा समाज सेवा ही धर्मका प्रत्यक्ष रूप है, ये बातें उस समयके बहुतकाल पूर्व से ही लोग भूल गये थे । शूद्रवर्ण भी समाजका अंग है यह ज्ञान यदि लोगोंमें रहा होता तो मोक्षके लिए ज्ञानार्जनमें द्विज वर्णोंके साथ समान अधिकार शूद्रोंका भी माना गया होता, अथवा, यदि "समाज-सेवा धर्म है" इस ज्ञानका लोप न हुआ होता तो मोक्ष के लिये ज्ञानप्राप्ति का साधन वेदान्तादि ज्ञानकी शिक्षा भक्ति-प्रधान बनाई गई होती । परन्तु पारलौकिक कल्याण ही मुख्य धर्म माने जाने से वेदान्तादि ज्ञानकी शिक्षा कर्म-सन्न्यास प्रधान हो चुकी थी, जिससे लोकयात्रामें विघ्न होते देखकर स्मृतिकारोंके पारलौकिक धर्मके नामसे विशेष विशेष विधियाँ चलानी पड़ी । समाज-सेवाके लक्ष्यसे भ्रष्ट होकर भक्ति मार्गके प्रवर्तकों ने भी अपनी शिक्षा पारलौकिक कल्याण-प्रधान बना डाली । इन सब आपत्तियों को दूर करके मनुष्य मात्रके लिये सुसाध्य तथा एक समान धर्म—ज्ञान और कर्म समुच्चयात्मक धर्म—याने कर्मयोग का प्रचार करने के लिए श्रीकृष्ण भगवान् का अवतार हुआ ।

(घ) भीष्मजीके उत्तर नं १ और २ में कहे हुये प्रकृत धर्म की नित्यता और अप्रकृत वा गौण धर्म की अनित्यताका विचार प्रकृत धर्म नित्य है और गौण धर्म अनित्य है । मनमें रखते हुए युधिष्ठिर महाराज कहने लगे—“अनेक समयमें ऐसा भी होता है कि धार्मिक लोगोंके किसी धर्मके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होने पर बलवान् दुरान्मागण उस अनुष्ठानके जिस अंग पर बाधा डालते हैं वह अंग उस समयसे उखड़ जाता है । सुतरा धर्मके तत्त्वका निर्णय करना बड़ा कठिन है । असल में, हम लोग उसे जानते हो वा न जानते हों, दूसरों के कहने से समझ सकते हो वा न समझ सकते हो, धर्म का तत्त्व छुरेकी धारसे भी सूक्ष्म और पहाडसे भी भारी है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । ”

इस कथन में दो भाग हैं—पहला भाग यह बताता है कि आधिभौ-

निक + जात्रदेविक × एव आध्यात्मिक । व्याघ्रानारी और मतमतान्तरीकी । शिक्षासे पारलौकिक धर्मके आनुष्ठानिक अंगोका (rites) लोप, परिवर्तन और उत्पत्ति होती रहती है अतएव ये अनित्य है । दूसरा भाग यह बताता है कि कई दिनों तक लगातार धर्म किया सुनने पर भी युधिष्ठिर महाराजकी धर्म विषयक शूद्राका समाधान न हो सका क्योंकि गीर्वाणकी प्रणामके लिये गीतोक्त उपदेश का उल्लेख नहीं किया था ।

युधिष्ठिर महाराजके उक्त कथनके अभिप्रायको स्वभक्तके लिए हमको समाज-सेवा रूप कर्मा और वेदाक्त यज्ञ एव पुराणोक्त व्रतादिक कर्मों का मिलान करके निवार करना होगा । जीविकार्जनी वृत्तिरूपी समाज-सेवा कर्म समाजकी सृष्टिसे आज्ञा बराबर लोगमें चली आ रही है । और जब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक जीविकार्जनी वृत्तिया भी (जोकि साम समाज-सेवा है) बनी रहेगी । भौतिक जीविकार्जनी वृत्तिके बिना मनुष्यका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता । समाजके बिना जीविकार्जनी वृत्तियोंकी उत्पत्ति और जीविकार्जनी वृत्तियों के बिना समाजकी स्थिरता सम्भव नहीं । अतएव मनुष्य-समाजके साथ समाज-सेवाका नित्य सम्बन्ध पाया जाता है । जोर जिन लक्षणोंसे मनुष्य समाजकी नित्यता प्रत्यक्ष है उन्ही लक्षणों से समाज-सेवाकी नित्यता भी सिद्ध है । समाज-सेवाको धर्म मानने से वह प्रकृत धर्म जैसा नित्यताके लक्षण युक्त हो जाता है, और प्रकृत धर्मका एक लक्षण जो 'अभ्युदय' है सो तो उसमें है ही ।

अप्रकृत वा गौण धर्म अनित्य हैं—क्योंकि श्राव, स्मार्त्त पौष्पाणिक और तान्त्रिक कर्मोंकी अनित्यता प्रत्यक्ष है । लगभग अठारह हजार वर्षसे, जवने बौद्धधर्मका प्रचार हुआ, वैदिकयाग, यज्ञ और अग्निहोत्र तथा श्राद्धमें मारा भोजन आदि अनेक धार्मिक कर्मों का प्रायः लोप हो चुका है । मनुस्मृतिक संस्कारार्थ क्रियाओं में कितनोंका लोप और कितनोंका रूपान्तर हो चुका है । वैष्णव धर्मके प्रभावसे तन्त्रोक्त बहुतेरे कर्मोंका रूपान्तर और लोप हो गया

+ सोमवहरीकी अपाणितके कारण यजमें सोम रखके उपयोग बन्द होना इसका एक दृष्टान्त है, ऐसे और भी अन्य प्रकार के अनेक दृष्टान्त होंगे ।

> किसी किसी परिवार में, किसी पूजा या तेजहार के दिन गमी हो जाने के कारण उस पूजा या तेजहारका होना उनके यहाँ बन्द हो गया है ।

। आलस्यप्रथ संस्कार आदि कितने धार्मिक कृत्योंका लोप कितने परिवारों में हो चुका है ।

। इस कोटिके दृष्टान्तमें जोड़ मतलब आविर्भाव एक पञ्चम दृष्टान्त है जिसके कारण वैदिकयाग यज्ञ और उपरीत संस्कारका भी लोप हो गया था ।

। मनुस्मृति अ० ३ के श्लोक २६७—२७० में श्राद्धमें पितरों को वृत्त करने के लिये मन्त्रीसे भंसे तरु का मांस तावणोहो मिलाने की विधि लिखी है ।

है। लोगोंकी दरिद्रताके कारण पुराणोक्त धनादिकोंका सम्पादन दिनेदिन कम हो रहा है। यदि ये सब कर्म प्रकृत धर्म होते आर लोकयात्रा निर्वाहके लिए इनकी स्थापना हुई होती, तो इनके लोपके साथ साथ समाजके अशोका वा समाजका ही लोप होगया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। अतएव ये सब कर्म अप्रकृत वा शीण धर्म हैं। प्रकृत धर्म जो लोकयात्रा निर्वाहके लिए तथा समाजके अस्त्युदयके लिए स्थापित हुआ है वह वर्णधर्म है यानी शिक्षा रक्षा, पोषण और परिश्रम रूपी समाज-सेवा अर्थात् जीविकार्जनी वृत्तियाँ हैं। समाज और समाज-सेवाके हानिके लोपसे जीविकार्जनी वृत्तियोंको केवल उद्वर्षति का साधन समझकर आज ५००० वर्षसे भी अधिक कालसे लोग पारलौकिक मंगलको ही धर्मका पूर्ण रूप मान रहे हैं। ५०००वर्ष पूर्वके किसी किसी विद्वान् पुरुषको इस विषयपर सन्देह भी हो रहा था। इसका एक उदाहरण मैं तुम्हें कल बतलाऊंगा। राज विव्रामका समय हो गया है।

~*~*~

६ परिच्छेद ।

पांच हजार वर्ष पूर्वके भारतीय आर्योंके धर्म-विचार ।

मणेश—स्वामीजी ! कल आपने कहा था कि ५००० वर्ष के पूर्व में कुछ विद्वान् पुरुषोंको इस बातका सन्देह हो रहा था कि समाज-सेवा मन्व्योंका परम कर्तव्य है अथवा अपना पारलौकिक श्रेयोसाधन करना ही परम कर्तव्य है—इसपर उस प्राचीन कालका एक उदाहरण आज आप बतलाने वा ।

मायानन्द—भीष्म-युधिष्ठिरके प्रश्नोत्तरो (सवाद्) का सार यह था कि युधिष्ठिर वर्णधर्मको, यथा क्षत्रियके लिये प्रजापालनका, प्रकृत धर्म समझ रहे थे किन्तु इसके लिये उन्हें कोई शास्त्रीय आधार ऐसा नहीं मिलता था जिससे वे उसे व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेय पर भी प्रधानता दे सकें और उन्हें वर्णधर्मके प्रकृत धर्म होनेका निश्चित दृढ ज्ञान हो जावे। भीष्मजीका उत्तर चाहे जिस ओर घटित होसके परन्तु युधिष्ठिर महाराजने यही समझा था, जैसा कि शास्त्रोंके साधारण अध्ययन से हम लोग भी समझते हैं कि, व्यक्तियोंके पारलौकिक श्रेयके लिये ही शास्त्रामे धार्मिक कर्मोंका विधान हुआ है और वे ही प्रकृत धर्म हैं। अपने इस समझके अनुसार युधिष्ठिर महाराजने निराश होकर अन्तमें कहा कि धर्म तत्वका निर्णय करना बड़ा कठिन है (अर्थात् बिना युक्तिके केवल शास्त्रोंके आधार पर इसका निर्णय नहीं हो सकता) ।

इस पर भीष्मजीने कहा—“हे धर्मराज ! प्रकृत धर्मके विषयमें मैं पूर्व-
 तुलाधार-जाजलि-
 संवाद । कालका एक इतिहास सुनाता हूँ ।” भीष्मजीके इस
 अवतरणका यह अभिप्राय है कि इस इतिहासमें मानव
 धर्मके विषयमें जो वाद-विवाद है, उसके सुननेसे
 कदाचित् युधिष्ठिरको प्रकृत धर्मका ज्ञान हो जाय ।

(महाभारत शान्तिपर्व अ० २६१)—भीष्म पितामहजी युधिष्ठिर
 महाराजसे बोले—“पूर्वकालमें जाजलि नामका कोई अरण्यचारी ब्राह्मण
 समुद्रके किनारे घाँस तपस्या कर रहा था । एक दिन वह महातेजा तपस्वी अपने
 तेजके प्रभावसे जलमें रहते हुए भी ध्यानबलसे सब लोकोंका चित्रण और
 निरीक्षण करके × आप ही आप कहने लगा कि इस संसारमें मेरे तुल्य कोई नहीं
 है क्योंकि मेरे सिवा कोई मनुष्य जलमें रहकर आकाशके ग्रहनक्षत्रादिके ज्ञान
 नहीं जान सकता ! तपोधन जाजलिजीने जब ऐसा कहा, तब शून्य मार्ग
 (आकाश) से राक्षस गण उनसे कहने लगे—‘हे मद्र ! ऐसा कहना आपको
 उचित नहीं । वाराणसीमें वणिग्धर्मावलम्बी तुलाधार नामका एक यशस्वी
 महापुरुष है, वह भी ऐसा वचन नहीं कह सकता है ।’ जाजलिने राक्षसोंसे
 कहा कि मैं उस तुलाधार से भेट करना चाहता हूँ । राक्षसोंने उसको वारा-
 णसी जानेका रास्ता बता दिया । जाजलिने वाराणसी पहुँचकर तुलाधारसे
 भेट की ।”

युधिष्ठिर महाराजने भीष्मजीसे पूछा—“मगवान् जाजलिने किस
 कठोर कर्मका अनुष्ठान करके ऐसी उत्कृष्ट सिद्धिका लाभ किया था सो
 आप सुनाइये ।”

भीष्मजी कहने लगे—“वाणप्रस्था धर्मके जानने वाले भगवान् जाजलि
 शीघ्र तपोनुष्ठानका आरम्भ करके सायं-सन्ध्या स्नान, हुताशनमें आहुति-
 प्रदान, पन्नाय चित्तसे वेदाध्ययन और भूमि पर शयन करते थे । गर्मी और
 सर्दीके दिनोंमें खुले मैदानमें और जाड़ेके दिनोंमें जलो रहकर अत्यन्त
 क्लेश सहन करते थे । परन्तु ‘मैं धार्मिक हूँ’ ऐसा कहकर कभी अहंकार प्रकाश
 नहीं करते थे । इसके अनन्तर वायुमात्र भक्षण करके ठूठ सदृश विवर होकर,
 खड़े रहने लगे । उरती काठमें गौरइया चिड़ियाके पंख जोड़ने उनकी जटाओंमें
 अपना खोता बना लिया । महामति जाजलि इसकी कुछ भी परवाह न करके

× ऋषय रथतात्मानः फलमूलानिलाशनाः ।

तपसैव प्रपश्यन्ति त्रिलोक्य सचराचरम् ॥ गजु अ ११ । २३०

अर्थ—मनको वशमें कर फल मूल वा पवनका आहार करनेवाले ऋषि तपसे ही
 सचराचर पिलोक के प्रत्यक्ष करते हैं ।

स्थिर भाव से खड़े रहे । कुछ दिनों बाद उन चिड़ियोंके बच्चे भी आजलिजीके जटामें ही उत्पन्न हुए । (आजलिजी अपने मनमें यह विचार कर कि इस चिड़ियाके जोड़ेने मुझको निर्जाय ठूठ समझकर मेरी जटाओं में आश्रय लि है, यदि मैं हिलडोलू तो ये डरसे खोता छोड़कर भाग जायेंगे और ये बन्ध भी मा बापके चिना मर जायेंगे । अतएव इन चिड़ियोंके उपकारके लिये मुझको स्थाणुवत् निश्चल रहना ही उचित है । ऐसा निश्चय कर आजलिजी निश्चल गड़े ही रह गये ।) कुछ दिनों में वे बच्चे भी बड़े हो गये और जब अचट्टी तरह उड़ना सीख गये तब अपने मा बापका आश्रय छोड़कर अन्यत्र चले गये । जब चिड़ियोंके जोड़े ने भी आजलिजीकी जटामें आना जाना बन्द कर दिया तब आजलिजी नदी में स्नान कर, अग्नि में आहुति दे, सूर्य की उपासना (जैसा पहले किया करते थे) करने लगे ।

एक दिन महामति आजलि इस चिन्तासे कि मेरे मरतकपर चिड़ियोंने बसेरा किया और उनके बच्चे उत्पन्न होकर बड़े भी हो गये अतएव 'मैंने ही यथार्थ धर्मका उपाजन किया है' * ऐसा कहकर आनन्द मना रहे थे कि, इसी बीच में उनको यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी—'हे आजलि ! आप धर्मके अनुष्ठानमें तुलाधारके तुल्य कभी भी नहीं हो सकते । काशीनिवासी तुलाधार नामका वह महाप्रज्ञावान् महारत्न भी तुम्हारे समान गर्वका घाक्य कहने को समर्थ नहीं है' ।

गणेश—वाह ! एकही अध्यायमें एकही उपाख्यानका आरम्भ दो तरह से हुआ है । एकमें महातपस्वी आजलिको राक्षसोंने तुलाधारकी खबर देकर काशीजीका रास्ता बता दिया था, और आजलिने काशी पहुँचकर तुलाधारसे भेट भी की परन्तु वहाँ दोनो म क्या बातचीत हुई इसका कुछ भी न बताया गया । दूसरे आरम्भमें महात्मा और महापरोपकारी आजलिजीको आकाशवाणीसे तुलाधारका संवाद सुनाया गया ।

मायानन्द—हा, जान भूझकर एकही उपाख्यानका आरम्भ दो प्रकार से किया गया है । एकमें आजलिको यह चेतावनी दी गई कि मनुष्य-समाज-सम्बन्ध-शून्य कायिक तपसे स्ववर्णोचित कर्मोंके द्वारा समाजकी सेवा करना ही श्रेष्ठतर धर्म है । दूसरेमें यह बताया गया कि वानप्रस्थाश्रम धर्मका आचरण और निकृष्ट जीवों पर दया, इन दोनों से गृहस्थाश्रममें रहकर स्ववर्णोचित कर्मोंके द्वारा समाजकी सेवा करनाही श्रेष्ठतर धर्म है । एकमें यह संकेत है कि केवल अपने पारलौकिक मङ्गलके लिये जो साधन है उसकी गिनती धर्ममें ही नहीं क्योंकि वह स्वार्थपर कर्म है । इसलिये उसकी तुलना समाज-सेवा धर्मके

साथ ही नहीं सकती—इस विचारमें, दूसरे आरम्भमें यह संकेत किया गया है कि इन प्राणियोंकी सेवा धर्म होने पर भी समाज-संघा २म ही श्रेष्ठ है। अब हम आशा करते हैं कि आगेकी कथामें तुलाधार-जाजलि-सम्बन्धमें यही बात स्पष्ट होगी।

मीश्रपितामह कहने लगे—“पेसी देववाणी सुनकर जाजलिजो क्रोधाविष्ट होकर तुलाधारमें मिलने के लिए देश देशान्तर पर्यटन करते हुए काशीजीमें जा पहुँचे। वहाँ तुलाधारके पास जाकर देखा कि वह अपनी दूकान पर हृष्टचित्त बैठा हुआ सोदा बेच रहा है। जाजलिजोको देखते ही उस महात्मा वदने भट उठकर बड़े आनन्दमें उनका स्वागत किया और कहा— ‘ब्रह्मन् ! आप मुझमें मिलने आये हैं यह मैं समझ गया। अब मैं जो कुछ कहना हूँ सो सुनिये। आपने सागरतट पर रहकर चार तपका अनुष्ठान किया है, परन्तु धर्मकी यथार्थ महिमा आपने नहीं जानी। आपके तपकी सिद्धि ४ होने पर, आपके मूलरूप पर चिडियोंके कई एक बच्चे उत्पन्न हुए थे। आपने उनको कुछ भी आस नहीं दिया। परन्तु जब वे बड़े हो गये तब आपको इस बातका गर्व हुआ कि मुझको धर्म । लाभ हुआ है। उस समय देववाणीमें आपको मेरा सम्बाद सुनाया गया। इस पर आप ईर्ष्यावश होकर मुझसे मिलनेको आये हैं। अब आदेश कीजिये कि आपके हितके लिये मुझे क्या करना चाहिये।’

“महामति तुलाधार जब ऐसा कह चुके, तब श्रेष्ठ जापक महात्मा जाजलिजो बोले—‘हे वणिग्गन्दन ! तुमने रस, गन्ध, वृक्ष, ओषधि और फल मूल बेचते हुए भी किस तरह पेसी निश्चला बुद्धि और ज्ञानका लाभ किया सो, मुझसे विस्तार पूर्वक कहो।’

नाट—तुलाधार-जाजलिके वादविवाद पर मैं अपनी टिप्पणीभी करता जाऊँगा, उस पर ध्यान देने जाना।

“तब धर्मार्थ-तत्त्ववेत्ता वैश्यकुलोद्भव ज्ञानरत्न महामति तुलाधार जाजलिजोको सम्बोधन काके कहने लगे—‘हे जाजले ! सर्व भूत हितकारी पूर्वकालके सनातन धर्मको मँने जान लिया है। जीव हिरान करके अववा आपत्कालमें थोड़ी हिंसा द्वारा जीविका निर्वाह करना ही श्रेष्ठ धर्म है।’

टिप्पणी—तुलाधारने दो वाक्य कहे। प्रथम वाक्यमें उसने कहा कि सनातन धर्मके ममको मैं जान गया हूँ। दूसरे वाक्यमें उसने मनुस्मृति अ० ४ प्रलोक २ का अनुवाद मान किया। वेदपाठी द्विजवर्ण गृहस्थोंकी उपजीविकाके

अन्य कारणकी स्थिरतामें शरीरकी स्थिरता वा समाधि। यह सिद्धि दूसरे आरम्भमें बनायी गयी है। पहिले मैं जो सिद्धि बनाई गई है वह श्रोतको आश्चर्य-अधिक करने के लिये शब्दालङ्कार मात्र है।

१. सिद्धि-गति है, धर्म नहीं है।

विषयमें मनुस्मृतिका यह आदेश है—‘अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुन । या वृत्तिस्ता समाख्याय विप्रो जीवेदनापदि ।’ अर्थ—‘आपत्तिका समय न हो तो ब्राह्मण किसी प्राणीको बिना पीडा दिये, अथवा निवोड़ न हो सके तो थोड़ीसी पीडा देकर जो आजीविका चल सके उसीके ऊपर अपना निर्वाह करे ।’ स्मृतिका यह आदेश ब्राह्मणोंका आजीविकाके लिए एक नियम मात्र है । इस प्रकारकी आजीविका ही धर्म है ऐसा नहीं कहा है । परन्तु तुलाधारके कथनसे ज्ञान होता है कि अपना पेट पालना ही श्रेष्ठ धर्म है । हा, जहा तक बने, जीबहिंसा वा अन्य किसीको पीडा पहुँचानेसे बचना चाहिये । इसके साथ यदि उसके पहिले वाक्यका सम्बन्ध जोडा जाय तो अर्थ यही निकरेगा कि पेट पालना ही सनातन धर्म है ! यदि यह बात सत्य है तो अवश्य जाजलिजी धर्मच्युत हो गये थे, क्योंकि पेट पालनेके लिए उन्होंने भिक्षा तक नहीं की थी । परन्तु, यदि तुलाधार कथित धर्मका यह अभिप्राय हो कि किसीको पीडा न पहुँचाकर जीवननिर्वाह करना ही सनातन धर्म है तो जाजलिजीने वायुमात्र भक्षण करके याने कुछ भी न खाकर जीवन निर्वाह किया था । अतएव किस बातमें वे अन्य गृहस्थोंसे धर्ममें हीन समझे गये ?

इस उपान्यायके अवतरणसे हमको यह स्पष्ट आभास मिलता है कि जङ्गलमें तपस्या करनेवाला, जोकि कुछ भी नहीं खाता इसलिये अन्य किसी भी व्यक्तिका नैतिक श्रेणी नहीं है—जैसे तपस्वीसे भी एक गृहस्थ अधिक धार्मिक है । गृहस्थ, किस विचारने धर्ममें श्रेष्ठ है वा धर्मका आचरणकारी है, वह हमें तुलाधारकी धर्म-व्याख्यासे स्पष्ट मालूम हो जाना था । परन्तु दुर्भाग्य-वश महाभारतकारने उस विचारको तुलाधारके मुखसे स्पष्ट शब्दोंमें प्रकाशित नहीं करवाया । अथवा उस पुरातन व्याख्यायिकाकी स्मृति ही इतनी अस्पष्ट हो गई थी कि ‘सनातन + जीविका’ यही दो शब्द प्रकृत धर्मके सम्बन्धमें लोगोके स्मरणमें रह गये थे और उनका अभिप्राय यही समझा जाना था कि गृहस्थी और स्मृतिके विधानके अनुसार जीविका, सनातन धर्म है । किन्तु गृहस्थीको त्याग कर जङ्गलमें तपस्या करना सनातन धर्म नहीं है । क्यों ? इस प्रश्नका उत्तर, उनको मालूम न था ।

गृहस्थाश्रमकी प्रशंसामें मनुस्मृति कहती है—“ यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सद्यजन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ यस्मात्तत्र योऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् । गृहस्थेनैव यायन्ते तस्माज्जिष्ठाश्रमो गृही ॥ स सवार्थः प्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता । सुखं चेहेच्छता नित्य योऽभार्यो दुर्वलेन्द्रियैः ॥ ” अ० ३ श्लोक ७७, ७८, ७९ । अर्थ—“ जैसे सब प्राणी वायुके आश्रयसे जीते हैं, तैसे सब आश्रम गृहस्थके आश्रयसे जीते हैं । क्योंकि, गृहस्थ ही विद्या और अन्नका दान नित्य देकर तीनों आश्रमोंको धारण क्रिये रहता है, अतः गृहस्थाश्रम ही सगसे बड़ा है । जिसको स्वर्गके अक्षय

सुखकी तथा इस लोकके सुखकी इच्छा हो उसको प्रयत्न पूर्वक गृहस्थाश्रम धारण करना चाहिये । यह आश्रम, अजितेन्द्रिय पुरुषोके द्वारा धारणके अयोग्य है ।”

तुलाधारने ‘शास्त्रीय निग्रमसे पेट पालनेको’ सनातन धर्म कहा । वर्णाश्रम व्यवस्थाको भी लोग सनातन धर्म कहते हैं । गृहस्थ एक आश्रम है, इसमें रहनेवाले मनुष्य वर्णोंमें विभक्त हैं और गृहस्थ कहते हैं । अतएव गृहस्थ भी सनातन वर्णव्यवस्थाके हैं । गृहस्थ अपना और अन्य तीन आश्रमियों—ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियोंको भी पेट पालता है । मनुभगवान् कहते हैं कि ऐसे पेट पालनेवाले गृहस्थाश्रमीको इस लोकमें और परलोकमें सुख प्राप्त होता है । इस लोक और परलोकमें सुख प्राप्त होता है धर्मसे । सुतरा गृहस्थाश्रम भी ‘धर्म’ का रूप है और भारतीय आर्योंकी भाषामें उसका नाम है सनातन । इस तरह महाभारत और स्मृतिके मिलान करने पर ‘सनातन’ और ‘जीविका’ का अति निकट सम्बन्ध है, ऐसा जान पड़ता है । अतएव हमको, सनातन धर्म क्या है ? इसका अनुसन्धान करना है । पहले मैं तुम्हींसे जो अपनैको एक सनातनधर्म कहते हो, पूछता हूँ कि सनातन धर्मके विषयमें तुम्हारी क्या धारणा है ?

गणेश—आपने मुझसे एक ऐसा प्रश्न किया है जिसका कोई सीधा (सरल) उत्तर देना मेरे लिए बड़ा कठिन है । “सनातन” धर्मके विषयमें विशेष शास्त्रीय ज्ञान तो मुझमें है नहीं, तथापि पण्डितोंके सत्सङ्ग और पुस्तकोंके अवलोकनसे एव लोकाचार देवकर इसके विषयमें मेरी जो कुछ धारणा हुई है वह आपके समक्ष वर्णन करता हूँ ।

(१) ‘सनातन’ कोई धार्मिक सम्प्रदाय वा धर्म-ग्रन्थका नाम नहीं है, जैसाकि बुद्धभगवान्का चलाया हुआ धार्मिक मत वर्तमान सनातन धर्म का वर्णन । “बौद्ध,” हजरत ईसामरीहका “ईसाई,” हजरत मुहम्मद साहबका “मुहम्मदीय” कहाता है । *

(२) भारतीय आर्य मनीषीगणने, मनुष्योंके इहलौकिक और पारलौकिक मङ्गलके लिए जिन कर्मोंको कर्त्तव्य कहकर निर्णय किया है वे सब ‘धर्म’ सञ्चाको प्राप्त हुए हैं । अतएव बिना किसी विशेष नामके, “धर्म”

ॐ किसी भी धार्मिक मतके प्रवर्त्तकने अपने मतका नाम अपने नामसे नहीं चलाया है । किन्तु उस मतके अनुयायी उस मतका नाम प्रवर्त्तकके नामसे रख लेते हैं अथवा अन्य लोग उसका नामकरण प्रवर्त्तकके नामसे करलते हैं ।

† “नोदना लक्ष्मणोऽथो धर्मः” अर्थ—प्रेरणात्मक अर्थ युक्त लक्षण जिसका ही वह धर्म है । दृष्टान्त—वेदने जिसके करनेकी आज्ञा दी है उसीका नाम धर्म है ।

(पूर्वसीमासा)

शब्द ही हम लोगोंके धर्मका नाम है। हा, पूर्वमीमांसाकारकी सम्मतिके अनुसार हम अपने धर्मका नाम "वेदिक धर्म" कह सकते हैं क्योंकि इस धर्मका आधार वेद ही माना जाता है।

(३) हमारे यह वेदगव, शाक्त, शैव, सौर, गाण, त्य आदि जो नाम पाये जाते हैं वे सांप्रदायिक वा पन्थोंके नाम हैं। और ये सनातन धर्मसे भिन्न नहीं हैं। सब एकही भारतीय वा वेदिक धर्म वृक्षकी शाखायें हैं × ।

(४) हम लोग किसी विदेशी धार्मिक सम्प्रदायसे अपना पार्थक्य बतलानेके लिए कहते हैं कि हम हिन्दू हैं। किन्तु यह 'हिन्दू' कोई शास्त्रीय शब्द नहीं है + ।

(५) जब हम अपने ही बीचमें (वेदकी प्राधान्यता स्वीकार करने वाले) किसी धार्मिक सम्प्रदाय वा पन्थके आचार-विचारसे, चाहे उन आचार-विचारोंकी नींव धेड़ों पर ही अवलम्बित क्यों न हो, अपना पार्थक्य बतलाना चाहते हैं तब हम अपनेको "सनातन धर्मावलम्बी" वा "सनातनी" कहते हैं । *

(६) अपनेको 'सनातनी' कहने पर भी हम यह दावे के साथ नहीं कह सकते कि हम प्राचीन कालके सभी विचारोंको मानते हैं और सभी आचार और कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं । †

(७) शास्त्रोंमें जहां कहीं 'यह सनातन धर्म है' ऐसी उक्ति देखनेमें आती है उसका अर्थ है कि 'यह कर्म वा आचार प्राचीन कालसे चला आ

† यदि 'वेद' शब्दका अर्थ 'संज्ञिता' न कहकर 'ज्ञान' कहा जाय तो किसीसे भी मत विरोध न हो ।

× ये पन्थ वा फिर्के सभी मजहबोंमें पाये जाते हैं। पन्थों से केवल यही सिद्ध होता है कि मनुष्योंकी रुचिकी भिन्नताके कारण उपासनाकी प्रणालीमें भी भिन्नताकी आवश्यकता है ।

+ "सिन्धु" एक नदीका नाम है और समुद्रको भी कहते हैं। सिन्धुका अपभ्रंश 'हिन्दू' है जिससे केवल किसी विशय देशनामाका अर्थ निकलता है। जब यह धर्माचार विशेषका यानी हम लोगोंके धर्माचारका घातक हो गया है ।

⊗ आर्यमजाजके साथ ऐसा पार्थक्य माना जा रहा है। किन्तु विजयनोंमें अब इस पार्थक्य विचारका लोप होता जाता है ।

‡ गृहमें अग्नि भी स्थापना और अग्निहोत्र कर्मका लोप एवं इन्द्र, धरुण, वायु आदि अनेक वैदिक देवताओंकी आराधनाका लोप, इनका एक मोटा दूष्टान्त है। ऋषियोंके अध्ययनमें और भी अनेक बातें पाई जायगी ।

रहा है' । अनपेक्ष शास्त्रोंकी दृष्टिमें 'सनातन' शब्दका अर्थ है 'प्राचीन' (पुराना) । ३

(८) परन्तु 'सनातन' शब्दका यह 'प्राचीन' अर्थ यह नहीं बताता कि कितने कालके प्राचीन आचार, विचार और कर्मोंके हम अनुयायी हैं । +

(९) वर्तमान परिस्थितिका, शास्त्रोंके साथ मिलान करके विचार करने से इस 'प्राचीन' शब्दका यही अर्थ निकलता है कि प्राचीन आचार, विचार और कर्मोंमेंने जिनका हमें स्मरण है और जिनको अनुष्ठित होते हम देखते हैं, यदि हम उन्हीके अनुयायी हैं तो हम अपनेको 'सनातनी' कह सकते हैं × । अर्थात् प्राचीन आचार, विचार और कर्मोंको जो कि प्रचलित हैं, उनको जो बनाये रखे वह 'सनातनी' वा 'सनातन धर्मावलम्बी' है । (१)

(१०) यदि कोई, किसी लुप्त प्राचीन आचार, विचार वा कर्मका पुनः प्रचलन करना चाहता हो वा उसे अपनाता चाहता हो वह सनातन धर्मावलम्बी की दृष्टिमें अनुचित कार्य्य करता है । (२)

(११) वैदिक कालके धार्मिक अनुष्ठान और धर्म शास्त्रोंके सदाचार सनातन धर्मके मूल हैं । -

☉ कोषके अनुसार—सना = नित्य । तन = भावार्थ = सनातन । अर्थ—नित्य सदातन, चिरस्थायी । यथा—“ सर्वकाले सना प्रोक्ता विद्यमाने तनेति च ।

। बुद्ध भगवान्के आरिर्भाव कालके पश्चात् मासाहार और महाभारतकालके अनेक वर्ष पश्चात् 'नियोग' निषिद्ध हुआ है । इन निषेधों के सनातन आचार मानने से यह सिद्ध होता है कि हम—जिनकी आयुके, वर्तमान् मन्वन्तरमें आज दिन (१९२४ ई० में), ३१९३०३४ वर्ष बीत चुके हैं—३००० वर्ष से प्रचलित आचार वा भा प्राचीन (सनातन) आचार मानते हैं ।

× इस सिद्धांतके अनुसार ईसाई, मुसार्ह, मुहम्मदी आदि सभी धर्म पन्थ के अनुयायी 'सनातनी' कहे जा सकते हैं ।

(१) अंग्रेजी भाषामें हमको 'कनसरवेटिव' कहते हैं ।

(२) पराशर स्मृतिमें त्रिषा विवाहका विधान है । (पराशर मुनि महाभास्कर के वेदव्यासजीके पिता हैं) । इस विधानका लोप घातणार्थ कयले हुआ मालूम नहीं । किन्तु हम समझ यदि कोई एक विधानके अनुसार त्रिषा-विवाह पुनः प्रवर्तित करना चाहता है तो उसका कार्य्य अनुचित समझा जाता है ।

— “ य कश्चित् कर्षाचक्षुर्मा मनुना परिकीर्तित । स भवोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो ऽसि । सर्व तु समवेक्ष्येत् तिखिल ज्ञानचक्षुषा । श्रुतिप्रामाण्यता विद्वान्श्वधर्म निविशेत वै ॥ ” मनु अ० २ । ७, ८

अर्थ (ऋषिकुल द्वारा प्रकाशित अनुवाद) “ मनुजीने जिस धर्मका जो भर्म कहा है, वेदमें यह सच वैसा ही कहा है, क्योंकि यह वेद सच ज्ञानाकी खान है । वेदके भर्म जाननेमें उपयोगी, इस मानवशास्त्रको भले प्रकार जानकर, वेदके प्रमाणके अनुसार, विद्वान् पुरुष अपने धर्ममें तत्पर हो ।

(१०) अतएव, वेदो, स्मृतियों, तन्त्रों और पुराणोंके धियानोंके अनुसार जितने धार्मिक कृत्य और स्वप्न-चार हैं वे सब मिलकर 'सनातन धर्म' समझे जाते हैं ।

* वेदोंको 'श्रुति' कहते हैं, जिसका अर्थ होता है 'सुनी हुई बातोंका संग्रह' । अर्थात् जनतक वर्गोंके लिए विषिष्ट नहीं हुए ये तब तक ये पुरुषपरम्परा के श्रवणद्वारा ही चल आ रहे थे । प्रतियाक मध्य कालके पूर्व, प्रकृतिक सम्बन्धम जिनकी बात जानी जा चुकी थी और उगमना एव समान सम्बन्धी जितने कृत्य प्रचलित हो चुके थे उनमें नितने भूत नहीं गये थे, और श्रुतिग्रहण के मध्य जिन बातोंका अस्ति-कार हुआ था, उन सबका समूह, प्रसिद्ध चार महिताये हैं, इनके सम्बन्ध और तदनुसार कार्य करनेके लिये जो ब्राह्मण (ग्रन्थ) हैं, ये वेदोंको मिलकर वेद कहाते हैं (मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्) ।

स्मृतिका अर्थ होता है 'सुनी हुई' और पर्वणी अनुभव की हुई बात, स्मरण शक्तिक द्वारा समर्पित' । (यद्यपि श्रुति और स्मृति शब्दोंका अर्थ—विचारमें कोई विशेष भेद नहीं दिखता तथापि इन ग्रन्थोंका स्वरूप बड़ा भेद है ।) समान सम्बन्धी आचार-विचार और विधि निषेध का बढिके काल से प्रचलित थे, और वैदिक कालके बाद से स्मृतियोंके आरम्भ काल तक जो जो सामाजिक बातें प्रचलित हुई थी उनमें से जिनका स्मरण था, और स्मृतियोंके कालमें जो जो बातें चलाई गईं, उन सबका समूह स्मृति ग्रन्थ है ।

तन्त्र—वैदिक उपासना सम्बन्धी कृत्योंको तथा अथर्ववेदके आभिचारिक अनुष्ठानोंको योगकी विधिषोका साथ जोड़ कर जो विशेष प्रकारकी उपासना—विधि निर्माण की गई है उनका संग्रह तन्त्रशास्त्र है । यद्यपि तन्त्रशास्त्र शिव-शक्ति-उपासना-विशयक शास्त्र कहलाता है तथापि तन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति से (तनु-विस्तार करना) यह ज्ञात होता है कि यह वैदिक उपासना पद्धतिकी विस्तार है । तन्त्र को 'आगम,' और वेद को 'निगम' करते हैं । अतएव दोनों का परस्पर निकटस्थ सम्बन्ध है । वैदिक उपासनामें प्रत्यक्ष देवताओंकी पूजा होती थी । उनकी प्रतिमा बनानेकी आवश्यकता नहीं । तान्त्रिक उपासनामें देवताओंकी प्रतिमा बनानेकी आवश्यकता होती है ।

पुराण—वेद, स्मृति एवं तन्त्रके विषयोंको और वैदिक कालसे पुराणोंकी रचना काल तक जिन वर्णनगाथोंका आविर्भाव हुआ है उनको सिद्धान्तों एवं

(१३) धेनु, स्मृति, तंत्र और पुराण सनातनधर्मके उपदेशक शास्त्र हैं । इन शास्त्रोंको जो मानता है और उनके अनुस्मार चलता है, अथवा इनके एक या अधिक विधि-निषेधोंका पालन न करता हुआ भी यदि उनका सम्मान करता है तो वह सनातन धर्मों है । †

(१४) वेदों और स्मृतियोंकी आज्ञानुसार न चलता हुआ भी जो कोई तंत्र और पुराणोक्त देव-देवियोंकी मूर्त्तिकी पूजा करता है, वह सनातनधर्मों है ।

अर्वाचीन विद्वानोंके अनुभूत सिद्धान्तोंको तथा आर्यजातिके सुदीर्घ जीवन कालमें जो मुख्य मुख्य घटनायें हुई हैं, और जो प्रसिद्ध राजा राज्य कर चुके हैं उनमेंसे जिनका स्पष्ट और अस्पष्ट स्मरण बना हुआ था, उन सबको गल्पका रूप देकर बड़ी ही रोचक भाषामें जन साधारणकी वर्म-ज्ञानोन्नति एव परिदंतोंके मनोविनोद और जीविकाके लिए जो सग्रह ग्रन्थ है वे पुराण कहते हैं । पुराण, ब्राह्मणोंकी एक अमर कीर्ति है । इसीके गुणसे आज भी भारतीय आर्यजाति जीवित है और इसीके अतिरायोक्ति एव रूपरूपी अवगुणके कारण हमारा बौद्धिक जगत् अन्धकाराच्छन्न है यानी हम लोगों की विचारगक्ति कुण्ठित हो गई है । अभी तक जो कुछ हुआ सो भारतकी पराधीनताके विचारसे अच्छा ही हुआ है, परन्तु अब जमाना पलट रहा है, इसलिये पुराण-वाचस्पतियों को चाहिये कि इसके अवगुणों से भी अच्छे फल निकाल निकाल कर जनता को चखावें ।

नोट—वेदादि ग्रन्थोंके जो परिचय ऊपर दिये गये हैं, मेरी अल्पज्ञता के कारण अवश्य त्रुटियुक्त होंगे । इन टिप्पणियोंके देने से मेरा अभिप्राय यह है कि विद्वानों की दृष्टि इनपर पढ़ने से ये समझ जायेंगे कि भारतके धार्मिक साहित्यका इतिहास निर्माण काव्यके लिये इस ओर कितना विस्तृत क्षेत्र पड़ा हुआ है । (सम्पादक)

† इस कलियुगमें पराशर स्मृतिके विधानानुसार, सनातन धर्मियोंकी खलना चाहिये, परन्तु इसके अनुसार बहुत कम लोग चलते हैं । पराशर स्मृतिका एक विधान है कि पति के लापता होने, मरजाने, सन्यास लेने, क्रीय होने और पतित होनेपर, स्त्री अन्य पुरुष से विवाह कर सकती है । ब्राह्मणवर्ण और अङ्ग देवावासी सभी वर्गों इस विधानको नहीं मानते । जो लोग मनुस्मृतिके अनुयायी हैं वे भी ब्रह्मचर्य, चाणप्रस्थ एव सन्यास आश्रमका ग्रहण करना आवश्यक नहीं समझते । उपनयन संस्कार विधि की इसकी अवहेलना होने लगी है कि अब विवाह के समय लड़कों का जनेऊ होना आरम्भ हो गया है । वेदाध्ययन, वैदिक याम यज्ञ और अग्निहोत्र तो बन्द ही हो गये हैं । स्मृतियोंके प्रतिशूल कितने कम हो रहे हैं वरकर लेखा उत्तरा जाय तो एक खासी सूची बन सकती है ।

(१५) सनातनधर्म रूपी वृक्षके दो काण्ड हैं—एक कर्मकाण्ड, दूसरा ज्ञानकाण्ड । कर्मकाण्ड की शाखायें ये हैं—१६ सन्कार, यमनियमादि आचारों का पालन, पितरोंका श्राद्ध, भगवान् विष्णु और अन्य देवताओं की पतिमाका पूजन, तीर्थयात्रा, संध्यावन्दन, होम, व्रत एवं दान पुण्य आदि—ये सब सनातनधर्मावलम्बी गृहस्थों के करणीय हैं । इन कर्तव्योंमें से जो कोई मृत माता पिता का स्मृक नहीं मानता और मूर्त्तिपूजा नहीं करता है वह सनातन धर्मों नहीं माना जाता । अथवा साधारणतया अन्य सब कर्तव्यों को न करना हुआ भी यदि केवल स्मृक दानता है और मूर्त्तिपूजा करता है तो वह सनातन धर्मों है । †

ज्ञानकाण्डकी दो शाखायें हैं—एक ब्रह्मविचार, दूसरा आत्मविचार । यद्यपि सनातन धर्मका प्रधान लक्ष्य मुक्ति है, पर्यन्त बिना ब्रह्मज्ञान वा आत्मज्ञान के, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, तथापि यदि कोई गृहस्थ ब्रह्मज्ञान वा आत्म-ज्ञानका परिचय देता है तो वह उपहासास्पद होता है × । ज्ञानमार्ग पर चलनेका अधिकार केवल सन्यासियों को ही है यह माना जाता है ।

(१६) भक्ष्याभक्ष्य के सम्बन्धमें स्मृतियोंके नियमानुसार न चलने पर भी अपनेको सनातन धर्मों बतलाने में कोई बाधा नहीं होती + । किन्तु उसे मूर्त्तिपूतक अवश्य होना चाहिये ।

(१७) शिखा (चुटिया) सनातन धर्मका विशेष चिह्न है — ।

(१८) सनातनधर्म वर्ण और आश्रम पर प्रतिष्ठित है । वर्ण चार हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । सनातनधर्मको इन चार वर्णोंमें से किसी एक वर्णमें अपनी उत्पत्ति माननी पड़ती है* चाहे वे जीविकाके लिए किसी भी

† अनुसन्धान करने पर इस आक्षेप की सत्यता जान पड़ेगी ।

× यदि कोई ब्रह्मज्ञानी वा आत्मज्ञानी सनातनी, भक्त जातिका हुआकृत न जाने तो वह अज्ञानी समझा जाता है । ऐसे सन्यासी भी भक्ष्याकी दृष्टिसे देखे जाते हैं ।

+ मछली, लहसुन, प्याज आदि के अभक्ष्य होने पर भी (मनुस्मृति अ० ५—१४, १९) इनके खाने वाले सनातन धर्म से पतित नहीं होते ।

+ बहुतेरे अंगरेजी शिक्षित नययुवक, सनातन धर्मावलम्बी घरानेके होते हुए भी शिक्षा रक्षणा अनावश्यक समझते हैं ।

* नामके साथ जो उपाधि रहती है उससे बिना पूछे ही मासूम हो जाता है कि वह व्यक्ति किस वर्णका है ।

वर्णका काम करते हैं और अपने गुण और स्वभावसे अन्य किसी भी वर्णके अनुरूप क्यों न हो = ।

अथम चार हैं—ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वाणप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम । इनमें गृहस्थाश्रमकी दृश्यामें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । सन्यासाश्रम पुनर्पु दृशास है । ब्रह्मचर्याश्रम—गुरुकुल, अपिकुल, स्वच्छल पाठ-शाला और रक्तुल को ढेजके बोर्डिंग हाउस वा होस्टल (आश्रावास) में परिणत हो गया है । एन वाणप्रस्थाश्रम—राष्ट्र, वैश्या, पंच सन्यासिगोकी कुटीर, मठ और मन्दी में स्थापनित हुआ है ।

(१६) सनातन धर्मके रणप्रारण लक्षण — १ मूर्तिपूजा, २ श्राद्ध ३. छुआछूतका विचार यागी (क) हिन्दू धर्ममें मिल्नमतावलम्बीका छुआ जल करन पीना । (ए) सनातन धर्मावलम्बी अत्यज जातिके मनुष्योंका भी न छुना और न उनका छुना जल ही पीना । (ग) ऐसे लोगोका अजल मुखमें जाने से धर्मभ्रष्ट होता है ऐसा मानना ।

सनातन धर्मके विषयमें मेरी जो कुछ वाग्णा है, मैंने कह चुनायी । आपने कहा है कि 'सनातन' और 'जीविका का जति नामीप्य सम्बन्ध है । किन्तु कोई भी सनातनी ऐसा नहीं मानता न ऐसा सोचता । स्वरह ही करता है कि जीविका भी कोई धर्म अथवा किसी धर्मका रूप हो सकती है, बल्कि यह खुनमें से लोग हरते हैं । आज तक किसी भी धर्म-मन से जीविकाको धर्मका रूप नहीं प्रिया गया है । मला, जीविकाके धर्मके साथ कैसे मिलाया जा सकता है ? पशुके लिये भी क्या कोई पारलोकिक मंगल ही कल्पना करता है ?

मानानन्द—नहीं, किन्तु पशु और मनुष्योंकी जीविकामें बड़ा अन्तर है । धास पात भोजी जगती पशु, जगलमें चरकर अपना पेट भरता है, उनमें एककी जीविकाके साथ अन्यके जीवन निर्वाहका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिये पशुकी जीविकामें कोई धर्मका प्रश्न नहीं उठता । किन्तु जब वही पशु किसी गाड़ीवाडेके आश्रयमें आजाता है और उसके दिने चारेसे पेट भरता है तब गाड़ीवाडेका उरहका कर्तव्य हो जाता है । इस कारण, अच्छी तरह गाड़ी रीचने पर उसे दाना-खली मिलती है और न खीचने से चाबुक और गाली मिलती है । क्योंकि इस पशुके प्रम पर उसका गाड़ीवानकी जीविका और जीवन निर्वाहका स्वयं साधन अवलम्बित रहता है ।

= यदि कोई सतोगुणो शुद्ध कालेज में सरकृतका पाफेसर है तो भी यह "शुद्ध" कहकर अपना परिचय देगा, और यदि कोई ब्राह्मण किसी दुक्षिणी पंडितके यहाँ पानश भरण है तो भी वह अपनेको ब्राह्मण कहकर परिचय देगा । ब्राह्मण जुआडी होकर भी ब्राह्मण और भ्राह्म (निरक, माता, कडीवागी, अरुठ आचार निरत) शुद्ध भी शुद्ध कहकर अपना परिचय देगा ।

जब मनुष्य-समाजमें आजाने से जंगली जानवरोंका भी जीविकाके साथ कर्त्तव्य-विचार जुट जाता है, तब मनुष्य जा कि मनुष्योंके साथ मिलकर समाजमें सम्मिलित रहता है, और जिसकी जीविकाके साथ समाजके अन्य मनुष्योंके जीवन-निर्वाह के साधनका प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है—जैसा कि समाज-व्यवस्थाका विचार करने हुए मैं पीछे धनका चुका हूँ—उसकी जीविकाके साथ धर्मका विचार क्यों नहीं सम्मिलित होगा। मेरा समझमें तो समाजमें रहनेवाले मनुष्योंकी जीविका स्वयं ही एक धर्म हो जाता है क्योंकि मनुष्यके साथ पारलौकिक मङ्गलकी कल्पना भी तो लगी है। अस्तु।

‘सनातन’ शब्द को आशय करके जो हिन्दू-धर्म इस समय प्रचलित है उसकी तुमने अच्छी लम्बी चौड़ी वर्णना की। तुम इतनी लम्बा वर्णना करोगे मुझे यह आशा न थी। तुमने स्वयं ही कहा है कि इतने धर्मका (हिन्दू धर्मका) नाम सनातन नहीं है, इसकी प्राचीनताके कारण लाग इसे सनातन वा सदातन कहते हैं। स्वर्गवासी लो. मा. तिलक महोदयने इसका नाम ‘हिन्दू धर्म’ मानकर एक श्लोकमें इसका लक्षण यों बनलाया है—“प्रामाण्यबुद्धिर्देवेषु नियमानामनेकता। उपास्यानामनियमो हिन्दू धर्मस्य लक्षणम् ॥—अर्थ—वेदोंमें प्रामाण्य बुद्धि रचना, जिरा जिसको जो जो नियम सुधीने क दिख पड़ें वे उनको करें, जिम जिसको उपास्य देव मानें उसको पूजें, बस यही हिन्दू धर्म है”। तुम्हारी वर्णना इसी का भाव्य है। मानव प्रतिके विचारसे हिन्दू धर्म एक अत्यन्त उदार धर्म है और पृथिवी पर जितने धर्म मत प्रचलित हैं सब का अन्तर्भाव इसमें होता है। अस्तु।

अब मैं अपने प्रसंग पर आता हू। तुलावारके कथन पर विचार करने हुए मैंने कहा था कि “गृहस्थाश्रम भी धर्मका रूप है और भारतीय आर्योंकी भाषामें उसका नाम सनातन है।” और यह भी कहा था कि “महाभारत और स्मृतियोंके मिलान करने पर ‘सनातन’ और ‘जीविका’ का अति निकटस्थ सम्बन्ध पाया जाता है। अतएव सनातन धर्म क्या है इसका अनुसन्धान करना है।” इस कथनसे मेरा यह अभिप्राय था कि हमारा धर्म प्राचीन काल से चला आता है, इसलिये हम इसे सनातन नहीं कहते परन्तु इसका नाम ही “सनातन धर्म” है। हा, जो लोग इस सनातन शब्द का अर्थ प्राचीन वनत्याने के लिये सना + तन = सनातन वा सदा + तन = सदातन शब्दोंका उपयोग करते हुए अर्थ करते हैं—‘सदासे चला आता वही सनातन है’ † उनसे मैं इस धर्मके केवल

† आर्य समाज का इतिहास पृ० १३० से उद्धृत।

‡ आर्य समाजका इतिहास पृ० २५० देखो।

एक लक्षण पर सहमत हूँ। यह है, कुम्भजित सम्बन्धी चिन्तन। यह चिन्तन वेद में पाया जाता है, स्मृतियों में पाया जाता है, पुराणों में पाया जाता है और आज दिन (वि स १९८१ में) भी पाया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद अ० १ मन्त्र १३ के चौथे पादमें ऋषि करते हैं।—

“वेव्याय कर्मणे शुन्धधन्वेवयज्याये
यस्यो शुद्धाः पराजघ्नुर्गिव्वस्मन्चतुन्धामि ।”

अन्वय—‘वेव्याय कर्मणे देव यज्याय शुन्धध्वम्। अशुद्धाः यः यत् पराजघ्नुः सत् इयं वः शुन्धामि ।’

अर्थ—हे कृष्णाजिन उलूखल आदि यज्ञ पात्रो! तुम ईश्वर सम्बन्धी कर्म या देव सम्बन्धी याग क्रियाके लिये शुद्ध हो जाओ। (अशुद्धाः) नीच जाति (बर्ह आदिने) तुम्हारे जिस अङ्गकी छीलने आदिके समय अपने हस्तस्पर्श से अपवित्र किया था, तुम्हारे उस अङ्गको इस प्रोक्षणसे शुद्ध करता हूँ।” इस मन्त्रको ऋषिकी मानसहृष्टिमें उदय हुए क्लितने सहस्र वर्ष हो चुके इसका पता नहीं तथापि, अनुमान से दशहजार वर्षसे कम न हुए होगा। उस प्राचीन कालमें भी शिकारी वा चमार के द्वारा बनाया हुआ कृष्णाजिन (मृगचर्म), लकड़ी के सामान बनाने वाले बर्ह आदि से बनाये उलूखल, ध्रुवा आदि एवं अन्य जितने प्रकारके पात्र उस समय यज्ञके काममें आते रहे हों, वे मिट्टी, लोहा, ताम्र वा बास चाहै जिसके बने हों, सब के साथ उक्त मंत्रोंसे जल पीच कर शुद्ध कर लिये जाते थे। इन नाना प्रकारके पात्रोंके बनाने वाले श्रमी और शिल्पी सबके सब ‘अशुद्धाः’ अपवित्र अशुचि और नीच समझे जाते थे। धर्मी धारणा आजलों नली आ रही है केवल “श्रमी और शिल्पी” के बच्चे वे अत्यज और शूद्र कहाते हैं। इस धारणाको हटानेके लिए संकड़ों ढानियों ने वेदान्तकी दुहाई फेरी, भगवान्ने स्वयं राम व कृष्णावतार में। अपने आचरणका दृष्टान्त लोगोंके सामने रखा, पर सब चैष्टा व्यर्थ हुई। इसलिये मुझे ‘हिन्दू धर्म’ को सदातन धर्म कहने में कोई आपत्ति नहीं। परन्तु वर्तमान परिस्थिति और लोगोंकी धारणाके अनुसार इसके सनातन कहलानेमें मुझे आपत्ति है।।

। रामावतार में श्री रामचन्द्रने निपाद को गले लगाया था, और कृष्णावतारमें शूद्रागर्भोत्पन्न विदुरका साग भात श्रीकृष्णने खाया था।

‡ त्रिका मीनीतालके जेओलोकोट आश्रम निवासी बंगाली परमहंस श्रीमत् सोह स्वामीने सोहगीता के नामसे एक अपूर्व त्रिचारपूर्वा मौलिक पुस्तक आत्मतत्त्वके विषय पर प्रकाशित की है। यह पुस्तक बङ्गाहा भाषा और पद्यमें रची गई है। इस पुस्तककी भूमिकामें आपने जो विचार वर्तमान सनातन धर्म पर प्रकाशित किया है, उसका अनुवाद दिया जाता है—“भारत सन्तान इस समय दुर्भाग्यवश उपधर्मों से ग्रसित है। प्राकृत,

श्रीगीतामें, चतुर्वर्ग फल देनेवाला जिस वर्णाश्रम धर्मका प्रचार भगवान् श्रीकृष्णने किया है उस धर्मका नाम "सनातन धर्म" है। इस धर्मके साथ वर्णाश्रमके सम्बन्धको देख कर लोग चत्तमान हिन्दु धर्मको भी सनातन सनातन धर्मका अर्थ कहके पुकारते हैं, किन्तु जब इसकी व्युत्पत्ति पून्जी जाती है तब 'सनातन' कहते हैं। इस स्थलपर मैं सनातन धर्मका केवल दिग्दर्शनमात्र कराता हूँ, इसका विस्तृत

विचार मुक्ति प्रकरण में करूंगा, तबतक तुमको वर्णाश्रम धर्मका इतना ज्ञान हो जायगा कि मेरे कहा हुआ 'सनातन धर्म' ही इस संसार में मानव धर्म है और उसके रूपकी कल्पना भारतमें वर्ण और आश्रममें की गयी है इसका निश्चय तुम्हें हो जायगा।

क्षत्रिय वैश्य, शूद्र सबके साथ धर्म भ्रष्ट और पतित हैं।

सयन हृदय, निस्पृही, आत्मध्याननिमग्न वेदवक्ता ऋषियोंका धर्म हम समय कौन पालन कर रहा है ?

वीर जापदग्नि, द्रोण, द्रौणि, कृपादि बुद्धिपूर्ण ब्रह्म तेजोवीर्य महाधनुर्धर जितने आचार्य्य वैदिक काल में हो चुके हैं उनके धर्मानुयायी अब कौन हैं ?

कर्मज्ञोत से भारत जय प्लावित था, तब वीर धर्मका अभ्युदय हुआ था, उस निर्वाण-धर्म को भारत सन्तान ने निराकृत कर दिया।

शकर रूपे सूर्यके अस्त होनेपर भारत पर महामोहका अन्धकार छा गया। तबसे भारत के आकाशमें ज्ञानप्रभाकरका फिर उदय न हुआ। भारतका आकाश अविद्यामेवसे खिरकालके लिये आप्छन्न हो गया।

महा भय कर भाँधीकी तरह भारत पर यवन-विल्व प्रारम्भ हुआ जिससे भारतीय दुर्बल समाज विध्वस्त हुआ और धर्मका मूल उन्मूलित हो गया। नये उपधर्मोंके चलाने वालोंका क्रम क्रम से अभ्युदय हुआ। वेद वेदान्तादि लुप्तप्राय हुए और पुराण मतका प्रावण्य हुआ। अन्न, जल, छुआछूत के सङ्घीण संस्कार मोक्ष धर्म माने जाने लगे। (क)

सूर्यपूजा, नाम गुग सञ्जीवन, प्रेमाश्रुपचण, ये धर्मके साधन हुए। शत शत सम्प्रदाय संगठित होकर आपस में एक दूसरे का हिंसा-द्वेष करने लगे। ऋषिसन्तान आर्य धर्म को छोड़कर ऐसे उग्रधर्मों को अपनाने पकूठ सनातन धर्म समझने लगी। इसीसे आजदिन भारत अपने ही अश्रुजल में डूब रहा है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तिके हीन हुए बिना कोई मानव समाज पतित और पद्दलित नहीं हो सकता।"

(क) मेरी समझमें नये उपधर्मोंके चलाने वालोंकी बदीलत भारतमें प्राण अचरोप रह गया है, अन्यथा वह भी चला जाता। संकुचित विचारोंकी फैलाकर ही भारतकी जातीयताकी रक्षा बस समयकी गई थी। परन्तु अब समयने ऐसा पलटा खाया है कि बदार विचारोंके बदीलत ही भारत स्वाधीन और उन्मत्त हो सकता है। संकुचित विचारसे तो इसका गन्ना घुट रहा है।

- (१) संस्कृत 'सन' शब्द सन् ध्रानुसे बना है जिसका अर्थ है दान करना, सेवा करना ।
- (२) 'सनक' शब्द सन + क प्र से बना है जिसका अर्थ है सेवा करनेवाला ।
- (३) 'सना' शब्द सन + आच् प्र से बना है जिसका अर्थ है सेवा ।
- (४) 'सनातन' शब्द सना + तन (सना = सेवा + तन -- भाव) से बना है जिसका अर्थ है सेवा-भाव । +

अतएव 'सनातन धर्म' का अर्थ होता है 'सेवा धर्म' । यहा प्रश्न यह होता है कि किसकी सेवा करना ? उत्तर है—समाज भगवान्, देश भगवान्, जाति भगवान्, राष्ट्र भगवान् ज र लोकभगवान् की सेवा करना । इसके आगे अथ ङितमें प्रश्न उठाओगे सोतासे ही उनका उत्तर मिल जायगा ।

समाज-सेवा वा वर्णधर्मकी जो वर्णना पहले x हो चुकी है उसको स्माण करने से देखोगे कि समाज-सेवाके साथ समाज-सेवियों की जीवि कार्जनी वृत्तता कि प्रकाश मिली हुई है । अपों कुछ क्षण दृष्ट मेंने कदा है कि 'सनातन' और 'जीविका' का अति निकट सम्बन्ध है । जीविकाके उपाय भी 'सेवा कर्म' हैं और सनातनका अर्थ भी 'सेवाभाव' है । इन दोनों—सेवा कर्म + सेवाभाव—को जोड़ने से यह कार्य्य विधि बनती है—सेवा भाव से सेवा कर्म करना । अब इसी विधि पर विचार कर लेने से सनातन धर्म क्या है समझमें आ जायगा । —

(१) जब स्वार्थ भावसे यानी अपने और कुटुम्ब धर्मके भरण पोषणकी एव अर्थसञ्चयकी भावनाको मनमें धारण करके सेवाकर्म किया जाता है तब वह कर्म स्वरूपतः जीविका कर्म है और वह धर्मसे रहित है । क्योंकि ऐसी स्वार्थ भावनायुक्त मनुष्य अपनी ओर परायेकी दृष्टिमें नीना है । धर्म, मनुष्योके मनको सन्तुष्ट बसाये रखना है, किन्तु ऐने मनुष्यका मन सर्वदा झुंझलाया हुआ यानी असन्तुष्ट रहता है । वह अपनी जीविकाको नौकरी,

+ स्वामीजी की प्रतायी हुई व्युत्पत्तियाँ कोष के अनुसार ठीक हैं किन्तु काप में सना और सनातन शब्दों के अर्थ-- सर्वदा निरन्तर, निरस्थायी भी लिखे हुए हैं । इसी आधार पर अति प्राचीन काल से चली आती हुई हमारी वर्णाश्रम-व्यवस्था को लोग सनातन धर्म कहते हैं । न कि समाज की सेवा के ही लिये व्यवस्था चलाई गई थी इस-लिये समाज की सेवा करना वर्णका कर्तव्य है, अतएव धर्म है । इस विचार से समाज सेवा धर्मका नाम सनातन धर्म है ऐसा सिद्ध होता है । स्वामी जी के अनुमन्धान से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम अपने धर्म के आदर्श से गिर चुके हैं ।

× गौतानुशीलन प्रथम खण्ड देखो ।

दासत्व, या गुलामी कहता है और अपने वेतनमें वरकृत * नहीं देखता । वह अपनी जीविकाको राजगार और दुकानदारी कहता है और लाभ हानिके पीछे हेरान रहता है, वह अपनी जीविकाको भजद्वारा कहता है और श्रमसे पैसे जानेका रोना, रोता रहता है । स्वार्थमयी जीविकाको जब ऐसी प्रत्यक्ष दशा है तब कौन बेवकूफ उसे धर्म सजा देगा ? मैं भी ऐसी जीविकाको धर्म मानने का समर्थन नहीं करता । ऐसी जीविकासे परलोकका कोई सम्बन्ध नहीं है । सिवा पेट पालनेके और कोई तल्प इसमें नहीं है । अन्य तल्पोंके लिए पैसे लोगोको अपनी कमाईके धनसे दान, पुण्य और अन्य नाना प्रकारके यत्न करने पड़ते हैं तब कहीं उनका पार लगता है । तुलाधारने अपने मनसे ही 'पेट पालनेको' सनातन धर्म नहीं कहा, 'शास्त्रीयनियमसे पेट पालनेको' सनातन धर्म कहा है ।

(२) स्वार्थ भावनाओंके विपरीत परार्थ भावनासे यानी अपनेसे भिन्न दूसरेके सुखको लक्ष्यमें रखकर कोई कर्म करना 'सेवा भावसे सेवा कर्म करना' है । इसी प्रकार रामके किसी कर्मसे यदि श्यामको सुख होता है तो श्याम को भी चाहिये कि वह अपने गुण और शक्तिके अनुसार रामके सुखके लिए कोई कर्म करे । इस रीतिसे परस्परके सुखके लिए कर्म करना 'सेवाभावसे सेवा कर्म करना है' । इस तरह परस्परके सुखको कामनासे जो कर्माका आदान-प्रदान है वह 'सनातन' है । सनातन शब्दका एक और अर्थ 'दानभाव' भी होता है यथा— सत् (दान करना) + गान् = सना = दान । सना + तन = दान भाव । इस दान भावमें दूसरेको अपना स्वार्थ दे देना यानी स्वार्थका त्याग करना, अपने शारीरिक और मानसिक परिश्रमको दूसरेके लाभके लिए दे देना, अपने प्राणो तकको दूसरेके काममें लगा देना, अपना द्रव्य दूसरेके सुखके लिए दे देना, इत्यादि जो दान-कर्म है वे 'सनातन' कहाने हैं । इन कर्मोंसे, यानी स्वार्थ के त्याग और परार्थमें जीवन उत्सर्ग करनेसे मनुष्योकी आध्यात्मिक उन्नति होती है—आध्यात्मिक उन्नतिका फल मानसिक शान्ति है । इसीलिये सेवा × वा दानभाव मनुष्योंके लिये श्रेष्ठ धर्म माना गया है क्योंकि यह मनुष्योंको शान्तिमें स्थिर रखता है । पुनश्च, यही सेवाभाव उस समय भारतमें स्मार्त्त धर्म हो गया यानी लोगोके लिये शास्त्रीय विधान हो गया, जब समाज-शासकोने इससे समाजका अ+धुदय और व्यक्तियोंका निःश्रेयस् सिद्ध होना निश्चय करके वर्ण-व्यवस्थाके द्वारा इसका विधान कर दिया । तबसे, नि स्वार्थ जोर निरकामभाव से, स्वार्थ—त्याग की भावनाके द्वारा अपने अपने गुण-कर्मानुसार वा ईश्वर कलित

* आयसे धनका पूरा न पडना और कुछ न बचना ।

× बुद्ध, परमात्मसादी न होने के कारण सेवा शब्दके प्रत्येक उपाहार गहनता उपयोग करते थे ।

योग्यताक अनुसार अपने समाज, देश या राष्ट्रकी सेवा करना 'सनातन धर्म' कहाता है। "सनातन धर्म" मनुष्य मात्रका धर्म है किन्तु भारतके पूर्वकालिक जिस जातिने उस धर्मका पहिल पहिल आविष्कार किया था, और अपने जीवनमें इसका जानरण किया था उस जातिन पृथ्वीके अन्य जातियोंके द्वारा 'आर्य' नाम प्राप्त किया था। अर्थात् अन्य सब जातियाँ उसे पूज्य, श्रेष्ठ और अपना श्रामा समझती और मानती थी। उसी आर्य जातिके लोग अब स्वार्थभाव, स्वकामभाव एवं परार्थ त्यागकी भावनाएं अपने अपने गुण-कर्मनुसार वा योग्यताके अनुसार अपने अपने स्त्री, पुत्र, वा परिवारकी ही सेवा करने लगे तबसे वे पुजारा (अपनी जातिसे भिन्न दूसरकी पूजा करने वाले), सठ (राजगारम शठता करना मनुष्यभूतिके अनुसार बंध माननेवाले) और दास (शूद्रता भुसलमानो राज्यके पूर्व भी दास थे ही अब धत्री नी अपनी जातिसे भिन्न दूसरको भी अपना रानी कहने लग गये) कहान लग गये। परन्तु इतना परिवर्तन होने पर भी यह जाति केवल जातीय स्वकाय-धरा ही अपनेको आर्य और सनातन धर्मी कहकर प्रभाव करती है। - गये, तुहारी आंखों में आर्य खी न आये ?

मणेश -आपके शब्द मुझे नीर सरोरों देव रहे हैं।

मायाचन्द्र-नो अपना अस्त्र खुलानेका उपाय सोचो जाय यज्ञ करो।

मणेश—एक व्यक्तिके सुखरने से क्या होता है। यदि मैं निरमथ भावसे नौकरी करता रहूँ, मालिकसे लुट्टी न पाऊँ, वेतन-वृद्धि होनेका न कहूँ तो मालिक स्वयंसे ही अकृष्ण स्वभावी जाय निरमथी नौकर बिल गया — फिर न वे अपने मनसे रियायती लुट्टा ही देगे न वेतन ही बढ़ावेगे। दरगजाजारमें कोई सोदा खरीदने समय जब मैं भौल-भाव न करूँगा और बेचने वालेको रुपया देकर कहूँगा कि 'हमसेरो खोदेकी पाजिव कीमत लेलो' तब पर मुझे एक अकृष्ण उच्छ समझकर जाय आने ही जगह सात थाने, छ. थाने, पान आने या चार ही आने लौटा देगा और मुझे उसकी वेईपानी पर गम खाने दातो-एमीना आ जायगा। इय पर पर जब देगा कि कहागिन १॥) माहगार पर जाडेमे चलन प्रकती है तो उसको गरम पानो देना चाहिये क्योकि उसकी आय कम होनेके कारण वह बेचारी रुई सरा कुर्ता नही पहिन सकती। अतएव १॥) से २) वेतन का देना चाहिये। इरी तरह भावी, सेक्टर आदि सभीके साथ व्यवहार करने लगूगा तो फल यह होगा कि अभी जो भर पेड खाता है वो आ-ता पेड खानेको मिलेगा। त्वाकि आय नो बढ़ी ही नही और खर्च बढ़ गया। अर्था तो आप देय ही रहे है कि का आमदनीके कारण आपका उद्यमचन्द्र कालेजमें राती न हो सका और विजानतीके विवाहके लिये रुपया नही जुड रहा है।

मायानन्द—(हसकर) तुम्हागे हम कठिनायोंको जानते हुए भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि जब तुम्हें सनातन धर्मका ज्ञान हो गया है और अपना कर्त्तव्य समझ चुके हो तब तुम सच चिन्तार्थें छोड़कर अपना कर्त्तव्य करो ।

भणेश—मैं आपकी आज्ञा हृदयसे धारण करूंगा और अन्य विषयोंमें यथासाध्य उसको पालन करने की चेष्टा करूंगा, किन्तु जब तक आप मुझे यह नहीं बताते हैं कि यह पवित्र आर्यजाति किस तरह अपने पूर्व सनातन-धर्म पर पुनः आश्रय होगी, तब तक मुझे, बिना मोल किये वा चार दूकानें देवे सोडा खरीदने अथवा बिना मजदूरी तब किये किसीसे काम लेने का स्वाहस न होगा ।

मायानन्द—जब कोई जाति एकबार अपने धार्मिक आदर्श से गिर जाती है तो पुनः उस आदर्श तक बढ़नेमें उस जातिके व्यक्तियोंको कितनी बाधाएँ दीख पड़ती हैं, यह तुम्हारे निराशामय वाक्योंमें जान पड़ता है । अत्र पवित्र जातिके पुनरुत्थानमें उस जातिकी पीढ़ी ही प्रधान कारण होता है । किन्तु जाति, व्यक्तियोंका समूह होनेसे उस पौरुषका प्रकाशित होना व्यक्तियों पर अवलम्बित रहता है । व्यक्तियोंमें सान्नाहिक रूपमें कार्य-करने की प्रवृत्ति जागरण करनेमें देव वा अदृष्ट कारण होता है । नेता, तथा उपदेशकर्त्ता उपायके बनलानेवाले और पथप्रदर्शक मात्र होते हैं । भाग्यवशात् हम लोगोंके लिये श्रीगीता उपदेशकर्त्ता वर्तमान है । नेताओंका भी जवाब न होगा । रहा मूल साधन—जन्तुओंमें प्रवृत्ति—तो तुम्हारे आसूँ मुझे अच्छे शकुन जान पड़ते हैं । हमारी जातिके उत्थानके लिये सनातन धर्म पर श्रीगीतामें क्या क्या उपदेश हैं, मन्त्रोंकी व्याख्याके समय तुम सुनेगो । अब इस विषय पर अधिक वाद न करके—क्योंकि भगवत् वाक्यके आधारके बिना उसका विचार करना निर्गमक होगा—मे तुलाधार-जाजलि सम्वादके विषयमें अधस्वग होता हूँ ।

भणेश—आपकी सम्मति शिरोधार्य है ।

मायानन्द—तुलाधार जाजलिजीसे कहने लगा—‘मैं (इस सनातन) धर्मके अनुसार कटी लकड़ी और तुमके खरीदने-बेचने से जीविका निर्वाह करता हूँ । अलक, पत्रकाष्ठ, तुमकाष्ठ, कस्तूरी, आदि सब द्रव्यों और शराबके सिवा माना प्रकारके रत्नोंके, निरुद्धपट लीन-देन से अपनी आजीविका करता हूँ ।’ (२)

निष्पत्ती—जिस व्यक्तिसे वैश्यवर्णका जीवन निर्वाह होता है उसीको यहा वैश्यका सनातन धर्म मिला । ऐसा ही अन्य वर्णोंका भी स्पष्टता चाहिये । इसीसे मैंने भी “जीविका निर्वाहोपयोगी अपने अपने कर्मोंमें” ऐसा अर्थ भगवानके प्रतिज्ञा रूप मन्त्र (सं सवे कर्मस्यमिरत. इति) का किया है । आक्षेप इस बातका है कि इस उपाख्यानके रचयिताको समाजतन्त्र

तथा सनातनधर्मका स्पष्ट ज्ञान न था, इसी कारण तुलाधारके मुखसे “खरीदने-बेचने से मैं अपना जीवन निर्वह करता हूँ” ऐसा कहलाया है, अन्यथा ‘खरीदने-बेचने से समाजकी सेवा करता हूँ’ ऐसा कहलाया होता । तथापि राजगारमे झूठ बोलना और कपट व्यवहार करना लोगोंके लिये अधर्म है ऐसी चेतावनी दी है । यदि उपस्थानकारने तुलाधारके मुखसे केवल इतनी ही बात कहलाई होती कि “वृत्तिके बिना किसीका जीवन निर्वह नहीं हो सकता और समाजके बिना वृत्तियाँ उत्पन्न नहीं हो सकती—सामाजिक मनुष्यों की ऐसी परिस्थिति होनेके कारण, अपनी अपनी वृत्तिके समाजसेवा तथा अपने-अपने समाजका सेवक समझकर स्वार्थ रहित होकर प्रेमभावसे अपनी अपनी वृत्ति-सम्बन्धी कर्मोंका करना ही मनुष्योंका धर्म है, क्योंकि इसीसे उनको लौकिक और पारलौकिक कल्याण प्राप्त होता है”, तो जिस बातको समझानेके लिये मैं यत्न कर रहा हूँ वह बात स्पष्ट और निर्विवाद सिद्ध हो गई होती । जाजलिजी को भी इस बातका ज्ञान हो गया होता कि वह समाजका अङ्ग है, समाजमें उत्पन्न और परिवर्द्धित होनेसे वह समाजका अङ्गी है, और मरनेके बाद यदि फिर उसको जन्म लेना है तो समाजमें ही उसका जन्म होगा, अतएव समाजकी स्थिति और उन्नतिके लिये अपने वर्णकी वृत्तिके अनुरूप कर्मोंका करना ही उसका कर्त्तव्य है, न कि समाजमें छोड़कर केवल अपने निःश्रेयस्वा वा पारलौकिक सुखके लिए जङ्गलमें वा समुद्र किनारे तपस्या करना उसका कर्त्तव्य हो सकता है—चाहे ऐसा करनेमें जीवन-निर्वहके लिये समाजकी भिक्षादान रूपी सहायता की अपेक्षा न भी हो ।

तुलाधार कहने लगा—“जो सबका सुख है और जो शरीर, मन, और वाणी से सबके हितका अनुष्ठान करता रहता है वही यथार्थ में धर्मका जाननेवाला है । अनुग्रह, विरोध, द्वेष और कामनाका परित्याग एव सब प्राणियों में समदृष्टि रखना ये सब मेरे प्रधान नियम हैं । गगन-मंडल जैसे मंत्रादिके सहयोगसे नाना प्रकार के आकार धारण करता है, वैसेही एकही जगदीश्वर, सर्व जीवोंमें रहकर, नाना प्रकार के वेग धारण करता है, ऐसा विनाश करके मैं दूसरोंके कार्योंकी न प्रशंसा करता हूँ न निन्दा करता हूँ । मैं सब लोगोंको समान जानता हूँ । मैं अन्धे, बहिरं, और पागलकी तरह विषय भोगोंसे रहित होकर दिन काटता हूँ । वृद्ध, आतुर और दुर्बल व्यक्तियोंकी नाईं मुझमें भी अर्थ और कामोपयोगकी कुछ भी अभि-

॥ “सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन नैवापि जोग्यते । सयाऽव्यवृत्तिराव्याता तस्मात्तं परिवर्जयेत् ।” मनु अ० ४ । ६ बन्धुके भन्धुके सत्यानृत जाने और उसमें भी आजीविका चलावे और सेवा को कुरुर वृत्ति कहा है इस कारण सेवावृत्ति को त्याग देवे । सत्यानृत — सत्य + अनृत—सच और झूठ ।

लाया नहीं है। मनुष्य स्वयं जब काम, विद्वेष और भयको त्याग देता, दूसरोको त्रास नहीं देता, तथा शरीर मन और वाक्पसे किसी प्राणीके साथ पापाचरण नहीं करता है तभी उसको ब्रह्मपदका लाभ होता है” । (३)

“तपस्या, यज्ञ, दान और ज्ञानोपदेशसे इस लोकमें जो सब फलोका लाभ हुआ करता है, एक मात्र अभयदान रूप पुण्यसे भी वह सब फल प्राप्त हो सकता है। जगत्में जो व्यक्ति सब प्राणियोंको अभयदान देता है वह समस्त यज्ञके फलो और अभय को लाभ करता है। वस्तुतः अहिंसासे बढ़कर श्रेष्ठ धर्म और कुछ भी नहीं है।” (४)

“ जो लोग कृषि कर्मको उत्तम समझते थे, मैं उनकी भी प्रशंसा नहीं करता। क्योंकि कृषि भी अत्यन्त दारुण कर्म है। हे जाजलि ! लौहमुख हल, भूमिमें रहनेवाले सर्पादि प्राणियोंको नष्ट करता है और हलमें जुते हुए वृषभोंकी ओर देखो, वे कितना क्लेश सहकरते हैं। ” (५)

टिप्पणी—तुलाधारके उपदेशोंका और अधिक सङ्कलन करना व्यर्थ है। तुलाधारने जिस वर्ण-धर्म को, धर्मका मूल बताने के लिये उपदेश नं० १ और २ का आरम्भ किया था, उसीका खण्डन अपने उत्तरोत्तर उपदेशों से करने लगा, जिससे यही प्रतीत होता गया, कि जाजलि ही तुलाधार से अधिक धार्मिक था। हाँ, उपदेश नं० ३ का २ के साथ आपेक्षिक सम्बन्ध मानकर यदि उसका अर्थ किया जाय तो 'निरकाम होकर वर्ण-धर्मके आचरण-द्वारा समाजकी सेवा करना ही परमेश्वरकी पूजा करना है, इसलिये यह परम धर्म है' ऐसा प्रकाशित हो सकता है, किन्तु जाजलिजी जो उत्तर देते हैं उससे ज्ञात होता है कि उपदेश नं० १ और २ को छोड़कर तुलाधारने और जो कुछ कहा था वह समाज-निर्दिष्ट वर्ण-धर्म के विरुद्ध, निवृत्ति और यति-धर्मका पोषक था। तुलाधार के उपदेशों से एक बात और जानी जाती है कि अति प्राचीन सनातन-धर्मका ज्ञान उस समय लोगों को स्वप्नवत् था और यति वा सन्यास धर्मका ज्ञान जाग्रत था और इसी कारण समाज-तत्त्व पर विचारशील पुरुषोंको शङ्का हो रही थी।

+ “कृषि साध्विति मन्यन्ते सा वृत्ति, सङ्गिर्हिता। भूमिं भूमिशयाश्चैव हन्ति काष्ठमथोमुखम्।” मनु अ० १०। ८४। अर्थ—कोई मानते हैं कि खेती अच्छी वृत्ति है, परन्तु स-पुरुष इसकी निन्दा करते हैं (क) क्योंकि लोहके मुखवाला काठका हल भूमिका (!) तथा भूशायी जीवों का नाश करना है।

(क) जिनको समाजतत्त्वका ज्ञान नहीं और जो कृषिसे उत्पन्न अन्न नहीं खाते ऐ सों के सिवा और कौन सवपुरुष कृषिकर्मकी निन्दा कर सकता है ?

(शान्तिपर्व अ० २६२) जाजलि मुनिने उत्तर दिया “तुमने तुला-धारण करके (वणिक् वृत्ति से आजीविका करते हुए भी) जो यह धर्म प्रवर्त्सन किया है, इससे जीवोंके स्वर्गद्वार ओर जीविकाका अवरोध होता है। कृषिसे अन्न उत्पन्न होता है, तुम भी उसीसे जीते हो। पशुहिंसा न करने से यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तुम उसी यज्ञकी निन्दा करके नास्तिकता प्रकाशित करते हो। लोग प्रवृत्ति मूलक धर्मका परित्याग करके कदापि जीवन धारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकने।”

गणेश—वाहरे जाजलिजी ! आप स्वयं निवृत्ति मूलक धर्मके अनुयायी होकर कठोर अहिंसा व्रतके पालनसे अपनेको सिद्ध समझे हुए थे और जीवित भी थे। वही आप अब दूसरे के मुखसे निवृत्ति मार्गकी और अहिंसाव्रतकी प्रशंसा सुनकर असन्तुष्ट हो गये ! आप जो पहले से ही निवृत्ति मार्गको श्रेष्ठ जानकर उसके पक्षपाती थे, आकाशवाणीसे प्रवृत्ति मार्गका सम्वाद पाकर उसकी श्रेष्ठता पर सन्देहयुक्त होकर उसके विषय में पूछने को जिवके पास आये, उसीसे जब आपने सुना कि निवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, तब, निवृत्तिमार्गको अश्रेष्ठ कहकर प्रवृत्तिमार्गको श्रेष्ठ बताने लगे ! ज्ञानमें तुलाधार जाजलि हो गया और जाजलि तुलाधार हो गया ! कैसा आश्चर्य !!!

मायानन्द—जिसको मालूम है कि वर्त्तमान महाभारत, एक व्यक्तिका रचा हुआ नहीं है, नाना परिदृश्योंकी रचनायें इसमें प्रक्षिप्त हुई हैं, उसके लिये यह विचित्रता कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

इस विचित्रतासे केवल यही समझ पड़ता है कि उस प्राचीन कालमें भी विद्वानों में इस बात पर वाद-विवाद होता रहता था कि निवृत्ति मार्ग मानव धर्म है अथवा प्रवृत्ति मार्ग। समाजका ज्ञान द्युत होने से, व्यक्तियोंके सम्बन्धमें धर्मका निश्चय करने पर वाद-विवाद होता रहता था। कृष्णावतारमें जब इन दोनों मतों का समन्वय करके सनातन धर्मके सिद्धान्तका पुनः आविष्कार किया गया तब भी उसके उचित प्रचारके अभाव से आज तक वह मोट दूर न हो सका।

तुलाधार-जाजलि-उपाख्यानमें, महाभारतकारका उद्देश्य यह बतलाने का था कि समाज-सेवा ही प्रकृत धर्म है। समाज सेवा, जीविका-

। श्रीमद्भगवद्गीता की टीकाकी प्रस्तावनामें प० सुव्वाराव लिखते हैं—

भाषार्थ—श्रीमान्माधवाचार्य अपनी निर्णय नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि वर्त्तमान महाभारतमें वेदव्यास कृत मूल भारतका लक्षांश भी नहीं मिलता। इसकी ऐसी काट-छांट और तोड़-मड़ोर की गई है, नहीं नहीं, भारत के मूल प्रतिपाद्य विषयसे भिन्न इतने विषय इसमें घुसेडे गये हैं—कि अब महाभारतमें भारत का ककालाउक्षेप रह गया है। इस कारण बड़े कष्टसे गहरी खोज और विचार कर भारतका प्रतिपाद्य विषय संक्षेपमें इस निर्णय नामक ग्रन्थ में रचा गया है। (अंगरेजी से अनुवादित।)

निर्वाहका हेतु होने पर भी, जब कोई स्वार्थ चिन्तासे रहित होकर उसका आचरण करना है तभी वह उसके लिये धर्ममें परिणत हो जाती है। हम अनुमान करते हैं कि इस तुलाधार-जाजलि-उपाख्यान के प्रथम आरम्भ में कदाचित् धर्मका रहस्य ऐसाही समझाया गया हो। परन्तु परवर्ती कालके किसी परिदलने जीविकार्जनी वृत्तियों को स्वभावतः कामना मूलक जानकर एव विना शास्त्रीय आदेशके वे कैसे धर्म के रूप हो सकती है ऐसा विचार कर, स्मृति निर्दिष्ट वर्णोचित कर्मोंको धर्म कहा। (तुलाधार का उपदेश नं १।२)।

इसके अनन्तर दूसरे किसी विद्वान्ने, जो समाज-तत्त्वसे पूर्णतया अनभिज्ञ था, और पारलौकिक श्रेयको ही धर्म समझता था, यह विचार कर, कि जीविकार्जके लिये कर्म करना तो मनुष्य मात्रका स्वभाव सिद्ध स्वार्थ है, और उसी स्वार्थके अनुकूल होकर उसका सदाचारी होना भी उचित ही है, इसमें पारलौकिक श्रेयससाधक धर्मकी कौनसी बात है, निवृत्तिमूलक उपदेशोंको ही श्रेष्ठ धर्म बनलाया। समाजकी उत्पत्ति और स्थितिके मूल कारणोंके प्रति तथा समाजके साथ व्यक्तियोंके सम्बन्धके प्रति लक्ष्य न रहने से, उसने जाजलि प्रमुख ब्राह्मणोंके तपस्याचरणको मुख्य धर्म प्रतिपादन करने के लिये, अहिंसाको ही धर्मका मुख्य अंग कहा।

इस पर कोई तीसरा विद्वान्, यह जानकर कि मनुष्यकी जीविका कर्मों पर ही निर्भर है और श्रुति, स्मृति निर्दिष्ट कर्म ही धर्म है, निवृत्ति मूलक उपदेशों का प्रतिवाद निवृत्ति मार्गी जाजलिके मुखसे प्रकाशित करवाया। तुलाधारने अपने उपदेश नं० ३।४ में जो अहिंसावादकी प्रशंसा की उससे यह में पशुबलिकी निन्दा प्रकाशित हुई, सुतरा वीदकी निन्दा हुई, इसी कारण जाजलिनने उसे नास्तिक कहकर डाटा। क्योंकि स्मृति, पुराण आदिकोका

५ वेदिक पशुयाग आर तान्त्रिक पशुबलि हिंसा नहीं कहानी, इसका समर्थन में ऋग्वेद में कहा है—“हे पशो ! तू दूसरे पशुओं के समान मरता नहीं है तथा मारा भी नहीं जाना है, किन्तु सुन्दर देवयान मार्ग से देवताओं को पाता है।” इसी मंत्रके आधार पर मनु अ० ५।४० में लिखा है “पशुसो पक्षिणस्तथा यशरं निधनं प्राप्ता प्राप्नुवन्त्युत्सृती, पुन —अर्थात् पशु पक्षा यज्ञ म बलि होकर दूसरे जन्म में उत्तम योनिके प्राप्त होते है तथा स्वर्ग को जाने हैं।” इस पर टीकाकार कहते है कि—“किसी प्राणीका अपकार करनेका नाम हिंसा है, परन्तु यज्ञमें जो पशुबलि होता है उससे पशुके शरीरका नाश होना अपकार होने पर भी वह नारा उस पशुके आत्मा का अपकार करने वाला है, क्योंकि—अनेका पापोंसे प्राप्त पशु शरीर से वह पशु छूटकर स्वर्गमें जाता है”। अर्थात् अपकार की मात्रा से अपकार की मात्रा अधिक होने के कारण बधकर्त्ता को पाप के बजाय पुण्य ही होता होगा। पशु भी अपनी पापयोनिसे छुटकारा पाने तथा स्वर्ग जाने की इच्छा अवश्य ही रखता होगा क्योंकि सुखकी चाहना जीव मात्रका स्वभाव है। तबलि देने वाले कर्त्तव्य वेदान्त की युक्ति से काम लेने रहे होंगे।

शासन यह है, कि जो वेदकी निन्दा करता हो वह × नास्तिक है। तुलाधारने, अहिंसावादके विचारसे, वेदकी निन्दा प्रच्छन्न रूपसे अवश्य की, किन्तु वह आस्तिक था और वेदान्ती भी था।

महाभारतके दृष्टान्तोंसे, यहा तक जिस बातका विचार हमने किया, उससे यह जाना गया कि 'समाज-सेवा मनुष्य मात्रका मुख्य वर्म है जिसका साक्षात् फल अर्थ और काम है और भविष्यत् फल स्वर्ग (सु + वर्ग ?) है' यह बात हजारों वर्षोंसे हम लोग भूले हुए है। आर्य ऋषियोंने समाजके हित तथा व्यक्तियोंके निश्चयसके उद्देश्यसे धर्मकर्मोंका विधान किया था। इस युगल उद्देश्यको भूल कर हम लोग केवल अपने व्यक्तिगत इहलौकिक और पारलौकिक हितके लिये उनका अनुष्ठान करते हैं, इसीसे हम लोगोंके यावतीय कर्म सकाम और स्वार्थपर हो रहे है। जिससे अधर्म उत्पन्न होकर हम लोगो को रोग, शोक, दरिद्रतादि नाना रूपसे कष्ट दे रहा है।

× "नास्तिको वेदनिन्दक" मनु अ० २। ११—जो कुनर्क के बल से श्रुति स्मृतिका अनादर करता है वह नास्तिक है।



गीतानुशीलनके अग्रिम चन्दा दातृगण ।

(धन्यवाद सहित स्वीकृत)

ग्राहक नम्बर	नाम व पता	चन्दा
८	श्रीयुत बाबू द्वारकाप्रसादजी भार्गव, लाठगंज जबलपुर	३)
९	” ” सुकुमार चटर्जी आई एन जे महाताल जबलपुर	३)
१०	” डा० गणपतिनारायण हर्षे एल. एम. एम. लाठगंज जबलपुर	२)
११	” पं० रामकृष्ण खेलापुरकर, भालदारपुरा, जबलपुर	२)
१३	” सेठ मोहनलाल हरगोविन्द बीडीवाले, लाठगंज जबलपुर	३)
१४	” बाबू कल्लेदीलाल बी. ए. एल. एल. बी. वकील, जबलपुर	३)
१५	” ” जीवनचन्द्र मुखोपाध्याय एम. ए. बी. एल. गवर्नमेंट एडमोकेट, जबलपुर	२)
१६	” ” अनोरंजन मुखोपाध्याय बी. ए. एल. एल. बी. वकील जब०	२)
१७	” डा० अनोहरलाल दुबे सरजन व फिजिशियन, गंजीपुरा जब०	१॥)
१८	” बाबू संपूरणदास श्रीवास्तव, टौमहाल जबलपुर	१)
१९	” ” देवीचरण बन्दीपाध्याय बी. ए. एल. एल. बी. वकील ज०	२)
२०	” ” शिवरत्नलाल मालगुजार, गढ़ाफाटक जबलपुर	२)
२१	” ” राजबहादुर भार्गव बी. ए. एल. एल. बी. वकील, जब०	२)
२२	” ” राधाकृष्ण अग्रवाल गवर्नमेंट टेलिग्राफ डि० जबलपुर	२)
२३	” ” प्रभातचन्द्र जोन बी. ए. एल. एल. बी. वकील, जबलपुर	२)
२४	” ” जगदीशप्रसाद मालगुजार, बठरगी, ल० सिहीरा	१)
२५-३५	” ” सिधावरदासजी श्रीर उनके १० भिन्न, आधारताल फारम जबलपुर	५॥)
३६	” ” शिवप्रसादजी श्रीवास्तव बी. ए. एल. एल. बी. वकील प्रोसीडेन्ट म्युनिसिपल कमिटी, जबलपुर	२)
३७	” ” भोलानाथ मरकार बी. ए. एल. एल. बी. वकील, जबलपुर	२)
३८	” ” कस्तूरचन्द्र बी. ए. एल. एल. बी. वकील, जबलपुर	२)
३९	” पं० फकीरचन्द्रजी दीक्षित गजीपुरा, जबलपुर	२)

“अवशि देखिये देखन योगू”

हिन्दीमें अपने ढंगकी अनूठी पुस्तक रामचरितमानसकी अपूर्व टीका ।

तुलसीकृत रामायणकी अद्भुत और भक्ति पूर्णक पढ़नेवाले प्रत्येक कुलशा सुपद अनुष्यको तुलसीदासजीकी कविताका रसास्वादन करानेके लिये ही इस टीकाकी रचना हुई है। टीका सरल और सुबोध है। इस टीकाके बा प्रो० रामदास गौड़ एम. ए. लिखते हैं—“रामचरितमानसके पाठकने यदि इस टीकाको न देखा तो निश्चय उसके काव्य कलाप के वास्तविक आनन्दसे अञ्चित रहा।”

आरा नागरी प्रचारिणी सभाके मंत्री महाशय लिखते हैं—“टीकाकी लिहाजसे मूल्य कुछ नहीं। यह स्कूली लड़कोंके लड़े कामकी चीज है। स्त्रियोंके लिये तो यह टीका अतिशय उपयुक्त है। इसे साथ रखने पर किसी तरहका अड्डावली व अन्यान्य टीकाओंकी विशेष आवश्यकता नहीं रहजायगी। उचित स्थलीपर श्लोक, कवित्त, सनैया, छन्द, सोरठा, दोहा और अष्टपदी उद्धृत हैं। कई ठौर विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र, वैद्यक, न्याय, एवं योगादि शास्त्रोंकी जानने योग्य बातें थोड़े ही में बता दी गई हैं। समयानुसार गाने लायक चीजोंकी तो उद्धरण गई है।”

काश काशड पृ० ७५५—दास २) अयोध्या काशड पृ० ५२४— दास १॥॥
आरव्य काशड—॥२) किरिकन्धा काशड—१) सुन्दर काशड—॥ लङ्का काशड—१) और उत्तर काशड - १।; कुल ७॥२) है।

पता—विनायकराव पेन्सनर लाठगंज, जखलपुर।

राष्ट्रभाषा हिन्दीका
प्रधान राजनैतिक

कर्मवीर

राष्ट्रीय धर्मका
साप्ताहिक पत्र

वार्षिक मूल्य ३॥)

सत्य, न्याय, समता तथा स्वाधीनताका निर्भीक प्रतिपादक, भारतीय जनता का प्राण, राष्ट्रीय साहित्यका अङ्ग तथा राष्ट्र भाषा हिन्दीके प्रचारक कर्मवीर को जनताने अपूर्व स्वागत प्रदान करके लोक-प्रिय बना लिया है। सुअवसर न सूकिये। तुरन्त आहक बनिए।

पता—उद्यमस्थरपक, कर्मवीर-कार्यालय, जखलपुर।

शुभचिन्तक प्रेस, जखलपुर से काबू आननगोविन्द गुप्त द्वारा मुद्रित।

गीतानुशीलन के आग्रिम चन्द्रादातृगण

(धन्यवाद सहित स्वीकृत)

क्र.सं.	आह्वक	नाम व पता	चन्द्र
५३	श्रीयुत	हरिदास पालिन वी. ए. एल. एल वी. वकील जबलपुर ...	१)
५४	"	सत्यरंजनराय नित्यरंजनराय ऐ ऐ. ...	१(=)।।
५५	"	वेनीप्रसाद जी ऐ. ऐ. ...	१)
५६	"	बलदेवप्रसाद जी मालगुजार बन्धइयापुरा ऐ ...	१)
५७	"	नाथूराम मोदी वी. एल. एल. वी (भूतपूर्व वकील) ...	२)
५८	"	गौटिया शोभासिंह मालगुजार गढा ऐ.	२)
५९	"	शन्भूदयाल भार्गव एलागन्स बेक सिमला अजमेर .	२)
६०	"	बालगोविंद शुक्ल पेन्सनर जबलपुर .	१)
६१	"	धुन्धेाल रामदास नीमाइगज ऐ. ...	२)
६२	"	वैदेही शरण भार्गव माइनिंग इंजिनियर मथुरा .	२)
६३	"	कुंभसिंहारी गुप्त वकील जबलपुर ..	१)
६४	"	सेठ शिववक्स राजागम कोतवाली बाजार ऐ ..	२)
६५	"	भैयालाल एकाउन्टेन्ट पुनलीघर ऐ ...	१)
६६	"	बलदेवसहाय भार्गव रीवाडी ..	=)
६७	"	राधारमन भार्गव वी ए एल एल वी. गुरगाव ...	३)
६८	"	बलदेवप्रसाद दुबे जबलपुर ..	१)
६९	"	लाला लल्ललाल जी मुनीम टिकरिया ऐ .	१)
७०	"	राधिकाप्रसाद जी वर्मा वी ए एल. एल. वी. ऐ ...	२)
७१	"	संत गोपीराम भोंगीलाल जी निवाइगंज ऐ ...	२)
७२	"	प्यागेलाल भार्गव वारिस्टर सिवनी ..	२)
७३	"	अयोध्याप्रसाद भार्गव वारिस्टर ऐ ...	२)
७४	"	लक्ष्मण कृष्ण पडारकर वी ए एल एल वी वकील जबलपुर ...	१)
७५	"	श. वा. हीरालाल सा० डिप्टी कमिश्नर वर्धा	१)
७६	"	सुरेशचन्द्र मुखोपाध्याय वी ए एल एल वी. वकील जबलपुर...	३)
७७	"	मनोहर कृष्णगोलवरकर वी ए एल एल वी वकील ऐ	१)
७८	"	श्री० अमरदास जी श्री साधुवेलातीर्थ शक्कर सिध . .	१)
७९	"	अपिनाथ त्रिवेदी हि० अध्यापक शाहजहापुर ...	१)

विज्ञापनपत्राचारों के लिए अपूर्व सुयोग ।

हिन्दी गुजराती मराठी मरकत और अंग्रेजी में विज्ञापन छापकर भागतर्ष में सर्वत्र प्रचार करने के लिये विज्ञापक नाम के पत्र का जन्म हुआ है ।

यह पत्र पत्रों तथा डाक द्वारा सर्वत्र बांटा जाता है ।

इस पत्र में केवल अच्छे विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं । विज्ञापक और खरीदार में कोई झगड़ा हो तो एजेंट के द्वारा उसका निपटारा किया जाता है । जिस विज्ञापक से हमारे एजेंट का नाम रहता है उसी विज्ञापन मन्थनी शब्दों का निपटारा हम कर सकते हैं । अच्छे विज्ञापनपत्राचारों को प्रियापत्र, न. न. न. नाम हीमद विज्ञापन के दर हैं प्रतिवार रायल = १००० / पृष्ठ नौ रूप्य ।

"	"	"	१	, पांच	"
"	"	"	१	, तीस	"
"	"	"	१	कालम प्रति डेन	२५

'विज्ञापक' सम्प्रति वर्ष में १२ बार निकलेगा जिसको विज्ञापक बराबर संग्रहित हो वह १० संख्या का डाक व्यय (=) हमें भेजे या हमारे एजेंट को भेजे ।

जो एजेंट को (=) वार्षिक वे वह एजेंट द्वारा ही पत्र पावेंगे ।

विज्ञापक के लिए एजेंट चाहिए ।

जबझपुर में एजेंट गणेशचन्द्र प्रमाणिक प्रकाशक " गीतानुशीलन " है ।

जयदेव बदरौं

प्रकाशक विज्ञापक बडोदा ।

शक्तिवर्द्धक अवलेह ।

इस अवलेह के सेवन से वर्षों की कोष्ठ कठिन्ता दूर होती है, कमर की पीड़ा जाती रहती है, शरीर में रफूर्ती उत्पन्न होती है और शक्ति का संव्य होना है । बुढ़ भी उवान जैसा उरमाही हो जाता है ।

यह अवलेह खाने में मीठा है इसका अनुपान कम से कम १ छटाक गरम दूध है ।

द्विनको खुगक का मूल्य ॥) डा० व्यय रबन्त ।

मिलने का पता

मैनेजर— गीतानुशीलन कार्यालय,

गढ़ाफाटक जबझपुर ।

